SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 02

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 02

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		*v*
कार्यकारी सारांश		*ix*
अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की संचित निधि	1.2	11
आकस्मिकता निधि	1.3	43
लोक लेखा	1.4	43
राजकोषीय संवहनीयता	1.5	46
निष्कर्ष	1.6	61
अनुशंसाएँ	1.7	62
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	65
बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर	2.2	66
बजट कार्यकुशलता	2.3	70
विनियोग लेखे	2.4	73
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	74
विधायी तंत्र से बाहर रखी गई अव्ययित निधियों की पार्किंग और वापसी	2.6	79
एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०)	2.7	79
चयनित अनुदानों की समीक्षा	2.8	81
अनुदान संख्या - 35 “योजना एवं विकास विभाग”	2.8.1	81
अनुदान संख्या - 48 “नगर विकास एवं आवास विभाग”	2.8.2	86
विशिष्ट बजट	2.9	93
जेंडर बजट की समीक्षा	2.10	93
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	2.11	95
हरित बजट की समीक्षा	2.12	96
परिणाम बजट की समीक्षा	2.13	98
आकस्मिकता निधि	2.14	99
निष्कर्ष	2.15	100
अनुशंसाएँ	2.16	101

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ली गयी गैर-बजट उधारी	3.1	103
सरकार की अप्रदत्त देनदारियां	3.2	105
सरकारी लेखों से बाहर की निधि	3.3	109
उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब	3.4	111
सार आकस्मिक विपत्र	3.5	112
लोक लेखों के अंतर्गत जमा	3.6	115
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.7	118
मुख्य उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण (डी०डी०आर०) शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.8	119
विभागीय आंकड़े का समाशोधन	3.9	121
नकद शेष का समाशोधन	3.10	122
लोक लेखा में प्रतिकूल शेष	3.11	123
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.12	124
स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.13	125
एस०पी०एस०ई० जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया को बजटीय सहायता	3.14	126
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	3.15	127
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.16	127
निष्कर्ष	3.17	128
अच्छी प्रथाएँ	3.18	128
अनुशंसाएँ	3.19	129

परिशिष्ट

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आकड़ें	1.1.3	131
1.2	मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.1.4, 1.2.4.1 ए, 1.2.4.2 ए	134
1.3	31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.1.5	140

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.4	प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षों का रुझान (2015-16 से 2024-25)	1.1.6, 1.2.4.2	142
2.1	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)	2.5.2	144
2.2	ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)	2.5.2	146
2.3	पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट प्रावधान में अनावश्यक वृद्धि (पाँच करोड़ या अधिक)	2.5.3	148
2.4	अभ्यर्पण के बाद भी वृहत बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान (वित्त वर्ष 2024-25)	2.5.4	149
2.5	विगत पांच वर्षों में अनुदान के बजट खंडों के तहत पर्याप्त सतत् बचत (प्रति वर्ष ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक)	2.5.4	150
2.6	वित्त वर्ष 2024-25 में अनुदान-वार बचत और बजट का प्रतिशत उपयोग	2.5.4	151
2.7	बचतों का अनभ्यर्पण	2.5.4	153
2.8	मार्च 2025 के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण	2.5.4	156
2.9	2024-25 के दौरान सभी अनुदानों में चतुर्मास-वार व्यय	2.5.6	157
3.1	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत योगदान और निवेश का विवरण	3.2.2	160
3.2	31.03.2025 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	3.4	161
3.3	31.03.2025 तक सार आकस्मिक विपत्र की स्थिति	3.5	163
3.4	स्वायत्त निकायों के लेखे का बकाया जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए (31 मार्च 2025 तक)	3.13	165
3.5	एस०पी०एस०ई० को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2025 तक बकाया थे	3.14	166

प्रस्तावना

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

बिहार सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़े के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमंडल को जानकारी प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I - राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष, ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखे लेन-देन सहित प्रमुख सूचकांकों और राज्य की राजकोषीय स्थिति का वृहद राजकोषीय विश्लेषण शामिल है।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय III – वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) का प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालान और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे को संकलित करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं के आकलन के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता तथा प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखांकन के साथ-साथ एम०आई०एस०);
- जी०एस०डी०पी० आँकड़े और अन्य राज्य संबंधित सांख्यिकी;
- राज्य की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम;
- वित्त आयोग की सिफारिशें;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; एवं
- भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाएँ और दिशानिर्देश।

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के साथ दिनांक 10.10.2025 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी में अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। सरकार का जवाब जहाँ भी प्राप्त हुआ है, उसे प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है।

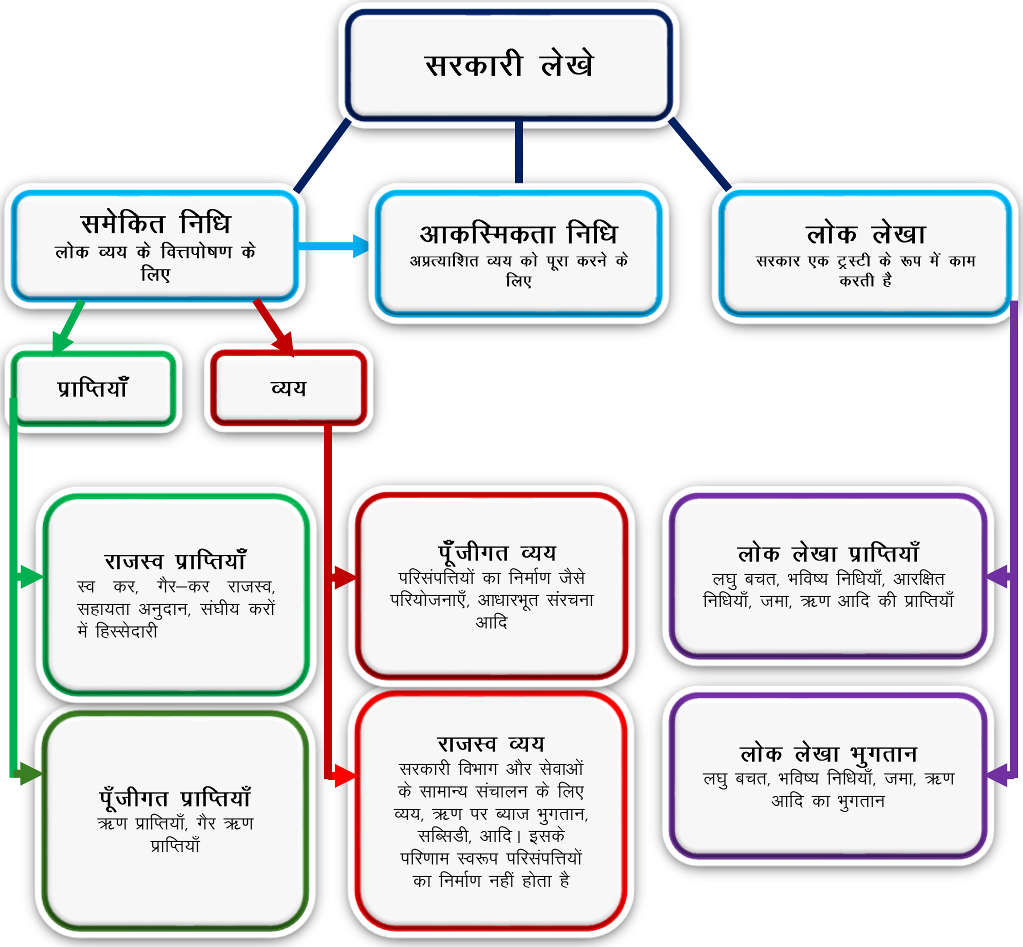

राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि शामिल है। इस निधि से कोई भी धन विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की संचित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका के मताधीन होते हैं।

2 राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

राज्य विधायिका द्वारा विधि सम्मत स्थापित यह निधि अग्रिम प्रकृति की है और इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार को लंबित रखते हुए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जा सके। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके की जाती है।

3 राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थाई शीर्ष है, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखे में शामिल होते हैं। लोक लेखे विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

बिहार की अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत वर्ष की तुलना में (13.09 प्रतिशत) सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर) 14.97 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 2020-21 के ₹ 5.68 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 9.92 लाख करोड़ हो गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य ने ₹ 357.38 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 0.04 प्रतिशत) का राजस्व घाटा दर्ज किया। राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 41,222.50 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत) रहा, जो जी०एस०डी०पी० के 3.50 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2024-25 में कुल बकाया देनदारियां जी०एस०डी०पी० का 37.72 प्रतिशत रही, जो 39.90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम थी।

कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति प्रबंधनीय रही, जिसे मजबूत आर्थिक वृद्धि, संयमित राजस्व असंतुलन और निर्धारित सीमा के भीतर देनदारियों से समर्थन मिला। हालांकि राजस्व खाते में केवल मामूली घाटा दर्ज किया गया, लेकिन राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग के अनुरूप निर्धारित बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) लक्ष्य से अधिक रहा, जो मजबूत जी०एस०डी०पी० वृद्धि के बावजूद राजकोषीय संसाधनों पर दबाव का संकेत देता है। कुल देनदारियों का स्तर, यद्यपि अभी भी अनुमेय सीमा के भीतर है, फिर भी परिमाणात्मक रूप से निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है।

राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,18,658 करोड़) में 13.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संघीय करों के अधिक अंतरण तथा जी०एस०डी०पी० की मजबूत वृद्धि के कारण राजस्व उत्प्लावकता और राज्य की स्व राजस्व उत्प्लावकता क्रमशः 1.00 और 0.82 तक सुधरी। राज्य ने अपने कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रूप में (₹ 59,360 करोड़) अर्जित किए, जो विगत वर्ष के (₹ 53,618 करोड़) की तुलना में अधिक है। राज्य के स्व राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 10.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किंतु यह जी०एस०डी०पी० की 13.09 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही। राज्य के स्व राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ, फिर भी संघीय करों के अंतरण (59.20 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (13.66 प्रतिशत) पर निर्भरता पर्याप्त रूप से बनी रही।

राजस्व व्यय

वर्ष 2020-25 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 83 प्रतिशत से अधिक रहा, जो यह दर्शाता है कि प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा नियमित खर्चों पर व्यय हो रहा है तथा पूंजीगत निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित है। वर्ष 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय में 19.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो विगत पाँच वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक वृद्धि थी। राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत भी 2023-24 के 37.77 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 39.37 प्रतिशत हो गया।

बिहार में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल सब्सिडी पर व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,065.68 करोड़ की वृद्धि हुई, तथापि राजस्व व्यय और कुल व्यय के सापेक्ष इसका प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कम रहा। सब्सिडी मुख्यतः ऊर्जा, खाद्य, कृषि तथा उद्योग राहत उपायों के अंतर्गत प्रदान की गई।

समग्र रूप से, वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत भाग प्रतिबद्ध व्यय तथा सब्सिडी पर व्यय किया गया, जिससे विकासात्मक एवं पूंजीगत व्यय के लिए केवल 52 प्रतिशत राजकोषीय उपलब्धता रही।

पूंजीगत व्यय

वर्ष 2020-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 111 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह 20.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ता रहा। जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में इसमें 2023-24 तक निरंतर वृद्धि देखी गई, जिसके बाद 2024-25 में इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जा रही थी। तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्रकृति के ₹ 33.11 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया, जिससे पूंजीगत व्यय इस सीमा तक अधिक बढ़ गया।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसई) में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार का निवेश 2020-21 के ₹ 32,871 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 45,665 करोड़ हो गया, जबकि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त लाभांश भुगतान 2021-22 में ₹ 6.54 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 3.34 करोड़ रह गया। इसका कारण राज्य में लाभांश घोषणा नीति का अभाव था। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य ने विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को शेयर/इक्विटी के रूप में ₹ 4,152.24 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इनमें से ₹ 3,991.60 करोड़ का निवेश वर्ष 2024-25 के दौरान तीन घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किया गया।

देनदारियां

मार्च 2025 तक, राज्य की सकल देनदारियाँ ₹ 3,74,134 करोड़ थीं। ऋण और जी०एस०डी०पी० अनुपात 2020-21 के 40.01 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 37.04 प्रतिशत हो गया। इसके बाद 2024-25 में यह मामूली रूप से बढ़कर 37.72 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में वृद्धि था। वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की कुल बकाया देनदारियाँ बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहीं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, ब्याज देनदारियाँ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सड़क सुरक्षा उपकर तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (श्रम उपकर) में कम अंतरण से संबंधित ₹ 2,139.82 करोड़ की अदत्त देनदारियाँ भी निर्धारित खातों में अंतरित नहीं की थीं, जो कि 2024-25 के दौरान राज्य की जी०एस०डी०पी० का 0.21 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत थी।

अल्प से मध्यम अवधि (0-7 वर्ष) में देनदारियों की एक बड़ी राशि (₹ 1,57,322 करोड़), जो कुल बकाया ऋण का 50.18 प्रतिशत है, के परिपक्व होने से पुनर्वित्तपोषण तथा तरलता संबंधी संभावित दबावों का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है।

बजटीय प्रबंधन

बिहार के कुल बजट में 48.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 2,45,522.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,64,518.87 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान कुल बजट की तुलना में बचत 31.61 प्रतिशत (2020-21) से 20.08 प्रतिशत (2023-24) के बीच रही। वर्ष 2024-25 में ₹ 3,64,518.87 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के विरुद्ध राज्य ने केवल ₹ 2,87,178.49 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 77,340.38 करोड़ (21.22 प्रतिशत) की बचत हुई। कुल बजट के विरुद्ध बृहत बचत यह दर्शाती है कि आवश्यकताओं का आकलन पर्याप्त रूप से सटीक नहीं था तथा बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान 12 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत 35 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक) ₹ 6,225.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। आठ विभागों के अंतर्गत 15 लेखा शीर्षों में ₹ 147.26 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 5 करोड़

या अधिक) का पुनर्विनियोग भी अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय या तो मूल/कुल बजटीय प्रावधानों के बराबर या उससे कम रहा। ₹ 77,340.38 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 66,952.02 करोड़ (कुल बचत का 86.57 प्रतिशत) की पर्याप्त राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०)

वर्ष 2024-25 में, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित केन्द्रांश से ₹ 441.29 करोड़ कम राशि अंतरित की गई। वर्ष 2024-25 के अंत में पी०एफ०एम०एस० डैशबोर्ड के अनुसार एस०एन०ए० की अंतशेष राशि और स्वयं एस०एन०ए० द्वारा प्रतिवेदित की गई राशि के बीच ₹ 1,478.41 करोड़ का अंतर पाया गया, जिसका समाशोधन किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य कोषागार से संबंधित एस०एन०ए० को केन्द्रांश तथा राज्यांश के अंतरण में क्रमशः 167 दिनों और 246 दिनों तक का विलंब हुआ, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वर्ष की शुरुआत (अप्रैल 2024) में, ₹ 70,877.61 करोड़ राशि से संबंधित 49,649 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 39,228.57 करोड़ के कुल 9,336 लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निस्तारण किया गया। मार्च 2025 तक, ₹ 92,132.75 करोड़ राशि से संबंधित 62,632 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में 26.15 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से ₹ 21,515.36 करोड़ राशि से संबंधित 3,505 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2019-20 से पूर्व के थे, जो कमजोर निगरानी तथा धन के दुरुपयोग के जोखिम को दर्शाता है।

सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र

वर्ष की शुरुआत (अप्रैल 2024) में ₹ 9,390.28 करोड़ राशि से संबंधित 17,573 सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,016.94 करोड़ राशि के कुल 2,038 ए०सी० विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 679.36 करोड़ से संबंधित 1,366 ए०सी० विपत्र (66.80 प्रतिशत) मार्च 2025 में आहरित किए गए, जो बजटीय प्रावधानों को समाप्त करने के लिए वर्ष के अंत में सघन व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 2,038 ए०सी० विपत्रों के विरुद्ध केवल 124 ए०सी० विपत्र जो ₹ 45.48 करोड़ का था, को समायोजित किया गया। 31 मार्च 2025 तक, ₹ 10,361.74 करोड़ राशि (जिनमें ₹ 5,513.69 करोड़ पूंजीगत व्यय से संबंधित हैं) के कुल 19,487 ए०सी० विपत्र समायोजन हेतु लंबित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान लंबित ए०सी० विपत्रों में विगत वर्ष की तुलना में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए०सी० विपत्रों की लंबित रहने से धन के दुरुपयोग, दुर्विनियोजन तथा राज्य के खजाने को हानि होने का जोखिम बना रहता है।

व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाते का संचालन

मार्च 2025 तक, 252 प्रशासकों के व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खातों में ₹ 2,659.57 करोड़ की शेष राशि थी। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की संचित निधि से व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,686.66 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिसमें मार्च 2025 में ₹ 644.07 करोड़ का हस्तांतरण भी शामिल है। इससे वर्ष के अंत में धन के पार्किंग की स्थिति उत्पन्न हुई, जो यथार्थ बजट निर्माण के उद्देश्य को कमजोर करती है। 252 पी०डी० खाता प्रशासकों में से केवल 16 ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपने खातों की शेष राशि का कोषागार अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता (बीटीसी), 2011 के नियम 344 का अनुपालन न होने के कारण ₹ 141.13 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई, जिससे निकासी के वर्ष में राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हुआ।

109 निष्क्रिय पी०डी० खातों में ₹ 13.85 करोड़ की निष्क्रिय शेष राशि पाई गई, जो अपर्याप्त निगरानी तथा आवधिक समीक्षा के अभाव को दर्शाती है।

व्यक्तिगत खाता बही (पी०एल०) खाते का संचालन

मार्च 2025 तक 398 प्रशासकों के व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खातों में ₹ 31,830.36 करोड़ की राशि शेष थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की संचित निधि से पी०एल० खातों में ₹ 21,300 करोड़ अंतरित किए गए, जिससे वैधानिक निरीक्षण को दरकिनार किया गया और पारदर्शिता कम हुई। 398 पी०एल० खाता प्रशासकों में से केवल 33 ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोषागार अभिलेखों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया। शेष राशि के मिलान नहीं करने से न केवल वित्तीय प्रतिवेदन की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हुआ, बल्कि संचित निधि के बाहर रखी गई राशि के गलत विवरण, दुरुपयोग या विचलन का जोखिम भी बढ़ा।

अध्याय I:
राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार की वित्तीय स्थिति का एक संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है,जो सतत् असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्रतिफल आदि जैसे मुद्दों को चिह्नित किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार, मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जो 94,163 वर्ग किमी में फैला हुआ है, इसमें 38 जिले और 45,103 राजस्व गांव शामिल हैं। 2025 तक, बिहार की जनसंख्या 13.04 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 9.23 प्रतिशत) थी, जिसका जनसंख्या घनत्व 1,385 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जी० एस० डी० पी० और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण **तालिका 1.1** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

	बिहार	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	88.71	68.86
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	11.29	31.14
जनसंख्या घनत्व	1,385	430
लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर (भारत की जनगणना, 2011)	918	943
शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, 2023)	23	25
मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 महिलाओं पर (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, 2021-23)	10	5
कुल प्रजनन दर (एनएफएचएस-5, 2019-21)	2.98	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2019-23)	69.3	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	33.76	14.96
साक्षरता दर (*आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2023-24*)	74.3	80.9

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का आर्थिक प्रभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) और प्रति व्यक्ति आय, राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में वर्णित है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि जी०एस०डी०पी० राज्य स्तर पर इसे मापता है और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जी०एस०डी०पी० और जी०डी०पी० की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.2** में दर्शाया गया हैं। जी०एस०डी०पी० और जी०डी०पी० की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जी०डी०पी० में जी०एस०डी०पी० का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है तथा देश की प्रति व्यक्ति आय एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: जी०डी०पी०की तुलना में जी०एस०डी०पी० की प्रवृत्तियाँ (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत की जी०डी०पी० (₹ करोड़ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
बिहार की जी०एस०डी०पी० (₹ करोड़ में)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,46,480	1,72,422	1,94,451	2,15,935	2,34,859
बिहार की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	46,412	52,144	60,573	68,609	76,490

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.1: जी०डी०पी० और जी०एस०डी०पी० की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जी०डी०पी० के सापेक्ष जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर

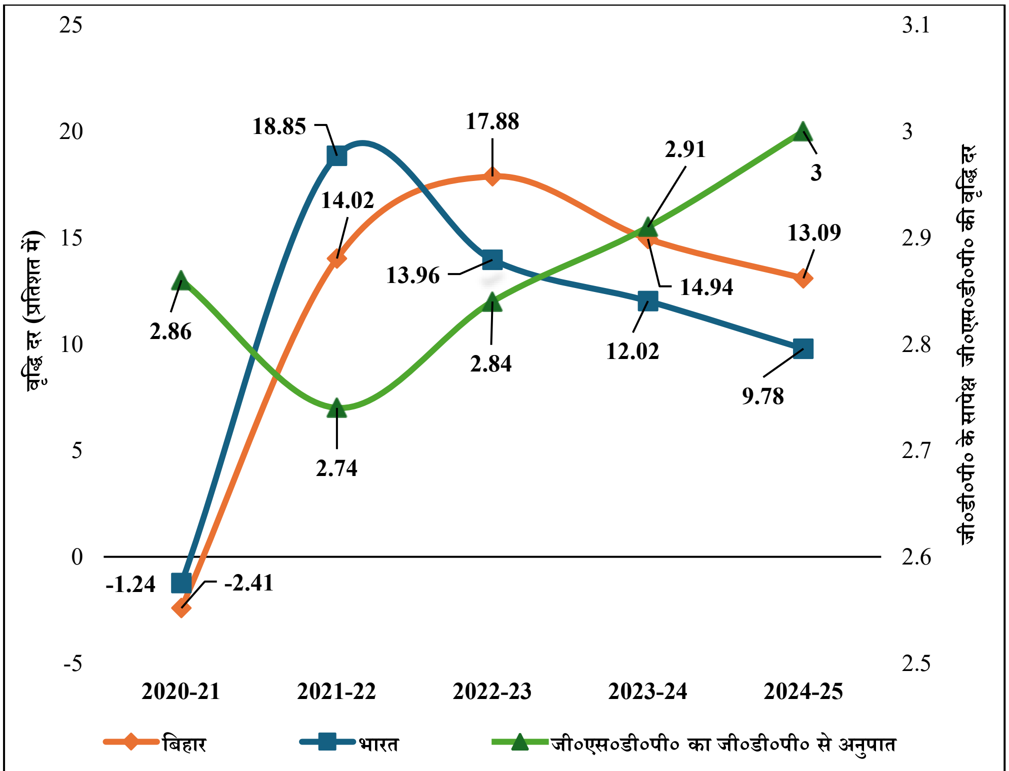

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.2: भारत और बिहार की प्रति व्यक्ति आय

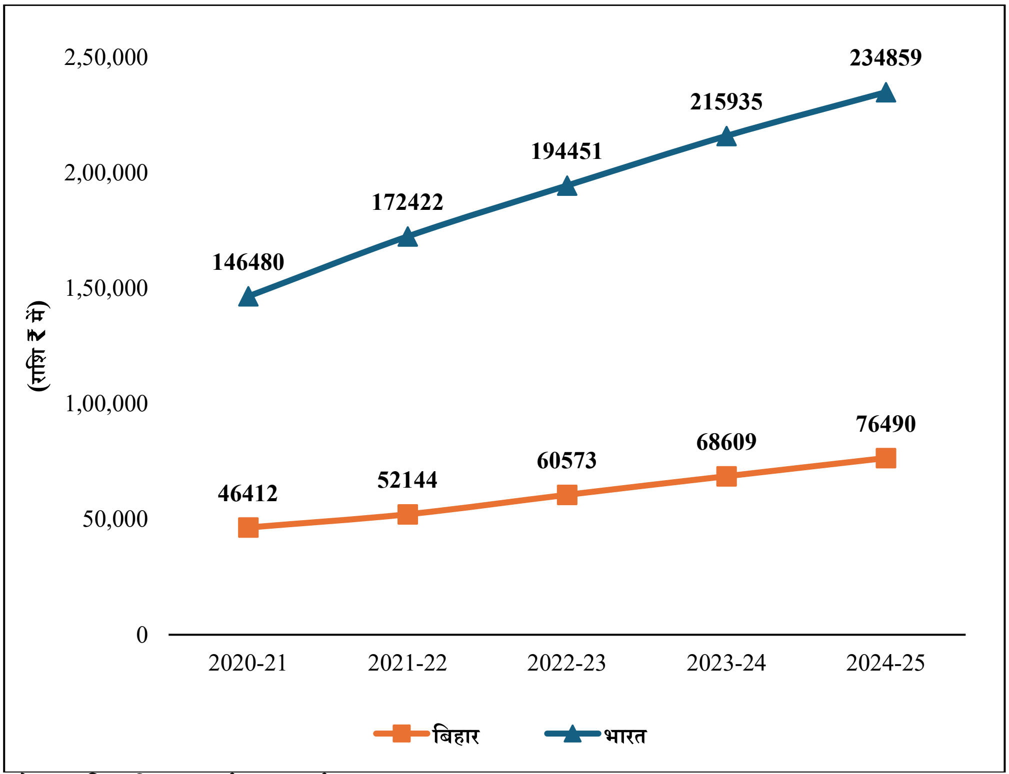

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार और भारत की अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 महामारी के कारण संकुचन हुआ। राज्य ने वर्ष 2021-22 में मजबूत सुधार का प्रदर्शन किया, जिसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा कम रही। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान, बिहार की जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर भारत की जी.डी.पी. वृद्धि दर से अधिक रही। इस अवधि में बिहार ने 13 से 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 10 से 14 प्रतिशत के बीच रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत की जी०डी०पी० के सापेक्ष बिहार की जी०एस०डी०पी० के अनुपात में 2.86 से 3.0 की वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत और बिहार दोनों की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया। यद्यपि दोनों की वृद्धि दर लगभग समान रही, फिर भी बिहार और राष्ट्रीय औसत के बीच आय का वास्तविक अंतर काफी अधिक बना रहा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय के एक-तिहाई से भी कम रही। यह दर्शाता है कि यद्यपि राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ रही है, तथापि उसका लाभ अभी तक राज्य की जनसंख्या के उच्च आय स्तर के रूप में पूर्णतः परिलक्षित नहीं हुआ है।

1.1.2.2 जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रवार योगदान

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का प्रक्षेत्रवार योगदान और विगत पांच वर्षों के दौरान जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.3** और **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: प्रक्षेत्रवार योगदान 2024-25

चार्ट 1.4: जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रवार वृद्धि

(प्रतिशत में)

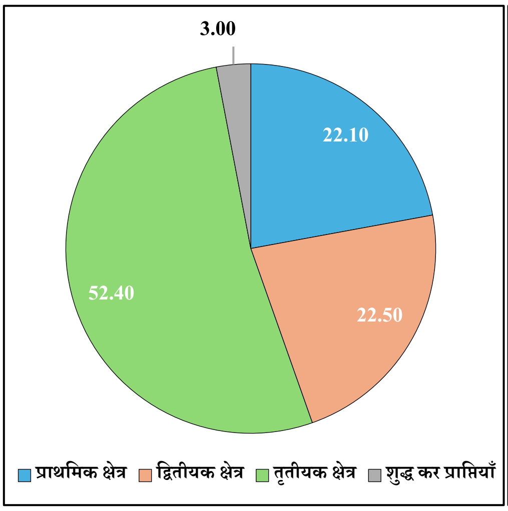

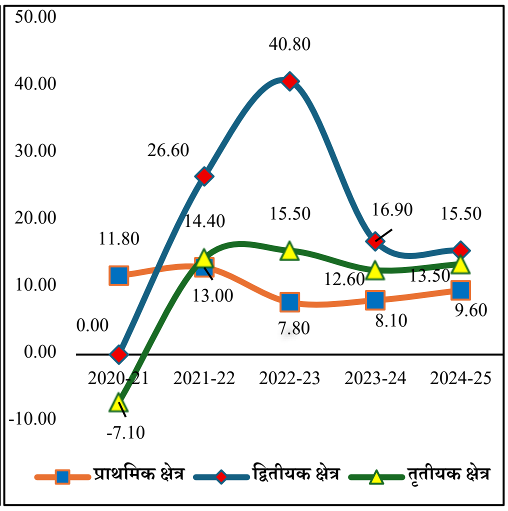

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि स्थिर, लेकिन मामूली रही है, जो इस अवधि के दौरान औसतन आठ से 10 प्रतिशत के आसपास रही है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र ने सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक अस्थिरता दिखाई है। वर्ष 2020-21 में संकुचन के बाद, वर्ष 2022-23 में इसमें तीव्र (40 प्रतिशत से अधिक) वृद्धि हुई, जो निर्माण और अवसंरचना विस्तार से प्रेरित थी और उसके बाद इसकी वृद्धि 16 से 17 प्रतिशत के आसपास रही। तृतीयक क्षेत्र सबसे स्थिर विकास स्तंभ के रूप में उभरा, जिसने इस अवधि में 12-15 प्रतिशत (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के औसत दहाई अंकों की वृद्धि के साथ लगातार विस्तार का प्रदर्शन किया। वर्ष 2024-25 के दौरान तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाओं में बढ़ी हुई गतिविधियों से प्रेरित थी।

चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान देने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गतिविधियों की प्रक्षेत्रवार संरचना

(प्रतिशत में)

प्राथमिक क्षेत्र **द्वितीयक क्षेत्र** **तृतीयक क्षेत्र**

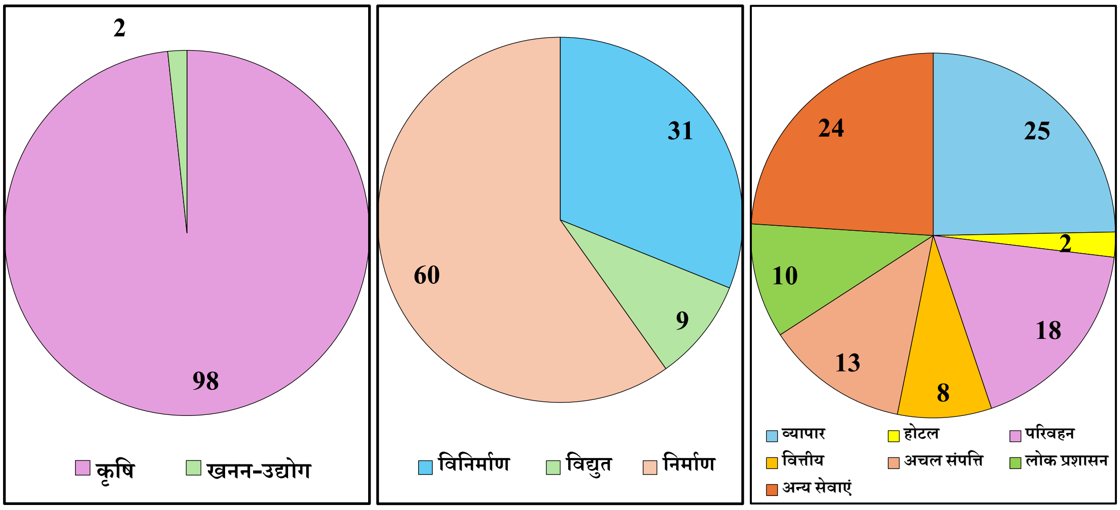

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार में रोजगार मुख्यतः कृषि क्षेत्र में केंद्रित है अर्थात राज्य के 54.20 प्रतिशत श्रमिक कृषि/वानिकी/मत्स्य क्षेत्र (वर्ष 2023-24) में संलग्न थे, जबकि 22.20 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में तथा 23.60 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे।

राज्य को अपने श्रमबल को निम्न उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से उच्च उत्पादकता वाले उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

1.1.3 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.3 वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए बिहार राज्य सरकार के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.), संशोधित अनुमान (आर.ई.) और जी०एस०डी०पी० के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 1.3: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी०एस०डी० पी० से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	1,61,965.18	1,67,311.92	1,83,734.93	1,83,013.07	109.38	18.45
	(i) स्व- कर राजस्व	48,360.69	54,300.00	54,300.00	53,578.14	98.67	5.40
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	1,13,604.49	1,13,011.92	1,29,434.93	1,29,434.93	114.53	13.05
2.	गैर-कर राजस्व	5,257.05	7,325.86	7,325.86	5,781.37	78.92	0.58
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	26,125.00	52,160.62	53,382.03	29,863.39	57.25	3.01
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**1,93,347.23**	**2,26,798.40**	**2,44,442.82**	**2,18,657.83**	**96.41**	**22.04**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	95.94	439.18	504.18	115.30	26.25	0.01
6.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियां*	35,659.88	29,095.43	82,477.79	41,222.50	141.68	4.16
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	35,755.82	29,534.61	82,981.97	41,337.80	139.96	4.17
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**2,29,103.05**	**2,56,333.01**	**327424.79**	**2,59,995.63**	**101.43**	**26.21**
10.	राजस्व व्यय	1,90,514.17	2,25,677.00	2,81,230.45	2,19,015.21	97.05	22.08
11.	ब्याज भुगतान	17,605.80	20,526.19	20,526.19	19,678.14	95.87	1.98
12.	पूंजीगत व्यय	36,453.02	29,415.91	43,686.07	38,527.04	130.97	3.88
13.	ऋण एवं अग्रिम	2,135.86	1,240.09	2,508.27	2,453.38	197.84	0.25
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**2,29,103.05**	**2,56,333.01**	**3,27,424.79**	**2,59,995.63**	**101.43**	**26.21**
15.	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)(4-10)	2,833.06	1,121.41	(-)36,787.62	(-)357.38[1]	-31.87	-0.04
16.	राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5+6)-14}	(-)35,659.88	(-)29,095.43	(-)82,477.79	(-)41,222.50	141.68	4.16
17.	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (16-11)	(-)18,054.08	(-)8,569.24	(-)61,951.60	(-)21,544.36[2]	251.42	2.17

***स्रोत:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे एवं संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज*

** उधार और अन्य देनदारियां: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल प्रारम्भिक और अंतिम नकद शेष।*

[1] *लेखापरीक्षा के उपरांत राजस्व घाटा ₹ 2,500.81 करोड़ रहा।*

[2] *लेखापरीक्षा के उपरांत प्राथमिक घाटा ₹ 23,687.79 करोड़ रहा।*

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2024-25 में:

- राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 13.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट अनुमान से कम रही। राजस्व प्राप्तियों में, संघीय करों/शुल्कों के अंश का प्रमुख योगदान था और यह बजट अनुमान (114.53 प्रतिशत) से अधिक था। स्व-कर राजस्व लगभग बजट अनुमान (98.67 प्रतिशत) के बराबर था, लेकिन गैर-कर राजस्व और सहायता अनुदान एवं अंशदान काफी कम रहा, जो की क्रमशः बजट अनुमान के 79 और 57 प्रतिशत था।

- प्रतिबद्ध व्यय (₹ 86,235.64 करोड़[3]), जो राजस्व व्यय (₹ 2,19,015.21 करोड़) का प्रमुख घटक (39.37 प्रतिशत) था, में विगत वर्ष की तुलना में 19.84 प्रतिशत (₹ 14,274.67 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 357.38 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, जबकि बजट अनुमान में ₹ 1,121.41 करोड़ के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया था। यह राजस्व घाटा अंततः राजकोषीय घाटे में ₹ 357.38 करोड़ की वृद्धि का कारण बना।

- पूंजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 15.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान से काफी अधिक है। ₹ 31,123 करोड़ की बाजार उधारियों ने पूंजीगत प्राप्तियों में प्रमुख (75.29 प्रतिशत) योगदान दिया। पूंजीगत प्राप्तियों का कुल 33.16 प्रतिशत भाग राज्य सरकार के पूर्व ऋणों के पुनर्भुगतान में व्यय किया गया। राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय विगत वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत बढ़ा तथा यह बजट अनुमान से 30.97 प्रतिशत अधिक रहा।

- राज्य सरकार की उधारियों पर निर्भरता अभी भी उल्लेखनीय बनी हुई है तथा संसाधनों का संकलन मुख्यतः संघीय करों/शुल्कों में राज्य के हिस्से पर आधारित रहा।

- बढ़ते हुए ब्याज के बोझ (जी०एस०डी०पी० का 1.98 प्रतिशत) ने प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि करते हुए राजकोषीय लचीलेपन को और सीमित कर दिया। समग्र रूप से, राज्य की वित्तीय स्थिति गैर-कर राजस्व के संकलन में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन तथा संघीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी और बाजार उधारियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है।

- राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना तथा बढ़ती हुई प्रतिबद्ध देनदारियाँ राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा (जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत) भी बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 ***(कंडिका 1.5.3)*** में निर्धारित सीमा (2.98 प्रतिशत) से अधिक रहा।

1.1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2024-25 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उनके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दर्शाई गई है।

[3] *इसमें वेतन एवं मजदूरी: ₹ 40,417.89 करोड़, पेंशन: ₹ 26,139.61 करोड़ तथा ब्याज भुगतान: ₹ 19,678.14 करोड़ सम्मिलित हैं।*

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधियों के स्रोत **निधियों का अनुप्रयोग**

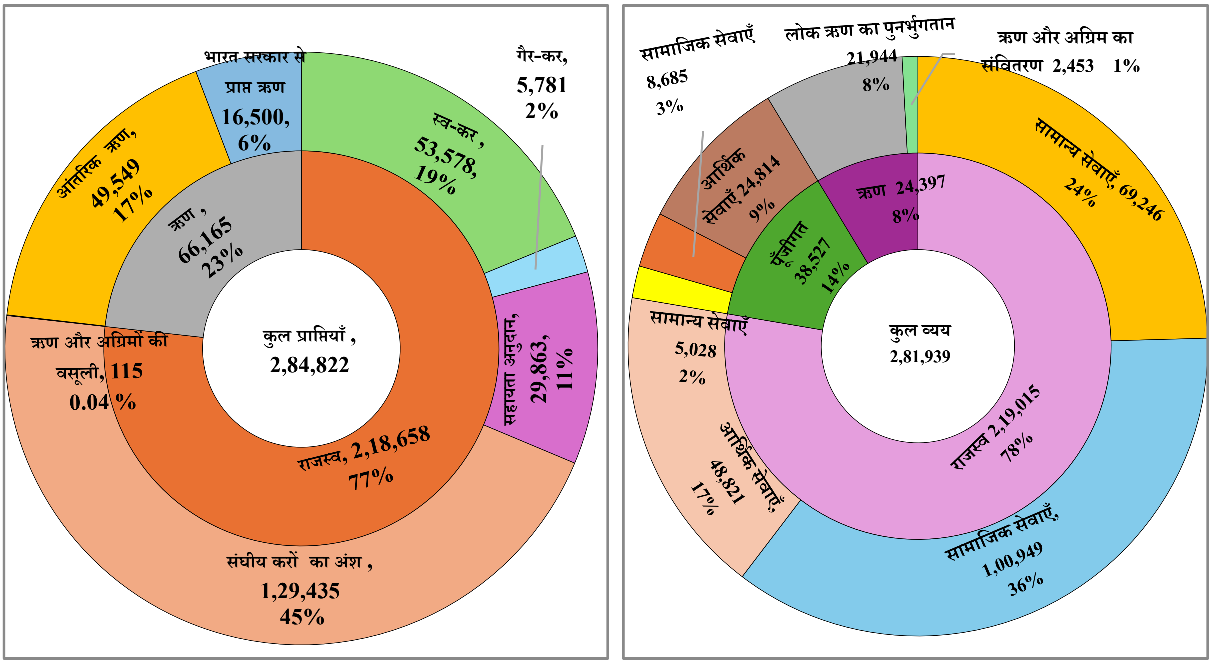

स्रोत: *वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे*

परिशिष्ट 1.2 प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण प्रदान करता है और विगत वर्ष के साथ वर्ष 2024-25 दौरान राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति भी प्रदान करता है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों तथा किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। ***परिशिष्ट 1.3*** में 31 मार्च 2025 तक की ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना विगत वर्ष की समान स्थिति से की गई है। देनदारियों में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधियाँ शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: 31 मार्च 2025 को परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियां					परिसंपत्तियां				
		2023-24	**2024-25**	**प्रतिशत वृद्धि/ कमी**			**2023-24**	**2024-25**	**प्रतिशत वृद्धि/ कमी**
संचित निधि									
क	आंतरिक ऋण	2,36,205.16	2,65,142.06	12.25	क	सकल पूंजीगत व्यय	3,27,339.05	3,65,866.09	11.77
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम*	43,878.73	51,219.84	16.73	ख	ऋण एवं अग्रिम	27,249.57	29,587.65	8.58
आकस्मिकता निधि		**350.00**	**350.00**	0.00					
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि	9,141.12	8,628.06	-5.61	क	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	249.96	249.96	0.00
ख	जमा	39,666.57	43,647.03	10.03	ख	प्रेषण	1,128.33	1,128.43	0.01
ग	आरक्षित निधि	12,343.98	15,637.03	26.68	ग	उचंत तथा विविध	5,611.89	2,064.85	-63.21
घ	उचंत तथा विविध शेष	206.63	1,272.58	515.87	**नकद शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)**		**36,982.18**	**51,238.57**	38.55
च	अंतर-राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00	पूर्णांककरण के कारण अंतर		-0.01	-0.03	
छ	सरकारी लेखा पर अधिशेष	56,694.77	64,164.91	13.18					
कुल		**3,98,560.97**	**4,50,135.52**	**12.94**	**कुल**		**3,98,560.97**	**4,50,135.52**	**12.94**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति निधि से भारत सरकार द्वारा किए गए जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 7,827.52 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रोफार्मा समायोजन किया गया।*

31 मार्च 2025 तक, राज्य की देनदारियों में वृद्धि हुई, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की उच्च शेष राशि और लोक लेखा दायित्वों में वृद्धि के कारण थी। यह उधारियों पर बढ़ती निर्भरता तथा भविष्य में पुनर्भुगतान के अधिक दबाव को दर्शाता है। परिसंपत्तियों में वृद्धि मुख्यतः पूंजीगत व्यय की संचयी शेष राशि तथा नकद शेष में वृद्धि के कारण हुई।

1.1.6 प्रमुख राजकोषीय मानकों का दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण

राज्य के प्रमुख राजकोषीय एवं आर्थिक मानकों का 2015-16 से 2024-25 की अवधि को आच्छादित करने वाला दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण (***परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत***) राज्य की राजकोषीय संवहनीयता पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने हेतु किया गया है। प्रमुख राजकोषीय मानकों का दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण निम्नलिखित है:

- **राजस्व प्राप्तियां:** विगत दस वर्षों (2015-16 से 2024-25) के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सतत् वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 9.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही। यह वृद्धि मुख्यतः स्व-कर राजस्व में वृद्धि तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में बढ़ोतरी के कारण हुई।

- **स्व-कर राजस्व:** राज्य के स्व-कर राजस्व में 8.62 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। यह वृद्धि जी०एस०टी० संग्रहण में सुधार और बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, तथा वाहनों पर कर आदि से उच्च संग्रह के कारण हुआ था।

- **गैर-कर राजस्व:** गैर-कर राजस्व में 11.70 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, लाभांश एवं लाभ, उपयोगकर्त्ता शुल्क, पुलिस, सड़क एवं पुल तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं आदि से प्राप्त परिवर्तनीय प्राप्तियों के कारण था।

- **संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी:** संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में 11.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जबकि 2020-21 से 2024-25 के बीच क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह घटक राज्य की राजकोषीय स्थिरता में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान:** भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में विगत दस वर्षों की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा इसमें कुल मिलाकर 4.81 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। यह मुख्यतः केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग के अंतरणों के अंतर्गत अनुदानों में कमी के कारण रहा।

- **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय में 11.30 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो राजस्व प्राप्तियों के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। राज्य को राजस्व व्यय का एक हिस्सा उधारी के माध्यम से वित्तपोषित करना पड़ा, जो राजकोषीय दृष्टि से उचित संव्यवहार नहीं है। साथ ही, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ने वित्तीय लचीलेपन को और कम कर दिया।

- **ब्याज भुगतान:** लोक ऋण में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान में 12 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ता ब्याज बोझ, राजस्व व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्सा (2024-25 के दौरान 8.98 प्रतिशत) का उपभोग कर रहा है और विकासात्मक व्यय के लिए धन की उपलब्धता को कम कर रहा है। यह बेहतर ऋण प्रबंधन और सुदृढ़ राजस्व वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **सब्सिडी:** वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान सब्सिडी में 8.20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके पश्चात विशेष रूप से विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जहाँ वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल सब्सिडी के 79 प्रतिशत से अधिक संवितरण किया गया। सब्सिडी के बढ़ते हुए बोझ इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि ऐसे व्यय की समय-समय पर समीक्षा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय लक्षित रहे तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

- **पूंजीगत प्राप्तियां:** पूंजीगत प्राप्तियों में 15.28 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो मुख्यतः उधारियों में वृद्धि के कारण रही। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, अर्थात् ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, नगण्य स्तर पर बनी रहीं। यह पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण एवं राजकोषीय अंतर को पाटने के लिए उधारियों पर संरचनात्मक निर्भरता को दर्शाता है।

- **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय में विगत दस वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 को छोड़कर) 5.84 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की निरंतर प्रवृत्ति देखी गई। कुल व्यय के संबंध में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 2015-16 से 2017-18 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल व्यय के संबंध में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

- **राजस्व घाटा:** वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहने के पश्चात, बिहार वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान (वर्ष 2023-24 को छोड़कर) राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा। इस घाटे का प्रमुख कारण राजस्व वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी गति (विशेषकर राज्य के स्व-कर राजस्व में) रही, जो राजस्व व्यय में तीव्र वृद्धि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

- **राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा 14.63 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तीव्र गति से बढ़ा। यह विगत दस वर्षों की अधिकांश अवधि में बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रहा (वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 को छोड़कर)। इसका उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में 5.87 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 2024-25 में यह विगत वर्ष के 4.07 प्रतिशत से बढ़कर 4.16 प्रतिशत (जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष) हो गया, जो निरंतर राजकोषीय दबाव की स्थिति को दर्शाता है।

- **प्राथमिक घाटा:** विगत दस वर्षों की अवधि में बिहार प्रायः प्राथमिक घाटा वाला राज्य बना रहा (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2018-19 एवं 2019-20 को छोड़कर)। इस अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा जी०एस०डी०पी० के 1.81 प्रतिशत से 3.88 प्रतिशत के बीच रहा। विगत पाँच वर्षों में इसमें 5.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में 3.88 प्रतिशत रहा, जो राजस्व में गिरावट को परिलक्षित करता है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा विगत वर्ष के 2.06 प्रतिशत से बढ़कर जी०एस०डी०पी० का 2.17 प्रतिशत हो गया।

- **बकाया देनदारियां:** वर्ष 2015-16 में ₹ 1,16,578 करोड़ की बकाया देनदारियाँ बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,74,134 करोड़ हो गईं। इस प्रकार, विगत दस वर्षों की अवधि में बकाया देनदारियाँ 13.83 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए तीन गुना से अधिक हो गईं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऋण से जी०एस०डी०पी० का अनुपात संबंधित वर्षों के लिए बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2006 में निर्धारित सीमा से लगातार अधिक रहा। इसके पश्चात, यद्यपि यह बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में रहा, फिर भी यह उच्च अनुपात राजकोषीय अंतर के प्रबंधन हेतु उधारियों पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है। बढ़ते हुए ऋण स्तर तथा ब्याज दीर्घकालिक संवहनीयता सम्बंधित चिंताएँ उत्पन्न करता है।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- राज्य राजस्व असंतुलन की स्थिति का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण निम्न गैर-कर राजस्व तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी पर निर्भरता है।

- बढ़ते ब्याज भुगतान, सब्सिडी और प्रतिबद्ध व्यय ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाला है।

- उधारियों में वृद्धि हुई, जो उच्च राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे को दर्शाती है।

- पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई, जो दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन और आर्थिक विकास को सीमित करता है।

राजकोषीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को राजस्व संग्रहण में सुधार, सब्सिडी का युक्तिकरण, पूंजीगत व्यय की प्रभावकारिता में वृद्धि तथा ऋण प्रबंधन को अधिक विवेकपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

1.2 राज्य की संचित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार को ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राज्य की संचित निधि का हिस्सा हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2020-25 की पाँच वर्षीय अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और वृद्धि को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां (क +ख +ग)	**1,28,168.34**	**1,58,797.33**	**1,72,688.02**	**1,93,347.23**	**2,18,657.83**
(क) कर राजस्व (i+ii)	90,203.08	1,26,207.16	1,39,527.58	1,61,965.18	1,83,013.07
(i) स्व- कर राजस्व	30,341.67	34,854.54	44,017.73	48,360.69	53,578.14
(ii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	59,861.41	91,352.62	95,509.85	1,13,604.49	1,29,434.93
(ख) गैर-कर राजस्व	6,201.38	3,984.34	4,134.90	5,257.05	5,781.37
(ग) भारत सरकार से सहायता अनुदान	31,763.88	28,605.83	29,025.54	26,125.00	29,863.39
राज्य का स्व राजस्व (स्व-कर और गैर-कर राजस्व)	36,543.05	38,838.88	48,152.63	53,617.74	59,359.51
जी०एस०डी०पी० (2011-12 श्रृंखला)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	3.17	23.90	8.75	11.96	13.09
राज्य का स्व राजस्व	7.93	6.28	23.98	11.35	10.71
जी०एस०डी०पी०	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
राजस्व प्राप्तियां / जी०एस०डी०पी०	22.57	24.53	22.63	22.04	22.04
उत्प्लावन अनुपात[4]					
जी०एस०डी०पी०के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	*	1.71	0.49	0.80	1.00
जी०एस०डी०पी०के संदर्भ में राज्य के स्व राजस्व की उत्प्लावकता	*	0.45	1.34	0.76	0.82

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** उत्प्लावन अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी०एस०डी०पी० वृद्धि ऋणात्मक थी।*

[4] *उत्प्लावन अनुपात आधार चर में हुए परिवर्तन के प्रति किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को दर्शाता है।*

जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों का योगदान **चार्ट 1.7** और **चार्ट 1.8 में** दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां (*प्रतिशत में*)

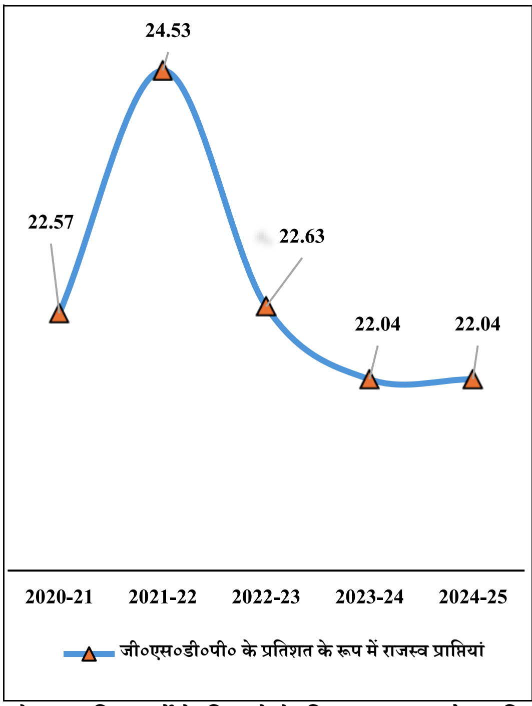

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान (*प्रतिशत में*)

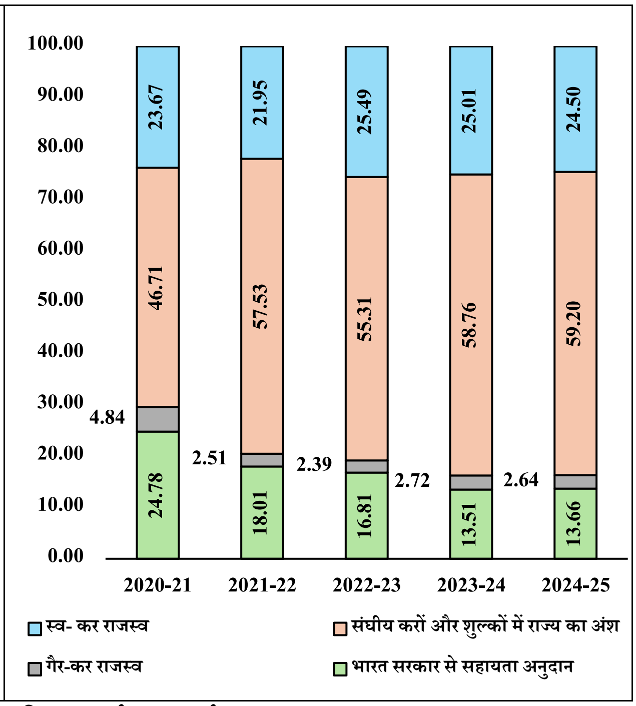

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

राजस्व प्राप्तियों का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात वर्ष 2020-21 के 22.57 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 24.53 प्रतिशत हो गया तथा विगत दो वर्षों के दौरान स्थिर रहा। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 24.78 प्रतिशत से घटकर 13.66 प्रतिशत रह गया, जिसका मुख्य कारण जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति अनुदानों की समाप्ति तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शन-आधारित एवं सशर्त अंतरणों की ओर झुकाव रहा। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, जो राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा और बढ़ता हुआ घटक है, वर्ष 2020-21 के 46.71 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 59.20 प्रतिशत हो गया तथा इसने केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदानों में हुई कमी की भरपाई की।

राज्य के स्व-कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2022-23 में 25.49 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँचा, किंतु इसके पश्चात घटकर वर्ष 2024-25 में 24.50 प्रतिशत रह गया। यह दर्शाता है कि राज्य को अपने आंतरिक राजस्व आधार को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर-कर राजस्व दो से पाँच प्रतिशत के बीच ही सीमित रहा, जो कर-आधारित राजस्व से परे राजस्व स्रोतों के सीमित विविधीकरण को दर्शाता है। समग्र रूप से, जी०एस०डी०पी० में निरंतर वृद्धि के बावजूद, राज्य के स्व राजस्व का उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत हिस्सा लगातार घटता रहा, जिससे यह परिलक्षित होता है कि कर प्रशासन सुधार एवं नीतिगत विविधीकरण के प्रयास अभी तक समानुपातिक लाभ में परिवर्तित नहीं हो सके हैं। राज्य की जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में विगत तीन वर्षों के दौरान सुधार देखा गया तथा महामारी अवधि की अस्थिरता के पश्चात वर्ष 2024-25 में यह सामान्य[5] स्तर पर पहुँची।

[5] *जब राजस्व उत्प्लावकता एक के बराबर होती है, तब राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गति से बढ़ती हैं।*

चूँकि केंद्रीय अंतरणों पर अधिक निर्भरता सीमित राजकोषीय स्वायत्तता को दर्शाती है, अतः सतत् एवं आत्मनिर्भर राजकोषीय प्रबंधन के लिए राज्य को अपने कर आधार का विस्तार, संग्रहण दक्षता में सुधार तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे राजस्व उत्प्लावकता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

क राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का विवरण

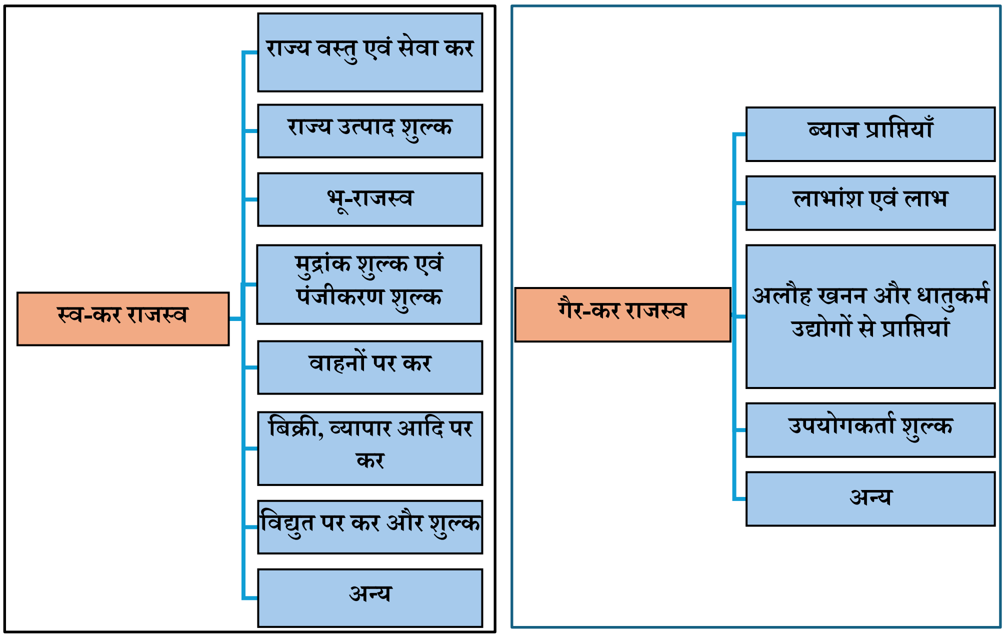

i. स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है, जिसे राज्य सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत लगाए गए करों के माध्यम से संग्रहित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.6** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व : 2023-24 (वास्तविक) तथा 2024-25 (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस०जी०एस०टी०)	27,678	31,565	31,565	29,003
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,371	10,010	10,010	10,554
विद्युत पर कर एवं शुल्क	846	750	750	1570
भू-राजस्व	580	600	600	571
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	6,348	7,500	7,500	7,975
वाहनों पर कर	3,358	3,700	3,700	3,678
राज्य उत्पाद शुल्क	1	0	0	0
अन्य	179	175	175	227
कुल	**48,361**	**54,300**	**54,300**	**53,578**

स्रोत: राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं बजट

तालिका 1.6 यह दर्शाती है कि राज्य का स्व-कर राजस्व (ओ०टी०आर०) वर्ष 2023-24 के ₹ 48,361 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 53,578 करोड़ हो गया, जो 10.79 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, इस वृद्धि के बावजूद स्व-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से ₹ 722 करोड़ (1.30 प्रतिशत) कम रही, जिसका मुख्य कारण बजट अनुमान की तुलना में एस०जी०एस०टी०, भू-राजस्व तथा वाहनों पर कर के अंतर्गत कम प्राप्तियाँ रहीं। कुल वृद्धि मुख्यतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, बिक्री/व्यापार पर कर तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क में वृद्धि के कारण हुई। अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य निषेध लागू होने के कारण राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व नगण्य रहा। "अन्य" शीर्ष (जिसमें पेशा कर, मनोरंजन कर आदि सम्मिलित हैं) के अंतर्गत संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व एवं उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

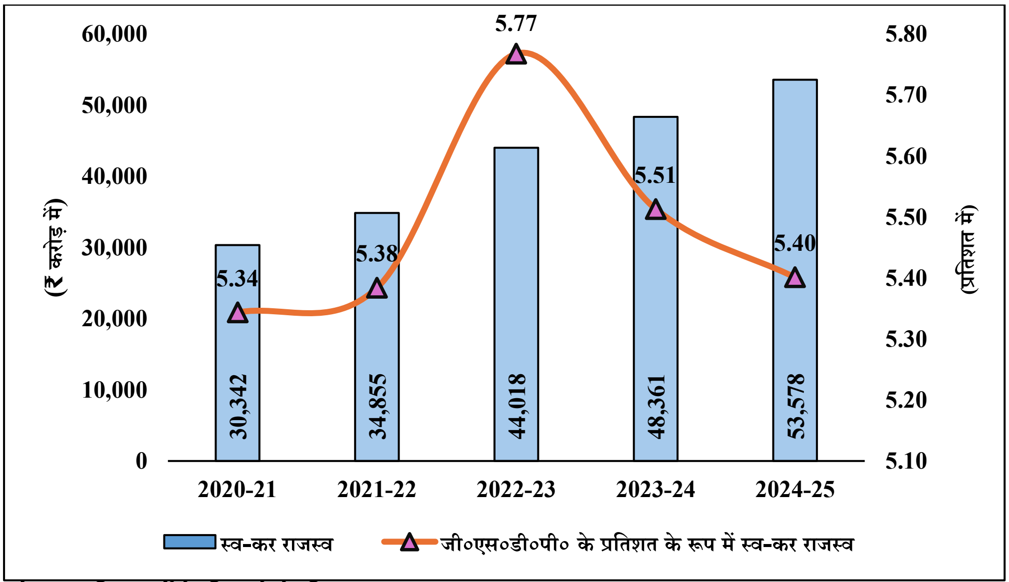

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 1.11: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

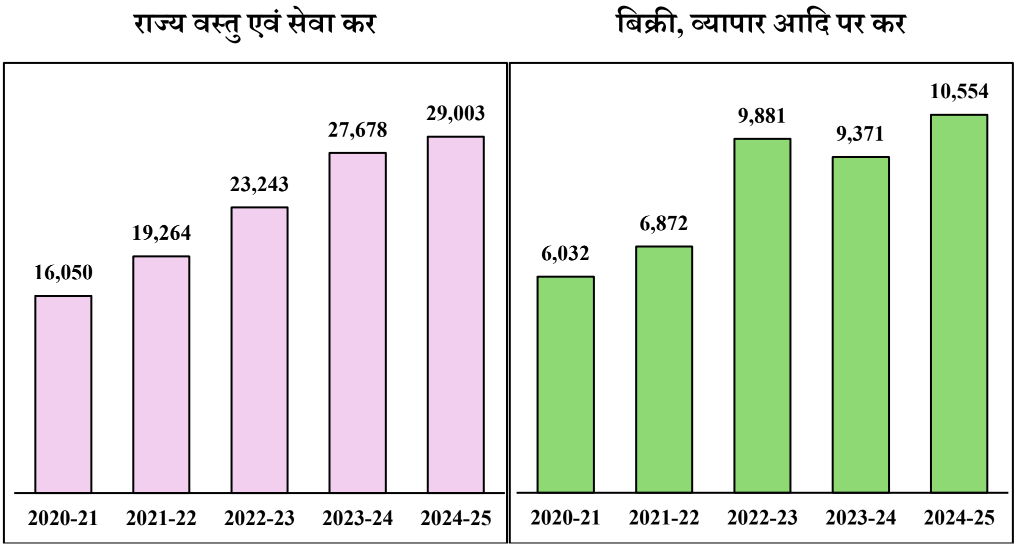

वाहनों पर कर

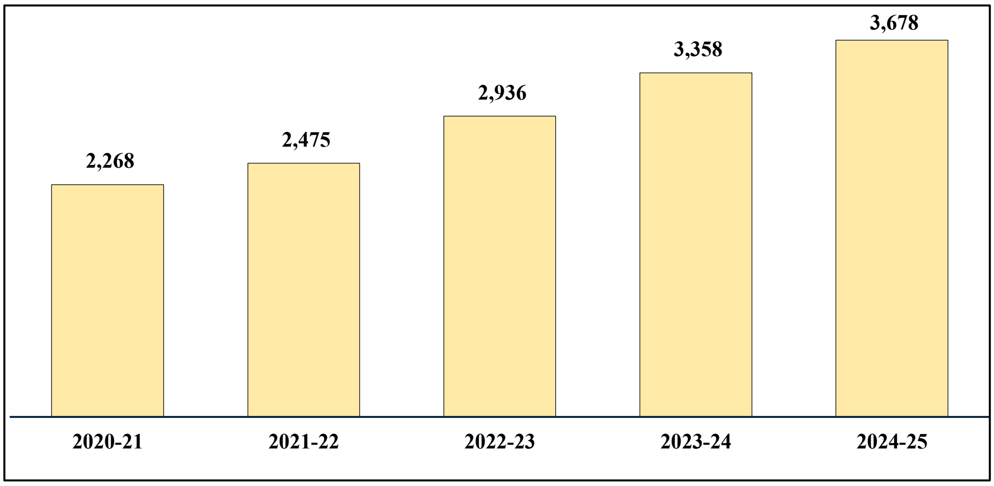

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क

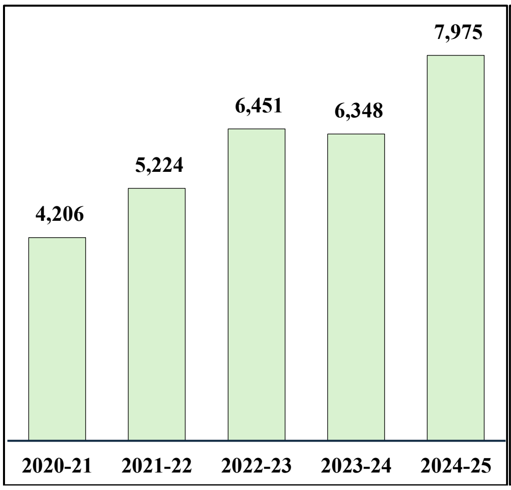

भू-राजस्व

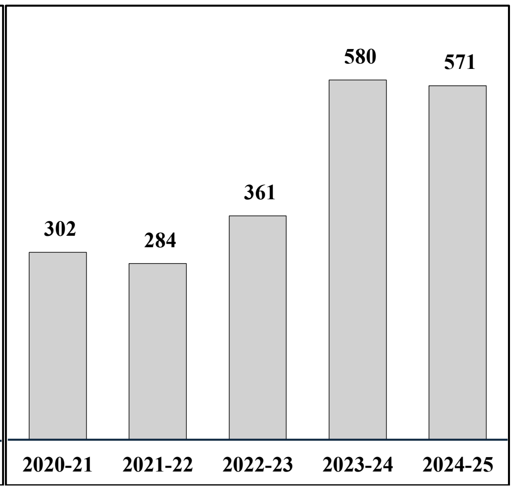

विद्युत पर कर एवं शुल्क

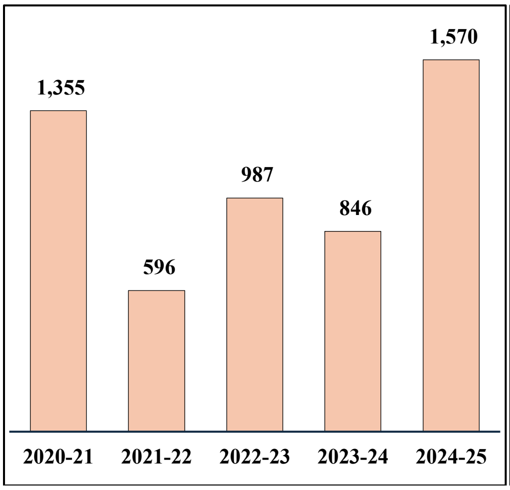

अन्य

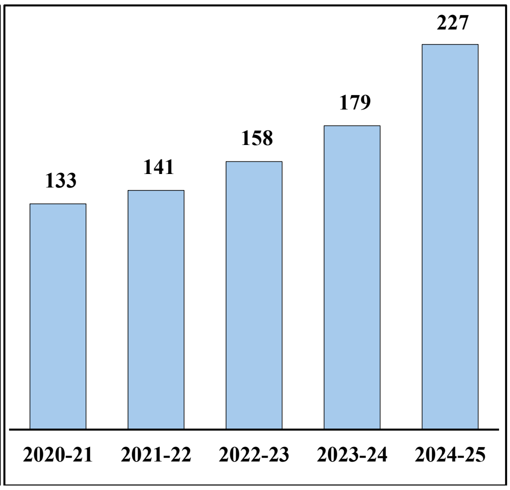

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे*

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस०जी०एस०टी०) की प्राप्तियों में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, वर्ष 2024-25 में इसकी वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से ₹ 2,562 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम रही। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य के स्व-कर राजस्व में लगभग

54 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। एस०जी०एस०टी० में वृद्धि मुख्यतः 'कर' तथा 'एस०जी०एस०टी० और आई०जी०एस०टी० के इनपुट टैक्स क्रेडिट पारस्परिक समायोजन के अंतर्गत प्राप्तियों' में वृद्धि के कारण हुई।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 'मूल्य वर्धित कर से प्राप्त राजस्व' (12.02 प्रतिशत) तथा 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियों' (954.13 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया।

- वाहनों पर कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 में ₹ 2,268 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,678 करोड़ हो गईं, जो 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। यह वृद्धि मुख्यतः 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम' (9.67 प्रतिशत) तथा 'भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ' (7.16 प्रतिशत) के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई। यह मुख्यत: वाहन पंजीकरण में वृद्धि तथा ऑनलाइन पंजीकरण एवं कर भुगतान प्रणाली के माध्यम से संग्रह दक्षता में सुधार के कारण हुआ। यह उच्च-अनुपालन एवं सुदृढ़ राजस्व शीर्ष है, एवं इसमें वृद्धि अवसंरचना विस्तार एवं बढ़ती लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को निकटता से प्रभावित करती है।

- मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 4,206 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 7,975 करोड़ हो गया, जो 90 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में इसमें 25.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में यह वृद्धि मुख्यतः 'न्यायिक-मुद्रांक की बिक्री' (11.32 प्रतिशत), 'दस्तावेजों पर मुद्रांकन शुल्क' (25.49 प्रतिशत) तथा 'दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क' (24 प्रतिशत) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

- भू-राजस्व के अंतर्गत संग्रह वर्ष 2023-24 के ₹ 580 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 571 करोड़ रह गया। यह मुख्यतः 'पूर्व जमींदारी सम्पदाओं के प्रबंधन से प्राप्तियाँ' (99 प्रतिशत), 'सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों से प्राप्तियाँ' (68 प्रतिशत) तथा 'सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत) में कमी के कारण हुआ।

- 'विद्युत कर एवं शुल्क' के अंतर्गत प्राप्तियाँ परिवर्तनशील रही, किन्तु समग्र रूप से ₹ 1,355 करोड़ (2020-21) से बढ़कर ₹ 1,570 करोड़ (2024-25) हो गई। वर्ष 2024-25 की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः 'विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर' (88.43 प्रतिशत) तथा 'भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत शुल्क' (2.63 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व प्रदर्शन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के कर प्रशासन को मजबूत करने, कर आधार का विस्तार करने, जी०एस०टी० एवं संपत्ति कर अनुपालन में सुधार लाने तथा कुशल निगरानी एवं संग्रह के लिए डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ii. गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व से आशय राज्य सरकार द्वारा करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, किराया तथा अन्य प्राप्तियों से है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.7** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.7: मुख्य गैर-कर राजस्व : 2023-24 (वास्तविक) तथा 2024-25 (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियां	3,114.79	3,500.00	3,500.00	3,536.21
ब्याज प्राप्तियां	897.00	1,719.26	1,719.26	1,466.91
लाभांश और लाभ	9.51	7.30	7.30	3.34
उपयोगकर्त्ता शुल्क[6]	108.58	189.13	189.13	177.48
अन्य[7]	1,127.17	1,910.17	1,910.17	597.42
कुल	**5,257.05**	**7,325.86**	**7,325.86**	**5,781.36**

***स्रोत:** वित्त लेखा 2024-25 एवं बजट दस्तावेज 2024-25*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के गैर-कर राजस्व में 2023-24 की तुलना में 9.97 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई, किंतु यह बजट अनुमान से लगभग ₹ 1,545 करोड़ (21 प्रतिशत) कम रहा, अर्थात् राज्य अपने लक्षित गैर-कर राजस्व की प्राप्ति में उतनी सीमा तक पीछे रहा। यह कमी मुख्यतः "अन्य" शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियों तथा ब्याज एवं लाभांश प्राप्तियों में अपेक्षित प्रदर्शन न होने के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई खनन एवं उपयोगकर्त्ता शुल्क से प्राप्त अधिक राजस्व द्वारा की गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान गैर-कर राजस्व तथा उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.12** एवं **चार्ट 1.13** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.12 : गैर-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

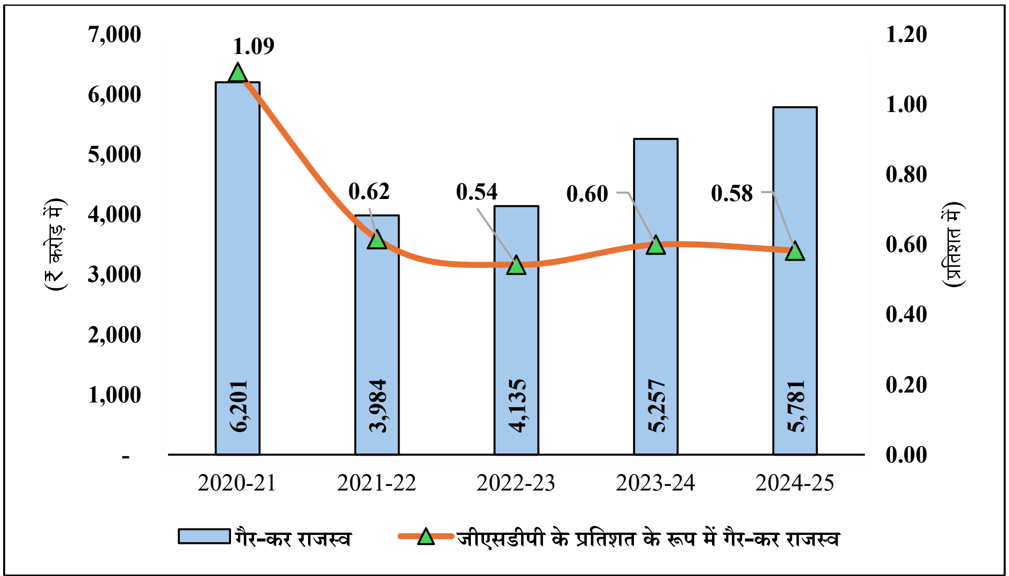

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे*

---

6 *वित्त लेखे 2024-25 के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई, परिवहन तथा पर्यटन के तहत आनेवाले सभी गैर-कर राजस्व, जो मुख्य शीर्ष 0202, 0210, 0215, 0700, 0701, 1054 और 1452 से संबंधित है, उपयोगकर्ता शुल्क है।*

7 *मुख्य रूप से मत्स्य पालन (-19%), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (-31%), उद्योग (-99.86%), सड़क एवं पुल (52%), पर्यटन (99%) शामिल हैं।*

गैर-कर राजस्व वर्ष 2020-21 के ₹ 6,201 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹ 3,984 करोड़ हो गया, किंतु इसके पश्चात पुनः बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 5,781 करोड़ तक पहुँच गया। हालांकि, जी०एस०डी०पी० में इसकी हिस्सेदारी 1.09 प्रतिशत से गिरकर 0.58 प्रतिशत हो गई है, जो अर्थव्यवस्था के सापेक्ष सीमित वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

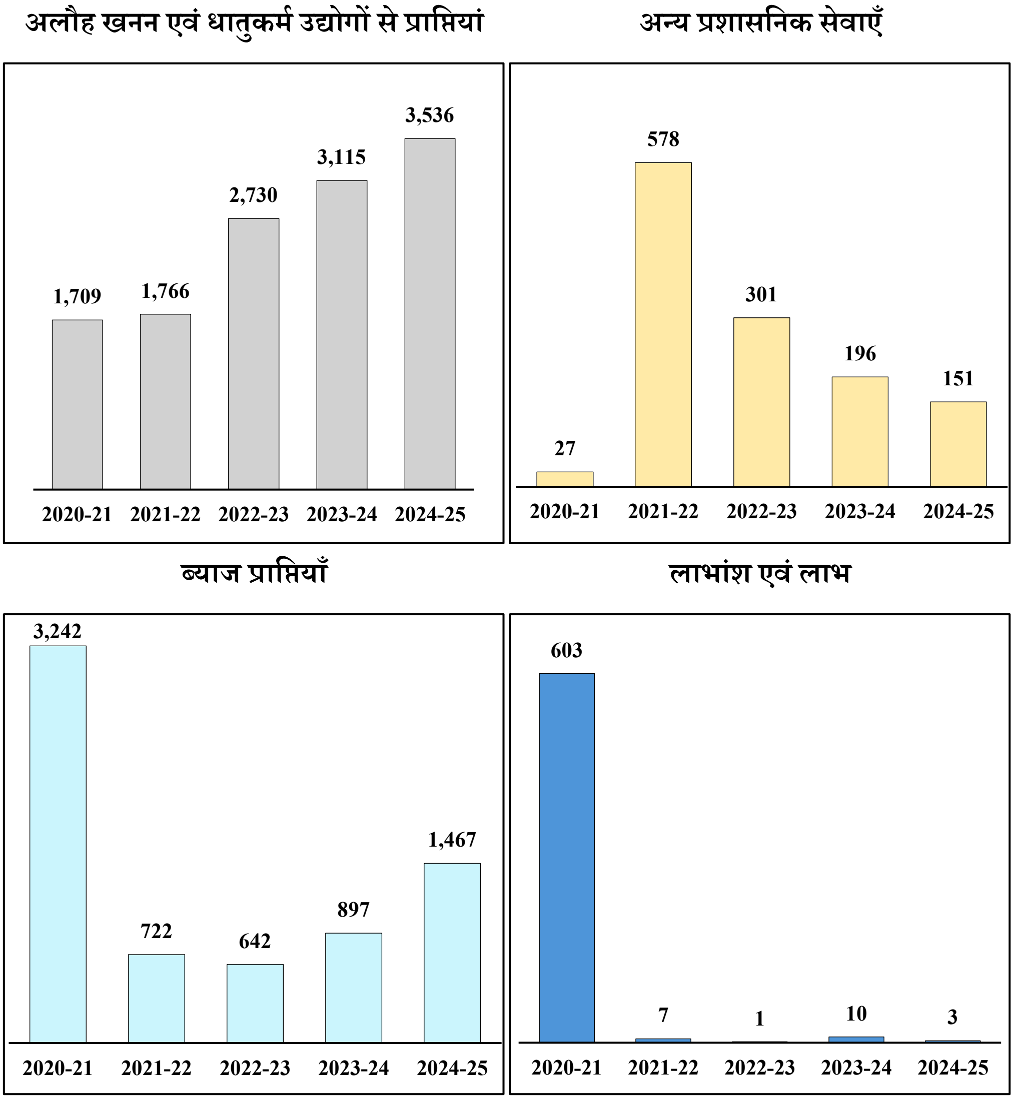

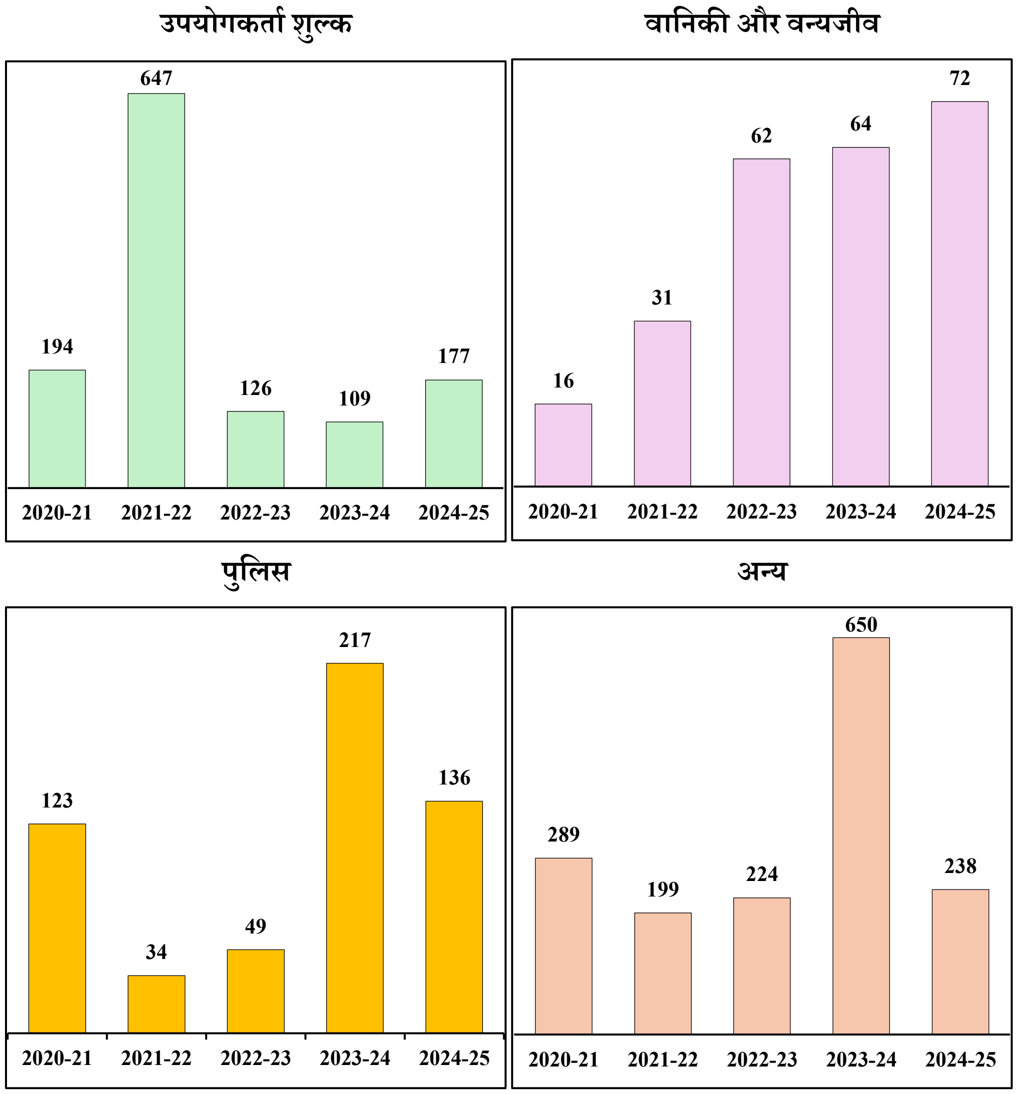

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2024-25 में गैर-कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.64 प्रतिशत रहा, जो विगत वर्ष (2.72 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा कम है। जी०एस०डी०पी० में राज्य के गैर-कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2024-25 में केवल 0.58 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2023-24 (0.60 प्रतिशत) से कम है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग एवं बी०एफ०आर०बी०एम० के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2024-25 में प्राप्त नहीं किए जा सके। गैर-कर राजस्व की संरचना से स्पष्ट होता है कि यह मुख्यतः अलौह खनन एवं ब्याज प्राप्तियों पर निर्भर है, जो मिलकर राज्य की गैर-कर आय का प्रमुख आधार बनाते हैं।

- 'अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग' के तहत प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बनी रहीं, जो विगत पाँच वर्षों में 107 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए सुदृढ़ एवं स्थिर वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष 2024-25 में वृद्धि मुख्यतः 'खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी' के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

- 'ब्याज प्राप्तियों' के तहत राजस्व अस्थिर रहा लेकिन विगत दो वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से 'विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज' और

'अन्य प्राप्तियों' के तहत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में उल्लेखनीय वृद्धि संचित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज की ₹ 2,600 करोड़ की मोचन राशि के कारण हुई थी।

- 'लाभांश एवं लाभ' में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 603.01 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3.34 करोड़ रह गया। वर्ष 2020-21 में यह प्राप्ति राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अर्जित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश जारी होने के कारण असाधारण रूप से अधिक थी। इसके पश्चात लगातार कम प्राप्तियाँ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कमजोर लाभप्रदता अथवा लाभांश घोषणा में विलंब को दर्शाती हैं। यह सुधारों, बेहतर वित्तीय पर्यवेक्षण तथा संतुलित/तर्कसंगत लाभांश नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के तहत प्राप्तियों में पर्याप्त उतार-चढ़ाव देखा गया, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 26.53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 578.12 करोड़ हो गई। इसके पश्चात यह घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 151.30 करोड़ रह गई, जो प्रशासनिक शुल्क सुधारों एवं डिजिटल सेवा शुल्क के माध्यम से राजस्व सुदृढ़ीकरण की संभावनाओं को इंगित करता है।

- उपयोगकर्ता शुल्क गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण का एक प्रमुख सिद्धांत सेवाओं की वर्तमान लागत की वसूली के साथ पूंजीगत निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर, विगत पांच वर्षों के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2024-25 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में 62.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- पुलिस विभाग से गैर-कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष तीव्र परिवर्तन देखा गया, वर्ष 2023-24 में इसमे पर्याप्त वृद्धि हुई और उसके पश्चात, यह वर्ष 2024-25 में 37.27 प्रतिशत घटकर ₹ 136.18 करोड़ हो गया।

गैर-कर राजस्व को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को अपने संसाधनों का विविधीकरण करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता में वृद्धि, युक्तिसंगत उपयोगकर्ता शुल्क लागू करना, रॉयल्टी एवं शुल्क संग्रह तंत्र में सुधार तथा राजस्व प्रशासन का डिजिटलीकरण आवश्यक है।

ख संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के घटकों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.8** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी०जी०एस०टी०)	17,788.67	25,442.20	26,989.02	34,477.56	37,802.92
निगम कर	18,062.14	27,178.50	32,019.47	34,099.01	36,727.91
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	18,517.49	26,661.32	31,262.19	39,379.86	46,839.17
सीमा शुल्क	3,179.93	6,775.97	3,754.66	3,981.12	6,585.17
संघीय उत्पाद शुल्क	2,012.03	3,868.86	1,178.03	1,506.54	1,267.38
सेवा कर	258.09	1,326.22	149.28	21.16	4.13

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अन्य कर[8]	43.06	99.55	157.20	139.24	208.25
कुल	**59,861.41**	**91,352.62**	**95,509.85**	**1,13,604.49**	**1,29,434.93**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** 'आई०जी०एस०टी०के विभाजन' तथा 'आई०जी०एस०टी० के इनपुट टैक्स क्रेडिट' के अंतर्गत प्राप्तियाँ एस०जी०एस०टी० में सम्मिलित हैं।*

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी ' के अंतर्गत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 21.26 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही, जो जी०एस०डी०पी० की 14.97 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी०एस०टी० एवं प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत अधिक अंतरण के कारण हुई। सी०जी०एस०टी०, निगम कर तथा 'निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर' इस अंतरण के प्रमुख योगदानकर्ता रहे।

वर्ष 2024-25 में कुल कर अंतरणों में सी०जी०एस०टी० की हिस्सेदारी 29.21 प्रतिशत रही। 'सी०जी०एस०टी०' के अंतर्गत राज्य की बढ़ती प्राप्तियाँ यह दर्शाती हैं कि राज्य केंद्रीय कर पूल के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। 'सीमा शुल्क' एवं 'संघीय उत्पाद शुल्क' से प्राप्तियाँ मिलकर बिहार के हिस्से का सात प्रतिशत से कम योगदान देती रहीं तथा विगत पाँच वर्षों में इनमें अस्थिरता देखी गई। जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात 'अन्य कर' एवं 'सेवा कर' के अंतर्गत प्राप्तियाँ नगण्य हो गईं और कुल अंतरणों में इनका योगदान 0.5 प्रतिशत से भी कम रहा।

केंद्रीय अंतरणों पर राज्य की अत्यधिक निर्भरता (कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 59 प्रतिशत) सीमित राजकोषीय स्वायत्तता को दर्शाती है। यह निर्भरता स्वयं के राजस्व सृजन, विशेषकर एस०जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य करों एवं गैर-कर स्रोतों में मौजूद अंतराल को भी रेखांकित करती है, जिनकी राजकोषीय सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी' का प्रतिशत **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.14: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष संघीय करों और शुल्कों में राज्य के सकल हिस्सेदारी की प्रतिशतता

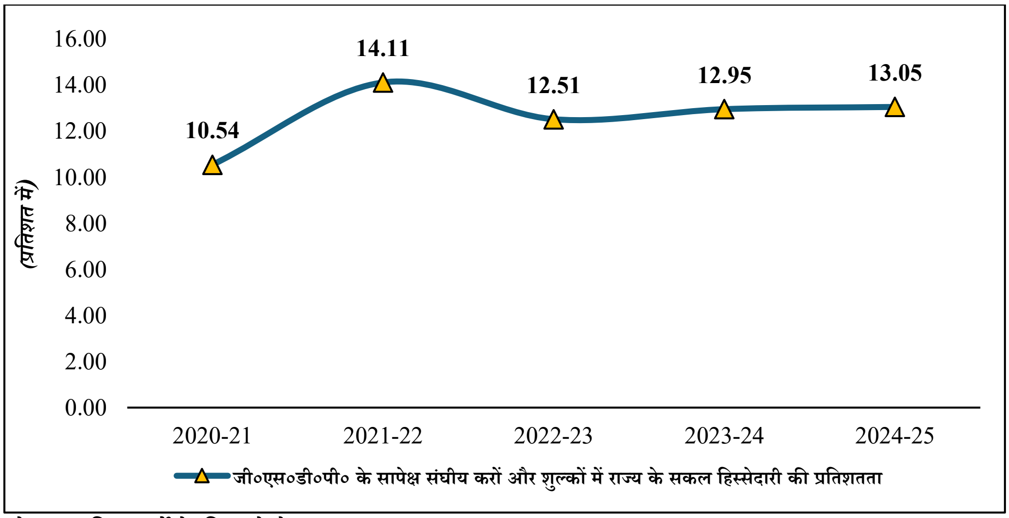

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[8] *इसमें संपत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित हैं।*

विगत पाँच वर्षों के दौरान 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी' के अंतर्गत प्राप्तियाँ जी०एस०डी०पी० के 11 से 14 प्रतिशत के बीच रहीं। यह प्रवृत्ति संघीय अंतरणों पर सतत् निर्भरता को दर्शाती है तथा राज्य के स्वयं के राजस्व आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

ग भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	16,609.56	17,832.91	22,237.18	17,961.52	21,217.54
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	(-)33.57	0.00	(-)374.48	(-)167.08	(-)85.08
वित्त आयोग अनुदान	8,850.00	7,077.56	6,732.65	7,662.52	8,360.34
विधानमंडल वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य अनुदान	6,337.89	3,695.36	430.19	668.05	370.59
कुल	**31,763.88**	**28,605.83**	**29,025.54**	**26,125.00**	**29,863.39**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता **चार्ट 1.15** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.15 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता

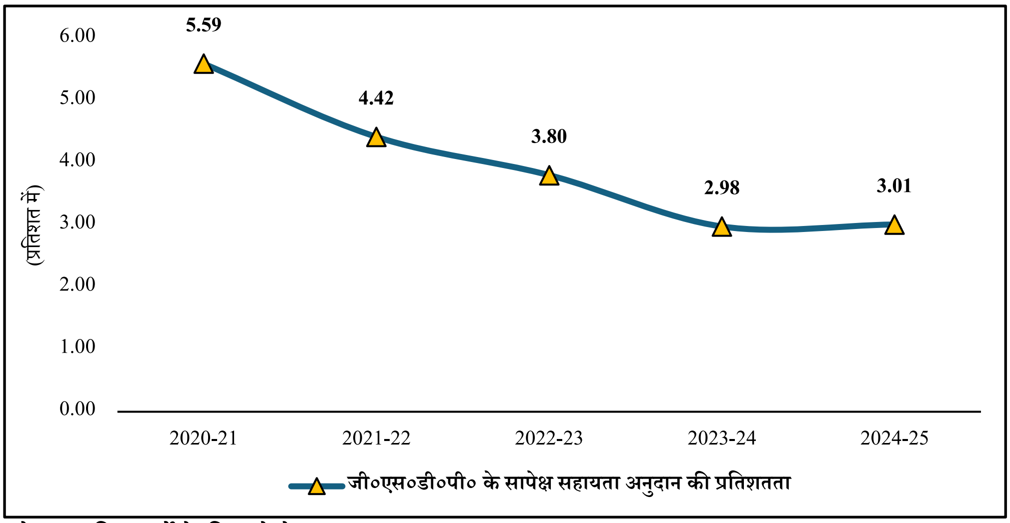

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अनुपात में 2023-24 तक क्रमिक कमी देखी गई, लेकिन 2024-25 में इसमें मामूली वृद्धि भी हुई। इसके अतिरिक्त, विगत पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित ₹ 660.21 करोड़ का सहायता अनुदान, जो लेखा शीर्ष 1601-02-900 के अंतर्गत था, वापस कर दिया गया था।

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य को निधियों के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने तथा घटते सहायता अनुदान की पूर्ति के लिए स्व-राजस्व सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

i केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 21,217.54 करोड़ के अनुदान में से मुख्य आवंटन उन योजनाओं को किया गया, जिन्हें **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	2024-25	2023-24	वृद्धि/कमी *(प्रतिशत में)*
प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,279.61	29.66	7,586.45
समग्र शिक्षा अभियान	4,217.81	4,241.73	-0.56
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1,915.47	1,915.87	-0.02
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पीएम पोषण 2.0	2,262.92	1,859.29	21.71
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1,725.33	263.73	554.20
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा शहरी स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	1,656.48	1,148.44	44.24
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	1,180.78	866.05	36.34
पीएम पोषण	1,225.66	923.24	32.76
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,085.59	1,153.55	-5.89
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	852.14	434.73	96.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर व्यय में असमान वृद्धि देखी गई, जिसमें आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण एवं ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि सामाजिक एवं आजीविका उन्मुख सहभागिता को दर्शाती है। इसके विपरीत, समग्र शिक्षा अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत व्यय लगभग स्थिर रहा, जबकि सामाजिक पेंशन पर व्यय में कमी आई। समग्र रूप से यह प्रवृत्ति समावेशी विकास परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु संतुलित क्षेत्रीय वित्तपोषण तथा बेहतर पूर्वानुमान की आवश्यकता को दर्शाती है।

ii पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों के स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा शमन निधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक विमुक्ति और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अन्तरण		2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश	भारत सरकार द्वारा 2024-25 के दौरान वास्तविक विमुक्ति	राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति (भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान		**4,114.00**	**4,111.92**	**4,111.92 (100)**
(क) प्रदर्शन/ बद्ध अनुदान		2,468.40	2,467.15	2,467.15 (100)
(ख) अबद्ध अनुदान		1,645.60	1,644.77	1,644.77 (100)
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		**2,119.00**	**2,453.31**	**2,453.31 (100)**
(क) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (प्रदर्शन /बद्ध अनुदान)		358.00	239.00	239.00 (100)
(ख) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (सामान्य बुनियादी/अबद्ध अनुदान)		1,761.00	2,214.31	2,214.31 (100)
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**1,249.20**	**0.00**	**0.00**
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ii+iii)		**7,482.20**	**6,565.23**	**6,565.23**
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस०डी०आर०एफ०)	केन्द्रांश	1,415.20	1,311.20	1,311.20 (100)
	राज्यांश	471.20	436.80	436.80 (100)
राज्य आपदा शमन निधि (एस०डी०एम०एफ०)	केन्द्रांश	353.80	483.90	483.90 (100)
	राज्यांश	117.80	161.20	161.20 (100)
कुल (एस०डी०आर०एफ० + एस०डी०एम०एफ०)		**2,358**	**2,393.10**	**2,393.10 (100)**

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं विभागीय सूचनाएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 1,249.20 करोड़ की सिफारिश के मुकाबले राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई अनुदान नहीं मिला। जबकि, शहरी स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि की तुलना में भारत सरकार से ₹ 334.31 करोड़ अधिक अनुदान प्राप्त हुआ। स्थानीय निकायों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान जारी न करने से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत, विमुक्त सकल राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक रही और प्राप्त हुई सकल राशि को संबंधित निधि में अंतरित कर दिया गया।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.12** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां (क +ख +ग)	**36,735.00**	**40,473.00**	**48,325.00**	**60,314.00**	**66,164.50**
(क) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ख) ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	820.00	28.00	41.49	96.00	115.30
(ग) लोक ऋण प्राप्तियाँ (i+ii)	35,915.00	40,445.00	48,284.00	60,218.00	66,049.20
(i) आंतरिक ऋण	29,412.00	30,918.00	38,129.00	49,546.00	49,549.32
(ii) भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	6,503.00	9,527.00	10,155.00	10,672.00	16,499.88
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
जी०एस०डी०पी०	(-)2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
पूंजीगत प्राप्तियाँ	25.91	10.18	19.40	24.81	9.70
ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	23.23	12.61	19.38	24.72	9.68
आंतरिक ऋण	5.55	5.12	23.32	29.94	0.01
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	408.44	46.50	6.59	5.09	54.61

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.12 दर्शाती है कि लोक ऋण प्राप्तियाँ (विशेष रूप से आंतरिक ऋण) पूंजीगत प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा हैं, जबकि पुनर्भुगतान और अन्य स्रोतों का योगदान बहुत कम है। राज्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहा है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए उधार ली गई धनराशि (आंतरिक ऋण) पर अधिक निर्भरता ऋण की संवहनीयता, ब्याज का भार और निवेश की गुणवत्ता से सम्बंधित चिंताएँ उत्पन्न करता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में 54.61 प्रतिशत अधिक रही। विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्ष 2021-22 एवं 2024-25 को छोड़कर) राज्य की ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक रही, जो राज्य की वित्तीय संवहनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

जी०एस०डी०पी० की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत प्राप्तियाँ **चार्ट 1.16** में प्रदर्शित की गई हैं।

चार्ट 1.16 : जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष पूंजीगत प्राप्तियों की प्रतिशतता

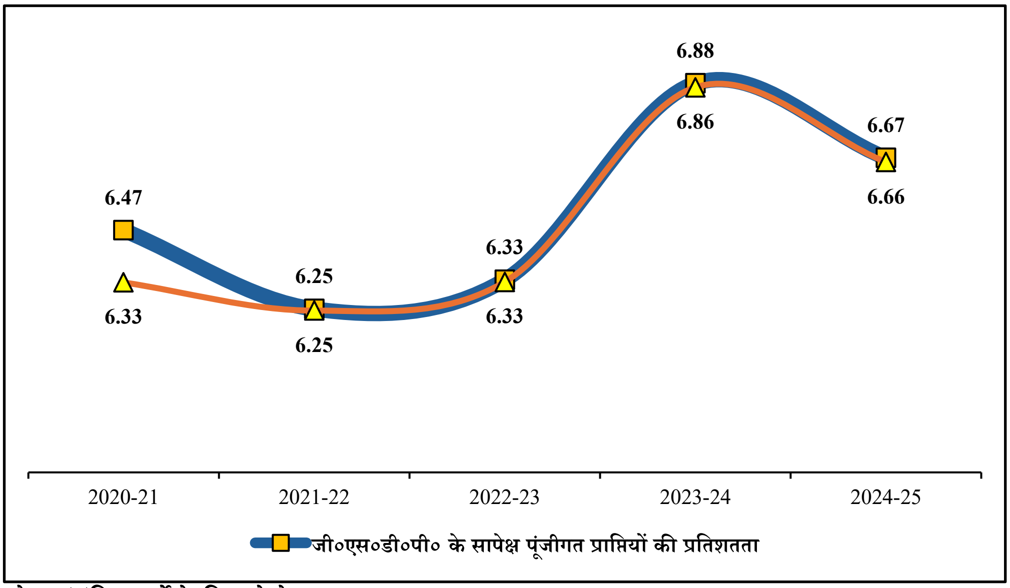

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राजस्व, घाटे और जी०एस०डी०पी० और वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के वास्तविक आँकड़े **तालिका 1.13** में दिए गये है।

तालिका 1.13 : पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
जी०एस०डी०पी०	6,48,556	5,67,814	5,67,085	6,47,394	6,12,452	7,63,165	6,67,572	8,77,197	7,30,992	9,91,997
राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	44,167	36,543	34,748	38,839	37,980	48,153	41,957	53,618	46,596	59,359
(i) स्व-कर राजस्व	39,406	30,342	30,232	34,855	33,067	44,018	36,557	48,361	40,632	53,578
(ii) गैर-कर राजस्व	4,761	6,201	4,516	3,984	4,913	4,135	5,400	5,257	5,964	5,781
संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी	57,744	59,861	66,241	91,353	73,688	95,510	82,917	1,13,604	94,200	1,29,435
जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा/अधिशेष	-0.1	2.12	-0.50	0.43	-0.80	1.53	-1.20	-0.25	-1.70	0.25
जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा/अधिशेष	4.50	5.32	4.00	4.60	3.50	6.02	3.00	4.15	3.00	4.37

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** (-) अधिशेष को दर्शाता है और (+) घाटे को दर्शाता है*

टिप्पणी : संबंधित वर्ष का राजस्व घाटा/अधिशेष तथा राजकोषीय अधिशेष/घाटा को लेखापरीक्षा के उपरांत लिया गया है।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में विभागों के रखरखाव, मरम्मत एवं दैनिक कार्यकलापों से संबंधित व्यय, जिसमें प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय शामिल हैं, सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण तथा परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या वृद्धि से संबंधित होता है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि सम्मिलित होती है, जो समय के साथ वसूल की जाती है। व्यय, जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के हिस्से का विवरण क्रमशः **तालिका 1.14**, **चार्ट 1.17** एवं **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05	2,59,995.63
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
ऋण एवं अग्रिम	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38
जी०एस०डी०पी०	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 1.17: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष कुल व्यय की प्रतिशतता

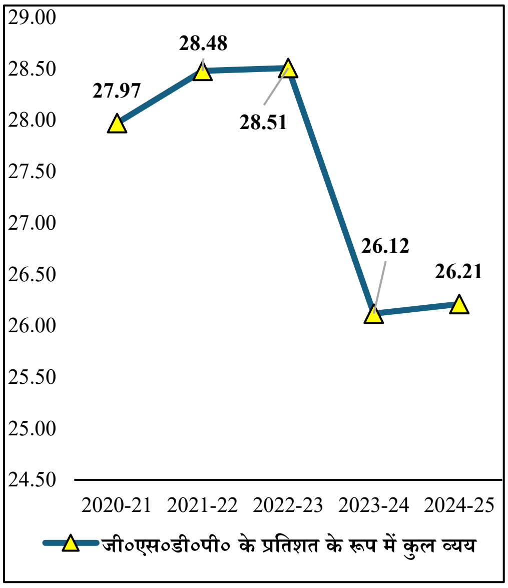

चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटकों का हिस्सा (प्रतिशत में)

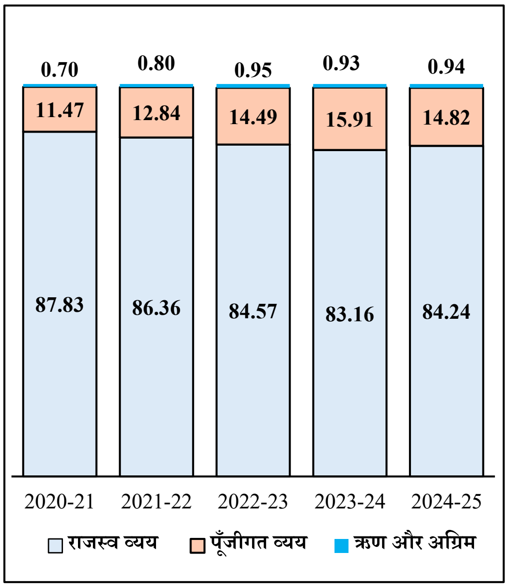

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की व्यय संरचना में राजस्व व्यय का प्रभुत्व बना हुआ है, जो वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान कुल व्यय का 4/5वें हिस्से से अधिक है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के बाद से पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो परिसंपत्ति निर्माण और विकासात्मक व्यय की दिशा में समग्र सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल ₹ 2,59,995.63 करोड़ के व्यय में से ₹ 29,863.39 करोड़ पास-थ्रू लेन-देन से संबंधित थे, जिनमें वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,360.34 करोड़), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 21,217.54 करोड़) तथा अन्य अंतरण/अनुदान (₹ 370.59 करोड़) आदि शामिल हैं।

प्रक्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.15** में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी को **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रक्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	47,626	52,447	59,284	64,882	74,274
सामाजिक सेवाएँ	70,139	81,268	94,316	90,226	1,09,633
आर्थिक सेवाएँ	39,935	49,183	61,896	71,860	73,635
स्थानीय निकायों को अनुदान	1.96	0.32	0.11	-0.13	0.00
ऋण एवं अग्रिम	1,114	1,479	2,057	2,136	2,453

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.19 : कुल व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

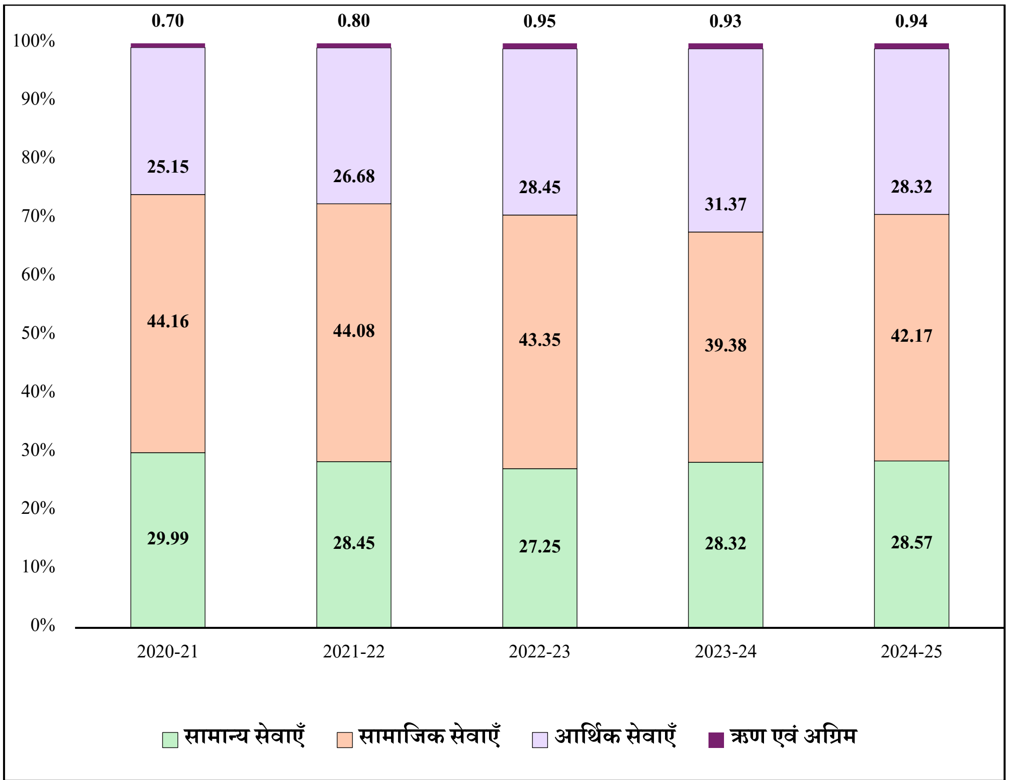

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रभुत्व बना रहा, जो कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं पर सरकार के ध्यान को दर्शाता हैं। वहीं, आर्थिक सेवाओं में (वर्ष 2024-25 को छोड़कर) निरंतर वृद्धि देखी गई, जो विकासोन्मुख क्षेत्र में बढ़ते निवेश का संकेत देती है। सामान्य सेवाएँ लगभग स्थिर रहीं, जो प्रशासनिक व्ययों की निरंतरता को दर्शाती हैं।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। अतः इसके परिणामस्वरूप राज्य के अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई नई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि, कुल व्यय, जी०एस०डी०पी० और राजस्व प्राप्तियों के साथ इसका अनुपात को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय - बुनियादी मानक

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05	2,59,995.63
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347	2,18,658
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	108.84	100.27	106.54	98.53	100.16
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	87.83	86.36	84.57	83.16	84.24
राजस्व व्यय /जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	24.57	24.59	24.11	21.72	22.08
वर्ष -दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	10.69	14.14	15.55	3.55	14.96
जी०एस०डी०पी० वृद्धि	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 को छोड़कर, राज्य का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहा। यह प्रवृत्ति निरंतर राजस्व घाटे को दर्शाती है तथा यह संकेत देती है कि राज्य अपनी वर्तमान देनदारियों की पूर्ति के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग कर रहा है। यह स्थिति राजकोषीय दबाव एवं सीमित स्व-वित्तपोषण क्षमता के जोखिम को दर्शाता है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 83 प्रतिशत से अधिक बना रहा, जो उच्च उपभोग तथा पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता को दर्शाता है।

क प्रक्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है तथा राजस्व व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.20** में दर्शाई गई है। प्रक्षेत्रवार व्यय का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.17: प्रक्षेत्रवार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	46,239	48,939	56,029	59,218	69,246
सामाजिक सेवाएँ	63,808	76,115	88,349	83,225	1,00,948
आर्थिक सेवाएँ	29,445	34,166	39,598	48,071	48,821
सहायता अनुदान और योगदान	1.96	0.32	0.11	-0.13	0.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 1.20 : राजस्व व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

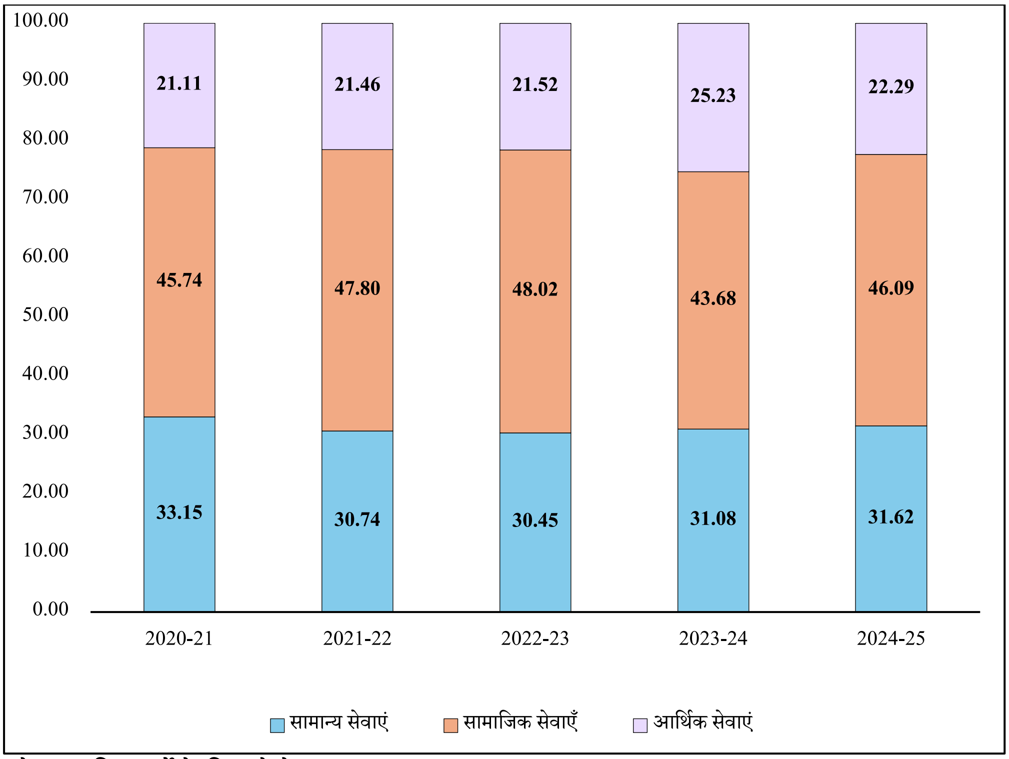

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि हाल के वर्षों में इसमें सामाजिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं का वर्चस्व रहा हैं, जो मिलकर कुल व्यय का कम से कम तीन-चौथाई भाग का उपभोग कर रही हैं। यह राज्य द्वारा कल्याण एवं मानव विकास पर बढ़ते हुए बल को रेखांकित करता है। हालाँकि, इसी के साथ आर्थिक सेवाओं के लिए आवंटन असंगत रहे हैं, जो इस क्षेत्र में कम तथा असमान प्राथमिकता का संकेत देता है।

ख प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के 'प्रतिबद्ध व्यय' जिसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय, और पेंशन शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत होते हैं। सरकारी संसाधनों पर सबसे पहले यही भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों का विवरण **तालिका 1.18** में दिया गया है, तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप मे प्रतिबद्ध व्यय एवं अन्य व्यय हेतु राजकोषीय संसाधनों की शेष उपलब्धता को **चार्ट 1.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन एवं मजदूरी	22,949.17	24,983.79	26,327.56	30,064.25	40,417.89
पेंशन	19,635.15	20,257.58	23,107.87	24,290.92	26,139.61
ब्याज भुगतान	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
कुल	**55,068.36**	**59,063.30**	**64,618.97**	**71,960.97**	**86,235.64**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	39.48	37.10	35.12	37.77	39.37

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं शेष राजकोषीय उपलब्धता

(प्रतिशत में)

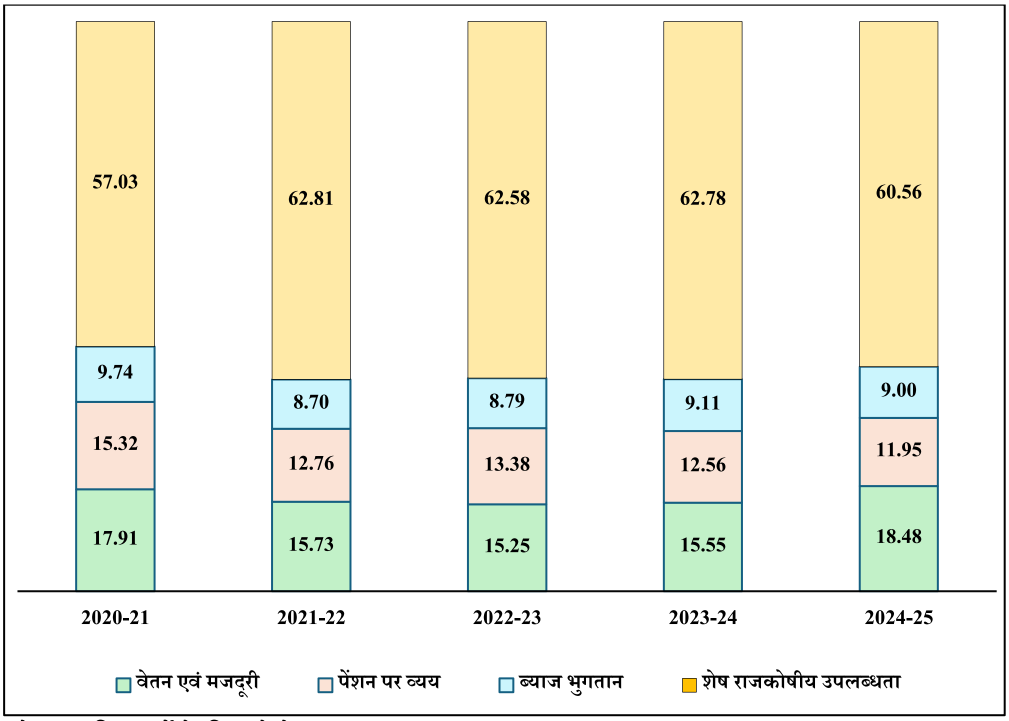

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की प्राप्तियों पर सर्व प्रथम अधिकार प्रतिबद्ध व्यय का होता है। राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति में व्यय हो रहा है, जिससे अतिरिक्त उधारी लिए बिना पूंजीगत व्यय या कल्याणकारी परिव्यय में वृद्धि के लिए सीमित राजकोषीय उपलब्धता शेष रहती है। परिणामस्वरूप, पूंजीगत एवं सामाजिक व्यय की ऋण पर निर्भरता और बढ़ जाती है।

ग सब्सिडी

सब्सिडी विशिष्ट वस्तुओं, सेवाओं या उत्पादन की लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली लक्षित वित्तीय सहायता होती हैं। इनका उद्देश्य उद्योगों को समर्थन देना या आवश्यक वस्तुओं को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाना है।

विगत वर्ष की तुलना में सब्सिडी में ₹ 2,065.68 करोड़ (12.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा सब्सिडी पर ₹ 2,182.20 करोड़ तथा उद्योगों को दी गई सब्सिडी पर ₹ 72.82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी का विवरण **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	578.77	720.56	629.93	822.24	767.73
2	दुग्ध, मत्स्य पालन और पशु संसाधन	99.67	100.71	163.37	307.39	242.53
3	कृषि	164.30	219.58	496.76	497.77	302.42
4	ऊर्जा	6,759.96	8,180.82	12,223.00	13,160.80	15,343.00
5	उद्योग	234.47	787.07	1,040.42	1,267.08	1,339.90
6	अन्य	330.25	247.28	274.31	189.33	314.71
	कुल सब्सिडी	**8,167.42**	**10,256.02**	**14,827.79**	**16,244.61**	**18,310.29**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की कुल सब्सिडी, तीव्र गति से, वर्ष 2020-21 के ₹ 8,167 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 18,310 करोड़ हो गई, जो विगत पाँच वर्षों में 124 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को दर्शाती हैं। राज्य की सब्सिडी प्रतिबद्धताएँ वर्ष 2020-21 की तुलना में 224 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो जी०एस०डी०पी० (75 प्रतिशत) तथा कुल व्यय (64 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कहीं अधिक है, इससे राजकोषीय दबाव बढ़ा है। कुल सब्सिडी के 4/5वें भाग से अधिक उपभोग के साथ सकल सब्सिडी प्राप्तियों पर ऊर्जा विभाग का भारी वर्चस्व बना रहा। विगत पाँच वर्षों में ऊर्जा सब्सिडी में ₹ 8,583 करोड़ (127 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सब्सिडी में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति राजकोषीय अनम्यता को बढ़ाती है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है तथा ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। युक्तिसंगत एवं प्रदर्शन-आधारित लक्ष्य निर्धारण के अभाव में, सब्सिडी राजकोषीय संसाधनों पर संरचनात्मक भार का जोखिम पैदा करता है।

राजकोषीय मानकों के सापेक्ष सब्सिडी की प्रवृत्ति का विश्लेषण **चार्ट 1.22** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.22: सब्सिडी का प्रवृत्ति विश्लेषण

(प्रतिशत में)

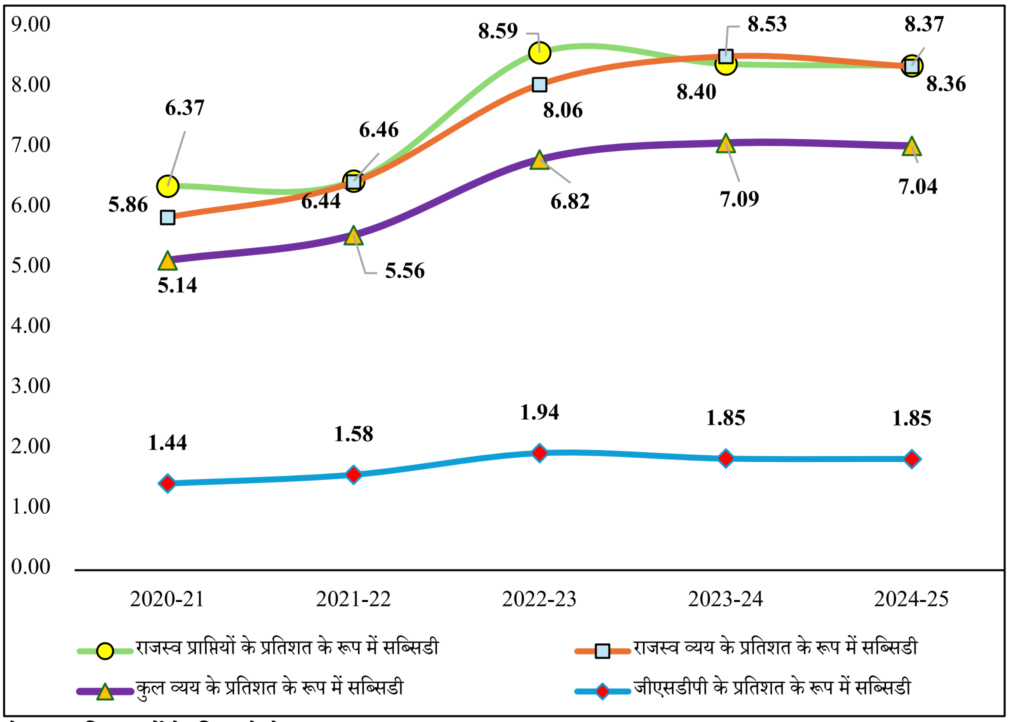

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, कुल व्यय और जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में वृद्धि के पश्चात स्थिर रहीं अथवा मामूली गिरावट आई।

वर्ष 2024-25 में सब्सिडी के लिए ₹ 11,654.92 करोड़ के मूल बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर ₹ 19,133.78 करोड़ किया गया। इसके विरुद्ध वर्ष 2024-25 में सब्सिडी पर ₹ 18,310.29 करोड़ का व्यय किया गया, जो मूल प्रावधान की तुलना में ₹ 6,655.37 करोड़ की कुल वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं/विभागों के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: प्रमुख योजनाओं/विभागों के तहत सब्सिडी पर बजट के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना/विभाग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अभ्यर्पण	व्यय
ऊर्जा विभाग (बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड)	9000.00	6343.00	0.00	15,342.99
उत्पादन पूर्व तथा उत्पादनोपरांत सुविधाओं के लिए योजना	497.53	274.50*	0.00	772.02
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	309.01	475.18	15.85	740.81
बिहार लघु उद्यम योजना	78.00	117.00	0.00	195.00
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	121.90	0.00	0.00	121.90

योजना/विभाग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अभ्यर्पण	व्यय
मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना	121.90	0.00	0.00	121.90
गुणवत्तापूर्ण बीज फार्मों के विस्तार के लिए सब्सिडी	117.91	11.79	6.21	113.64
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना	25.20	67.20	0.00	92.40
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	28.25	33.62	0.00	61.87
कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना	94.99	0.00	28.60	58.28
अन्य	1,260.23	156.57	139.27	689.48
कुल	**11,654.92**	**7,478.86**	**189.93**	**18,310.29**

स्रोत: विनियोग लेखे 2024-25

**** ₹ 0.50 करोड़ का पुनर्विनियोग शामिल है***

राजकोषीय संवहनीयता बनाए रखने के लिए, राज्य की सब्सिडी योजनाओं के लक्षित वितरण, नियमित समीक्षा और युक्तिसंगत बनाने जैसे उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

घ प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी से राजकोषीय दबाव

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी को संयुक्त रूप से **चार्ट 1.23** एवं **चार्ट 1.24** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.23:
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी

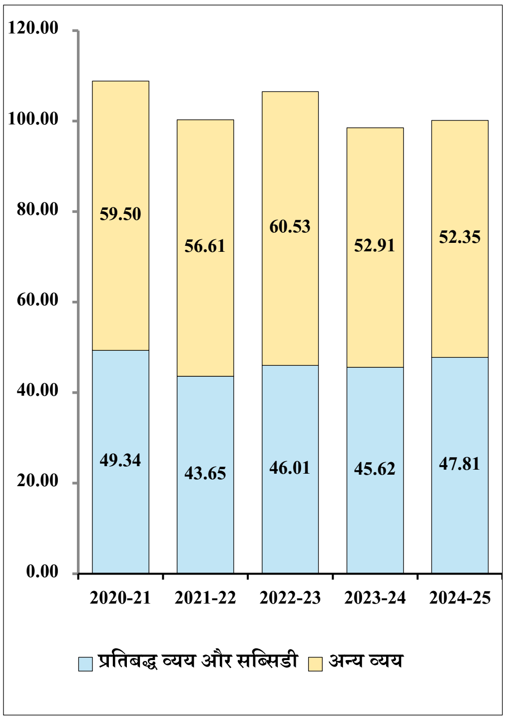

चार्ट 1.24:
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी

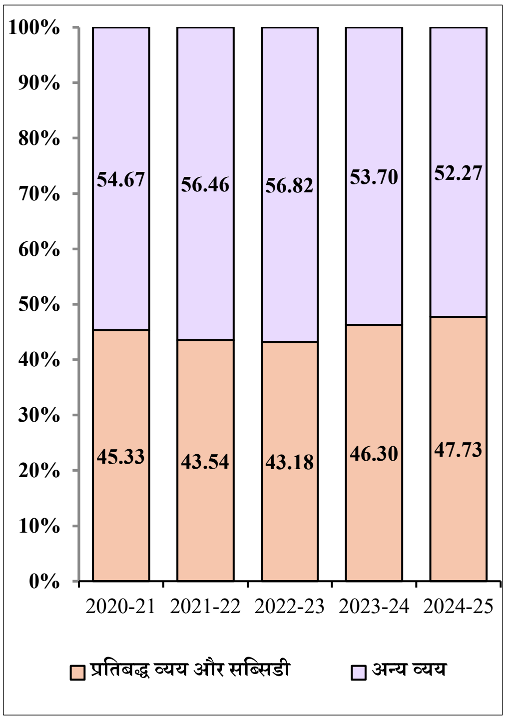

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राजस्व प्राप्तियों का 43 से 48 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राजस्व व्यय का 43 से 48 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2024-25 में राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 86,236 करोड़ रहा, जिसमें वेतन (₹ 40,417.89 करोड़), पेंशन (₹ 26,139.61 करोड़) तथा ब्याज भुगतान (₹ 19,678.14 करोड़) शामिल थे, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39.44 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी ₹ 18,310.29 करोड़ रहीं, जिससे कुल अनम्य व्यय ₹ 1,04,546 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47.81 प्रतिशत था।

इस प्रकार के व्यय की अनम्य प्रकृति राजकोषीय उपलब्धता को उल्लेखनीय रूप से संकुचित कर देती है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं हेतु संसाधनों में आवंटन से राज्य की क्षमता सीमित होती है। यह संरचनात्मक असंतुलन निरंतर राजस्व एवं प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयता को बाधित करता है तथा उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के प्रति सरकार की प्रत्युत्तर क्षमता को कम करता है।

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय एवं सब्सिडी की प्रवृत्ति **चार्ट 1.25** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.25: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय और सब्सिडी

(प्रतिशत में)

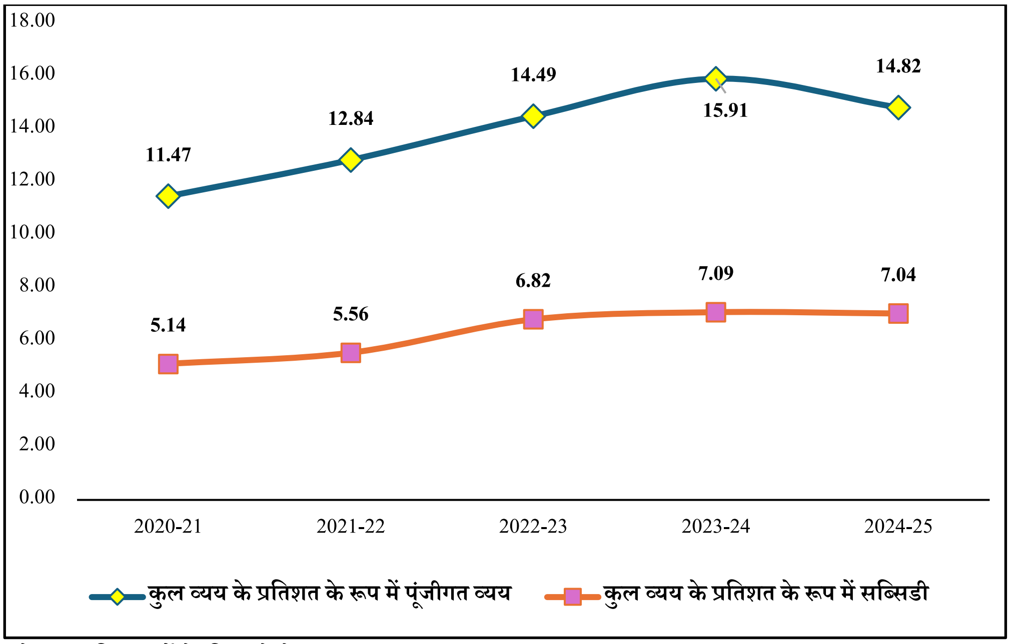

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.25 का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 2020-21 के 11.47 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 15.91 प्रतिशत हो गई, जो परिसंपत्ति निर्माण की ओर एक क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है, लेकिन 2024-25 में यह घटकर 14.82 प्रतिशत रह गई। इसी समय, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 5.14 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 7.09 प्रतिशत हो गई और 2024-25 में 7.04 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही, जो राजस्व-उन्मुख व्यय के बढ़ते दबाव का संकेत देती है।

ड़ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का विवरण **तालिका 1.21** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.21: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	4,785.08	5,386.53	4,990.73	6,952.16	8,035.48
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	2,100.49	2,551.78	1,878.90	3,418.53	4,086.88
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	12,899.38	13,268.40	14,474.20	16,754.97	15,473.26
पंचायती राज संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	686.90	2,607.05	2,080.79	3,987.70	3,453.59
योग (क)	**17,684.46**	**18,654.93**	**19,464.93**	**23,707.13**	**23,508.74**
(ख) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	3,716.00	3,684.25	4,331.84	4,120.34	7,708.00
विकास प्राधिकरण	999.15	1,693.64	1,388.63	1,267.63	1,671.15
अन्य संस्थान	32,529.37	40,982.19	54,755.48	48,505.38	47,063.40
योग (ख)	**37,244.52**	**46,360.08**	**60,475.95**	**53,893.35**	**56,442.55**
महायोग (क + ख)	**54,928.98**	**65,015.01**	**79,940.88**	**77,600.48**	**79,951.29**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	10,273.35	14,083.39	20,019.34	19,145.79	15,963.38
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	39.38	40.83	43.45	40.73	36.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,350.81 करोड़ (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों तथा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को दी गई सहायता में बढ़ोतरी के कारण हुई। स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, राजस्व व्यय का औसतन लगभग 40 प्रतिशत रही। वित्तीय सहायता में कुल वृद्धि शिक्षा एवं नगरीय विकास के लिए बढ़ते समर्थन को दर्शाती है।

दक्षता संवर्धन के लिए राज्य को परिणाम-आधारित एवं पूंजीगत उन्मुख सहायता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा स्थानीय राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि अनुदान से लम्बी अवधि तक सेवा प्रदान किया जा सके और राजकोषीय दबाव में कमी को सुनिश्चित किया जा सके।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों, जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों/गैर-बजट उधारियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 1.26** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.26: राज्य में पूंजीगत व्यय

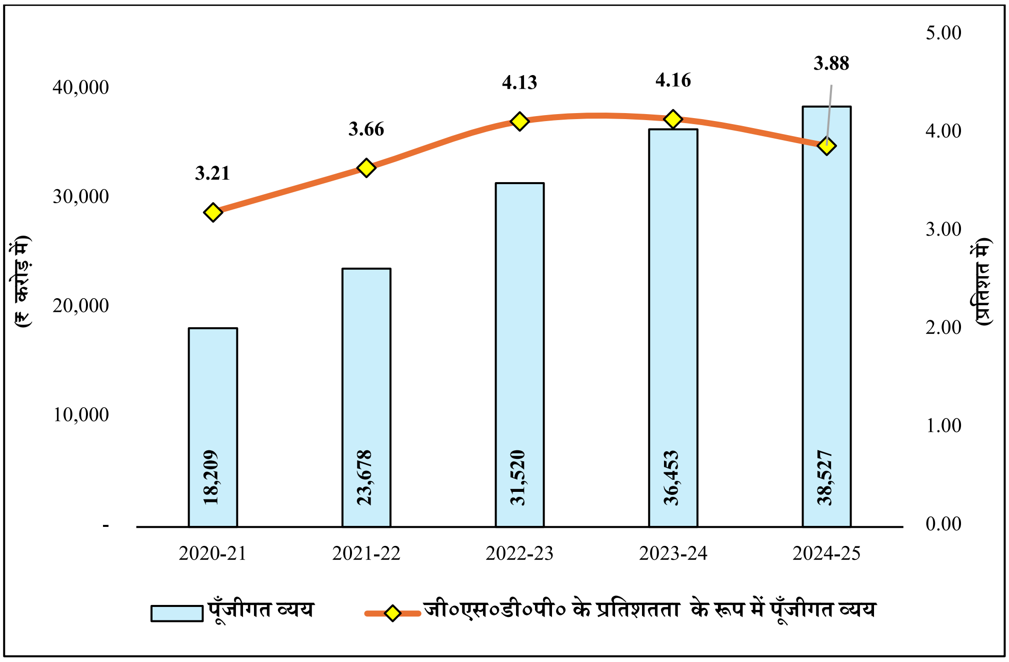

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 38,527.04 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 15,963.38 करोड़ अंतरित किए। इसके अतिरिक्त, ऋण प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 58.33 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि उधार ली गई राशि आनुपातिक रूप से अवसंरचनात्मक विकास में परिवर्तित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 20.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में इसमें 2024-25 में हल्की गिरावट से पूर्व निरंतर वृद्धि का रुझान रहा। यह दर्शाता है कि राज्य का पूंजीगत व्यय जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर से अधिक रहा तथा दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन को प्राथमिकता दी गई। इसी अवधि के दौरान कुल व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय की भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई ***(परिशिष्ट 1.4)***।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 2020-25 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाई गई राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य के लोक लेखा में रखा गया था ***(संदर्भ: कंडिका 3.6.2)***। वर्ष 2024-25 के दौरान भी, पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाए गए ₹ 13,920.16 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 36.13 प्रतिशत) को लोक लेखा में अंतरण किया गया था।

इन अनुदानों से प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों को अधिकतम करने के लिए निधियों की समय पर विमुक्ति तथा उपयोग सुनिश्चित करना, एवं व्यय को परिसंपत्ति-निर्माण के उद्देश्यों के साथ सख्ती से संरेखित करना आवश्यक है।

क प्रक्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.22** में दी गई है। विस्तृत प्रक्षेत्र-वार व्यय ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.22: प्रक्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	1,386.50	3,507.49	3,254.88	5,664.41	5,027.89
सामाजिक सेवाएँ	6,331.52	5,153.72	5,967.30	7,000.43	8,684.70
आर्थिक सेवाएँ	10,490.58	15,017.08	22,297.64	23,788.16	24,814.44
ऋण एवं अग्रिम	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.27: पूंजीगत व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्रों की तुलनात्मक हिस्सेदारी

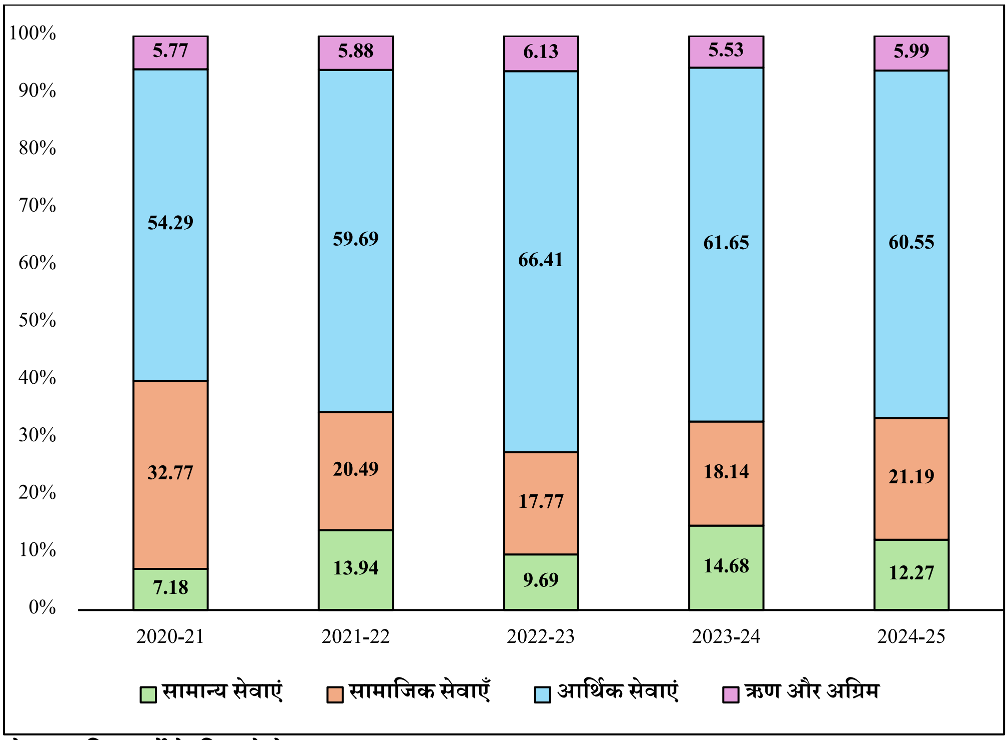

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बिहार के पूंजीगत व्यय में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 54.29 प्रतिशत से बढ़कर 66.41 प्रतिशत तक हो गई, जो अवसंरचना-आधारित विकास पर केंद्रित नीति को दर्शाती है परंतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी घटकर वर्ष 2024-25 में 60.55 प्रतिशत रह गई, जिसका कारण व्यय का सामाजिक सेवाओं की ओर झुकाव रहा। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2022-23 के 17.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 21.19 प्रतिशत हो गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वर्ष 2024-25 में 'विद्युत परियोजनाएँ', 'नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा', 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य', 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' तथा 'पर्यटन' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इसके विपरीत, 'बाढ़ नियंत्रण परियोजना', 'ग्राम एवं लघु उद्योग' तथा 'अन्य परिवहन सेवाएँ' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में कमी दर्ज की गई।

ख कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार का कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में कुल निवेश ₹ 45,665.22 करोड़ रहा, जिसमें सरकारी कंपनियाँ (₹ 42,263.19 करोड़), सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकाय (₹ 659.83 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 105.63 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ एवं साझेदारियाँ (₹ 2,606.38 करोड़) तथा ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश की प्रवृत्ति तथा उन पर मिलने वाले प्रतिफल की स्थिति **चार्ट 1.28** में दर्शाई गई है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल दर की तुलना उधारों पर ब्याज की औसत दर से **चार्ट 1.29** में प्रदर्शित की गई है।

चार्ट 1.28: निवेश और प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

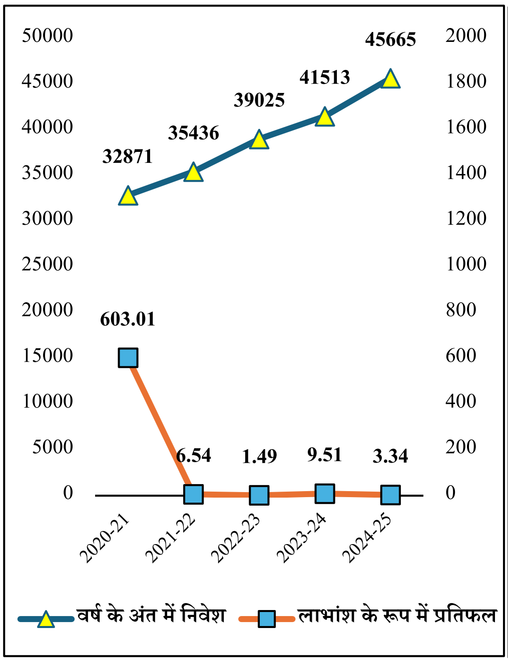

चार्ट 1.29: सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर की तुलना में निवेश पर प्रतिफल की दर

(प्रतिशत में)

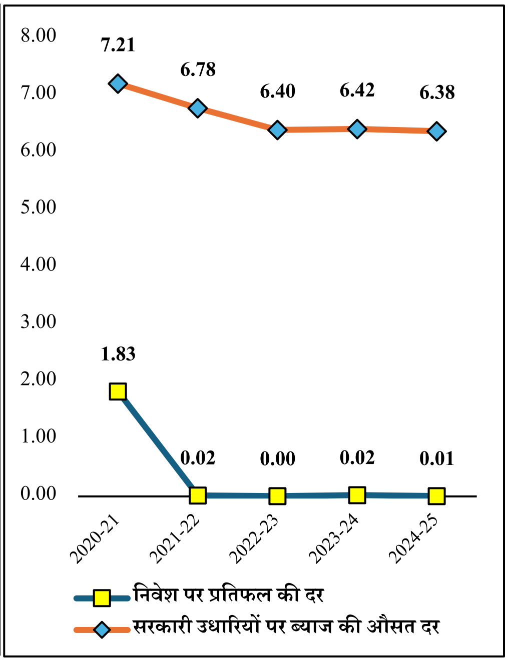

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त प्रतिफल ₹ 3.34 करोड़[9](0.01 प्रतिशत) रहा (यह ऐतिहासिक लागत के आधार पर है, न कि शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर)। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान प्रतिफल दर केवल 0.01 प्रतिशत से 0.02 प्रतिशत के बीच रहा। यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 46 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा॰सा॰क्षे॰उ॰) में ₹ 42,263.19 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसमें 24 गैर-कार्यरत रा॰सा॰क्षे॰उ॰ में ₹ 17,137.61 करोड़ का निवेश शामिल है। 22 कार्यरत रा॰सा॰क्षे॰उ॰ में से केवल एक रा॰सा॰क्षे॰उ॰ (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) ने वित्तीय वर्ष

[9] *सरकारी कंपनियाँ (₹ 1.05 करोड़) तथा सहकारी संस्थाएँ और स्थानीय निकाय (₹ 2.29 करोड़)।*

2024-25 के दौरान ₹ 1.05 करोड़ का लाभांश दिया, जो राज्य द्वारा किए गए कुल निवेश का मात्र 0.002 प्रतिशत था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य ने विभिन्न कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में ₹ 4,152.24 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इसमें से ₹ 3,991.60[10] करोड़ का निवेश तीन घाटे में चल रहे रा०सा०क्षे०उ० में किया गया।

घाटे में चल रहे एवं अ-कार्यरत रा०सा०क्षे०उ० की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा, रणनीतिक विनिवेश, पुनर्गठन या आवश्यकतानुसार बंद करने पर विचार करना तथा लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों से अनिवार्य लाभांश घोषणा सुनिश्चित करना,संसाधन संकलन को सुदृढ़ करने एवं राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

ग लाभांश नीति का अभाव और उसका प्रभाव

लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों से न्यूनतम प्रतिफल अनिवार्य करने वाली एक सुस्पष्ट लाभांश नीति, राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन पर निगरानी को बढाती है। राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए न तो कोई लाभांश नीति बनाई है और न ही उसे लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा किए गए बड़े अंशपूंजी निवेश पर निरंतर न्यून प्रतिफल (निवेश का मात्र 0.002 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है, जिससे गैर-कर राजस्व सृजन की संभावनाएँ प्रभावित हुई हैं।

घ राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। **तालिका 1.23** में 31 मार्च 2025 तक, बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.23: वर्ष 2020-25 के दौरान वितरित एवं वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57
वर्ष के दौरान दी गई राशि	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	820.43	27.92	41.49	95.93	115.30
बकाया ऋणों का अंत शेष	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57	29,587.65
निवल वृद्धि	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.92	2,338.08
प्राप्त ब्याज	3.90	5.68	8.65	269.41	1.93

[10] *बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (₹ 105 करोड़), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (₹ 3,881.60 करोड़) तथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (₹ 5 करोड़)।*

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	आंकलनीय नहीं*				
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	आंकलनीय नहीं				

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे*

**** राज्य ने अपने द्वारा दिए गए सभी ऋणों एवं अग्रिमों के लिए ब्याज दरों से संबंधित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है और न ही इससे संबंधित जानकारी प्रदान की है।***

प्रत्येक वर्ष की गई वसूली कुल बकाया ऋणों की तुलना में अत्यंत कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप अप्राप्त अग्रिम लगातार बढ़ते गये हैं। इसके अतिरिक्त, इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज नगण्य है, जो यह संकेत करता है कि ऋण या तो अल्प-प्रदर्शनकारी/अकार्यशील हैं, या रियायती दरों पर पर्याप्त वसूली तंत्र के बिना दिए गए हैं, अथवा समय पर ब्याज उपार्जन नहीं किया गया है। इसी अवधि में सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर, राज्य द्वारा अपने ऋणों पर अर्जित प्रतिफल की तुलना में काफी अधिक है।

राज्य का ऋण पोर्टफोलियो राजकोषीय अक्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसमें बढ़ते अग्रिम, कमजोर वसूली तथा नगण्य प्रतिफल शामिल हैं। स्पष्ट ब्याज नीति एवं प्रभावी निगरानी प्रणाली के अभाव में जवाबदेही प्रभावित होती है तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ता है। राजकोषीय उपलब्धता के क्षरण को रोकने तथा समग्र वित्तीय अनुशासन में सुधार के लिए ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा विवेकपूर्ण ऋण वितरण मानकों को लागू करना अत्यावश्यक है।

ङ अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा राज्य को इन परियोजनाओं से अपेक्षित लाभों से दीर्घ अवधि तक वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वर्षों के दौरान ली गई उधारी से, ऋण शोधन एवं ब्याज देनदारियों के रूप में अतिरिक्त भार उत्पन्न होता है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 1.24** में दर्शाया गया है (वित्त वर्ष 2024-25 के वित्त लेखें के ***परिशिष्ट-IX*** के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं की समयावधि विश्लेषण				31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार समयावधि विश्लेषण			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2025 तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2025 तक)
2013-14	1	2.37	0.21	जल संसाधन	124	4,951.11	402.95
2014-15	0	शून्य	शून्य				
2015-16	0	शून्य	शून्य	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	95	340.01	20.03
2016-17	2	99.80	0.72				
2017-18	5	536.60	52.20	भवन निर्माण	134	1,675.98	375.03
2018-19	3	84.09	4.77				
2019-20	13	535.84	18.97	सड़क निर्माण	21	1,076.37	242.19
2020-21	24	84.88	5.66				
2021-22	9	41.54	26.79	ग्रामीण कार्य	83	351.85	103.54
2022-23	10	924.24	99.55				
2023-24	35	1,474.46	190.92	योजना एवं विकास	309	865.36	281.28
2024-25	664	5,476.86	1,025.22				
कुल	**766**	**9,260.68**	**1,425.02**	**कुल**	**766**	**9,260.68**	**1,425.02**

***स्रोत:** वित्त लेखे 2024-25*

इन 766 चालू परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹ 9,260.68 करोड़ थी, जिन पर वर्ष 2024-25 तक ₹ 1,425.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। अतः इन 766 परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण ₹ 1,425.02 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा। इन 766 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ (जिन पर ₹ 76.87 करोड़ का व्यय किया गया था) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी थीं। योजना एवं विकास विभाग में अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या सर्वाधिक थी, जबकि अधिकतम व्यय वाली परियोजनाएँ जल संसाधन एवं भवन निर्माण विभागों से संबंधित थीं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के ***परिशिष्ट-IX*** (सरकार की प्रतिबद्धताएँ-अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची) में उपलब्ध अपूर्ण जानकारी के कारण लेखापरीक्षा 31 मार्च 2025 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतानों (भविष्य देयता) की स्थिति तथा संशोधित लागत (यदि कोई हो) का निर्धारण नहीं किया जा सका।

परियोजनाओं में विलंब सामान्यतः भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ एवं वाद, निधि का अपर्याप्त या विलंबित विमुक्तिकरण, खराब परियोजना नियोजन एवं कमजोर अनुबंध प्रबंधन, क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय, परियोजना के दायरे या डिजाइन में परिवर्तन तथा संवेदकों के प्रदर्शन संबंधी समस्याओं आदि के कारण होता है।

परियोजनाओं की पूर्णता में सतत् विलंब न केवल अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभों को टालता है, बल्कि पूंजीगत उत्पादकता को भी कमजोर करता है तथा परिहार्य वित्तीय भार उत्पन्न करता है।

1.3 आकस्मिकता निधि

बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करना है, जिसका अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा लंबित रहने की स्थिति में दिया जाता है। अतिरिक्त व्यय को विधायिका द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात इस निधि का पुनर्भरण किया जाता है। इस निधि की अधिकृत कोष राशि ₹ 350 करोड़ है।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न बजटीय शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,650 करोड़ आकस्मिकता निधि से आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 3.68 करोड़ गैर-आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु आहरित किए गए, जो उस सीमा तक निधि के उद्देश्यों के विपरीत था ***(कंडिका 2.14.1)***। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 9,650 करोड़ की संपूर्ण राशि पुनर्भरित कर दी गई। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता निधि में ₹ 350 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी।

1.4 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं है, उनसे संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं तथा ये राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं होते। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि एक निधि के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे के निवल शेष को घटक-वार **तालिका 1.25** में दिया गया है।

तालिका 1.25: लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	166.29	76.28	-124.77	-255.76	-513.06
आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधि	378.12	140.42	1,585.11	1,222.72	1,647.20
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	-26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	-75.05	-57.17	40.52	-247.91	1,290.57
	(ख) ब्याज रहित जमा	4,336.01	-1,543.24	363.64	1,476.52	2,689.89
	(ग) अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उचंत एवं विविध	(क) उचंत (सिविल)	-4,879.88	-238.38	1,199.82	8,804.89	3,547.04
	(ख) अन्य लेखे	-191.23	-4,148.08	7,961.19	-12,655.59	-11,304.45
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	-	-	-	-	0.00
प्रेषण	(क) धनादेश, एवं अन्य प्रेषण	4.37	-7.53	0.00	-2.36	-0.11
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखा	794.07	0.00	0.00	-0.01	0.01
	कुल	**506.37**	**-5,777.71**	**11,025.51**	**-1,657.51**	**-2,642.91**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

नोट: धनात्मक आंकड़े नामे शेष को दर्शाते हैं और ऋणात्मक आंकड़े जमा शेष को दर्शाते हैं।

वित्त वर्ष में, लोक लेखा के विभिन्न क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के तहत निवल ऋणात्मक शेष इन शीर्षों के तहत प्राप्तियों पर संवितरण की अधिकता को दर्शाता है, जबकि इन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के तहत धनात्मक शेष प्राप्तियों की तुलना में कम संवितरण दर्शाते हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती हैं। इन निधियों का गठन संचित निधि से अंशदान या अनुदान अथवा बाहरी एजेंसियों से प्राप्त राशि के माध्यम से किया जाता है। इसमें ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक ब्याज सहित तीन आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज रहित एक आरक्षित निधि विद्यमान थीं। इन आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2025 को उपलब्ध शेष राशि का विवरण **तालिका 1.26** में दिया गया है।

तालिका 1.26: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आरक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष राशि
क	**ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ**	**3,849.31**	**2,734.57**	**89.35**	**1,087.37**	**5,496.51**
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04	1,830.51	82.51	876.21	3,754.34
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	289.47	252.11	0.00	29.60	511.98
3	राज्य आपदा शमन निधि	759.80	651.95	6.84	181.56	1,230.19
ख	**ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ**	**8,494.66**	**1,645.86**	**2519.69**	**0.00**	**10,140.52**
1	निक्षेप निधि	8,494.66	1,645.86	2519.69	0.00	10,140.52
	कुल योग	**12,343.97**	**4,380.43**	**2609.04**	**1,087.37**	**15,637.03**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.4.3 नकद शेष

अनुबंध के अनुसार राज्य को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹ 1.73 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है, तो इस कमी की पूर्ति अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट लेकर की जाती है। राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2022 से यह तय सीमा ₹ 2,272.00 करोड़ थी।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष, जिसमें नामित आरक्षित निधियों की राशि भी शामिल है, का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार विपत्रों में करती है। इन निवेशों से प्राप्त आय '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाती है।

जब राज्य सरकार के पास वृहत मात्रा में अप्रयुक्त नकद शेष राशि उपलब्ध हो, तब बाजार ऋण लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के स्थान पर निधियाँ निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नकद शेष एवं इसके निवेश का विवरण **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका 1.27: नकद शेष एवं उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
(क) सामान्य नकद शेष		
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा	726.68	966.80
नकद शेष निवेश खाते में रखे गए निवेश	26,762.09	39,132.93
योग (क)	**27,488.77**	**40,099.73**
(ख) अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा: वन तथा लोक निर्माण के पास नकद	233.22	233.22
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम	765.53	765.10
चिह्नित निधियों का निवेश	8,494.66	10,140.52
योग (ख)	**9,493.41**	**11,138.84**
महायोग (क + ख)	**36,982.18**	**51,238.57**
ब्याज प्राप्तियाँ	264.34	913.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में, वित्त लेखे में दर्शाए गए 'आरबीआई के पास जमा' के आंकड़ों (₹ 966.80 करोड़ – नामे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 18.95 करोड़ – जमा[11]) के बीच ₹ 947.85 करोड़ (नामे[12]) का अंतर था। यह अंतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समाशोधन के अधीन है।

राज्य सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी 'अर्थोपाय अग्रिम' का उपयोग किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम नकद शेष बनाए रखा।

विगत पांच वर्षों के दौरान 'नकद शेष निवेश खाते' का विवरण **तालिका 1.28** में दिया गया है।

तालिका 1.28: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+) /कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022-23	22,070.25	14,069.82	-8,000.43	276.23
2023-24	14,069.82	26,762.09	12,692.27	264.34
2024-25	26,762.09	39,132.93	12,370.84	913.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

31 मार्च 2025 की तक राज्य ने अपने नकद शेष में से ₹ 39,132.93 करोड़ का निवेश किया, जिसमें ₹ 39,128.28 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में तथा ₹ 4.65 करोड़ अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों

---

11 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा शेष यह दर्शाता है कि लेखा अवधि के दौरान राज्य द्वारा आहरित की गई राशि की तुलना में अधिक नकद राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रही।

12 लेखांकन वर्ष के दौरान नकद बहिर्गमन नकद अंत:प्रवाह से अधिक रहा।

में निवेशित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान नकद शेष निवेश खाता में किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज ₹ 913.46 करोड़ था।

1.5 राजकोषीय संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता से आशय सरकार की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वह अपने राजस्व एवं व्यय का इस प्रकार प्रबंधन कर सके कि वह वर्तमान एवं भविष्य की प्रतिबद्धताओं (जैसे लोक सेवाएँ, अवसंरचना तथा ऋण पुनर्भुगतान) को अत्यधिक उधारी लिए बिना या अस्थिर ऋण भार संग्रहित किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकाल में राजस्व सृजन एवं व्यय के बीच संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाए रखने से है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान बिहार सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता के रूप में क्रमशः **चार्ट 1.30** एवं **चार्ट 1.31** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.30: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्राप्तियों की प्रतिशतता

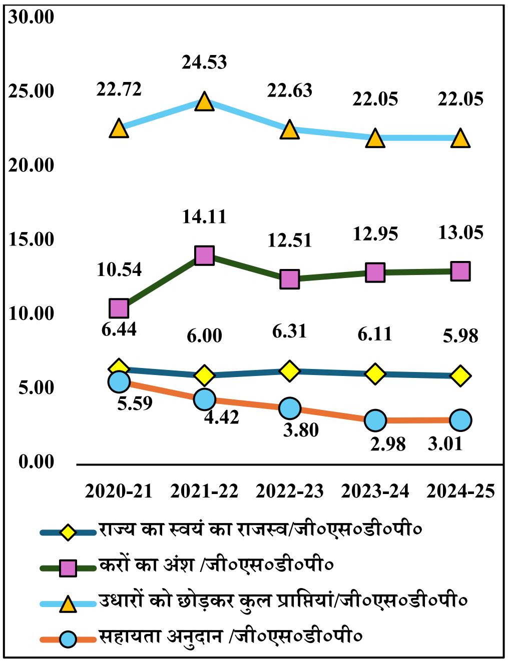

चार्ट 1.31: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता

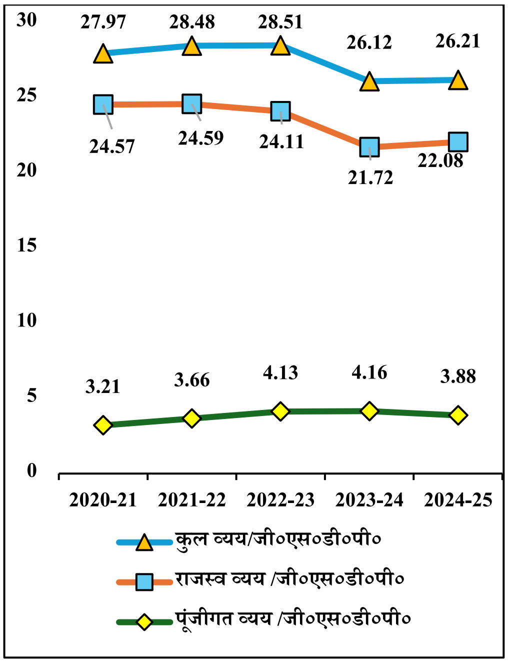

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.30 से स्पष्ट होता है कि राज्य के स्वयं के राजस्व का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात लगभग छह प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा, जो राजस्व संग्रहण में सीमित सुधार को दर्शाता है। वहीं, महामारी के बाद संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जो केंद्रीय अंतरणों पर राज्य की निरंतर निर्भरता को इंगित करती है। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान में लगातार गिरावट देखी गई।

व्यय के सन्दर्भ में, **चार्ट 1.31** दर्शाता है कि कुल व्यय तथा राजस्व व्यय का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात वर्ष 2022-23 में उच्चतम स्तर पर था, तत्पश्चात इसमें गिरावट आई, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को परिलक्षित करता है। जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय अनुपात क्रमिक रूप से सुधरा, यद्यपि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच यह लगभग तीन से चार प्रतिशत के स्तर पर बना रहा।

1.5.1 लोक दायित्व प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए जी०एस०डी०पी० में उनके प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देनदारियों को **चार्ट 1.32** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.32: बकाया लोक देनदारियाँ एवं उनका जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशत

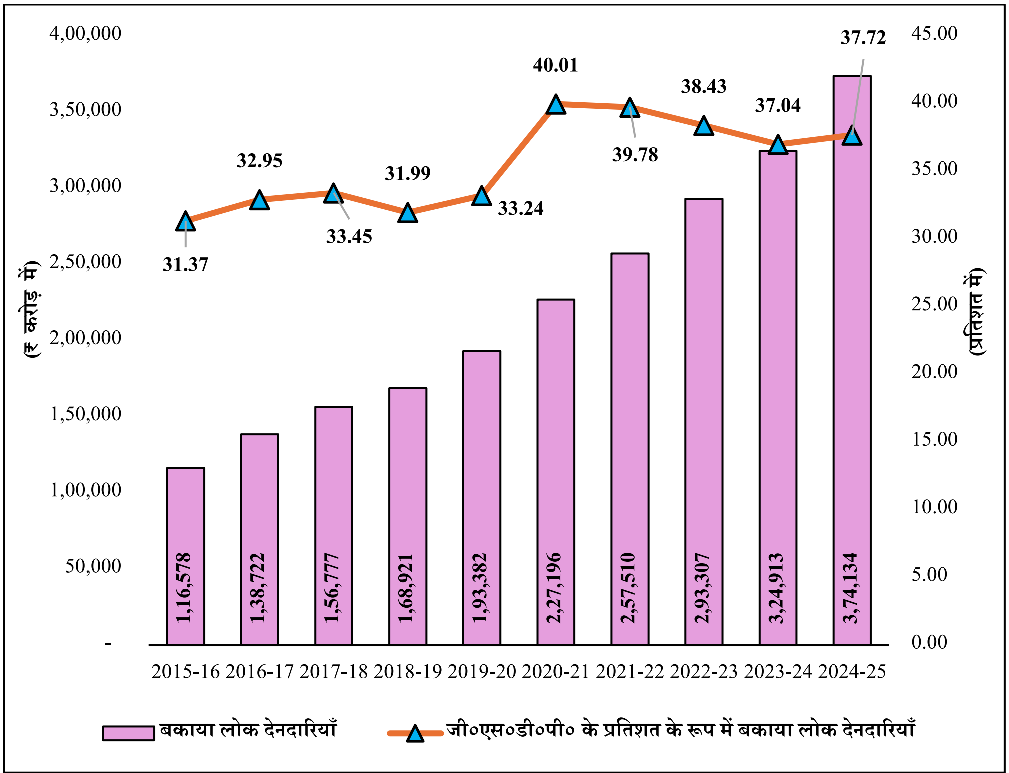

स्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

टिप्पणी 1: बकाया लोक देनदारियों से आशय बकाया लोक ऋण एवं लोक लेखा देनदारियों से है।

टिप्पणी 2: वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, कुल देनदारियों में क्रमशः ₹ 3,905.00 करोड़ एवं ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।

चार्ट 1.32 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक बकाया लोक देनदारियों में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, राज्य के जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में इनका उच्चतम स्तर वर्ष 2020-21 में 40.01 प्रतिशत रहा। इसके पश्चात इनमें निरंतर गिरावट दर्ज की गई और वर्ष 2024-25 में घटकर यह 37.72 प्रतिशत रह गई।

1.5.1.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की सकल देनदारियों में सामान्यतः राज्य का आंतरिक ऋण (जैसे बाजार ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देनदारियाँ शामिल होती हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की पाँच-वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की देनदारियों की घटक-वार प्रवृत्ति **तालिका 1.29** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.29: घटक-वार दायित्व प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय दायित्व के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया सकल देनदारियां (i+ii)	**2,27,195.51**	**2,57,510.21**	**2,93,307.17**	**3,24,913.39**	**3,74,133.50**
(i) लोक ऋण	1,77,214.85	2,08,913.28	2,42,845.73	2,72,256.38	3,16,361.90
(क) आंतरिक ऋण	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10	2,36,205.16	2,65,142.06
(ख)भारत सरकार से ऋण*	17,657.35	26,057.96	34,747.63	36,051.22	51,219.84
(ii) लोक लेखा देयताएं	49,980.66	48,596.93	50,461.44	52,657.01	57,771.60
(क)लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,445.38	9,521.65	9,396.88	9,141.12	8,628.06
(ख)ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	901.07	1,041.49	2,626.60	3,849.32	5,496.51
(ग) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	0	0
(घ)ब्याज सहित जमा	274.29	217.11	257.63	9.72	1,300.29
(ङ) ब्याज रहित जमा	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85	42,346.74
बकाया सकल देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.49	13.34	13.90	10.78	15.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
बकाया कुल देनदारियां/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	40.01	39.78	38.43	37.04	37.72
उधारी एवं अन्य देनदारियां					
कुल प्राप्तियाँ	**1,08,432.31**	**1,17,527.57**	**1,29,950.58**	**1,62,725.19**	**1,70,865.46**
कुल पुनर्भुगतान	**74,618.65**	**87,212.86**	**94,153.62**	**1,23,291.46**	**1,21,645.34**
निवल उपलब्ध ऋण	33,813.66	30,314.71	35,796.96	39,433.73	49,220.12
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	68.82	74.21	72.45	75.77	71.19

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार*

* ***वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, कुल देनदारियों में क्रमशः ₹ 3,905.00 करोड़ एवं ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।***

राज्य की बकाया सकल देनदारियों में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में वृद्धि के कारण रहा। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण में 66.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में 190.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि इस अवधि में बकाया कुल देनदारी का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग के सांकेतिक ऋण प्रक्षेपण के भीतर रहा, तथापि बढ़ते हुए ऋण शोधन का बोझ तथा अपेक्षाकृत राजस्व में धीमी वृद्धि दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया सकल देनदारियों का घटक-वार विवरण **चार्ट 1.33** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.33 : वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

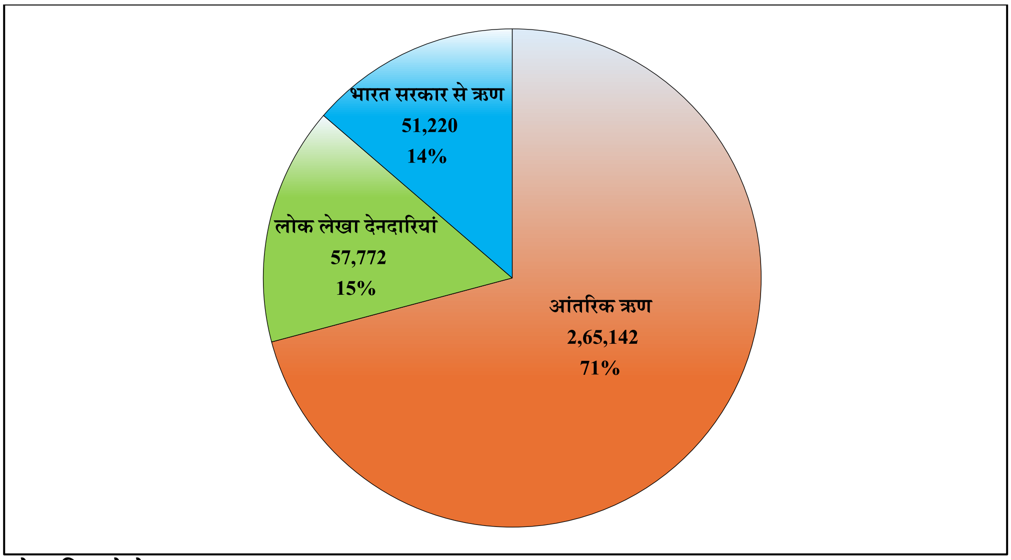

स्रोत: वित्त लेखे, 2024-25

चार्ट 1.34 पांच वर्षों की अवधि अर्थात 2020-25 के दौरान लिये गए आंतरिक ऋण एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.34: आंतरिक ऋण – प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान की तुलना

(₹ करोड़ में)

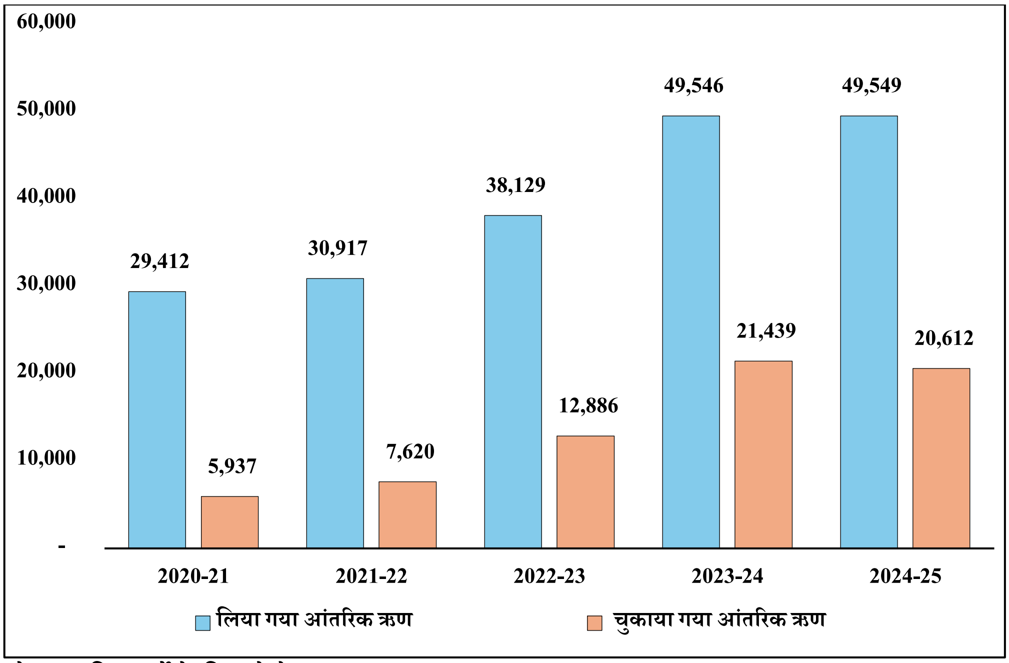

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 17,871.56 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिक ब्याज का भार बढ़ते हुए ऋण के भुगतान की बाध्यता को दर्शाता है, जिससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है, क्योंकि ब्याज भुगतान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का हिस्सा है। साथ ही, यदि राजस्व संग्रहण में वृद्धि या व्यय के

युक्तिकरण द्वारा इसकी भरपाई न की जाए, तो उच्च ब्याज भुगतान सीधे तौर पर उच्च राजकोषीय घाटे में भी योगदान करते हैं।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग और बकाया ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। **तालिका 1.30** और **चार्ट 1.35** क्रमशः, वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान, उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

तालिका 1.30: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	सकल उधारी *	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19	1,70,865.46
2	पूर्व की उधारी का पुनर्भुगतान (मूलधन)	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.48	1,21,645.34
3	निवल पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
4	निवल ऋण एवं अग्रिम	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93	2,338.08
5	निवल उधार निधियों से वित्तपोषित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	15,311.52	5,185.83	2,261.86	940.76	8,355.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** उधार का केवल मूलधन वाला मुख्य हिस्सा लिया गया है। चूँकि उधार के ब्याज वाले हिस्से को राज्य की राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।*

विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की कुल उधारियों में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में कुल उधारियों का चार से 14 प्रतिशत भाग राज्य के राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया गया। वर्ष 2024-25 में ₹ 8,355 करोड़ की उधार राशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया, जो वर्ष 2023-24 (₹ 941 करोड़) की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यद्यपि वर्ष 2024-25 में कुल उधारियों के सापेक्ष निवल पूंजीगत व्यय के प्रतिशत में विगत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, फिर भी सकल उधारियों का 71 प्रतिशत भाग पूर्व उधारियों के पुनर्भुगतान में व्यय किया गया, जिससे परिसंपत्ति सृजन के लिए राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित रही।

चार्ट 1.35: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

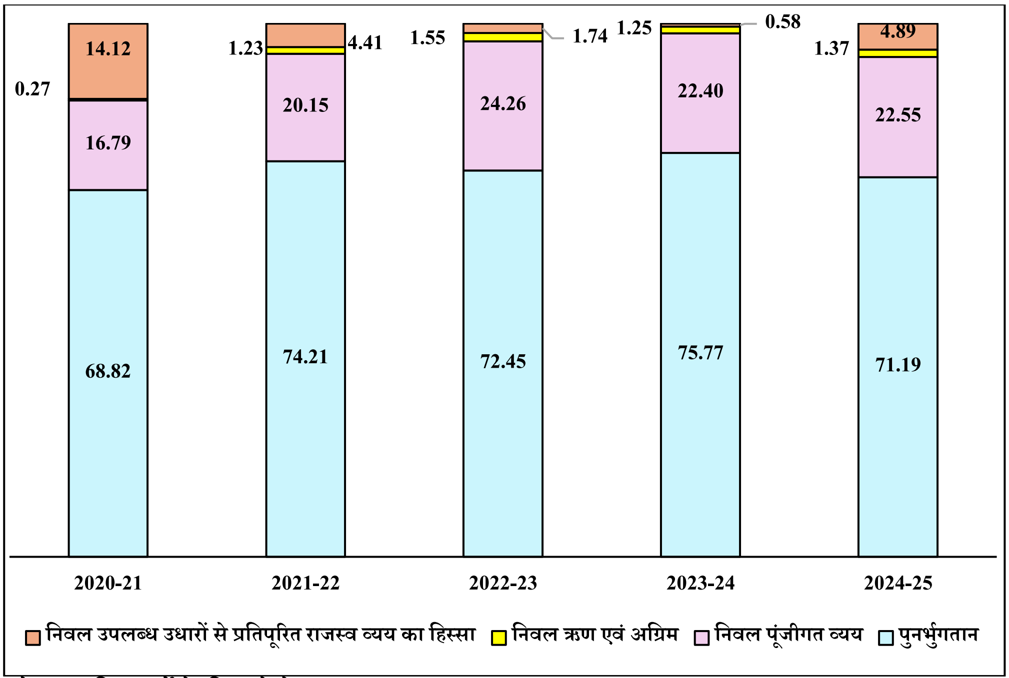

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि वर्ष 2024-25 में कुल उधारियों के सापेक्ष राज्य का निवल पूंजीगत व्यय प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है, तथापि राज्य की उधारियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय की पूर्ति में व्यय हो रहा है। इससे राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है तथा नियमित आवश्यकताओं के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। यह स्थिति दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयताको कमजोर करती है तथा अवसंरचना में निवेश की क्षमता को बाधित करती है।

1.5.1.3 ऋण संरचना: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋणों की परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान संरचना सरकार की ऋण अदायगी अथवा ऋण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता संरचना **चार्ट 1.36** में प्रदर्शित की गई है।

चार्ट 1.36: लोक ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा

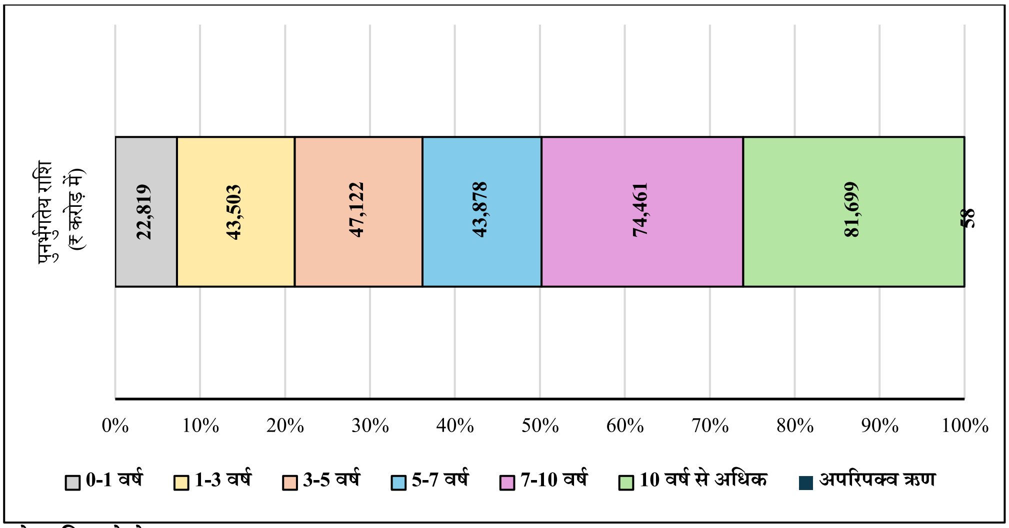

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25

बकाए ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ₹ 1,57,322 करोड़ (50.18 प्रतिशत), अगले सात वर्षों के अंदर देय है। इनमें से 37.5 प्रतिशत (₹ 1,13,444 करोड़) ऋण अगले पाँच वर्षों के अंदर परिपक्व हो जाएगा, जो अल्पावधि से मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण पुनर्वित्तीयन एवं पुनर्भुगतान जोखिम को दर्शाता है। अल्पावधि से मध्यावधि (0-7 वर्ष) में परिपक्व होने वाली देनदारियों की उच्च संकेंद्रण संभावित ऋण-समूहन का संकेत देता है, जिससे राज्य पर पुनर्वित्त एवं तरलता संबंधी दबाव बढ़ सकता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की संरचना

वर्ष 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के संरचना को **तालिका 1.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटा						
1	राजस्व अधिशेष/घाटा	-11,325.11	-422.38	-11,288.20	2,833.06	-357.38
2	निवल पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93	2,338.08
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की संरचना						
1	बाजार उधारी	24,684.91	24,517.46	27,700.00	30,142.94	31,123.00
2	भारत सरकार से ऋण	5,559.19	8,400.61	8,689.67	9,131.11	15,168.62
3	एन०एस०एस०एफ० को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	678.85	668.71	-568.87	-147.54	-297.74
5	लघु बचत, पी०एफ०, आदि	166.29	76.28	-124.77	-255.76	-513.06
6	प्रेषण	798.44	-7.53	0.00	-2.38	0.01
7	जमा एवं अग्रिम	4,260.96	-1,600.41	404.16	1,228.61	3,980.46
8	उचंत एवं विविध	-5,071.12	-4,386.46	9,161.01	-3,850.70	-7,757.41
9	आरक्षित निधि	351.80	140.42	1,585.11	1,222.72	1,647.20
10	**समग्र घाटा**	**29,540.97**	**25,920.73**	**44,957.96**	**35,580.65**	**41,462.62**
11	नकद शेष में (-)वृद्धि /(+)कमी	286.28	-369.45	-134.66	79.23	-240.12
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**29,827.25**	**25,551.28**	**44,823.30**	**35,659.88**	**41,222.50**
13.	ब्याज भुगतान	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
14.	**प्राथमिक घाटा**	**17,344**	**11,729**	**29,640**	**18,054**	**21,545**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,562.62 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'भारत सरकार से ऋण' तथा 'जमा एवं अग्रिम' में वृद्धि है। जबकि, वर्ष 2024-25 के दौरान 'ब्याज भुगतान' में वृद्धि के कारण राज्य का प्राथमिक घाटा 2024-25 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,491 करोड़ बढ़ गया।

1.5.2 लेखापरीक्षा उपरांत घाटे के संकेतक

वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा ₹ 357.38 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 0.04 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 41,222.50 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत) तथा प्राथमिक घाटा ₹ 21,544.36 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 2.17 प्रतिशत) था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राजस्व प्रकृति के ₹ 33.11 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया ***(कंडिका 2.5.5)***। इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि पर ब्याज का अल्प अंतरण, सिंगल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निधि का अंतरण न करना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, सड़क सुरक्षा उपकर तथा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से संबंधित निधियों का अंतरण न करना भी उस सीमा तक लेखापरीक्षा उपरांत घाटे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे।

इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा उस सीमा तक कम दर्शाए गए थे। लेखापरीक्षा उपरांत राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 2,500.81 करोड़ तथा ₹ 23,687.79 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत एवं 2.39 प्रतिशत) पाया गया।

1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006 और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुरूप यथा संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को जी०एस०डी०पी० की तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना तथा सुधार संबंधी मानकों की पूर्ति पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति देना; और

- बकाया ऋण के सापेक्ष जी०एस०डी०पी० अनुपात को 39.90 प्रतिशत से कम रखना।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों (लेखापरीक्षा उपरांत) का विवरण **तालिका 1.32** में दिया गया है।

तालिका 1.32: बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय संकेतक		एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल.	18,429	3,918	8,976	15,186	22,756
	उ.	-12,032.18 ✗	-2,792.85 ✗	-11,693.39 ✗	2,154.88 ✗	-2,500.81 ✗
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में) #	ल.	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.50
	उ.	-5.32 ✗	-4.60 ✗	-6.02 ✗	-4.15 ✗	-4.37 ✗
जी०एस०डी०पी० का कुल बकाया देनदारियों के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)	ल.	41.20	40.20	40.80	40.40	39.90
	उ.	40.01 ✓	39.78 ✓	38.43 ✓	37.04 ✓	37.72 ✓

राजकोषीय संकेतक		एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	ल.	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं				
	उ.	9.74	8.70	8.79	9.11	8.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

 # 0.5 प्रतिशत जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों और शर्तों के अधीन ऊर्जा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति शामिल है

नोट 1: ल.-लक्ष्य और उ.-उपलब्धि

नोट 2: '✓' प्राप्त लक्ष्य को दर्शाता है, '✗' लक्ष्य प्राप्त न होने को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अनुरूप राजस्व अधिशेष लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। राज्य का राजकोषीय घाटा भी बी०एफ०आर०बी०एम० के तहत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय और प्राथमिक घाटा अपने उच्चतम स्तर पर था, जो उस वर्ष में अधिक व्यय या उधारी को दर्शाता है। हालांकि, इसके बाद दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, हालांकि, राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, लेकिन विगत पांच वर्षों के दौरान यह प्रतिशत 8.7 और 9.7 प्रतिशत के बीच रहा। समग्र रूप से, वर्ष 2022-23 के पश्चात राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार देखा गया। लेखापरीक्षा उपरांत अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति का विश्लेषण **चार्ट 1.37** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.37: लेखापरीक्षा उपरांत अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(प्रतिशत में)

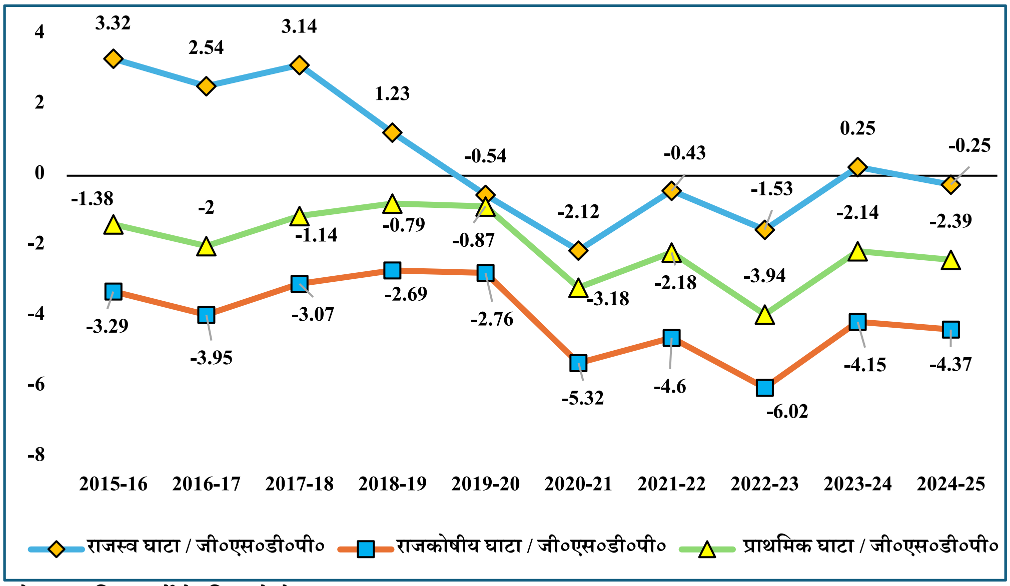

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना **चार्ट 1.38, चार्ट 1.39** एवं **चार्ट 1.40** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.38: राजस्व अधिशेष

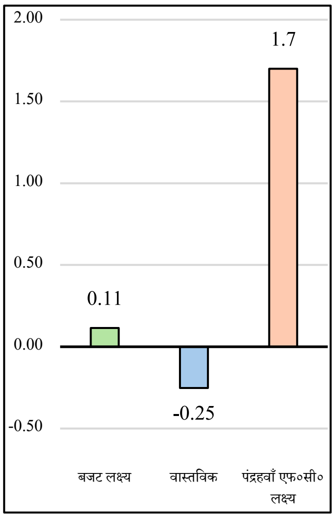

चार्ट 1.39: राजकोषीय घाटा

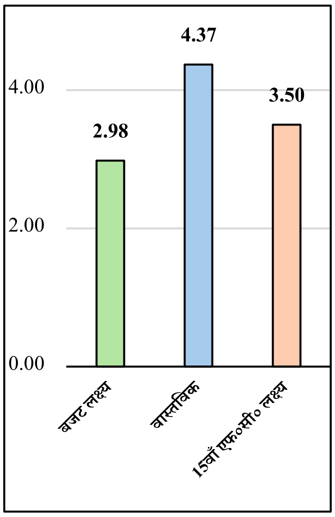

चार्ट 1.40: बकाया देयताएं (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में)

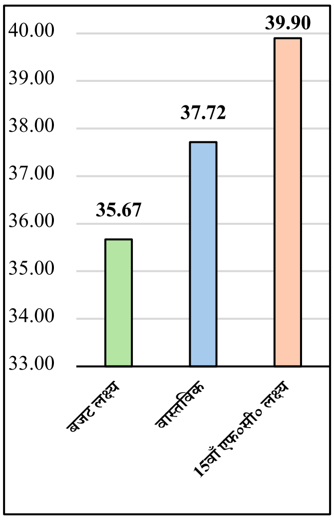

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार 0.5 प्रतिशत का लक्ष्य, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानकों एवं शर्तों के अधीन ऊर्जा क्षेत्र हेतु अतिरिक्त उधारी की अनुमति शामिल है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार राजस्व घाटा से जी०एस०डी०पी० और राजकोषीय घाटा से जी०एस०डी०पी० के अनुपात को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर नहीं रख पाई। कुल बकाया देयता से जी०एस०डी०पी० का अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्तरों के भीतर रहा, लेकिन बजटीय अनुमानों से अधिक था।

1.5.4 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व निर्वहन करने की क्षमता से है। ऋण संवहनीयता संकेतकों में परिवर्तन का विश्लेषण **तालिका 1.33** में दिया गया है।

तालिका 1.33: ऋण संवहनीयता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देनदारियाँ या समग्र ऋण	2,27,195.51	2,57,510.23	2,93,307.16	3,24,913.38	3,74,133.50
2	समग्र देनदारियाँ /ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.49	13.35	13.90	10.78	15.15
3	जी०एस०डी०पी० (सांकेतिक कीमतों पर)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
4	सांकेतिक जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर (प्रतिशत में)	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
5	समग्र ऋण/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	40.01	39.78	38.43	37.04	37.72
6	सकल उधारियों के सापेक्ष पुनर्भुगतान (प्रतिशत में)	80.33	85.97	84.14	86.59	82.71

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क	समग्र उधारियाँ (क्रम संख्या 1 में प्रदर्शित सकल ऋण से संबंधित मदों के अनुरूप)	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19	1,70,865.46
ख	उधारियों का पुनर्भुगतान (क्रम संख्या 1 में प्रदर्शित सकल ऋण से संबंधित मदों के अनुरूप, जिसमें मूलधन एवं ब्याज भुगतान शामिल हैं)	87,102.68	1,01,034.79	1,09,337.17	1,40,897.26	1,41,323.48
7	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	19.67	14.03	15.86	13.41	17.29
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	12,484.03	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
9	समग्र ऋण[13] पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
10	राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.74	8.70	8.79	9.11	8.99
11	निवेश पर प्रतिफल (आर०ओ०आई०)	0.84	0.65	0.50	13.29	0.09
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	-11,325.11	-422.38	-11,288.20	2,833.06	-357.38
13	प्राथमिक राजस्व शेष (8+12)	1,159.03	13,398.93	3,895.54	20,438.86	19,320.76
14	प्राथमिक शेष (पी०बी०)	-17,343.21	-11,729.34	-29,639.76	-18,054.08	-21,544.36
15	पी०बी०/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	-3.05	-1.81	-3.88	-2.06	-2.17
16	निवेश पर प्रतिफल[14] एवं समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर (11-9)	-6.37	-6.13	-5.90	6.87	-6.29
17	तरलता प्रबंधन (आर०बी०आई० के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	इंटरेस्ट स्प्रेड (प्रतिशत) (4-9)	-9.62	7.24	11.48	8.52	6.71
19	क्वांटम स्प्रेड[15] (इंटरेस्ट स्प्रेड *x* ऋण/100)	-18,080.45	15,887.73	29,306.75	24,035.56	22,259.36
20	ऋण सवहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक राजस्व शेष)	-35,423.67	4,158.40	-333.01	5,981.48	715.00
21	**डोमर गैप**					
क	जी०एस०डी०पी० (स्थिर मूल्यों पर)	3,68,970	3,87,256	4,36,909	4,89,126	5,31,372
ख	वास्तविक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)	-7.37	4.96	12.82	11.95	8.64

13 समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, ब्याज रहित जमाराशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त केन्द्रीय सहायता को समायोजित करने के पश्चात की गई है।
प्रभावी ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ ऋण की प्रारंभिक एवं अंतिम शेष राशि का औसत x(बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर) x 100.

14 निवेश पर प्रतिफल को ब्याज प्राप्तियों की प्रभावी दर के रूप में मापा जाता है।
निवेश पर प्रतिफल = ब्याज प्राप्तियाँ / (वितरित ऋण एवं अग्रिमों की प्रारंभिक एवं समापन शेष राशि का औसत) x 100

15 क्वांटम स्प्रेड = इंटरेस्ट स्प्रेड x ऋण (ब्याज रहित देनदारियों को छोड़कर)।

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ग	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	6.59	4.67	5.72	5.83	6.04
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
ङ	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर – मुद्रास्फीति)	0.62	2.11	0.68	0.69	0.34
च	वृद्धि एवं ब्याज का अंतर (वास्तविक वृद्धि दर – वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-7.99	2.85	12.14	11.36	8.30
छ	प्राथमिक शेष (पी०बी०)	(-)17343.21	(-)11729.34	(-)29639.76	(-)18054.08	(-)21544.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं जी०एस०डी०पी० के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: ***वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल देनदारियों में ₹ 3,905.00 करोड़ एवं इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की कमी की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।***

ऋण संवहनीयता विश्लेषण दर्शाता है कि राज्य का ऋण भार, जिसे ऋण-जी०एस०डी०पी० अनुपात से मापा जाता है, वर्ष 2020-21 के 40.01 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 37.04 प्रतिशत हो गया, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। हालांकि, वर्ष 2024-25 में मामूली वृद्धि होकर यह 37.72 प्रतिशत हो गया। वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि – वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) इस अवधि में (वर्ष 2024-25 को छोड़कर) सुधरा। तथापि, वर्ष 2024-25 में वृद्धि ब्याज से अंतर में कमी, प्राथमिक संतुलन में गिरावट तथा ऋण वृद्धि का सांकेतिक वृद्धि दर से अधिक होने के कारण, ऋण से जी०एस०डी०पी० के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई।

सकल उधारियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध निधियाँ कम रहीं, क्योंकि उधारियों का एक बड़ा हिस्सा पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान में व्यय हुआ, जिससे पूंजीगत व्यय या नई प्राथमिकताओं के लिए अपेक्षाकृत कम राजकोषीय उपलब्धता रही, जब तक कि उच्च राजस्व द्वारा इसका समर्थन न किया जाए।

ऋण की संवहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष) में विगत वर्षों के दौरान अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई, जो यह संकेत देती है की प्राथमिक अधिशेष के माध्यम से कुल ऋण के स्तर को स्थिर रखने या कम करने की दिशा में कोई सतत् प्रयास नहीं हुआ।

निष्कर्षतः, विगत चार वर्षों में राज्य का ऋण से जी०एस०डी०पी० का अनुपात महामारी के समय के स्तर से नीचे बना रहा। यदि राज्य ऋण वृद्धि की गति को सांकेतिक आर्थिक वृद्धि की गति से धीमा रखे, तो यह अनुपात घट सकता है अथवा स्थिर रह सकता है। वृद्धि एवं ब्याज का अंतर तथा प्राथमिक अधिशेष में निरंतर सुधार से राज्य अपने ऋण संरचना का प्रबंधन इस प्रकार कर सकेगा कि राजकोषीय समायोजन का आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1.5.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देनदारियाँ

प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता द्वारा चूक (डिफॉल्ट) की स्थिति में संचित निधि पर संभावित देनदारियाँ (आकस्मिक देनदारियाँ) होती हैं। राज्य सरकार वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं जैसी निकायों लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना करनी थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान करना था। इस निधि में संचित राशि का उपयोग केवल उन ऋणों के विरुद्ध जारी प्रत्याभूतियों के भुगतान हेतु किया जाना है, जिनका भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया हो। राज्य सरकार प्रत्याभूति मोचन निधि में निवेशित अतिरिक्त निधियों के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा भी प्राप्त कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 25,256.75 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण तथा बकाया प्रत्याभूतियों का राज्य की सकल प्राप्तियों के सापेक्ष स्थिति **तालिका 1.34** में दी गई है।

तालिका 1.34 : राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया प्रत्याभूतियों की राशि पर लागू अधिकतम सीमा	25,113.74	37,631.92	40,897.18	51,682.79	51,682.79
वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	5,484.55	16,407.71	25,069.78	25,939.25	28,040.95
वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	16,407.71	25,069.78	25,939.25	28,040.95	24,370.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2025 तक ₹ 24,370.83 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्य रूप से ऊर्जा प्रक्षेत्र (₹ 15,606.23 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 1,660.61 करोड़), और राज्य वित्त कंपनियों/निगमों (₹ 7,103.99 करोड़) से संबंधित थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने ₹ 31,036.15 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ दी, जो बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित सीमा (₹ 25,256.75 करोड़) से काफी अधिक थी।

राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2025 को प्रत्याभूति की सीमा और वसूली जाने वाली प्रत्याभूति शुल्क तय करने के साथ-साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया। सरकार ने इस नवनिर्मित फंड में ₹ 1,000 करोड़ अंतरित किए थे।

प्रत्याभूतियाँ, गैर-बजट आकस्मिक देनदारियाँ होती हैं; यदि लाभार्थी चूक करता है, तो राज्य को प्रत्याभूति का निर्वहन करना पड़ता है, जिससे संभावित देनदारी वास्तविक ऋण में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्याभूतियों की राशि जितनी बड़ी होगी, भुगतान में चूक की स्थिति में उतना ही अधिक राजकोषीय आघात उत्पन्न हो सकता है। उच्च प्रत्याभूति दायित्व राज्य की नई उधारी लेने की क्षमता को सीमित कर सकता है तथा उधारी की लागत को भी बढ़ा सकता है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता की दिशा में उपाय

राजस्व में वृद्धि और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे को कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कर के अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर के आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करना और

निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के मामले में, सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करना, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देने और पारदर्शी और कुशल उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय दबाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को सतत् रूप से कम करने में सहायक होते हैं। इन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता का प्रभावी दोहन राजकोषीय संसाधनों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है तथा ऋण पर निर्भरता को कम कर सकता है। राज्य जी०एस०टी०, मुद्रांक शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों में मूल्यांकन की अप्रभाविता, निम्न मूल्यांकन तथा सीमित प्रवर्तन तंत्र राजस्व में संभावित वृद्धि को न्यून करते हैं। गैर-कर राजस्व की कम वसूली, निम्न उपयोगकर्ता शुल्क, लागत वसूली की कमी तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिफल भी राजकोषीय संसाधनों को सीमित करते हैं। लंबित बकायों (कर एवं गैर-कर) की समय पर वसूली भी राजकोषीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क बकाया राजस्व

सरकार को प्राप्य राजस्व संग्रहण का बकाया होना विलम्ब से राजस्व की वसूली को दर्शाता है। ऐसे अनिर्णीत बकाया प्रभावी राजस्व अंतर्प्रवाह को कम करते हैं, उधारी पर निर्भरता बढ़ाते हैं तथा आकस्मिक राजकोषीय जोखिम उत्पन्न करते हैं। राज्य के सात प्रमुख कर-संग्रह विभागों[16] में से केवल पाँच विभागों ने राजस्व बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। 31 मार्च 2025 तक, मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,107.32 करोड़ का बकाया राजस्व वसूली हेतु लंबित था, जैसा कि **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 को बकाया राशि
1	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	68.81
2	राज्य उत्पाद	59.73
3	भू-राजस्व	1,120.48
4	वैट/जी०एस०टी०	2,632.44
5	वाहनों पर कर	225.86
	कुल	**4,107.32**

स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

राजस्व बकाया के कारणों में न्यायालयों/अपील प्राधिकरणों द्वारा वसूली पर स्थगनादेश, करदाताओं/ व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण वसूली लंबित रहना आदि शामिल पाए गए।

ख मूल्यांकन में बकाया

मूल्यांकन में बकाया उस संभावित राजस्व को दर्शाता है, जो राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा विलंबित आकलन के कारण अवरुद्ध रहता है। सात प्रमुख कर-संग्रह विभागों में से केवल चार विभागों ने बकाया

[16] *वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन), मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।*

आकलन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान आकलन हेतु देय हुए प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप से लंबित प्रकरणों की संख्या संबंधी जानकारी, उत्पाद विभाग तथा कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में उपलब्ध कराई गई है, जिसका विवरण **तालिका 1.36** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: मूल्यांकन का बकाया

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	2024-25 की शुरुआत में लंबित मामले	2024-25 के दौरान जोड़े गए नए मामले	मूल्यांकन के लिए योग्य मामलों की कुल संख्या	2024-25 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1	उत्पाद	506	0	506	6	500	1.18
2	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	2,332	942	3,274	375	2,899	11.45
3	वैट/जी०एस०टी०	23,186	12,120	35,306	14,182	21,124	40.17
4	वाहनों पर कर	32,018	853	32,871	3,212	29,659	9.77
कुल		**58,042**	**13,915**	**71,957**	**17,775**	**54,182**	

स्रोत: बिहार सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कर आकलन में बढ़ता पिछला बकाया राजस्व प्राप्ति को कम करता है, विधिक जोखिम को बढ़ाता है तथा राजकोषीय पूर्वानुमान को कमजोर करता है।

ग विभाग द्वारा कर अपवंचन की पहचान, प्रतिदाय मामलों आदि का विवरण

कर अपवंचन के पहचाने गए प्रकरण, निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा अतिरिक्त कर की उठाई गई मांगें राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा पहचाने गए कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर की मांगों का विवरण, संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, **तालिका 1.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: कर अपवंचन की पहचान

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को लंबित मामले	2024-25 के दौरान सामने आए मामले	मूल्यांकन के लिए कुल मामले	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और जुर्माने के साथ अतिरिक्त मांग आदि उठाई गई है		वर्ष के अंत में शेष मामले	निस्तारण का प्रतिशत
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)		
1	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	684	201	885	259	5.74	626	29.27
2	राज्य उत्पाद	178	0	178	110	4.23	68	61.80
3	वैट/ जी०एस०टी०	68	3,323	3,391	3,270	1,853.57	121	96.43
कुल		**930**	**3,524**	**4,454**	**3,639**	**1,863.54**	**815**	**81.70**

स्रोत: बिहार सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

1.5.6.2 व्यय से संबंधित मुद्दे

राजकोषीय संसाधनों पर अपरिशोधित देनदारियों का प्रभाव

अपरिशोधित/आस्थगित देनदारियाँ यदि समय पर न निपटाई जाएँ, तो भविष्य में विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों को कम कर देती हैं। पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त, ये राज्य की संसाधन जुटाने की सतत् क्षमता को भी प्रभावित करती हैं, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कई अपरिशोधित देनदारियाँ संचित कर ली हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (₹ 3.95 करोड़), भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 211.12 करोड़), सड़क सुरक्षा उपकर (₹ 205.41 करोड़) जैसे ₹ 420.48 करोड़ की सांविधिक निधियों/उपकरों का अंतरण न होना।

- कुल ₹ 300.83 करोड़[17] की अपरिशोधित ब्याज देनदारियां।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में राज्य सरकार के अंशदान ₹ 1,341.37 करोड़ का अल्पांतरण/अनंतरण

- ₹ 77.14 करोड़ की राशि के करों के प्रतिदाय के लंबित मामले।

इन अपरिशोधित देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 2,139.82 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के जी०एस०डी०पी० का 0.21 प्रतिशत तथा उसी वर्ष के राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत के समतुल्य है।

1.6 निष्कर्ष

- यद्यपि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ जी०एस०डी०पी० की वृद्धि के अनुरूप रहीं, तथापि स्वयं के संसाधनों के संग्रहण में मध्यम स्तर का उछाल देखा गया। राज्य की संघीय करों पर निर्भरता निरंतर बनी रही। ऐसी संरचनात्मक निर्भरता ने राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं को अपने संसाधनों से वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित किया तथा राजकोषीय संवेदनशीलता को बढ़ाया।

- वर्ष 2024-25 में राज्य के गैर-कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० में हिस्सा केवल 0.58 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2023-24 (0.60 प्रतिशत) की तुलना में कम था। साथ ही, वर्ष 2024-25 में पंद्रहवें वित्त आयोग एवं बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गैर-कर राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

- वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का 43 से 48 प्रतिशत भाग रहा। उच्च एवं अनम्य व्यय ने राजकोषीय संसाधनों को संकुचित किया, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं हेतु संसाधन आवंटन की क्षमता सीमित हुई।

---

[17] *राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि: ₹ 13.21 करोड़, राज्य आपदा मोचन निधि : ₹ 219.96 करोड़, राज्य आपदा शमन निधि: ₹ 67.66 करोड़।*

- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में राज्य सरकार बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, तथापि विगत दो वर्षों में इसकी स्थिति में सुधार देखा गया। वर्ष 2020-25 के दौरान सकल उधारियों का 80 प्रतिशत से अधिक भाग ऋण शोधन एवं राजस्व व्यय के वित्तपोषण में व्यय हुआ, जिससे निवल पूंजीगत सृजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता सीमित रही।

- राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तथापि यह प्रतिशत 8.7 से 9.7 के बीच रहा।

- 2020-25 के दौरान सकल बकाया देनदारियों का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात 37.04 प्रतिशत से 40.10 प्रतिशत के बीच रहा। यह अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अंदर था।

- वर्ष 2024-25 में अपरिशोधित देनदारियाँ (बकाया, अप्रदत्त देयताएँ, लंबित प्रतिबद्ध भुगतान) ₹ 2,139.82 करोड़ थीं, जो राज्य के राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत विलंबित व्यय को दर्शाती है।

- वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 31,036.15 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ प्रदान कीं, जो एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित सीमा (₹ 25,256.75 करोड़) से अधिक थीं। उच्च प्रत्याभूति दायित्व राज्य की नई उधारी लेने की क्षमता को सीमित कर सकता है तथा उधारी की लागत को बढ़ा सकता है।

- राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई लाभांश नीति निर्धारित नहीं की है। वर्ष 2021-25 के दौरान सरकार की इक्विटी पर प्रतिफल लगातार अत्यंत न्यून (0.002 प्रतिशत) रहा।

1.7 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- सार्वजनिक उपक्रमों की लाभप्रदता बढ़ाकर, युक्तिसंगत उपयोगकर्ता शुल्क लागू कर, रॉयल्टी एवं शुल्क संग्रह तंत्र में सुधार कर तथा राजस्व प्रशासन का डिजिटलीकरण कर गैर-कर राजस्व में वृद्धि कर सकती है।

- कर प्रशासन को सशक्त बनाने, कर के आधार का विस्तार करने, जी०एस०टी० एवं संपत्ति कर अनुपालन में सुधार करने तथा कुशल निगरानी एवं संग्रह हेतु डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करने पर बल दे सकती है।

- सब्सिडी के युक्तिकरण एवं प्रतिबद्ध व्यय के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना तथा सतत् राजकोषीय संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है।

- पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता और प्राथमिकता को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना क्षेत्रों में आवंटन बढ़ा सकती है, व्ययों के गलत वर्गीकरण से बच सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास की गति के अनुरूप बना रहे।

- लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु लाभांश नीति लागू कर, अलाभकारी इकाइयों में विनिवेश तथा ऋण एवं अग्रिमों की प्रभावी निगरानी कर सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में सुधार तथा वित्तीय अनुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है।

- परिसंपत्ति सृजन पर केंद्रित अनुशासित ऋण रणनीति, राजस्व संकलन को सुदृढ़ करना, प्रतिबद्ध व्यय पर नियंत्रण रखना तथा बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।

- प्रत्याभूतियों के निर्गमन पर एक युक्तिसंगत सीमा निर्धारित की जाए, क्योंकि उनके मांग किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार पर महत्वपूर्ण राजकोषीय दबाव उत्पन्न हो सकता है।

- सभी अपरिशोधित देनदारियों का पारदर्शी प्रकटीकरण तथा उनके समयबद्ध निपटान हेतु प्रावधान सुनिश्चित कर सकती है, ताकि भविष्य में राजकोषीय दबाव से बचा जा सके।

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय बिहार की बजटीय प्रक्रिया, बजट अनुमानों, संशोधित बजट, कुल बजट और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर के प्रकटीकरण के साथ-साथ बढ़े हुए बजट, अतिरिक्त व्यय, बड़ी बचत, सतत् बचत और निर्धारित समय सीमा के पश्चात् बजट के अभ्यर्पण जैसे मुद्दे की समीक्षा करता है। यह बजटीय आयोजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमियों पर प्रकाश डालते हुए, यथार्थवादी बजट और समय पर निधियों के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है। इस अध्याय में जेंडर, बाल कल्याण, हरित और परिणाम बजट जैसी प्रथाओं का भी विश्लेषण किया गया है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस वर्ष के लिए राज्य की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, अर्थात बजट, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत 'भारित'[1] और 'दत्तमत'[2] श्रेणी में तैयार किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य (बिहार) की संचित निधि से कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बिहार बजट मैनुअल के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। योजना और विकास विभाग (पी०डी०डी०), बिहार सरकार, वित्त विभाग के मार्गदर्शन में राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

बजट अनुमानों का उद्देश्य, वित्त वर्ष के लिए सभी अनुमानित व्ययों को निधियों के उपलब्ध संसाधनों से प्रबंधित करना है। बिहार बजट मैनुअल (बी०बी०एम०) 2016 के प्रावधानों के अनुसार मूल बजट में शामिल नहीं किए गए नए या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता वाली अप्रत्याशित स्थितियों को अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यदि विधायी अनुमोदन से पहले तत्काल व्यय की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत कर सकता है।

राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं:

• बजट भाषण	• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
• एफ०आर०बी०एम० अधिनियम वक्तव्य	• राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत अनुमान
• अनुदान की विस्तृत मांगें	• मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना
• अनुदान मांगों का सारांश	• अन्य

स्रोत: बिहार बजट मैनुअल 2016 और बिहार सरकार का वार्षिक बजट

[1] भारित व्ययः व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी, आदि), राज्य की संचित निधि पर शुल्क भारित करता हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है।

[2] दत्तमत व्ययः अन्य सभी व्यय के लिए विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर

संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, कर व्यवस्था/अन्य प्राप्तियों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सतत् बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

बिहार सरकार के बजट को 45 विभागों के व्यय प्रबंधन के लिए 52 अनुदानों (45 अनुदान और सात[3] विनियोग) में विभाजित किया गया है। राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

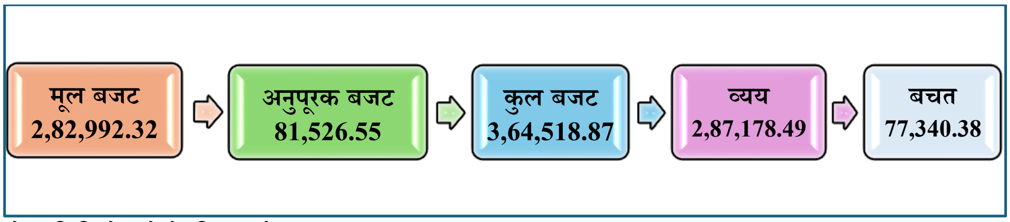

स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त वर्ष 2024-25

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							कुल राशि	बचत का प्रतिशत
दत्तमत	राजस्व	2,07,343.48	62,197.83	2,69,541.31	2,00,800.52	68,740.79	8,075.36	11.75
	पूंजीगत	29,415.91	17,909.30	47,325.21	40,135.23	7,189.98	2,269.47	31.56
	ऋण एवं अग्रिम	1,240.09	1,281.23	2,521.33	2,453.38	67.94	43.27	63.69
	कुल	**2,37,999.49**	**81,388.37**	**3,19,387.86**	**2,43,391.13**	**75,996.73**	**10,388.09**	**13.67**
भारित	राजस्व	22,600.12	138.19	22,738.29*	21,843.71	894.60	0.25	0.03
	पूंजीगत	-	-	-	-	-	-	-
	लोक ऋण- पुनर्भुगतान	22,392.72	-	22,392.72	21,943.67	449.05	-	-
	कुल	**44,992.84**	**138.19**	**45,131.01**	**43,787.38**	**1,343.65**	**0.25**	**0.02**
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	-	-	-
महायोग		**2,82,992.32**	**81,526.55**	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**10,388.35**	**13.43**

स्रोत: 2024-25 के विनियोग लेखे

** राशि को ₹ 0.01 करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है*

नोट: ऊपर व्यय के सकल आंकड़े दर्शाए गए हैं जिसमे राजस्व शीर्षों (₹ 2,543.23 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 1,353.02 करोड़) के तहत वापस प्राप्त राशि को व्यय में कटौती के रूप में समायोजित नहीं किया गया है

[3] *अनुदान संख्या 05: राज्यपाल सचिवालय, 07: निगरानी, 13: ब्याज भुगतान, 14: ऋण का पुनर्भुगतान, 15: पेंशन, 28: उच्च न्यायालय, 32: विधानमंडल, 34: बिहार लोक सेवा आयोग।*

तालिका 2.1 में यह देखा जा सकता है कि परिसंपत्तियों के निर्माण पर केवल ₹ 40,135.23 करोड़ (62.19 प्रतिशत) का व्यय किया गया था, जबकि कुल पूंजीगत व्यय ₹ 64,532.28 करोड़ में से ₹ 21,943.67 करोड़ (34 प्रतिशत) का व्यय ऋणों के पुनर्भुगतान पर किया गया था। परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय, कुल व्यय का केवल 13.98 प्रतिशत था।

मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए प्रवृति **तालिका 2.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.2: मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय में प्रवृति के साथ-साथ विगत पांच वर्षों के महत्वपूर्ण आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट (बीई)	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
अनुपूरक बजट	33,761.12	47,094.17	63,995.25	64,344.72	81,526.55
कुल बजट (टीबी)	**2,45,522.62**	**2,65,396.87**	**3,01,686.46**	**3,26,230.12**	**3,64,518.87**
संशोधित अनुमान (आरई)	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83	3,14,950.54	3,54,084.11
वास्तविक व्यय (एई)	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
बचत	**77,607.22**	**71,194.67**	**66,509.62**	**65,512.05**	**77,340.38**
मूल बजट से अनुपूरक बजट का प्रतिशत	15.94	21.57	26.92	24.57	28.81
समग्र बचत/आधिक्य का समग्र बजट से प्रतिशत	31.61	26.83	22.05	20.08	21.22
कुल बजट – संशोधित अनुमान	15,805.71	6,764.35	11,951.63	11,279.58	10,434.77
संशोधित अनुमान – वास्तविक व्यय	61,801.51	64,430.32	54,557.99	54,232.47	66,905.62
मूल बजट बनाम वास्तविक व्यय	79.29	88.96	98.94	99.55	101.48
(कुल बजट – संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	6.44	2.55	3.96	3.46	2.86
(संशोधित अनुमान – वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	25.17	24.28	18.08	16.62	18.35

स्रोत: विनियोग लेखे एवं राज्य सरकार का बजट

जैसा कि ऊपर तालिका में देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, राज्य के मूल बजट (बजट अनुमान) को बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान करके बढ़ाया गया था जो मूल बजट के 15.94 प्रतिशत से 28.81 प्रतिशत तक था। 2024-25 के दौरान, यद्यपि अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट अनुमान में 28.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में मूल बजट से केवल 1.48 प्रतिशत अधिक रहा। इसके अलावा, यद्यपि 2020-21 से 2023-24 के दौरान अनुपूरक बजट प्रदान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय मूल बजट से भी कम रहा।

विगत पांच वर्षों में मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.2** में प्रदर्शित गई है।

चार्ट 2.2 मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय के रुझान

(₹ करोड़ में)

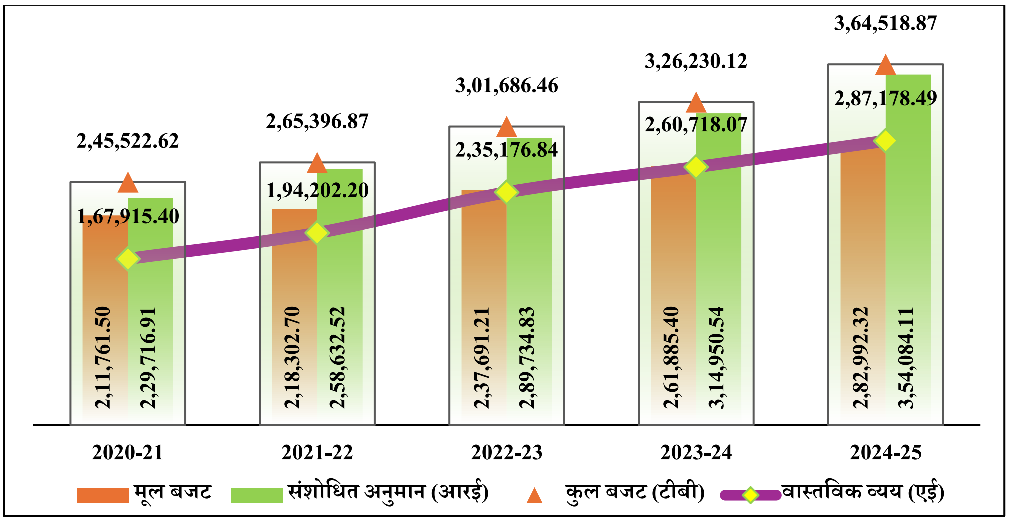

स्रोत: विनियोग लेखे एवं राज्य सरकार का बजट

चार्ट 2.2 से यह देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान, मूल बजट और कुल बजट के बीच 15.94 से 28.81 प्रतिशत तक का अंतर था, जिससे पता चलता है कि आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करते समय विगत वर्षों के दौरान व्यय के रुझानों पर विचार नहीं किया गया था। बजट अनुमानों, कुल बजट, व्यय और संशोधित अनुमानों के बीच इस निरंतर भिन्नता से बचने के लिए, अधिक यथार्थवादी बजट अनुमान के अभ्यास और बेहतर वित्तीय योजना की आवश्यकता थी।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा वार विश्लेषण

राज्य के बजट में विभिन्न घटक जैसे प्रतिबद्ध और स्थापना व्यय, राज्य योजनाओं (एस०एस०), केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी०एस०एस०), केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी०ए०एस०)[4]और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई०ए०पी०) के लिए योजनावार पृथक बजट शामिल थे।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय के घटकवार संक्षिप्त विश्लेषण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटकवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बचत	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	(7=3/2*100)
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय*	2,07,036.42	1,71,736.42	35,299.99	56.80	59.80	82.95
राज्य योजनाएं	71,499.57	60,886.90	10,612.67	19.61	21.20	85.16
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रांश	46,673.26	22,757.09	23,916.17	12.80	7.92	48.76

[4] *केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं को बिहार में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।*

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बचत	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	(7=3/2*100)
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यांश	35,816.24	28,408.63	7,407.62	9.83	9.89	79.32
केन्द्रीय क्षेत्र योजना	25.38	6.25	19.13	0.01	0.00	24.63
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	3,468.00	3,383.20	84.80	0.95	1.18	97.55
कुल	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**100.00**	**100.00**	**78.78**

***स्रोत:** वार्षिक वित्तीय विवरण और विस्तृत विनियोग लेखे*

** इसमें 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुदान शामिल हैं*

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, बजट प्रावधान की तुलना में किए गए व्यय का प्रतिशत सी०ए०एस० योजनाओं (24.63 प्रतिशत) और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश घटक (48.76 प्रतिशत) के मामले में विशेष रूप से कम था। केन्द्रांश एवं राज्यांश के पूर्व निर्धारित अनुपात के बावजूद, इन योजनाओं में केन्द्रांश में बचत राज्यांश (20.68 प्रतिशत) के बचत से तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक (51.24 प्रतिशत तक) थी। उदाहरण के लिए, मध्याह्न भोजन (पी०एम० पोषण) और समग्र शिक्षा अभियान में केन्द्रांश के तहत कुल बजट की तुलना में बचत का प्रतिशत क्रमशः 38.39 और 57.85 प्रतिशत था।

कुल बजट का केवल 78.78 प्रतिशत तक व्यय, योजना और क्रियान्वयन की कमियों के कारण यथोचित परिणामों की प्राप्ति नहीं होने का संकेत देता है।

बजट के निष्पादन से विचलन पर स्पष्टीकरण का अप्रस्तुतीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे (उप शीर्ष स्तर पर) पर टिप्पणियों के लिए अपनाए गए मानदंड, जैसा कि लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है, **तालिका 2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.4: विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड

क्रम संख्या	अनुदान-वार बजट प्रावधान	बचत (-) / आधिक्य (+)	उप-शीर्ष वार मानदंड
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप-शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या 3 में दर्शायी गयी राशि या उप-शीर्ष वार प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	

***स्रोत:** वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे*

वर्ष के लिए व्यय के आंकड़ों के संकलन के बाद, सभी अनुदान नियंत्रण अधिकारियों को राज्य के विनियोग लेखे में शामिल करने के लिए बचत या आधिक्य के कारण देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को संज्ञान में रखते हुए,

अनुमोदित बजटीय आवंटन से व्यय में भिन्नता के सन्दर्भ में कारणों/स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए, विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को मसौदा विनियोग लेखे उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, विस्तृत विनियोग लेखे में शामिल सभी उप-शीर्षों में ₹ 77,340.38 करोड़ की कुल बचत पाई गई। इसमें से, 1,909 उप-शीर्षों में ₹ 67,991.58 करोड़ की भिन्नताओं के लिए राज्य सरकार/ विभागों/मुख्य नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। विनियोग लेखे में उप-शीर्ष स्तर पर प्राप्त/प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित स्पष्टीकरणों की स्थिति **चार्ट 2.3** दर्शाई गयी है।

चार्ट 2.3: विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए प्राप्त स्पष्टीकरण का सारांश

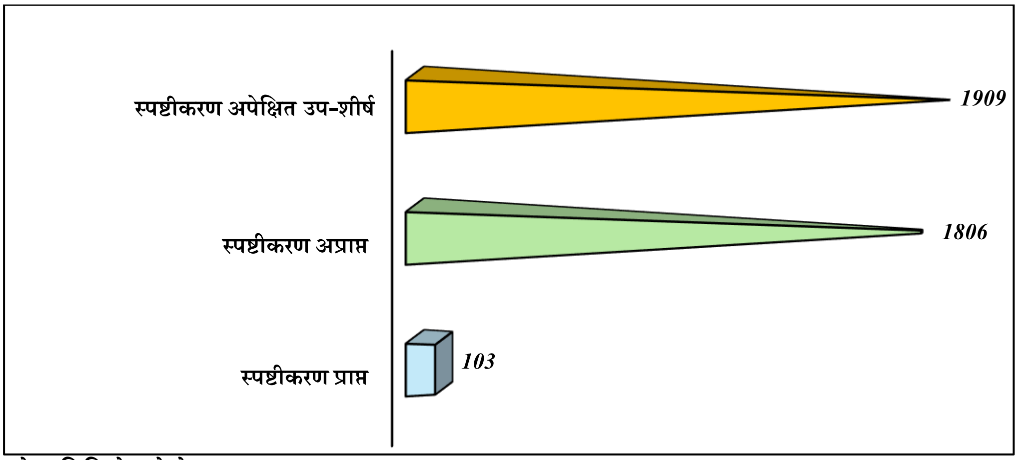

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

चार्ट 2.3 यह दर्शाता है कि ₹ 60,452.46 करोड़ की बचत वाले 1,806 उप-शीर्षों (95 प्रतिशत) में भिन्नता (बचत/आधिक्य) के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इस प्रकार, विनियोग लेखे ने विधायिका द्वारा प्रदान किए गए बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में सरकार की बाधाओं को स्पष्ट नहीं किया।

2.3 बजट कार्यकुशलता

2.3.1 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों के पुनर्विनियोजन ने व्यय संरचना से भिन्नता को किस स्तर तक प्रभावित किया है।

बिहार में अनुपूरक बजट प्रावधानों के माध्यम से बजटीय आवंटनों में वृद्धि की गई थी।

अनुदानों में बचत और आधिक्य का वर्ष-वार विश्लेषण, बजट आयोजना और उसके निष्पादन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में राज्य द्वारा कुशल प्रबंधन की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों में अनुदान स्तर पर बचत और आधिक्य की प्रवृति **चार्ट 2.4** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.4: विगत पांच वर्षों में अनुदानों के अंतर्गत बचत और आधिक्य की प्रवृति

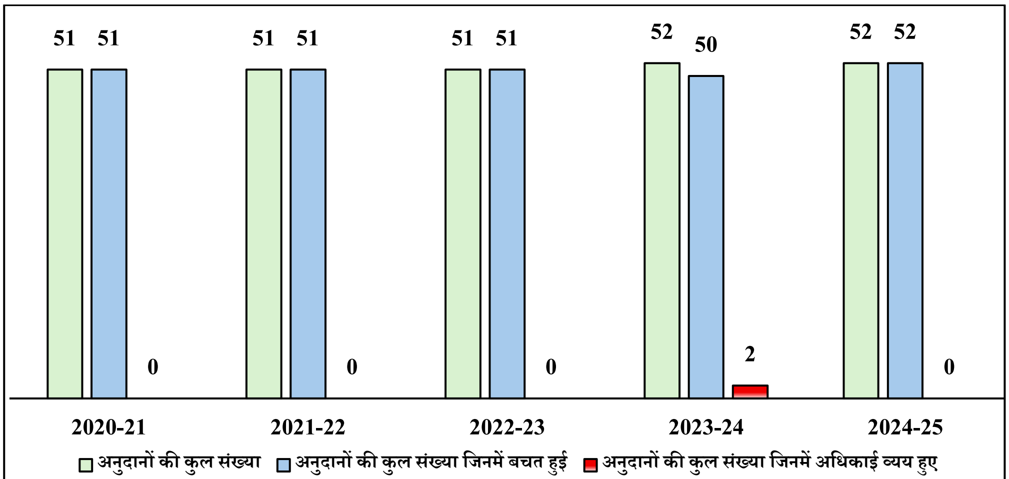

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.4** से देखा जा सकता है, राज्य के सभी अनुदानों (2023-24 को छोड़कर) में बचत हुई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, बजटीय प्रावधानों की तुलना में दो अनुदानों में अधिक व्यय देखा गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट (टीबी) की तुलना में राजस्व/पूंजीगत-दत्तमत/भारित खंडों में व्यय उत्पादकता की संरचना को **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वित्त वर्ष 2024-25 की व्यय उत्पादकता की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		कुल बजट	व्यय	विचलन (-) कुल बजट – व्यय	प्रतिशत विचलन (-) बनाम कुल बजट
राजस्व	दत्तमत	2,69,541.31	2,00,800.52	68,740.79	25.50
	भारित	22,738.30	21,845.69	892.61	3.93
पूंजीगत	दत्तमत	49,846.54	42,588.61	7,257.93	14.56
	भारित	22,392.72	21,943.67	449.05	2.01
कुल		**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**21.22**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

वित्त वर्ष 2024-25 में अनुदान स्तर पर प्रतिशतवार व्यय संरचना की विचलन को **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय संरचना समग्र विचलन

(प्रतिशत में)

समग्र विचलन	विचलन की सीमा	अनुदानों की संख्या
राजस्व		
दत्तमत: (-) 22.36	0 से ± 25	26
	± 25 से ± 50	16
	± 50 से ± 100	5
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	5
अनुदानों की संख्या		**52**

समग्र विचलन	विचलन की सीमा	अनुदानों की संख्या
भारित: (-) 9.80	0 से ± 25	7
	± 25 से ± 50	1
	± 50 से ± 100	0
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	44
अनुदानों की संख्या		**52**
राजस्व दत्तमत खंड के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 5, 13, 14, 28 और 34) और राजस्व भारित खंड के 44 अनुदानों (अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, और 52) में कोई प्रावधान नहीं किया गया था		
पूंजीगत		
दत्तमत: (-) 16.89	0 से ± 25	19
	± 25 से ± 50	6
	± 50 से ± 100	9
	≥100	1
	कोई प्रावधान नहीं	17
अनुदानों की संख्या		**52**
भारित: (-) 0.01	0 से ± 25	1
	± 25 से ± 50	0
	± 50 से ± 100	0
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	51
अनुदानों की संख्या		**52**
पूंजीगत दत्तमत खंड के 17 अनुदानों (अनुदान संख्या 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 45 और 52) और पूंजीगत भारित खंड के 51 अनुदानों (अनुदान संख्या 4 को छोड़कर) में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।		

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे के साथ अनुदान मांगें, 2024-25

तालिका 2.5 यह दिखाती है कि कुल विचलन की राशि ₹ 77,340.38 करोड़ में से 88.88 प्रतिशत (₹ 68,740.79 करोड़) का प्रमुख विचलन व्यय के राजस्व-दत्तमत खंड में था। **तालिका 2.6** यह दिखाती है कि राजस्व-दत्तमत में कुल विचलन में से, 16 अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत, और पांच अनुदानों में ± 50 से ± 100 प्रतिशत था। इसी तरह, पूंजीगत-दत्तमत खंड में, छह अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत का विचलन हुआ और ± 50 से ± 100 प्रतिशत का विचलन नौ अनुदानों में हुआ।

विगत पांच वर्षों के दौरान वैसे अनुदानों जिनमे सतत् और महत्वपूर्ण (कुल बजट के 25 प्रतिशत से अधिक) विचलन रहा है, उन्हें **तालिका 2.7** में दिखाया गया है।

तालिका 2.7: 2020-25 के दौरान सतत् और महत्वपूर्ण विचलन वाले अनुदान (प्रत्येक वर्ष में 25 प्रतिशत या अधिक)

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	अनुदान सं०	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बजट बनाम वास्तविक व्यय							
राजस्व – दत्तमत							
1	01	कृषि	54.92	55.35	44.82	45.81	44.63
2	04	मंत्रिमंडल सचिवालय	52.57	31.23	42.66	57.25	35.37
3	08	कला, संस्कृति एवं युवा	56.81	45.34	31.48	53.75	45.54
4	20	स्वास्थ्य	25.35	25.91	42.86	34.41	35.05
5	25	सूचना प्रावैधिकी	44.72	52.56	38.99	47.13	31.93
6	29	खान और भूतत्व	39.34	36.46	33.11	28.56	64.05
7	39	आपदा प्रबंधन	27.96	32.78	34.04	46.81	57.22
8	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	51.00	36.46	35.11	35.43	33.15
9	45	गन्ना उद्योग	60.81	68.07	73.47	49.51	35.89
10	47	परिवहन	45.71	52.01	44.24	42.96	61.06
11	48	नगर विकास एवं आवास	40.17	41.35	44.05	28.36	37.88
पूंजीगत - दत्तमत							
12	11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछडा वर्ग कल्याण	96.55	87.62	100.00	99.99	99.78
13	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	100.00	77.21	31.09	78.50	80.72
14	30	अल्पसंख्यक कल्याण	73.96	65.02	91.55	76.00	33.37
15	39	आपदा प्रबंधन	100.00	100.00	100.00	53.15	44.93
16	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	97.84	93.90	99.50	98.30	100.00
17	47	परिवहन	93.71	80.12	75.75	51.68	81.79

स्रोत: अनुदान की मांग तथा प्रासंगिक वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.7** में देखा जा सकता है, कुल बजट के संबंध में सतत् और उच्च विचलन (प्रतिशत में) के अधिकांश मामले पूंजीगत खंड से संबंधित हैं, जो अवास्तविक बजट या परियोजनाओं के अवास्तविक निष्पादन को दर्शाते हैं।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में परिनियोजित अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में निवल बजट की तुलना में सकल व्यय को (मूल बजट प्रावधान + अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग की गणना करने के बाद स्पष्ट रूप से सकल आधार पर) दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है अथवा नहीं और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत भारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार

भारित है अथवा नहीं। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 अधिकाई व्यय और उसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल से अनुदानों/विनियोगों से अधिकाई व्यय को नियमित कराये। यद्यपि इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी राज्य विधानमंडल को अधिकाई व्यय को नियमित करना है। राज्य विधानमंडल से लंबित नियमितीकरण के विगत वर्षों से संबंधित अधिकाई व्यय के मामले **तालिका 2.8** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.8: विगत वर्षों से संबन्धित राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण हेतु लंबित अधिकाई व्यय के मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकाई व्यय	वर्ष	अधिकाई व्यय
पशुपालन विभाग			
1987-88	6.92	1992-93	87.77
1988-89	6.13	1993-94	125.03
1989-90	8.65	1994-95	170.61
1990-91	29.29	1995-96	146.49
1991-92	70.72	1996-97	6.37
विधान-मंडल			
2019-20	2.30		
पथ निर्माण विभाग			
2023-24	39.43		
ग्रामीण विकास विभाग			
2023-24	0.04		
कुल	**699.75**		

वित्त वर्ष 1987-88 से 1996-97 के दौरान पशुपालन विभाग के तहत किए गए अधिकाई व्यय के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान किए गए अधिकाई व्यय को अभी नियमित किया जाना है।

2.5.2 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 में मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 52 अनुदानों के 942 लेखा शीर्षों में ₹ 81,526 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे। 12 अनुदानों के तहत 35 लेखा शीर्षों (***परिशिष्ट 2.1***) में, यह पाया गया कि ₹ 6,225.58 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन व्यय

₹ 39,765.47 करोड़ के मूल प्रावधानों तक भी नहीं हुआ, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7,306.62 करोड़ की बचत हुई। इसलिए, इन मामलों में अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुआ।

इसी प्रकार, 33 लेखा शीर्षों (14 अनुदानों के तहत) में, ₹ 17,095.97 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) के अतिरिक्त ₹ 29,773.16 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) किया गया था। इन लेखा शीर्षों के तहत किया गया ₹ 40,192.36 करोड़ का व्यय, कुल बजट प्रावधान ₹ 46,869.13 करोड़ (मूल बजट + अनुपूरक अनुदान) से ₹ 6,676.77 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) कम रहा। फलतः अतिरिक्त अनुपूरक बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 6,676.77 करोड़ की बचत अधिक सिद्ध हुई (***परिशिष्ट 2.2***)।

2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, अनुदान के भीतर, विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण है जहां अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 48 अनुदानों में कुल ₹ 3,630.52 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया था।

आठ विभागों के अंतर्गत 15 लेखा शीर्षों में, पुनर्विनियोग (₹ पाँच करोड़ या अधिक) के माध्यम से बजट में ₹ 147.26 करोड़ की वृद्धि अनावश्यक साबित हुई क्योंकि व्यय मूल/कुल बजट प्रावधानों (***परिशिष्ट 2.3***) के बराबर या उससे कम था, यथार्थ मूल्यांकन के बिना पुनर्विनियोजन किया गया था।

2.5.4 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों को अनुमानित सभी व्यय के लिए यथोचित स्तरों पर इष्टतम बनाना चाहिए जिससे बजटीय निधियों के अनुपयोगित रहने को कम किया जा सके। अनुमोदित बजट की सीमा के अन्दर इष्टतम पुनर्आवंटन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, व्यय करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण किया जाना है।

अनुदान और विनियोग स्तर पर बचत के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2024-25 के दौरान 15 अनुदानों के तहत 16 मामलों (राजस्व: 14 और पूंजीगत: 02) में ₹ 67,397.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक) की संचयी बचत (अभ्यर्पण के अतिरिक्त) हुई (***परिशिष्ट 2.4***)।

इसके अलावा, विगत पांच वर्षों में 10 अनुदानों (***परिशिष्ट 2.5***) के 10 खंडों (राजस्व-दत्तमत में नौ और पूंजीगत-दत्तमत में एक) में ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचत भी पाई गई।

बचत के साथ उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण (***परिशिष्ट 2.6***) एवं **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण

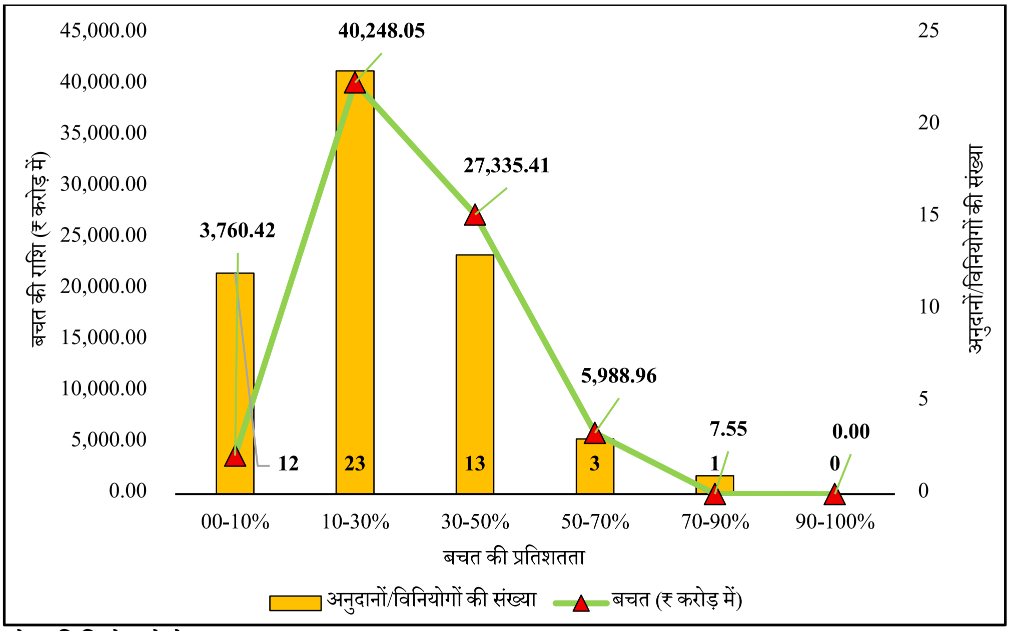

स्रोत: विनियोग लेखे 2024-25

चार्ट 2.5 दिखाता है कि 13 अनुदानों में ₹ 27,335.41 करोड़ (35.34 प्रतिशत) की बचत हुई थी, जिसमें उनके बजट प्रावधान का केवल 50 से 70 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा सका था।

बचत का अभ्यर्पण

बिहार बजट मैन्युअल, 2016 के नियम 104 के अनुसार, बचत में से कोई भी राशि अतिरिक्त अनपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही अनुमोदित नहीं किया गया है। बचत का अभ्यर्पण चालू वित्त वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में, अभ्यर्पण चालू वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किए जा सकते हैं।

कुल बचत ₹ 77,340.38 करोड़ में से ₹ 66,952.02 करोड़ (86.57 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण एवं बड़ी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया। इसमें से ₹ 33,435.29 करोड़ की बचत 18 अनुदानों के तहत हुई, परन्तु कोई भी अभ्यर्पण ***(परिशिष्ट 2.7)*** नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, ₹ 10,388.37 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 822.64 करोड़ का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ***(परिशिष्ट 2.8)*** किया गया।

वित्त वर्ष के दौरान बचत और अभ्यर्पण के सारांश को **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2024-25 में बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

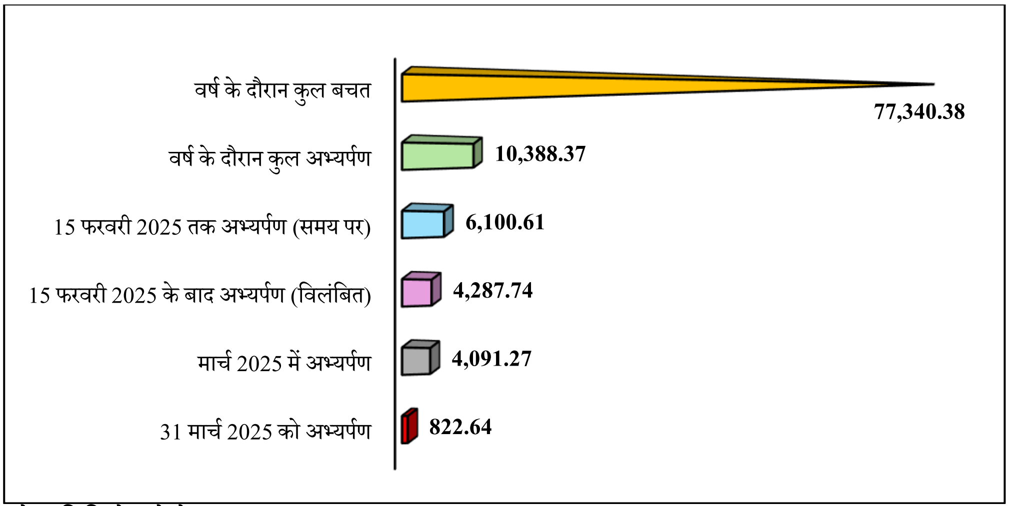

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

जैसा कि **चार्ट 2.6** से देखा जा सकता है, कुल बचत का केवल 13.43 प्रतिशत (₹ 10,388.37 करोड़) अभ्यर्पित किया गया था। अभ्यर्पण की गई राशि में से केवल ₹ 6,100.61 करोड़ (58.72 प्रतिशत) निर्धारित समय सीमा में अभ्यर्पित किए गए थे, जो खराब वित्तीय प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाना दर्शाता है।

2.5.5 राजस्व और पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखे नियमावली, 1990 के नियम 30 के अनुसार, ठोस, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) में शीर्ष 4515-00-103-0101-33-02 (मुआवजा) के तहत सब्सिडी के रूप में ₹ 100.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। प्रावधान की गई राशि में से, वर्ष के दौरान व्यय की गई ₹ 33.11 करोड़ राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड में दर्ज की गई थीं। इस गलत वर्गीकरण के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 33.11 करोड़ का अतिकथन एवं राजस्व व्यय में इतनी ही राशि का अवकथन हुआ।

2.5.6 चतुर्मासीय व्यय सीमा का पालन नही होना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की सघनता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय के लिए चतुर्मास-वार[5] प्रतिशत सीमा भी निर्धारित की है।

चतुर्मास-वार व्यय का विवरण **तालिका 2.9** में दिखाया गया है और अनुदान वार व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

[5] *आदेश संख्या एम-4-07/2023/3576-एफ दिनांक 01.04.2024: 33 प्रतिशत प्रथम चतुर्मास के लिए (अप्रैल-जुलाई); 32 प्रतिशत, द्वितीय चतुर्मास के लिए (अगस्त-नवंबर) और 35 प्रतिशत तृतीय चतुर्मास के लिए (दिसंबर-मार्च)।*

तालिका 2.9: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चतुर्मास वार व्यय की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

अवधि	व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष प्रतिशत व्यय
कुल	**2,81,939.30**[6]	**100.00**
प्रथम चतुर्मास	69,507.34	24.65
द्वितीय चतुर्मास	1,00,079.63	35.50
तृतीय चतुर्मास	1,12,352.33	39.85
वर्ष का आखिरी महीना (मार्च 2025)	38,229.06	13.56
वर्ष का आखिरी दिन (31 मार्च 2025)	**1,014.07**	**0.36**

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

जैसा कि **तालिका 2.9** से देखा जा सकता है, व्यय की राशि में प्रत्येक बीते हुए चतुर्मास के साथ वृद्धि हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे और तीसरे चतुर्मास के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यय की सीमा का उल्लंघन हुआ।

मासिक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.7** में दर्शायी गई है।

चार्ट 2.7: व्यय (माहवार) की प्रवृति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

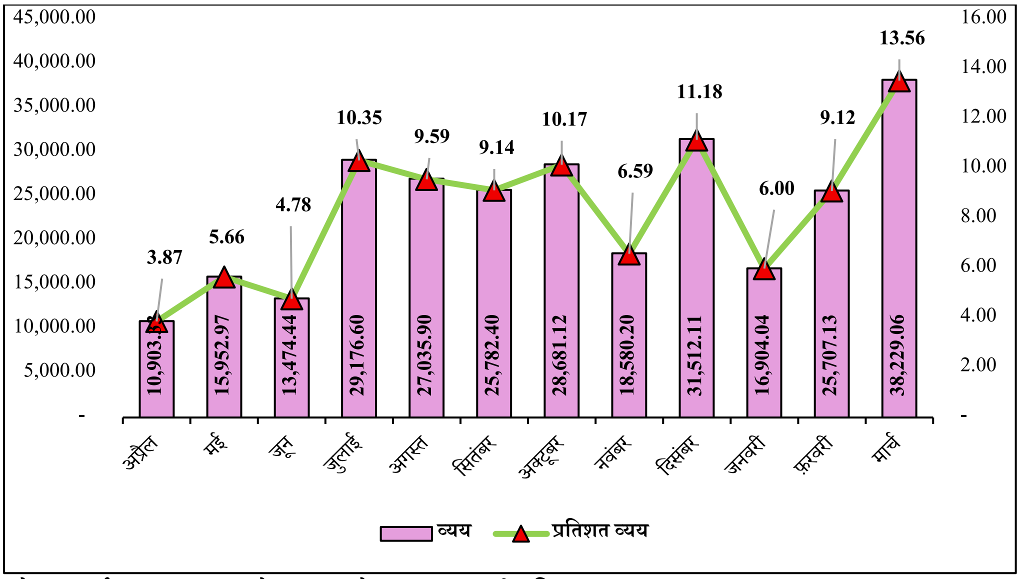

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि 2024-25 के दौरान अधिकतम व्यय अंतिम चतुर्मास (39.85 प्रतिशत) में किया गया था जो निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था। यह भी देखा गया कि मार्च के अंतिम महीने में सबसे अधिक ₹ 38,229.06 करोड़ (13.56 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जो वित्तीय वर्ष के इस खंड में व्यय की सघनता को दर्शाता है।

[6] *व्यय का आंकड़ा सकल व्यय का शुद्ध परिणाम है, जिसमें सभी वसूलियों, सी.ए.एम.पी.ए, एस.डी.आर.एफ. और सी.आर.एफ. निधि के समायोजन राशि ₹ 5,239.21 करोड़ घटा दी गई है।*

2.6 विधायी तंत्र से बाहर रखी गई अव्ययित निधियों की पार्किंग और वापसी

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची (एल०एम०एम०एच०) के अंतर्गत सामान्य निर्देशों की कंडिका 3.10 अनुसार, विगत वर्षों से संबंधित अधिक भुगतान की वसूली को विनियोग लेखे में परिलक्षित सकल व्यय को प्रभावित किए बिना संबंधित मुख्य /उप-मुख्य शीर्ष के पश्चात् विशिष्ट लघु शीर्ष 'कटौती - अधिक भुगतान की वसूली' (कोड 911) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। 'अधिक भुगतान में अधिकाई भुगतान की वसूली', 'अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी' और 'वेतन एवं अन्य अग्रिमों की वसूली' आदि शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, विगत वर्षों से संबंधित कुल ₹ 15,657.61 करोड़ लघु शीर्ष "911" के तहत सरकारी खाते में वापस किए गए। इस राशि में विगत वर्षों के दौरान जारी किए गए '*अधिक*/अनपेक्षित निकासी की वापसी' से संबंधित ₹ 14,571.15 करोड़ (कुल वापसी/वसूली का 93.06 प्रतिशत) शामिल है, जैसा कि **तालिका 2.10** में दिखाया गया है।

तालिका 2.10: 2020-21 से 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष -911 के तहत वर्षवार वापसी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी	अधिक भुगतान की वसूली	कुल
2020-2021	1,860.32	225.58	2,085.90
2021-2022	848.49	118.84	967.33
2022-2023	2,905.52	196.16	3,101.68
2023-2024	6,712.66	384.92	7,097.58
2024-2025	2,244.16	160.96	2,405.12
कुल	**14,571.15**	**1,086.46**	**15,657.61**

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

तालिका 2.10 इंगित करती है कि इस प्रकार ₹ 14,571.15 करोड़ वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक निकाले गए थे और केवल आगामी वित्तीय वर्षों में ही वापसी/वापस किए गए थे। चूंकि ये राशियाँ पीडी/पीएल के साथ-साथ बैंक खातों में भी रखी जाती थीं और इसलिए वे विधायी नियंत्रण के दायरे से बाहर थी। इस तरह की प्रवृतियाँ न केवल वास्तविक व्यय के आंकड़ों को विकृत करती हैं, बल्कि आहरण के वर्ष में राजस्व व्यय और राजस्व घाटे दोनों को बढ़ाती हैं एवं अंतरिम अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गबन के जोखिम को भी बढ़ाती हैं।

2.7 एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 232 (v) में राज्य सरकारों को निधि जारी करने और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी०एफ०एम०एस०) के माध्यम से निधि के उपयोग की निगरानी करने का प्रावधान है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी०एस०एस०) के तहत राज्यों को विमुक्त की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) ने दिनांक 23 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (13) पी०एफ०एम०एस०/एफसीडी/2020 के माध्यम से सी०एस०एस० के तहत धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए। संशोधित प्रक्रिया, जिसे "एस०एन०ए० मॉडल" के रूप में जाना जाता है, 01 जुलाई 2021 से प्रभावी हुई।

इस बीच, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सी०एस०एस० के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के माध्यम से धन जारी करना और उनके उपयोग की निगरानी करना (मार्च 2021) अनिवार्य

कर दिया गया। प्रत्येक एस०एन०ए० के लिए किसी भी अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को एस०एन०ए० से सम्बद्ध खाते में, प्राप्त केन्द्रांश के साथ निश्चित राज्यांश, की राशि अंतरित करना होता है।

एस०एन०ए० के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बिहार में इसके कार्यान्वयन की स्थिति और पी०एफ०एम०एस० डैशबोर्ड पर उपलब्ध 2024-25 के आंकड़े (16.08.2025 तक), से निम्नलिखित देखा गया:

- राज्य में कुल 156 एजेंसियों को एस०एन०ए० के रूप में पंजीकृत किया गया था। इन एजेंसियों में कुल 1,76,950 अनुषंगी एजेंसियां थीं, जिन्हें पी०एफ०एम०एस० में मैप किया गया था।

- 1 अप्रैल 2024 तक, सी०एस०एस० निधियों से संबंधित एस०एन०ए० में प्रारंभिक शेष ₹ 14,738.13 करोड़ था। 2024-25 के दौरान, सी०एस०एस० के लिए केन्द्रांश के ₹ 20,772.99 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 20,331.70 करोड़ राज्य द्वारा एस०एन०ए० को अंतरित किए गए। राज्य द्वारा सी०एस०एस० के लिए एस०एन०ए० को कुल ₹ 35,126.41 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 20,331.70 करोड़, बिहार सरकार : ₹ 14,794.71 करोड़ बिहार सरकार द्वारा टॉप-अप की राशि सहित) अंतरित किए गए। इस प्रकार, राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रांश की राशि से ₹ 441.29 करोड़ का कम अंतरण किया गया था। एस०एन०ए० में ₹ 49,864.54 करोड़ की इन कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 38,101.83 करोड़ सी०एस०एस०के लिए व्यय के रूप में और ₹ 480.46 करोड़ अग्रिम के रूप में वितरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,282.25 करोड़ अव्ययित रहे। हालांकि, सी०एस०एस० (पी०एफ०एम०एस० डैशबोर्ड के अनुसार) के लिए एस०एन०ए० का अन्तशेष ₹ 12,760.66 करोड़ था, जो वास्तविक अन्तशेष और प्रतिवेदित किए गए अन्तशेष के आंकड़ों बीच ₹ 1,478.41 करोड़ का अंतर दर्शाता है, जिसका समाशोधन करने की आवश्यकता है।

- 31 मार्च 2025 तक, एस०एन०ए० के बैंक खातों में ₹ 12,760.66 करोड़ की अव्ययित राशि थी। इन निधियों पर कुल अर्जित ब्याज की राशि ₹ 1,291.87 करोड़ थी। ब्याज के आनुपातिक केन्द्रांश की राशि ₹ 748.11 करोड़ के मुकाबले ₹ 543.57 करोड़ भारत की संचित निधि में जमा /निपटान किए गए थे और शेष ₹ 204.54 करोड़ अभी भी जमा/निपटान किए जाने थे।

- राज्य को सी०एस०एस० योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश के साथ 30 दिनों के भीतर एस०एन०ए० में अंतरित करना था। विलंब के मामले में, विलंब की अवधि के लिए सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाना था। 2024-25 के दौरान, राज्य के कोष से संबंधित एस०एन०ए० में केन्द्रांश और राज्यांश की राशि को अंतरित करने में क्रमशः 167 दिन और 246 दिनों तक का विलंब हुआ, जिससे राज्य के कोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा ने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के केन्द्रांश और राज्यांश के अंतरण के आंकड़े और एस०एन०ए०- पी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन पटल पर उपलब्ध जानकारी में विसंगतियाँ पाई, जैसा कि **तालिका 2.11** में उल्लेख किया गया है।

तालिका 2.11: 2024-25 के दौरान केन्द्रांश एवं राज्यांश के अंतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

आंकड़ों का स्रोत	प्राप्त केन्द्रांश	अंतरित केन्द्रांश	अंतरित राज्यांश	कुल अंतरित राशि	राज्य द्वारा कम अंतरित राशि
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	29,948.47	22,767.69	28,416.42	51,184.11	अनुपलब्ध
एस०एन०ए०-पी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन	20,772.99	20,331.70	14,794.71	35,126.41	441.29
अंतर	**9,175.48**	**2,435.99**	**13,621.71**	**16,057.70**	अनुपलब्ध

आंकड़ों में यह विसंगति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के कार्यालय और बिहार सरकार के वित्त विभाग के बीच समाशोधन के अधीन है।

2.8 चयनित अनुदानों की समीक्षा

निधियों के प्रवाह और व्यय तरीका का गहन विश्लेषण करने के लिए चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा का उद्देश्य बजट सूत्रण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन करना था। समीक्षा का उद्देश्य वित्तीय शासन को मजबूत करने और सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रणालीगत कमजोरियों, निधि उपयोग में अक्षमताओं, गलत वर्गीकरण और बजटीय अनुशासनहीनता के उदाहरणों की पहचान करना था।

तदनुसार, दो अनुदानों, अर्थात अनुदान संख्या 35 "योजना और विकास विभाग" और अनुदान संख्या 48 "नगर विकास एवं आवास विभाग" के लिए प्रावधान, व्यय, बचत और अभ्यर्पण की विस्तृत जांच की गई।

उपर्युक्त दो अनुदानों के वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के प्रावधान और व्यय विवरण **तालिका 2.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.12: चयनित अनुदानों के तहत बजट, व्यय, बचत, प्रत्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विभाग	कुल बजट	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
35	योजना एवं विकास	12,058.16	8,426.23	3,631.94	412.42
48	नगर विकास एवं आवास	59,033.34	37,016.29	22,017.06	2,987.63

स्रोत: विनियोग लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार का कार्यालय

तालिका 2.12 में उल्लिखित चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम परवर्ती कंडिकाओं में विस्तारपूर्वक दिये गए हैं।

2.8.1 अनुदान संख्या 35 "योजना एवं विकास विभाग"

योजना एवं विकास विभाग (पीडीडी) वित्त विभाग के समानांतर अथवा उसके सहयोग से राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं और विकास पहलों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन, नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। विभाग बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास एजेंसी (बीएलएडीए) और स्थानीय क्षेत्र इंजीनीयरिंग संगठन (एलएईओ) के माध्यम से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) और अन्य योजनाओं को लागू करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुदान के तहत कुल 12 मुख्य लेखा शीर्ष (राजस्व: 08 और पूँजीगत: 04) संचालित किए गए।

2.8.1.1 बजट प्रबंधन

i बजट प्रावधान एवं उनका उपयोग

विगत पांच वित्तीय वर्षों के लिए उक्त अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत / आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 2.13** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.13: वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान बजटीय प्रावधान एवं उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता
2020-21	राजस्व	811.90	3.01	814.91	485.34	329.57	40.44
	पूँजीगत	1,289.66	90.00	1,379.66	735.60	644.06	46.68
	योग	**2,101.56**	**93.01**	**2,194.57**	**1,220.94**	**973.63**	**44.37**
2021-22	राजस्व	852.93	10.65	863.58	532.10	331.48	38.38
	पूँजीगत	1,345.47	321.82	1,667.29	1,367.11	300.18	18.00
	योग	**2,198.40**	**332.47**	**2,530.87**	**1,899.21**	**631.66**	**24.96**
2022-23	राजस्व	903.66	41.35	945.01	725.93	219.08	23.18
	पूँजीगत	1,284.16	10.00	1,294.16	1,117.60	176.56	13.64
	योग	**2,187.82**	**51.35**	**2,239.17**	**1,843.53**	**395.64**	**17.67**
2023-24	राजस्व	868.47	2.45	870.92	645.51	225.41	25.88
	पूँजीगत	1,348.51	318.00	1,666.51	1,444.61	221.90	13.32
	योग	**2,216.98**	**320.45**	**2,537.43**	**2,090.12**	**447.31**	**17.63**
2024-25	राजस्व	601.00	192.66	793.66	443.47	350.19	44.12
	पूँजीगत	1,615.48	0.00	1,615.48	1,386.46	229.02	14.18
	योग	**2,216.48**	**192.66**	**2,409.14**	**1,829.93**	**579.21**	**24.04**
राजस्व योग		**4,037.96**	**250.12**	**4,288.08**	**2,832.35**	**1,455.73**	**33.95**
पूँजीगत योग		**6,883.28**	**739.82**	**7,623.10**	**6,051.38**	**1,571.72**	**20.62**
महायोग		**10,921.24**	**989.94**	**11,911.18**	**8,883.73**	**3,027.45**	**25.42**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

ii अनुदान में सतत् बचत

लेखापरीक्षा में विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों में सतत् बचत के मामले पाए गए। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बजट के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत का विवरण **तालिका 2.14** में प्रदर्शित है।

तालिका 2.14: विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ मे एवं प्रतिशतता कोष्ठक मे)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	2235-01-202-0505	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	41.05 (15.00)	36.63 (18.77)	38.72 (100.00)
2	2235-01-789-0501	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	14.18 (15.00)	15.37 (18.77)	48.28 (100.00)
3	4070-00-051-0210	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	47.34 (88.32)	54.47 (100.00)	54.30 (100.00)
4	4070-00-051-0310	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	18.96 (88.35)	34.54 (100.00)	21.72 (100.00)
5	4070-00-789-0302	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	12.63 (88.32)	16.95 (100.00)	14.48 (100.00)
6	2052-00-090-0103	योजना यंत्र का सुदृढीकरण	0.88 (88.00)	0.54 (27.00)	21.96 (95.69)
7	3454-02-205-0102	भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	14.45 (65.68)	24.24 (70.51)	22.95 (94.48)
8	4515-00-102-0203	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	61.62 (61.62)	72.50 (72.50)	94.36 (93.00)
9	2235-60-200-0120	बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना 2015 (गृह विभाग के लिए)	16.59 (66.36)	11.54 (46.16)	12.84 (51.36)
10	3454-02-205-0101	एकीकृत सांख्यिकीय विकास योजना	10.15 (14.79)	37.15 (58.06)	33.49 (51.28)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं

जैसा कि **तालिका 2.14** मे देखा जा सकता है, लेखा शीर्ष - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सर्वाधिक 100 प्रतिशत तक सतत् बचत थी, जो इन योजनाओं के तहत अनुचित अनुमान या संबंधित वर्षों के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय की उपलब्धि प्राप्त नहीं होने का संकेत देता है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलावा, 'योजना यंत्र का सुदृढीकरण', 'भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना' और 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)' में 2022-23 से 2024-25 के दौरान सर्वाधिक सतत् बचत हुई।

iii निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 10 लेखा शीर्षों (एचओए) के तहत ₹ 12.64 करोड़ के प्रावधान पुनर्वनियोजित किए गए थे। इनमें से दो एचओए में, महत्वपूर्ण पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा, जैसा कि **तालिका 2.15** में दिखाया गया है।

तालिका 2.15: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष (विवरण)	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	3454-02-205-0101 – एकीकृत सांख्यिकीय विकास योजना (राज्य योजना)	38.81	26.50	4.95	31.82
2	3454-02-205-0102 - भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (राज्य योजना)	24.29	0.00	6.07	1.34
कुल		**63.10**	**26.50**	**11.02**	**33.16**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

अनावश्यक पुनर्विनियोजन यह इंगित करता है कि विभाग ने, निधि की वास्तविक आवश्यकता का उचित आकलन किए बिना पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया।

iv अनुपूरक बजट का अनावश्यक प्रावधान

वर्ष 2024-25 के दौरान, छः लेखा शीर्षों के तहत कुल मूल बजट₹ 228.49 करोड़ था, जिसे अनुपूरक बजट के माध्यम से ₹ 77.29 करोड़ से बढ़ाया गया था। हालांकि, इन लेखा शीर्षों के तहत व्यय (₹ 175.55 करोड़) मूल बजट प्रावधानों तक नहीं पहुंचा और ₹ 77.29 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुआ। विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16: अनावश्यक अनुपूरक बजट के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय
1	2052-00-090-0103	2.00	20.95	0.99
2	2235-60-200-0117	167.10	24.50	124.60
3	3451-00-101-0001	6.23	0.19	5.51
4	3454-02-111-0001	13.55	0.15	12.32
5	3454-02-204-0119	0.80	5.00	0.31
6	3454-02-205-0101	38.81	26.50	31.82
	कुल	**228.49**	**77.29**	**175.55**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

ऊपर से पता चलता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक बजट के प्रस्ताव रखे गए थे।

v समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रहना

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग में, छः लेखा शीर्षों के तहत ₹ 178.50 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहा, जैसा कि **तालिका 2.17** में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2024-25 में समग्र बजट प्रावधानों के अनुपयोगित रहने के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्षो के नाम	2024-25
1.	2059-01-053-0024	मेला, हाट, बाज़ार और कचहरी के भवनों का रख-रखाव	1.00
2.	2235-01-202-0505	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	38.72
3.	2235-01-789-0501	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	48.28
4.	4070-00-051-0210	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	54.30
5.	4070-00-051-0310	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	21.72
6.	4070-00-789-0302	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	14.48
	योग		**178.50**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

इन योजनाओं के तहत समग्र बजट प्रावधानों का अनुपयोगित रहना या वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय की उपलब्धि प्राप्त नहीं होना, अनुचित आकलन को दर्शाता है। अनावश्यक प्रावधान, बजटीय प्रावधानों की तैयारी मे कमी को दर्शाता है, जिसके लिए संस्था के आवश्यक जांच को अधिक सख्ती से स्थापित करने की आवश्यकता है।

vi बचतों का अनभ्यर्पण

विगत पांच वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खण्ड के तहत बचत और अभ्यर्पण से संबंधित आकड़ों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-25 के दौरान, विभाग ने अपनी कुल बचत (₹ 1,455.74 करोड़) का केवल 19.39 प्रतिशत (₹ 282.28 करोड़) अभ्यर्पित किया, वह भी केवल राजस्व खंड के तहत जबकि पूंजीगत खंड के तहत ₹ 1,571.72 करोड़ की बचत बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं की गई। विवरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: विगत पांच वर्षों में राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत बचतों के अनभ्यर्पण का बजटीय विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण की कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	329.57	160.51	51.30	644.06	0.00	100	83.51
2021-22	331.49	20.99	93.67	300.18	0.00	100	96.68
2022-23	219.08	31.65	85.55	176.56	0.00	100	92.00
2023-24	225.41	47.41	78.97	221.90	0.00	100	89.40
2024-25	350.19	21.72	93.80	229.02	0.00	100	96.25
कुल	**1,455.74**	**282.28**	**80.61**	**1,571.72**	**0.00**	**100**	**90.68**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

इस तरह के अनभ्यर्पण बजटीय प्रबंधन पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाते हैं। तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण के साथ अधिक बचत वित्तीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

vii अन्य मामले

- **राज्य बजट के साथ सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का संरेखन नहीं किया जाना** - एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते, विभाग ने 2017 में एक परिकल्पना दस्तावेज़ तैयार किया। हालाँकि, राज्य बजट में एसडीजी के साथ कोई योजना संरेखित नहीं की गई थी।

  विभाग ने (अगस्त 2025) जवाब दिया कि एसडीजी संरेखित बजट की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है।

  विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बजट में योजनाओं का एसडीजी के साथ संरेखण के बिना, एसडीजी संकेतकों की उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

- ₹ 275.47 करोड़ के कुल 191 सार आकस्मिक (एसी) विपत्र, जो सितम्बर 2024 तक आहरित किए गए थे, 31 मार्च 2025 तक बकाया थे।

- 31 मार्च 2025 को ₹ 144.65 करोड़ (सितंबर 2023 तक वितरित) की कुल 14 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समायोजन के लिए बकाया थे।

2.8.2 अनुदान संख्या-48 "नगर विकास एवं आवास विभाग"

बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग (न०वि० एवं आ०वि०), राज्य के शहरों और कस्बों की समुचित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। यह नगर निकायों और अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नागरिकों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। फरवरी 2025 तक, बिहार में कुल 261 नगर निकाय (19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत) थे।

इस अनुदान के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 10 मुख्य शीर्ष (राजस्व: 06 और पूंजीगत: 04) संचालित किए गए थे।

2.8.2.1 बजटीय प्रबंधन

i बजट प्रावधान एवं उनका उपयोग

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान, इस अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत मूल बजट, अनुपूरक बजट और कुल बजट के साथ-साथ किए गए व्यय और हुई बचतों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: 2020-25 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
2020-21	राजस्व	7,163.72	2,179.48	9,343.20	5,590.39	3,752.81	40.17
	पूंजीगत	50.00	200.00	250.00	50.00	200.00	80.00
	योग	**7,213.72**	**2,379.48**	**9,593.20**	**5,640.39**	**3,952.81**	**41.20**

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
2021-22	राजस्व	7,617.13	2,414.49	10,031.62	5,883.84	4,147.78	41.35
	पूंजीगत	150.00	1,400.00	1,550.00	1,057.58	492.42	31.77
	योग	**7,767.13**	**3,814.49**	**11,581.62**	**6,941.42**	**4,640.20**	**40.07**
2022-23	राजस्व	8,025.94	1,950.47	9,976.41	5,582.06	4,394.35	44.05
	पूंजीगत	150.00	814.00	964.00	964.00	0.00	0.00
	योग	**8,175.94**	**2,764.47**	**10,940.41**	**6,546.06**	**4,394.35**	**40.17**
2023-24	राजस्व	9,594.15	10,119.93	19,714.08	14,123.88	5,590.20	28.36
	पूंजीगत	115.00	694.00	809.00	620.00	189.00	23.36
	योग	**9,709.15**	**10,813.93**	**20,523.08**	**14,743.88**	**5,779.20**	**28.16**
2024-25	राजस्व	11,184.22	3,924.64	15,108.86	9,385.81	5,723.05	37.88
	पूंजीगत	114.50	750.00	864.50	618.62	245.88	28.44
	योग	**11,298.72**	**4,674.64**	**15,973.36**	**10,004.43**	**5,968.93**	**37.37**
राजस्व योग		**43,585.16**	**20,589.01**	**64,174.17**	**40,565.98**	**23,608.19**	**36.79**
पूंजीगत योग		**579.50**	**3,858.00**	**4,437.50**	**3,310.20**	**1,127.30**	**25.40**
महायोग		**44,164.66**	**24,447.01**	**68,611.67**	**43,876.18**	**24,735.49**	**36.05**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान:

- पूंजीगत खंड के तहत मूल बजट कम था, लेकिन ₹ 3,858 करोड़ के अनुपूरक बजट के माध्यम से इसे (छह गुना से अधिक) बढ़ाया गया, जिससे कुल बजट संशोधित होकर ₹ 4,437.50 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, कुल बजट के मुकाबले केवल ₹ 3,310.20 करोड़ (74.60 प्रतिशत) का ही व्यय किया गया था।
- यह भी देखा गया कि ₹ 3,858.00 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट में से ₹ 3,783.00 करोड़ (98 प्रतिशत) वर्ष 2020-25 के दौरान पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधानित किए गए थे, जो बजट प्रक्रिया के दौरान बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए योजना की कमी को दर्शाता है।
- यद्यपि राजस्व खंड के कुल मूल बजट में 47 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन व्यय फिर भी मूल बजट से कम रहा।

उपरोक्त तथ्य बजट अनुमान में कमियों और अनुपूरक बजट के माध्यम से आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के आकलन में त्रुटियों को दर्शाते हैं, जिसके कारण बड़ी बचत हुई।

ii बजट अनुमानों की तैयारी एवं उनका उपयोग

वर्ष 2024-25 के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना एवं विकास विभाग (यो०एवं वि०वि०) को 34 लेखा शीर्षों के तहत केंद्रीय/राज्य योजनाओं के लिए ₹ 19,645.23 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित किया था। बाद में यो०एवं वि०वि० द्वारा निर्धारित परिव्यय के कारण विभाग के प्रस्तावित बजट अनुमान को घटाकर ₹ 6,066.17 करोड़ (69 प्रतिशत की कमी) कर दिया गया। इसके बावजूद, 2024-25 के दौरान विभाग ने उक्त 34 लेखा शीर्षों के तहत केवल ₹ 3,204.42 करोड़ (प्रस्तावित बजट का 16 प्रतिशत एवं घटे हुए बजट का

53 प्रतिशत) का व्यय किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 34 लेखा शीर्षों में से 12 लेखा शीर्षों (सात निश्चय[7]: 02, सी०एस०एस०: 03[8] और एस०एस०: 07[9]) में ₹ 569.00 करोड़ के प्रावधान के बावजूद कोई भी व्यय नहीं किया गया था।

केंद्रीय/राज्य योजनाओं के 34 लेखा शीर्षों के प्रस्तावित बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान और किए गए व्यय का सारांश **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2024-25 में केंद्रीय/राज्य योजनाओं के 34 लेखा शीर्षों के तहत प्रस्तावित बजट अनुमान (बीई), संशोधित बजट अनुमान बनाम वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	लेखा शीर्षों की संख्या	प्रस्तावित बजट अनुमान	विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन के उपरांत बजट अनुमान	व्यय
1	सात निश्चय	7	6,200.00	700.00	408.69
2	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (केन्द्रांश)	7	4,015.26	4,015.26	796.46
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (राज्यांश)		4,064.47	816.79	834.70
3	राज्य योजनाएँ	20	5,365.50	534.12	1,164.57
		34	**19,645.23**	**6,066.17**	**3,204.42**

स्रोत: नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- विभाग ने 'अमृत 2.0' योजना में ₹ 1,382 करोड़ के बजट अनुमान (केन्द्रांश: ₹ 1,172 करोड़ और राज्यांश: ₹ 210 करोड़) के मुकाबले केवल ₹ 0.73 करोड़ का उपयोग किया।
- वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के लिए विभाग ने अनुसूचित जाति विशेष योजना के लिए ₹ 970.59 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 791.80 करोड़, राज्यांश: ₹ 13.79 करोड़ और राज्य योजना: ₹ 165 करोड़) और अनुसूचित जनजाति विशेष योजना घटकों के लिए ₹ 78.86 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 30.86 करोड़, राज्यांश: ₹ 3 करोड़ और राज्य योजना: ₹ 45 करोड़) का प्रावधान किया था। हालाँकि, विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष योजनाओं के घटकों के लिए क्रमशः केवल ₹ 291.58 करोड़ (30 प्रतिशत) और ₹ 43.20 करोड़ (55 प्रतिशत) का ही उपयोग किया।

iii महत्वपूर्ण एवं सतत् बचत

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस अनुदान के तहत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) से संबंधित 42 लेखा शीर्षों

[7] *यह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकास पहलों की एक श्रृंखला है, जो व्यापक विकास के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों (सात निश्चयों) पर केंद्रित है।*

[8] *(i) अमृत 2.0, (ii) झीलों का सौंदर्यीकरण एवं (iii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन*

[9] *(i) निगरानी/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण/संसाधन केंद्र की स्थापना और शहरी नियोजन, (ii) बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण, (iii) नगर विकास भवन का निर्माण, (iv) आवारा कुत्तों की आबादी के नियंत्रण हेतु बुनियादी ढांचा, (v) मोइनुल हक स्टेडियम, पटना का निर्माण, (vi) शहरी नियोजन क्षेत्र योजना और (vii) एनएचबी सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं- राज्य घटक (मोक्षधाम का निर्माण, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पेयजल आपूर्ति योजनाएं)।*

में महत्वपूर्ण बचत देखी गई। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के घटकों के तहत हुई बचत का सारांश **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत हुई बचत का सारांश

(₹ करोड़ में)

योजना का प्रकार	कुल बजट	बचत	प्रतिशत में बचत	नगर आवास एवं विकास विभाग के कुल बचत के सापेक्ष प्रतिशत
केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रांश)	4,189.51	3,390.36	81	57
केन्द्रीय प्रायोजित योजना (राज्यांश)	1,415.79	574.42	41	10
कुल	**5,605.30**	**3,964.78**	**71**	**66**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान स्थापना एवं प्रतिबद्ध, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना से संबंधित आठ लेखा शीर्षों में सतत् एवं महत्वपूर्ण बचत देखी गई, जैसा कि **तालिका 2.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: 2022-23 से 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष - योजना का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		बचत	बचत प्रतिशत	बचत	बचत प्रतिशत	बचत	बचत प्रतिशत
1	48-2217801910017 स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	95.00	100.00	92.87	100.00	100.55	100.00
2	48-2217801910010 प्राथमिक कार्यों के लिए नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	286.07	31.00	670.90	43.00	122.88	8.00
3	48-2217801930001 प्राथमिक कार्यों के लिए नगर पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	219.16	56.00	90.43	21.00	315.60	48.00
4	48-2217017890205 सब के लिए आवास (के0यो0)	48.00	100.00	90.88	74.00	150.00	100.00
5	48-2217030510203 सब के लिए आवास (के0यो0)	23.51	12.00	131.80	22.00	1,016.19	89.00
6	48-2217037890205 सब के लिए आवास (अ०जा०उ०यो०)	144.00	100.00	35.26	25.00	596.32	93.00
7	48-2217050010008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन	58.14	50.00	72.09	59.00	106.73	71.00
8	48-2217031910113 भूमि अधिग्रहण (राज्य योजना)	165.24	73.00	97.16	97.00	163.82	40.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

वर्ष दर वर्ष होने वाली सतत् और महत्वपूर्ण बचत, त्रुटिपूर्ण बजट अनुमान और खराब निगरानी को दर्शाती है, जिसके कारण बजट अनुमानों में संशोधन करना पड़ता है।

अनुरोध किए जाने के बावजूद, विभाग द्वारा इन आठ लेखा शीर्षों के तहत हुई बचत के कारण उपलब्ध नहीं कराये गये।

iv अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान सात लेखा शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) में दिए गए महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहे, क्योंकि इन लेखा शीर्षों के तहत किया गया व्यय मूल बजट तक भी नहीं पहुँच सका। अनुपूरक अनुदानों के अप्रयुक्त रहने के मामलों को **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: अप्रयुक्त अनुपूरक अनुदान के मामले
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष लेखा शीर्ष का विवरण	मूल बजट	व्यय	अनुपूरक बजट	बचत
1	48-2217801930001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक कार्यों के लिए नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	451.64	347.64	211.60	315.60
2	48-2217030510303 नगर आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण	125.00	43.56	50.22	131.66
3	48-2217050010008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन	122.57	42.88	27.04	106.73
4	48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन, मुजफ्फरपुर	100.00	65.21	24.50	59.29
5	48-2215011930102 जल जीवन हरियाली	3.00	0.96	10.00	12.04
6	48-2217030510103 नगर आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण	2.00	0.00	35.00	37.00
7	48-2217010510103 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण	2.00	0.00	15.00	17.00
	कुल	**806.21**	**500.25**	**373.36**	**679.32**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

जैसा कि **तालिका 2.23** से देखा जा सकता है, यद्यपि व्यय मूल बजट (₹ 806.21 करोड़) तक भी नहीं पहुँच सका, फिर भी ₹ 373.36 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए, जिससे कुल बचत बढ़कर ₹ 679.32 करोड़ हो गई। दो लेखा शीर्षों में, ₹ चार करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध कोई व्यय नहीं होने के बावजूद ₹ 50.00 करोड़ के अनुपूरक अनुदान दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत बचत हुई।

v समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, 36 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,329.09 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इन 36 लेखा शीर्षों में से, ऐसे 11 मामले जहाँ ₹ 2,109.64 करोड़ का कुल बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50.00 करोड़ या उससे अधिक) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे, **तालिका 2.24** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2024-25 के दौरान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे बजटीय प्रावधानों का विवरण (₹ 50 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष का विवरण	कुल बजट प्रावधान
1	48-2215010510101	पेयजल आपूर्ति योजना (एन०एच०बी० द्वारा वित्तपोषित)	50.00
2	48-2215021070104	स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एन०एच०बी० द्वारा पोषित)	200.00
3	48-2217030510104	मोक्षधाम निर्माण (एन०एच०बी० द्वारा पोषित)	50.00
4	48-2217030510206	स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर)	100.00
5	48-2217030510208	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	1,048.00
6	48-2217030510210	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) (प्रोत्साहन सुधार)	50.00
7	48-2217030510308	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) - राज्यांश	210.00
8	48-2217017890205	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पी०एम०ए०वाई०-शहरी)	150.00
9	48-2217801910017	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	100.55
10	48-2217801920011	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	92.48
11	48-2217801930009	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	58.61
कुल			**2,109.64**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

vi बचतों का अनभ्यर्पण

वर्ष 2020-25 के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत बचतों के अनभ्यर्पण का विवरण **तालिका 2.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: वर्ष 2020-25 के दौरान अनुदान में राजस्व और पूंजीगत खंडवार बचतों का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण का कुल प्रतिशत
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	3,752.81	275.00	93.00	200.00	0.00	100.00	93.00
2021-22	4,147.78	0.00	100.00	492.42	0.00	100.00	100.00
2022-23	4,394.35	1451.79	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2023-24	5,590.20	1230.84	78.00	189.00	30.00	84.00	78.00
2024-25	5,723.05	2800.44	51.00	245.88	201.38	18.00	50.00
कुल	**23,608.19**	**5,758.07**	**76.00**	**1,127.30**	**231.38**	**79.00**	**76.00**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.25 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, बचत का एक वृहत हिस्सा, राजस्व मद में 51 से 100 प्रतिशत के बीच और पूंजीगत मद में शून्य से 100 प्रतिशत के बीच, अभ्यर्पित नहीं किया गया था। कुल मिलाकर, अनअभ्यर्पण 50 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जो विभाग में खराब बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

vii अन्य मुद्दे

उपरोक्त के अतिरिक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की समीक्षा के दौरान देखी गई अन्य महत्वपूर्ण विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

- विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजना के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 400 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था। यह पूरी राशि अनुपयोगित रही एवं विभाग के बैंक खाते में (जून 2025 तक) पड़ी रही।
- 31 मार्च 2025 तक, ₹ 17,876.32 करोड़ (सितंबर 2023 तक आहरित) की राशि के कुल 2,429 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) समायोजन के लिए लंबित थे।
- 31 मार्च 2025 तक, कुल ₹ 29.24 करोड़ के 203 सार आकस्मिक (एसी) विपत्रलंबित थे, जिन्हें सितंबर 2024 तक आहरित किया गया था।
- विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ₹ 509.74 करोड़ का व्यय दर्ज किया, जबकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1.73 करोड़ था। शेष ₹ 508.01 करोड़ की राशि एस.एन.ए खाते में निष्क्रिय पड़ी रही, जिससे विभाग का व्यय इस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।
- चार नगर निकायों[10] द्वारा विभिन्न शीर्षों/योजनाओं से संबंधित ₹ 5.19 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि वापस (मार्च 2025 तक) नहीं की गई।

[10] *(i) नगर पंचायत अरेराज, पूर्वी चंपारण: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.21 करोड़, एस.बी.एम. – ₹ 0.39 करोड़, जल जीवन हरियाली – ₹ 0.27 करोड़) (ii) नगर पंचायत बेलसंड, सीतामढ़ी: (एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम – ₹ 2.61 करोड़) (iii) नगर पंचायत, रफीगंज, औरंगाबाद: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.61 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी नली गली योजना – ₹ 0.41 करोड़) एवं (iv) नगर परिषद, राजगीर: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.69 करोड़)।*

2.9 विशिष्ट बजट

बजट और व्यय के कुछ पहलुओं, जैसे महिलाओं, बच्चों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर सरकारी व्यय के लिए विशेष ध्यान और अधिक पारदर्शी एवं तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिहार सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान जेंडर**,** बाल कल्याण एवं हरित बजट तैयार किए हैं।

2.10 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजट का निर्माण एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसे सार्वजनिक नीतियों और बजट के नियोजन, निष्पादन और मूल्यांकन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों का वितरण और उपयोग इस तरह से किया जाए जो महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करे।

बजट प्रावधान और व्यय

विगत चार वर्षों के दौरान, राज्य सरकार ने मूल बजट में बजटीय संसाधनों का 13.79 से 15.80 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित किया है। विगत चार वर्षों के राज्य बजट के संबंध में जेंडर बजट की आयोजना एवं निष्पादन का विवरण **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: बजट के विभिन्न चरणों और उसके कार्यान्वयन में जेंडर बजट के लिए कर्णांकित बजटीय संसाधन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट*	राज्य	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	जेंडर बजट	34,490.56	36,657.03	37,948.71	39,033.64
	राज्य के समग्र मूल बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	15.80	15.42	14.50	13.79
कुल बजट	राज्य का कुल बजट	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,518.87
	कुल जेंडर बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65	1,20,172.59
	राज्य के समग्र कुल बजट में कुल जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	35.83	34.65	28.93	32.97
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	जेंडर बजट में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15	85,046.25
	राज्य के समग्र कुल व्यय में जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	33.29	33.18	24.67	29.61

***स्रोत:** जेंडर बजट एवं संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे*

**नोट: मूल बजट की राशि जेंडर बजट से ली गई है, जबकि कुल बजट और व्यय की राशि विनियोग लेखे से ली गई है। आंकड़ों की पुनरावृत्ति और प्रत्येक योजना के तहत स्पष्ट बजटीय प्रावधान न होने के कारण कुछ योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।*

जैसा कि **तालिका 2.26** से देखा जा सकता है, 2021-25 के दौरान जेंडर बजट के तहत कुल बजट और व्यय में क्रमशः 26.36 प्रतिशत और 31.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालाँकि, 2021-22 से 2024-25 के दौरान, राज्य के कुल बजट और व्यय में क्रमशः 37.35 प्रतिशत और 47.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान जेंडर बजट के तहत कुल बजट और व्यय में केवल 26.36 प्रतिशत और 31.55 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि जेंडर बजट के तहत कुल बजट प्रावधान एवं व्यय, राज्य के समग्र बजट एवं व्यय में हुई वृद्धि के सापेक्ष नहीं थे।

जेंडर बजट योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी 'ए' योजना जिसमें 100 प्रतिशत बजट महिलाओं के लिए समर्पित होता है एवं श्रेणी 'बी' योजना जिसमें बजट का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए समर्पित होता है। राज्य सरकार के विभागों द्वारा निष्पादित की जा रही योजनाओं में श्रेणी 'ए' के तहत 99 लेखाशीर्ष हैं, जबकि श्रेणी 'बी' की योजनाओं के तहत 629 लेखाशीर्ष हैं।

जेंडर बजट के संदर्भ में योजनाओं की इन दो श्रेणियों में बजट प्रावधानों और व्यय का विवरण **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं की श्रेणियों में बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान	जेंडर बजट में बजटीय प्रावधान	34,490.56	36,657.03	37,948.71	39,033.64
	योजना 'ए'	12,084.29	13,069.64	10,536.37	6,853.74
	योजना 'ए' का प्रतिशत प्रावधान	35.04	35.65	27.76	17.56
	योजना 'बी'	22,406.27	23,587.39	27,412.34	32,179.90
	योजना 'बी' का प्रतिशत प्रावधान	64.96	64.35	72.24	82.44
कुल बजट	कुल जेंडर बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65	1,20,172.59
	योजना 'ए'	18,457.03	20,788.68	13,016.77	14,996.39
	योजना 'ए' का प्रतिशत प्रावधान	19.41	19.89	13.79	12.48
	योजना 'बी'	76,646.94	83,754.47	81,377.87	1,05,176.19
	योजना 'बी' का प्रतिशत प्रावधान	80.59	80.11	86.21	87.52
व्यय	जेंडर बजट में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15	85,046.25
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय	11,240.74	18,261.32	4,985.01	10,699.15
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत	17.39	23.40	7.75	12.58
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के तहत व्यय	53,407.59	59,780.43	59,331.14	74,347.11
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत	82.61	76.60	92.25	87.42

स्रोत: जेंडर बजट एवं संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.27 से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2024-25 में, जेंडर बजट (बजट अनुमान) के तहत श्रेणी 'ए' योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 2022-23 की तुलना में 52.44 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा, 2021-22 से 2024-25 के दौरान कुल बजट और उसके विरुद्ध होने वाला व्यय असमान और अस्थिर रहा है, हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में 2024-25 में इसमें वृद्धि हुई है।

- श्रेणी 'बी' की योजनाओं के मामले में, कुल बजट प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत (12.58 प्रतिशत), मूल जेंडर बजट में उनकी हिस्सेदारी (17.56 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था। जबकि, श्रेणी 'बी' योजनाओं में, व्यय का प्रतिशत (87.42 प्रतिशत), मूल जेंडर बजट में उनकी हिस्सेदारी (82.44 प्रतिशत) से अधिक था।

अतः, राज्य सरकार को जेंडर बजट बनाने के लिए संसाधनों के निरंतर आवंटन पर अधिक जोर देने और संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि परिकल्पित परिणाम, विशेष रूप से श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत, प्राप्त किए जा सकें।

2.11 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

राष्ट्रीय बाल नीति (एन०पी०सी०) - 2013 ने राज्य सरकारों को राज्य के लिए बाल कल्याण बजट तैयार करने हेतु निर्देशित किया था। इस नीति का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक बाल बजट नियमावली तैयार की है। बिहार सरकार राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 से लगातार बाल कल्याण बजट तैयार कर रही है।

राज्य के बाल कल्याण बजट के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 228 लेखाशीर्ष शामिल हैं। बजटीय प्रावधानों और व्यय के मामले में, इस बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ और पीएम पोषण शक्ति निर्माण आदि शामिल हैं।

बजट प्रावधान एवं व्यय

तालिका 2.28 में विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के लिए राज्य बजट के संदर्भ में, बाल कल्याण बजट आयोजना एवं उसके क्रियान्वयन का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28: 2021-22 से 2024-25 तक बाल कल्याण बजट का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट[6]	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	बाल कल्याण बजट के लिए बजटीय प्रावधान	38,863.99	44,917.07	46,066.29	54,874.55
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	17.80	18.90	17.59	19.39
कुल बजट[7]	राज्य का कुल बजटीय प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,515.87
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल बजट	52,016.72	73,414.14	74,604.90	89,930.36
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	19.59	24.33	22.87	24.67
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल व्यय	39,296.12	54,069.87	56,496.61	68,245.36
	बाल कल्याण बजट के लिए व्यय का प्रतिशत हिस्सा	20.23	22.99	21.67	23.72

***स्रोत:** संबंधित वर्षों का बाल कल्याण बजट तथा संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विनियोग लेखे*

****नोट:** मूल बजट की राशि बाल कल्याण बजट से ली गई है, जबकि कुल बजट और व्यय की राशि विनियोग लेखे से ली गई है। आंकड़ों की पुनरावृत्ति और प्रत्येक योजना के तहत स्पष्ट बजटीय प्रावधान न होने के कारण कुछ योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2022-25 की अवधि के दौरान, बाल कल्याण बजट के तहत मूल बजट, कुल बजट और व्यय में क्रमशः 41.20 प्रतिशत, 72.89 प्रतिशत और 73.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने बाल कल्याण बजट की तीन प्रमुख योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के बजट और व्यय का विश्लेषण किया। इन योजनाओं को उनमें किए गए बजटीय प्रावधानों और व्यय के आधार पर विश्लेषण के लिए चुना गया है। इसका विवरण **तालिका 2.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: 2024-25 के दौरान तीन प्रमुख योजनाओं में बजट प्रबंधन का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
1	मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) राज्य योजना	400.00	396.18	3.82	0.95
	मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) केंद्र प्रायोजित योजना (राज्यांश + केन्द्रांश)	3,319. 43	2,045.08	1,274.35	38.39
	कुल	**3,719.43**	**2,441.26**	**1,278.17**	**34.36**
2	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) राज्यांश	592.31	558.30	34.01	5.74
	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केन्द्रांश	870.16	764.09	106.07	12.19
	कुल	**1,462.47**	**1,322.39**	**140.08**	**9.58**
3	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) राज्यांश	3,442.20	2,528.55	913.65	26.54
	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) केन्द्रांश	8,994.38	3,791.13	5,203.25	57.85
	योग	**12,436.58**	**6,319.68**	**6,116.90**	**49.18**
	महायोग	**17,618.48**	**10,083.33**	**7,535.15**	**42.77**

स्रोत: संबंधित वर्षों का बाल कल्याण बजट एवं कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखा

तालिका 2.29 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान दो योजनाओं (पीएम पोषण और समग्र शिक्षा अभियान) में कुल बजट की तुलना में महत्वपूर्ण बचत हुई है। राज्यांश की तुलना में केन्द्रांश के तहत बचत काफी अधिक थी।

प्रमुख योजनाओं में इतनी बड़ी मात्रा में बचत होना, नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

2.12 हरित बजट की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 से, बिहार सरकार राज्य के लिए एक हरित बजट तैयार कर रही है। विगत चार वर्षों के दौरान, सरकार ने इस बजट के लिए अपने मूल बजटीय संसाधनों का कम से कम तीन प्रतिशत हिस्सा कर्णांकित किया है।

विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान राज्य बजट के मुकाबले हरित बजट के बजट अनुमान, कुल बजट एवं व्यय का विवरण **तालिका 2.30** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.30: हरित बजट बनाम राज्य बजट

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट[6]	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	हरित बजट के लिए बजटीय प्रावधान	7,682.91	7,710.25	9,920.77	13,823.49
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	3.52	3.24	3.79	4.88
कुल बजट[7]	राज्य का कुल बजटीय प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,518.87
	हरित बजट के लिए कुल बजटीय प्रावधान	36,368.58	28,366.70	44,331.56	53,224.83
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	13.70	9.40	13.59	14.60
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	हरित बजट का कुल व्यय	22,000.07	17,936.63	37,048.61	43,659.12
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	11.33	7.63	14.21	15.20

बजट अनुमानों के लिए हरित बजट एवं संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.30** से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों के दौरान हरित बजट के तहत बजट अनुमान, कुल बजट और व्यय में लगातार वृद्धि हुई है।

हरित बजट के अंतर्गत शामिल योजनाओं को उनके कुल परिव्यय में से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन घटक के लिए कर्णांकित प्रतिशत हिस्से के आधार पर छह श्रेणियों[11] में विभाजित किया गया है। इन छह श्रेणियों के तहत हरित बजट योजनाओं के बजट और व्यय का विवरण **तालिका 2.31** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.31: हरित बजट के अंतर्गत श्रेणीवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल मूल बजट का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2021-22	**ए**	2,274.08	29.60	2,283.87	6.28	797.10	3.62
	बी	342.55	4.46	441.04	1.21	85.47	0.39
	सी	3,360.15	43.74	5,747.21	15.80	3,784.67	17.20
	डी	604.18	7.86	2,996.69	8.24	1,650.93	7.50
	ई	619.38	8.06	8,567.95	23.56	6,036.68	27.44
	एफ	482.57	6.28	16,331.82	44.91	9,645.22	43.84
	कुल	**7,682.91**	**100.00**	**36,368.58**	**100.00**	**22,000.07**	**100.00**
2022-23	**ए**	3,344.44	43.38	3,868.32	13.64	2,443.74	13.62
	बी	283.93	3.68	504.16	1.78	112.55	0.63
	सी	2,009.92	26.07	3,517.62	12.40	1,988.58	11.09
	डी	663.37	8.60	3,956.93	13.95	2,116.83	11.80
	ई	920.71	11.94	7,203.39	25.39	3,172.82	17.69
	एफ	487.88	6.33	9,316.28	32.84	8,102.11	45.17
	कुल	**7,710.25**	**100.00**	**28,366.70**	**100.00**	**17,936.63**	**100.00**

[11] *(ए) पूर्णतः समर्पित (>90-100 प्रतिशत), (बी) अत्यधिक महत्वपूर्ण (>75-90 प्रतिशत), (सी) अधिक महत्वपूर्ण (>50-75 प्रतिशत), (डी) मध्यम महत्वपूर्ण (>25-50 प्रतिशत), (ई) निम्न महत्वपूर्ण (>05-25 प्रतिशत) और (एफ) सीमांत महत्वपूर्ण (05 प्रतिशत या उससे कम)।*

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल मूल बजट का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2023-24	**ए**	4,306.85	43.41	8,555.31	19.30	6,898.08	18.62
	बी	190.02	1.92	306.71	0.69	66.92	0.18
	सी	3,587.16	36.16	5,246.24	11.83	3,336.99	9.01
	डी	530.33	5.35	2,095.94	4.73	1,662.10	4.49
	ई	872.28	8.79	7,640.75	17.24	8,077.03	21.80
	एफ	434.13	4.38	20,486.61	46.21	17,007.49	45.91
	कुल	**9,920.77**	**100.00**	**44,331.56**	**100.00**	**37,048.61**	**100.00**
2024-25	**ए**	6,514.08	47.12	8,243.22	15.49	6,180.36	14.16
	बी	148.77	1.08	414.40	0.78	283.31	0.65
	सी	3,759.61	27.20	6,631.37	12.46	3,768.65	8.63
	डी	1,987.99	14.38	8,420.45	15.82	6,782.70	15.54
	ई	1,267.95	9.17	12,404.30	23.31	10,401.44	23.82
	एफ	144.98	1.05	17,111.10	32.15	16,242.66	37.20
	कुल	**13,823.38**	**100.00**	**53,224.83**	**100.00**	**43,659.12**	**100.00**

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के हरित बजट एवं संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखे*

***नोट:** हरित बजट के आंकड़ों के प्रसंस्करण के दौरान, दोहराव और योजना शीर्षों के विरुद्ध अनिश्चित बजट राशि के कारण कुछ योजनाओं को बाहर रखा गया है। इसलिए, बजट अनुमानों की राशि हरित बजट के कुल संचयी बजट अनुमानों की तुलना में भिन्न हो सकती है।*

जैसा कि **तालिका 2.31** से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों के दौरान हरित बजट की श्रेणियों के अंतर्गत मूल बजट, कुल बजट और उसके विरुद्ध व्यय में (श्रेणी 'एफ' को छोड़कर) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, श्रेणी 'ए', 'बी' और 'सी' की योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि का कुल प्रतिशत हिस्सा मूल हरित बजट (₹ 13,823.38 करोड़) का 75.40 प्रतिशत (₹ 10,422.46 करोड़) था, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि, इनके विरुद्ध किया गया व्यय ₹ 10,232.32 करोड़ रहा, जो ₹ 43,659.12 करोड़ के कुल व्यय का मात्र 23.43 प्रतिशत होने के कारण औसत से कम था।

2.13 परिणाम बजट की समीक्षा

बिहार सरकार द्वारा राज्य के लिए परिणाम बजट तैयार करने की शुरुआत वर्ष 2006-07 में की गई थी। परिणाम बजट के माध्यम से व्यय की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है। यह बजट अनुमानों में वित्तीय प्रावधानों के अपेक्षित परिणामों और नागरिकों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह भौतिक प्रदर्शन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है तथा कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करता है।

परिणाम बजट 2024-25 के अनुसार, बिहार सरकार ने प्रारंभ में विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थापना व्यय के लिए 41 अनुदानों के 1,420 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,21,912.10 करोड़ का प्रावधान किया था। इसमें से ₹ 99,985.02 करोड़ की राशि केंद्रीय/राज्य योजनाओं के तहत 1,248 लेखा शीर्षों के लिए निर्धारित की गई थी। शेष ₹ 21,927.08 करोड़ का प्रावधान स्थापना संबंधी व्ययों के लिए 172 लेखा शीर्षों के तहत किया गया था। विवरण **तालिका 2.32** में दर्शाए गए है।

तालिका 2.32: परिणाम बजट 2024-25 का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्षों की संख्या	परिणाम बजट के अनुसार मूल प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय / कुल बजट का प्रतिशत	जमा शीर्ष (8443/8448) में अंतरण
1,248 (योजनाएँ)	99,985.02	1,52,903.38	1,10,198.74/72	14,952.77
172 (स्थापना)	21,927.08	25,702.77	18,413.74/72	398.90
कुल (1,420)	**1,21,912.10**	**1,78,606.15**	**1,28,612.48/72**	**15,351.67**

***स्रोत:** परिणाम बजट तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, बिहार*

जैसा कि **तालिका 2.32** से देखा जा सकता है, ₹ 1,78,606.15 करोड़ के कुल परिणाम बजट के विरुद्ध योजनाओं और स्थापना पर किया गया व्यय प्रत्येक में 72 प्रतिशत रहा, जो कि मूल बजट का 105 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने बजट प्रावधानों के सापेक्ष परिणाम बजट की योजना-वार उपलब्धि का आगे विश्लेषण किया। इसका विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

तालिका 2.33: परिणाम बजट के सापेक्ष योजना-वार उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

योजनाओं के प्रकार	लेखा शीर्षों की संख्या	मूल प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	व्यय*	कुल बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का केन्द्रांश	250	43,019.82	45,551.75	21,854.85	47.98
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश	237	12,675.42	35,446.84	28,348.08	79.97
राज्य योजना	754	40,823.76	68,438.77	56,616.80	82.72
केंद्रीय क्षेत्र योजना	2	0.02	0.02	0.01	50.00
बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं (ई.ए.एस.एस)	5	3,466.00	3,466.00	3,379.00	97.49
कुल	**1,248**	**99,985.02**	**1,52,903.38**	**1,10,198.74**	

***स्रोत:** वर्ष 2024-25 के लिए परिणाम बजट तथा विस्तृत विनियोग लेखे*

** व्यय में ओ.बी. उचंत राशि शामिल नहीं है।*

जैसा कि **तालिका 2.33** से देखा जा सकता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में समग्र उपलब्धि केवल 50 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, ₹ 7,703.47 करोड़ रुपये (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं: ₹ 5,930.64 करोड़, राज्य योजनाएं: ₹ 1,685.82 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं: ₹ 0.01 करोड़ और बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं: ₹ 87.00 करोड़) के कुल प्रावधानों की तुलना में 320 लेखा शीर्ष (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं: 183, राज्य योजनाएं:134, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं: एक और बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं: दो) मे शून्य उपलब्धि देखी गई।

2.14 आकस्मिकता निधि

बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के प्रावधानों के तहत, बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के प्रावधानों के आलोक में, राज्य सरकार ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि में धन जमा करने, उसकी अभिरक्षा और उससे धन निकालने से संबंधित या उससे जुड़े सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।

इस निधि का मूल कोष ₹ 350.00 करोड़ है। हालांकि, 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए, अस्थायी आधार पर आकस्मिकता निधि के कोष को ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10,000.00 करोड़ किया गया था।

2.14.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल ऐसी अप्रत्याशित और आपातकालीन प्रकृति के व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक टालना अवांछनीय हो।

यह देखा गया कि राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 446.49 करोड़ की कुल 59 आहरण आकस्मिक के साथ-साथ गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए भी किए गए थे, जिसका सारांश **तालिका 2.34** में दिया गया है।

तालिका 2.34: आकस्मिकता निधि से आहरण का सारांश

(₹ करोड़ में)

आहरण की प्रकृति	मामलों की संख्या	राशि
आकस्मिक	35	442.81
गैर-आकस्मिक	9	3.68
सांकेतिक	15	0.00*
कुल	**59**	**446.49**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार

** ₹ 0.22 लाख*

वर्ष 2024-25 के दौरान, हालांकि आकस्मिकता निधि के मूल कोष में पर्याप्त वृद्धि की गई थी, लेकिन इसका उपयोग केवल 4.46 प्रतिशत ही रहा। जैसा कि **तालिका 2.34** से भी देखा जा सकता है, नौ आहरण के माध्यम से ₹ 3.68 करोड़ की राशि का उपयोग गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

संपूर्ण राशि ₹ 9,650 करोड़ को 31 मार्च 2025 से पहले मुख्य शीर्ष '7999-आकस्मिकता निधि में विनियोग' के तहत वापस आकस्मिकता निधि में डाल दिया गया था।

2.15 निष्कर्ष

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य का कुल व्यय, कुल बजट का 78.78 प्रतिशत रहा, जो मूल बजट, कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अवास्तविक अनुमानों एवं बजट तथा व्यय के बीच खराब संरेखण को भी इंगित करता है।

- कुल 1,909 लेखा शीर्षों के तहत अंतर (बचत/आधिक्य) के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन 1,806 लेखा शीर्षों (94.60 प्रतिशत) के संबंध में कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो कि जवाबदेही को कमजोर करता है और सुधारात्मक पहलों में बाधा डालता है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों और अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के उदाहरण सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बचतें हुई। हालांकि, इन बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पण का स्तर बहुत कम, मात्र 13.43 प्रतिशत रहा।

- नौ योजनाओं के 11 लेखा शीर्षों में, ₹ 3,486.74 करोड़ के कुल बजट (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक) के विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं किया गया।

- वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, विगत वर्षों से संबंधित कुल ₹ 15,657.61 करोड़ की राशि लघु शीर्ष “911” के तहत सरकारी खाते में वापस/वसूल की गई, इसमें ₹ 14,571.15 करोड़ (कुल वापसी/वसूली का 93.06 प्रतिशत) 'अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी' से संबंधित थे।

- वित्तीय वर्ष के अंतिम चतुर्मास के दौरान अधिकतम व्यय (कुल व्यय का 39.85 प्रतिशत) किया गया, जो वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में सघन व्यय और निर्धारित सीमा के उल्लंघन को दर्शाता है।

- ₹ 33.11 करोड़ की राशि को राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया, इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय का उस सीमा तक अतिकथन एवं राजस्व व्यय का अवकथन हुआ।

2.16 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- बजट वास्तविक आधार पर तैयार करना सुनिश्चित कर सकती है ताकि अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

- योजनाओं (लेखा शीर्षों) के तहत बचत या आधिक्य के सभी मामलों में स्पष्ट कारण बताना सुनिश्चित कर सकती है, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे।

- विभिन्न मदों के तहत सतत् एवं वृहत् बचत के कारणों की समीक्षा कर सकती है, ताकि आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी अनुमानित बचतों को समय पर अभ्यर्पित कर दिया जाए, ताकि उपलब्ध धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में होने वाले व्यय की सघनता की निगरानी एवं नियंत्रण कर सकती है।

अध्याय III:
वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

अध्याय-III: वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा जारी निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर आधारित प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सूचनाओं की प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है।

लेखे की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ली गई गैर-बजट उधारी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण या गारंटी है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ऋण ग्रहण करने हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों हेतु सामान्य सकल उधारी सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

उपर्युक्त निर्धारित निवल उधारी सीमा को दरकिनार कर, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एस०पी०एस०यू०)/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से गैर-बजट उधारी लेना, राज्य की राजकोषीय स्थिरता और पारदर्शिता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, विशेषकर तब, जब इनके पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य पर हो। इसे नियंत्रित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों की निर्धारित उधारी सीमा को उनके द्वारा ली गई गैर-बजट उधारी की राशि तक कम किया जा रहा है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (बी०एफ०आर०बी०एम०), 2006 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जनहित में अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय करेगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विशेष प्रयोजन उद्यम (एस०पी०वी०) एवं अन्य समकक्ष साधनों के माध्यम से ली गई गैर-बजट उधारियों से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का प्रकटीकरण करेगी, जहाँ ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। इसके अतिरिक्त बी०एफ०आर०बी०एम०, अधिनियम, 2006 में यह भी प्रावधान है कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा राज्य के कुल बकाया ऋण[1] के संबंध में तीन वर्षीय क्रमिक लक्ष्यों को समाहित करेगा।

वर्ष 2024-25 के लिए, बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के तहत ऋण सीमा को 35.67 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने राज्य के लिए ₹ 29,759.91 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का तीन प्रतिशत) की उधार सीमा तय की थी।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2024-25 में गैर-बजट उधारी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई गैर-बजट उधारी नहीं ली गयी। सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक बकाया गैर-बजट उधारी ₹ 1,823 करोड़ थी। गैर-बजट उधारियों का विवरण **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

---

[1] *बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 के अनुसार, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधि और जमा शामिल हैं।*

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक गैर-बजट उधारियों का विवरण
(जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया)

(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, पटना	2,000.00	1,260.25	जे०पी० गंगा पथ का निर्माण	1,135.49
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	2,820.41	1,100.00	ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना का कार्यान्वयन	687.51
			कुल	**1,823.00**

स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

कुल बकाया गैर-बजट उधारी को जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 3.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में बकाया गैर-बजट उधारी

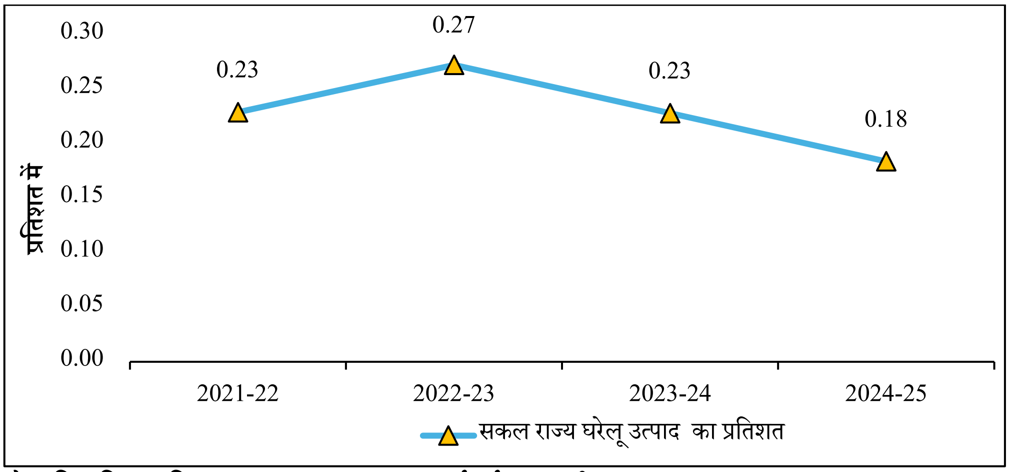

स्रोत: वित्त विभाग,बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

इन उधारियों का पुनर्भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया जा रहा था। वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) ने राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से ₹ 365.12 करोड़ की गैर-बजट उधारी का पुनर्भुगतान किया, जिसका विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज भुगतान एवं मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु प्रदान की गई सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्थाओं का नाम	ब्याज राशि के भुगतान हेतु सहायता	मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता
1	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	118.25	85.35
2	बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	69.86	91.66
	कुल	**188.11**	**177.01**

स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

बजट दस्तावेजों में गैर-बजट उधारियों का प्रकटीकरण न किया जाना राज्य सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति को अपारदर्शी बनाता है। यद्यपि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई नई गैर-बजट उधारी नहीं ली गई,

तथापि पूर्व में ली गई गैर-बजट उधारियों के संबंध में ब्याज भुगतान एवं मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार ने अपने विशेष प्रयोजन उद्यम (एस०पी०वी०) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

3.2 सरकार की अप्रदत्त देनदारियां

संगृहीत उपकर को नामित निकायों को अंतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में निर्धारित अंशदान का कम प्रेषण जैसे अप्रदत्त दायित्व, दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण राजकोषीय एवं प्रशासनिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस प्रकार के अप्रदत्त देनदारियां समय के साथ संचित होकर छिपे हुए दायित्व का रूप ले लेती हैं, जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करता है। इसके अतिरिक्त, उपकर के अंतरण में विलंब से अपेक्षित विकासात्मक अथवा कल्याणकारी परिणामों की प्राप्ति बाधित होती है, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित होती है, जिनके लिए ऐसे उपकर अधिरोपित किए गए थे। इसी प्रकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में कम प्रेषण न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है, बल्कि कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। दीर्घ अवधि में इस तरह के संव्यवहार विश्वास को कम कर सकते हैं, कानूनी दायित्वों को जन्म दे सकते हैं एवं भविष्य के व्यय दायित्वों में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो सकती हैं और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो सकते हैं। ऐसे मामलों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.1 अप्रदत्त ब्याज दायित्व

राज्य सरकार के लोक लेखों के अंतर्गत आरक्षित निधियाँ विशिष्ट एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ संचित निधि से प्राप्त अंशदान/अनुदान अथवा बाहरी संस्थाओं से प्राप्त संसाधनों के माध्यम से निर्मित होती है। दूसरी ओर, राज्य के लोक लेखों के अंतर्गत ब्याज सहित जमा राशियाँ वे निधियाँ हैं, जिन्हें सरकार न्यास के रूप में धारण करती है जिन पर ब्याज दिया जाता है, जिसमे सामान्यतः विशिष्ट आरक्षित निधियाँ तथा कुछ व्यक्तिगत/सिविल जमा सम्मिलित होते हैं। ब्याज सहित जमा राशि/आरक्षित निधि में संचित राशियों का प्रावधान करने तथा ब्याज का भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार में निहित है।

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधियों से संबंधित शेष (01 अप्रैल 2024 के अनुसार) ₹ 3900.11 करोड़ राशि के विरुद्ध ₹ 394.11 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अर्जित ब्याज के विरुद्ध मात्र ₹ 89.67 करोड़ का ही भुगतान किया गया, जबकि शेष ₹ 304.44 करोड़ का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि **तालिका 3.3** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.3: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ब्याज सहित जमा निधि का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	सरकारी कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना *(संदर्भ: कंडिका 3.2.2)*	50.80	आर्थिक मामलों के विभाग (डी०ई०ए०), वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी।	3.61
2.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	289.47	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 3.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	13.21

क्रम सं०	ब्याज सहित जमा निधि का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
3.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर लागू दर (रेपो दर + 2 प्रतिशत) के आधार पर 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	219.96
4.	राज्य आपदा शमन निधि	759.80	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर लागू दर (रेपो दर + 2 प्रतिशत) के आधार पर 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	67.66
	कुल	**3,900.11**		**304.44**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

ब्याज दायित्व ₹ 304.44 करोड़ का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कम बताया गया, जिसने राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को उस सीमा तक कम कर दिया।

पेंशन निधि, वनीकरण निधि और अन्य लोक लेखे निधि में ब्याज न जमा करने से संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 266) और प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप देनदारियों का कम आकलन, निधि शेषो का अशुद्ध प्रतिरूपण एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार के वसूली दायित्वों एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) अंशदान (₹ 3.61 करोड़) के जमा न होने अथवा विलंब से होने से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं, जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियमावली, 2021 में निर्धारित है, को भी उद्घटित करती है।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) लागु की जिसके अंतर्गत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी०सी०पी०एस०) जिसमें अप्रैल 2019 से कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 14 प्रतिशत होना था। अंशदान की कुल राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित किया जाना था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारियों का अंशदान	सरकार का अंशदान	कुल	संवितरण (एन०एस०डी०एल० को अंतरित)	कम(-)/ अधिक(+) अंतरण
2024-25	10.24	2,348.73	3,281.94	5,640.91	4,340.10	(-)1,300.81

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि 01 अप्रैल 2024 को डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत प्रारम्भिक शेष ₹ 10.24 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल ₹ 5,636.95 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 2,348.73 करोड़, सरकार का अंशदान: ₹ 3,288.22 करोड़) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में जमा किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, सरकार द्वारा एन०पी०एस० में ₹ 3,281.94 करोड़ (₹ 6.28 करोड़ से कम) का ही अंशदान किया गया।

सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) से एन०एस०डी०एल०/न्यासी बैंक में ₹ 4,340.10 करोड़ अंतरित किए, जिससे ₹ 1,300.81 करोड़ (₹ 5,640.91 करोड़ {₹ 10.24 करोड़ के प्रारंभिक शेष सहित} घटाव ₹ 4,340.10 करोड़) की शेष राशि बची रही। यह राशि अभी एन०एस०डी०एल० को अंतरित की जानी शेष थी। इसके अलावा, 2020-21 से पूर्व की अवधि से संबंधित नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान सहित अंत शेष ₹ 40.56 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011-106 अन्य बीमा और पेंशन निधि) भी 31 मार्च 2025 तक एन०एस०डी०एल० को अंतरित किया जाना शेष था।

वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्तियाँ, सरकार का अंशदान और पेंशन निधि में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

कुल ₹ 1,341.37 करोड़ का अंतरण न होने के परिणामस्वरूप न केवल सरकार के नकदी शेष में उतनी ही राशि की अतिशयोक्ति हुई, बल्कि राजस्व और राजकोषीय घाटे को भी उस सीमा तक कम करके बताया गया। इसके अतिरिक्त, अंशदान और निधि अंतरण में विलंब के कारण, राज्य सरकार को ₹ 29.84 करोड़ के परिहार्य ब्याज का वहन करना पड़ा।

एन०पी०एस० के अंतर्गत डी०सी०पी०एस० को अपनाने के बावजूद, निधि के अंतरण में विलंब के कारण, राज्य को अपरिहार्य ब्याज का वहन करना पड़ा, जिससे न केवल कर्मचारियों के प्रतिफल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बल्कि राज्य पर एक विलंबित दायित्व भी उत्पन्न कर दिया।

3.2.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का हस्तांतरण न किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) एवं बिहार सरकार के नियमों/संकल्प के अनुसार, भूमि की लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय किसी भी क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर, नियोक्ताओं/निर्माताओं द्वारा किए गए निर्माण व्यय पर एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर अधिरोपित एवं संगृहीत किया जाना था। सभी विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को यह निर्देश दिया गया था कि वे स्वीकृत आवासीय भवन योजनाओं वाले व्यक्तियों सहित सभी निर्माण कार्यों से, यह उपकर संग्रह करें तथा संगृहीत उपकर राशि को राज्य के 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' में जमा करें। संगृहीत उपकर राशि का उपयोग राज्य के सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना था।

विभागों ने उपकर के संग्रह को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा के तहत दर्ज किया, जिसमें उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं। इसलिए, विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित उपकर को दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा जून 2019 में एक अलग उप-शीर्ष (8443-00-108-0004) खोला गया था। हालांकि, 31 मार्च 2025 तक यह लेखा शीर्ष कार्यशील नहीं था। इसके अतिरिक्त, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर की वसूली मांग ड्राफ्ट, चेक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन०ई०एफ०टी०)/ रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (आर०टी०जी०एस०) तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी की जा रही थी।

01 अप्रैल 2024 तक श्रम उपकर का प्रारंभिक शेष ₹ 223.78 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष "8443-108" के तहत ₹ 124.03 करोड़ का श्रम उपकर संगृहीत किया गया था और ₹ 136.69 करोड़ का उपकर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अंतरित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 211.12 करोड़ की राशि अंतरित नहीं होने के कारण न केवल नकदी शेष का अधिकांकन हुआ, बल्कि उसी सीमा तक राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा को कम प्रदर्शित किया गया। समर्पित उपकरों को संबंधित निधियों में अंतरित करने में हुई देरी ने कल्याणकारी योजनाओं के समय पर निष्पादन को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपकर राशि को कल्याण बोर्ड को अंतरित करने से पहले, इसे एक निर्धारित सरकारी 'लेखा शीर्ष' के माध्यम से भेजने की मानक प्रक्रिया अपनाने के बजाय, कुछ संस्थाओं द्वारा संग्रह की गई राशि सीधे बोर्ड को भेज दी गई, जबकि अन्य संस्थाओं ने इसे कोषागार संचालन के माध्यम से जमा किया। एक समन्वित एवं समरूप लेखांकन ढाँचे के अभाव में उपकर संग्रहण एवं अंतरण की पूर्णता, सटीकता तथा समाशोधन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखे उस सीमा तक अधूरे रहे। इसके अलावा, इन प्रक्रियात्मक भिन्नताओं के कारण बकाया राशि के सत्यापन और अनुगमन में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

3.2.4 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन०एम०ई०टी०) की स्थापना अगस्त 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)-एम०एम०डी०आर० अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) के अंतर्गत की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा धारक या खनिज रियायत धारक को द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि का दो प्रतिशत राशि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, न्यास को भुगतान करेगा।

एन०एम०ई०टी० नियम, 2015 के अनुसार, राज्य इस राशि का संग्रहण कर उसे राज्य के लोक लेखों में मुख्य शीर्ष 8449–123–एन०एम०ई०टी० जमा के अंतर्गत जमा करने तथा उक्त निधि को प्रतिमाह भारत की संचित निधि में अंतरित करने के लिए उत्तरदायी है। खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ़०एन० 8/1/2015-एन०एम०ई०टी० दिनांक: 05 अप्रैल 2018 के माध्यम से एन०एम०ई०टी० नियमों के अंतर्गत निधि के लेखांकन की प्रक्रिया अधिसूचित की थी।

01 अप्रैल 2024 को एन०एम०ई०टी० के अंतर्गत प्रारंभिक शेष ₹ 2.15 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस शीर्ष में ₹ 4.16 करोड़ जमा हुए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 2.36 करोड़ ही एन०एम०ई०टी० को अंतरित किए गए। मुख्य शीर्ष 8449-123 के अंतर्गत अंत शेष (31 मार्च 2025 को) ₹ 3.95 करोड़ रहा (प्रारंभिक शेष ₹ 2.15 करोड़ + ₹ 4.16 करोड़ प्राप्ति – ₹ 2.36 करोड़ अंतरित)। ₹ 3.95 करोड़ की राशि अंतरित नहीं होने के कारण न केवल नकदी शेष का अतिकथन हुआ, बल्कि उसी सीमा तक राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा का भी अवकथन हुआ।

अतः राज्य सरकार को एम०एम०डी०आर० अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी, एन०एम०ई०टी० नियमों तथा खनन मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.2.5 प्रतिदाय के लंबित मामलें

प्रतिदाय के मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के कार्य निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सात[2] कर संग्रह विभागों में से, केवल दो विभागों (वाणिज्यिक कर और मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद) ने प्रतिदाय के लंबित मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराए।

वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय मामलों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	जी०एस० टी०		बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	136	27.69	312	22.48	123	3.71
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	985	153.95	195	59.11	4	0.22
3.	वर्ष के दौरान दिए गए प्रतिदाय	257	43.61	58	11.09	5	1.16
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत किये गए प्रतिदाय	734	105.48	319	28.68	0	0.00
5.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	130	32.55	130	41.82	122	2.77

स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

संपूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सकी।

3.3 सरकारी लेखों से बाहर की निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त सभी धनराशि मिलकर एक निधि बनेगी, जिसे 'राज्य की संचित निधि' कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन जैसा भी मामला हो, 'राज्य के लोक लेखे' में जमा किए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न उपकर/लेवी अधिरोपित किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों/लेवी के संबंध में सूचना/आँकड़े संकलित किया गया, जिनकी चर्चा आगे की गई हैं :

[2] *वाणिज्य कर, परिवहन, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन), मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन (उत्पाद), खान एवं भूतत्व, ऊर्जा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार।*

i सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन (एम०वी०), कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा उपकर का अधिरोपण एवं संग्रहण किया गया था। सड़क सुरक्षा उपकर के प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में "बिहार सड़क सुरक्षा निधि (बी०आर०एस०एफ०)" को अधिसूचित किया गया।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्ति हेतु लेखा शीर्ष 0041-00-102-0002 – 'सड़क सुरक्षा उपकर के उद्ग्रहण से प्राप्तियां' और व्यय करने हेतु लेखा शीर्ष 2041-00-101-0005 – 'सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्तियों का योगदान ' अधिसूचित (मार्च 2017) किया गया। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लेखा शीर्ष अधिसूचित किए गए थे, तथापि 31 मार्च 2025 तक सड़क सुरक्षा उपकर के लिए कोई पृथक निधि का सृजन नहीं किया गया एवं संगृहीत सड़क सुरक्षा उपकर को बैंक खातों में रखा जा रहा था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने सड़क सुरक्षा उपकर के रूप में ₹ 207.82 करोड़ एकत्र किए, लेकिन लोक लेखा के बजाय राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा संचालित निर्दिष्ट बैंक खाते में केवल ₹ 2.41करोड़ (2023-24: ₹ 23.77 करोड़) अंतरित किए, जो संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। उपकर के कम अंतरण होने से न केवल नकदी शेष का अतिकथन हुआ, बल्कि उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे का अवकथन भी हुआ।

ii भूमि उपकर

बिहार में ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकायों के कार्यों में मदद हेतु लगान (किराया) पर चार विभिन्न उपकर अधिरोपित किए जाते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगान (किराया) पर स्वास्थ्य (50 प्रतिशत), शिक्षा (50 प्रतिशत), सड़क (25 प्रतिशत) तथा कृषि (20 प्रतिशत) उपकर अधिरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 0029-00-103-0002 के अंतर्गत ₹ 0.79 करोड़ (2023-24 में ₹ 1.49 करोड़) भूमि उपकर के रूप में संगृहीत किए गए।

चूंकि मुख्य शीर्ष 0029-00-103-0002 में 'भूमि पर दरें एवं उपकर' से संबंधित अन्य प्राप्तियां भी सम्मिलित थीं, अतः भूमि उपकर के रूप में संगृहीत राशि को पृथक रूप से चिह्नित अथवा विशिष्ट रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया एवं उपकर के विरुद्ध व्यय प्रायः सामान्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता रहा, जिससे इसे विशिष्ट विकासात्मक गतिविधियों से स्पष्ट रूप से संबद्ध नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, उपकर के संग्रहण, अंतरण एवं उपयोग हेतु राज्य द्वारा अभी तक कोई समर्पित निधि का सृजन नहीं किया गया है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था, किंतु उत्तर अभी तक (जनवरी 2026) प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3.1 बिहार विद्युत विनियामक आयोग की निधियों का राज्य के लोक लेखा के बजाय बैंक खातों में रख-रखाव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, 'राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे'।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किया गया था। अधिनियम की धारा 103 यह निर्धारित करती है कि 'बिहार विद्युत विनियामक आयोग निधि, 2011

(बी०ई ०आर०सी०एफ़०)' नामक एक निधि का सृजन हो जिसमें आयोग की प्राप्तियों[3] को जमा किया जाना तथा वहीं से व्यय किया जाना था। हालांकि, बिहार सरकार ने इसके बजाय बिहार विद्युत विनियामक आयोग (निधि) नियम, 2011 अधिनियमित किए, जिसके (नियम 7) तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसी प्राप्तियों और व्ययों के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग निधि खाते का संचालन एक राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाए। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप लोक निधि को राज्य के लोक लेखे में जमा करने के स्थान पर अनुसूचित बैंक खाते में रखा गया, जो संवैधानिक प्रावधानों/अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। मार्च 2024 तक, राज्य के लोक लेखा के बजाय बी०ई०आर०सी०एफ़० के बैंक खाते में ₹ 44.08 करोड़ शेष थे। परिणामस्वरूप, न केवल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि लोक लेखा का शेष भी ₹ 44.08 करोड़ से अवकथन दिखाया गया, जो राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में सहायक हो सकता था।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 341(2) में प्रावधान है कि जहाँ सहायता अनुदान (जी०आई०ए०) स्वीकृत की जाती है तथा उनके उपयोग के संबंध में विशिष्ट व्यय उद्देश्यों, समय-सीमा अथवा अन्य शर्तें निर्धारित की जाती हैं, वहाँ जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रति-हस्ताक्षर से सहायता अनुदान का विपत्र आहरित किया गया है, वह उक्त शर्तों की पूर्ति के संबंध में महालेखाकार के समक्ष प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता (बी०टी०सी०), 2011 के नियम 271(ई) के अनुसार, सहायता अनुदान के निर्गमन की तारीख से 18 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 1,31,361.32 करोड़ के 71,968 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किए जाने थे। वर्ष के प्रारम्भ (अप्रैल 2024) में, ₹ 70,877.61 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे एवं वर्ष के दौरान, ₹ 39,228.57 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र को समायोजित किया गया था, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 92,132.75 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.2)*** के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष रह गए,जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

31 मार्च 2025 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अधिकतम राशि वाले शीर्ष पांच विभागों का विवरण **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्ष -वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	3,505	21,515.36
2019-20	9,241	6,482.14
2020-21	15,544	7,443.46
2021-22	12,695	13,374.03
2022-23	15,538	23,046.38

[3] *(क) राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण; (ख) इस अधिनियम के तहत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क; एवं (ग) अन्य किसी भी स्रोत से राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।*

उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या	राशि
2023-24 (सितंबर 2023 तक स्वीकृत)	6,109	20,271.38
कूल	**62,632**	**92,132.75**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

**ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक आहरण के 18 महीने के बाद।*

चार्ट 3.2: 31 मार्च 2025 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) की सर्वाधिक राशि वाले शीर्ष पाँच विभाग

(₹ करोड़ में)

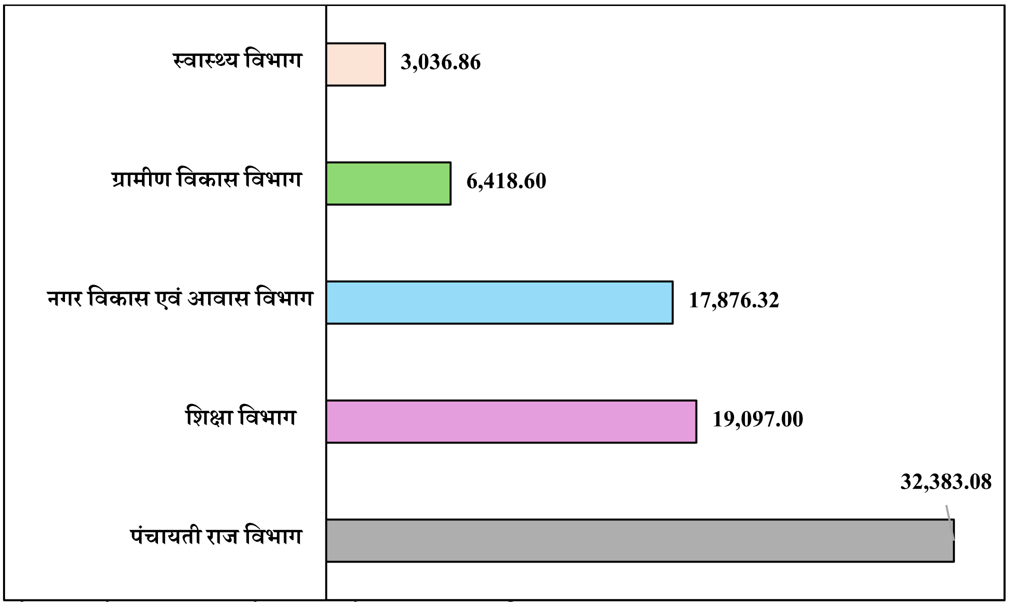

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार

लेखापरीक्षा अवधि तक विभिन्न वर्षों में निर्गत किये गए सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की एक बड़ी संख्या लंबित पाई गई, जिनसे संबंधित पर्याप्त राशि के वास्तविक उपयोग का सत्यापन नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित होने के बावजूद कार्यान्वयन संस्थाओं को अनुदान का निरंतर निर्गमन किया जाना प्रशासनिक विभागों तथा वित्त विभाग द्वारा प्रभावी समीक्षा के अभाव एवं प्रभावहीन नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना निधि के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है, अतः यह अत्यावश्यक है कि राज्य सरकार इस विषय पर सुक्ष्मतम रूप से निगरानी रखे तथा संबंधित अधिकारियों को इन प्रमाण-पत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी ठहराए।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था, किंतु उत्तर अभी तक (जनवरी 2026) प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 सार आकस्मिक विपत्र

जब अग्रिम रूप से धनराशि की आवश्यकता होती है अथवा आवश्यक राशि का उचित आकलन संभव नहीं हो, तब आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) को सहायक दस्तावेजों के बिना सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष को नामे (डेबिट) करते हुए धन आहरित करने की अनुमति दी जाती है एवं व्यय को संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। सार आकस्मिक विपत्र के माध्यम

से व्यय केवल आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए।

बिहार कोषागार संहिता (बी०टी०सी०), 2011 के नियम 177 में प्रावधान है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, बी०टी०सी०, 2011 के नियम 194 के प्रावधान के अनुसार, जिस कोषागार से सार आकस्मिक विपत्र का आहरण किया गया है, उसी कोषागार में विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करने में किसी भी स्थिति में छह महीने से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा करने में देरी या लंबे समय तक जमा न करने से लेखे की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक समायोजन हेतु लंबित सार आकस्मिक विपत्रों का विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: सार आकस्मिक विपत्रों का वर्ष-वार लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए		वर्ष के दौरान समायोजित किये गए		अंत:शेष	
	समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	आहरित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	समर्पित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि
2022-23 तक	14,643	3,752.82	4,382	6,149.30	3,621	4,141.85	15,404	5,760.27
2023-24	15,404	5,760.27	5,088	4,718.24	2,919	1,088.23	17,573	9,390.28
2024-25#	17,573	9,390.28	2,038	1,016.94	124	45.48	19,487	10,361.74

***स्रोत:** वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार*

 # सितंबर 2024 तक आहरित किये गए सार आकस्मिक विपत्रों पर आधारित

2024-25 के दौरान, ₹ 1,016.94 करोड़ के कुल 2,038 सार आकस्मिक विपत्र आहरित किये गए, जिनमें ₹ 679.36 करोड़ (66.80 प्रतिशत) की राशि के 1,366 सार आकस्मिक विपत्र मार्च 2025 में आहरित किये गए। 2024-25 के दौरान, ₹ 45.48 करोड़ की राशि के 124 सार आकस्मिक विपत्रों को समायोजित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान यानी 31 मार्च 2025 ***(परिशिष्ट 3.3)*** तक ₹ 737.24 करोड़ के 1,042 सार आकस्मिक विपत्रों को भी आंशिक रूप से समायोजित किया गया था। लंबित कुल ₹ 10,361.74 करोड़ में से ₹ 5,513.69 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्ष (4515, 4202, 4210 और 4851) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय से संबंधित थे, जो नियोजित गतिविधियां थीं। पांच मुख्य विभागों के तहत लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र **चार्ट 3.3** में दर्शाए गए है।

चार्ट 3.3: पांच मुख्य विभागों के तहत लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

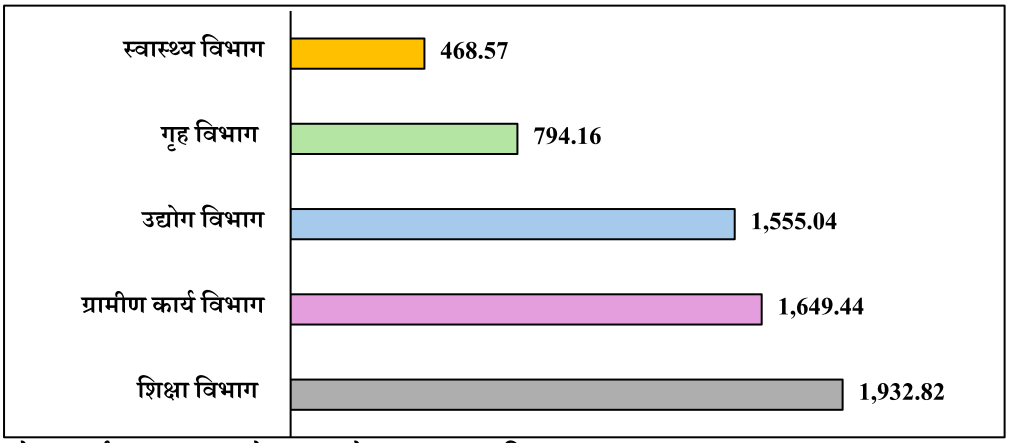

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में सार आकस्मिक विपत्र के माध्यम से व्यय किया जाना सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में योजना, नियंत्रण एवं वित्तीय अनुशासन की कमी को इंगित करता है। यह इसे भी इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजटीय प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे थे। लंबे समय तक राजकोष के बाहर असमायोजित अग्रिमों को बनाए रखना धन के दुरुपयोग, गबन तथा राज्य के राजकोष को संभावित हानि का जोखिम उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक विपत्र की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्तीय लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार को विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की समय से प्रस्तुति की अनिवार्यता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5.1 असमायोजित अस्थाई अग्रिम/अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, अनुमानित मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों के व्यपगत होने से रोकने के उद्देश्य से कोषागार से कोई भी राशि आहरित नहीं की जाएगी। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अग्रिम रूप में राशि आहरित की जाती है, तो उस आहरित राशि में से अव्ययित शेष को यथाशीघ्र अगले विपत्र में कम आहरण के माध्यम से अथवा चालान के जरिए कोषागार में वापस जमा कर दिया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में जिस वित्तीय वर्ष में राशि आहरित की गई हो, उसके अंत से पहले जमा कर दी जानी चाहिए।

31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों के कार्यकारी कार्यालयों के पास ₹ 184.52 करोड़ की असमायोजित अस्थायी अग्रिम राशि एवं ₹ 25.46 करोड़ की असमायोजित अग्रदाय राशि लंबित पाई गई। असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदाय राशियों का विवरण **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: 31 मार्च 2025 तक असमायोजित अस्थायी अग्रिम/ अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	विभाग/संगठन	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63

क्र०सं०	विभाग/संगठन	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
	कुल	**184.52**	**25.46**	**209.98**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार

असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय शेषों का लंबे समय तक लंबित रहना वित्तीय अनुशासन के अभाव को दर्शाता है और यह आंतरिक नियंत्रण की अल्पता को भी इंगित करता है।

3.6 लोक लेखों के अंतर्गत जमा

संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमा ऐसे ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं जिन्हें 8443-सिविल जमा –106–व्यक्तिगत जमा तथा 8448–स्थानीय निधियों के जमा जिसे व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खाता भी कहा जाता है के अंतर्गत संचालित किया जाता है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 339 के अनुसार, वित्त विभाग की लिखित स्वीकृति तथा प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) को सूचित किए बिना कोषागार में कोई भी पी० डी०/ पी० एल० खाता नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 340 (ख) में यह प्रावधान है कि पी० डी०/पी० एल० खाते केवल विशेष परिस्थितियों में ही संचालित किए जाएँ, जहाँ लोकहित में व्यय की गति को बनाए रखने की आवश्यकता हो और सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से व्यय संभव न हो, अथवा जहाँ लाभार्थियों की संख्या अधिक हो तथा वे दूरस्थ/अंतर्गत क्षेत्रों में स्थित हों, जिससे कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान करना व्यावहारिक रूप से संभव न हो।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाता

व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी० डी० खातों की समीक्षा करें और लगातार पांच वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि आहरित किया गया था) तक अव्ययित पड़े राशि को उस सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती के माध्यम से राज्य की संचित निधि में वापस अंतरित कर दें।

बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 01 अप्रैल 2019 से पूर्व खोले गए सभी पी० डी०/पी०एल० खातों को सी०एफ०एम०एस० के तहत 01अप्रैल 2019 से खोला माना जाएगा। ऐसे पी०डी०/पी०एल० खातों में अव्ययित शेष राशि पाँच अनुवर्ती वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगी और संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी (बिहार कोषागार संहिता, नियम 344) के रूप में संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की संचित निधि से लेखा शीर्ष 8443–106 के अंतर्गत पी०डी० खातों में ₹ 1,686.66 करोड़ की राशि अंतरित की गई। इसमें से ₹ 644.07 करोड़ की राशि मार्च 2025 में पी० डी० खातों में अंतरित की गई। 31 मार्च 2025 तक पी० डी० खातों का विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2024-25 की अवधि में पी० डी० खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)		वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण		अंत शेष (31.03.2025 तक)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
252	2,180.46	0	1,686.66	0	1,207.55	252	2,659.57

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) वर्ष 2024-25 के दौरान, पी०डी० खातों के 252 प्रशासकों में से केवल 16 प्रशासकों ने अपने शेष का कोषागार अभिलेखों से समाशोधन एवं सत्यापन किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी को दर्शाता है।

(ii) मार्च 2025 के दौरान ₹ 644.07 करोड़ की राशि पी0डी0 खातों में अंतरित किए जाने से वर्ष के अंत में निधियों का पर्याप्त अवरोधन हुआ, जिससे यथार्थवादी बजट निर्धारण का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

(iii) बिहार कोषागार संहिता के नियम 344 का अनुपालन न करने के कारण ₹ 141.13 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप निकासी के वर्ष में राजस्व व्यय उतनी राशि से अधिक प्रदर्शित हुआ।

(iv) 109 पी0डी0 खाते निष्क्रिय पाए गए, जिनमें ₹ 13.85 करोड़ की अव्ययित शेष राशि निष्क्रिय पड़ी रही, जो प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं आवधिक समीक्षा की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

इसलिए, सरकार को सभी पी०डी० खाता के प्रशासकों द्वारा समाशोधन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में पी०डी० खातों में निधियों का जमा रखना हतोत्साहित किया जाना चाहिए और धन का आहरण को वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। निष्क्रिय पी०डी० खातों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए एवं अव्ययित शेष राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

3.6.2 स्थानीय निधि जमा

बिहार की जिला परिषद (ज़ेड०पी०), पंचायत समिति (पी०एस०) और ग्राम पंचायत (जी०पी०) अपनी निधियों का रख-रखाव मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-109-पंचायत निकाय निधि (राज्य का लोक लेखा) के अंतर्गत करती हैं। इन निधियों में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां, और पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदान और उनका अपना राजस्व, जिसमें उनकी कर और गैर-कर प्राप्तियां भी शामिल हैं। इसी तरह, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां और नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां उनके द्वारा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-102-नगरपालिका निधि (राज्य का लोक लेखा) के अंतर्गत नगरपालिका निधि में रखी जाती हैं।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के अनुसार, पी०एल० खातों के प्रशासकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोषागार के आंकड़ों के साथ अपने शेष का समाशोधन और सत्यापन करें एवं प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार को सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

नगरपालिका निधि और पंचायत निकाय निधि के तहत स्थानीय निधियों की जमा का विवरण **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: स्थानीय निधि की जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
नगरपालिका निधि	(8448-102)	**प्रारंभिक शेष**	**1**	**3,743.56**	**5,033.79**	**6,225.03**	**6,019.66**	**6,043.11**
		प्राप्ति	2	3,913.13	4,066.75	2,600.45	4,545.47	3,687.44
		व्यय	3	2,622.90	2,875.51	2,805.82	4,522.02	3,844.03
		अन्त शेष	**4**	**5,033.79**	**6,225.03**	**6,019.66**	**6,043.11**	**5,886.52**
पंचायत निकाय निधि	(8448-109)	**प्रारंभिक शेष**	**5**	**754.98**	**852.58**	**756.29**	**710.29**	**465.75**
		प्राप्ति	6	556.49	228.82	143.34	20.43	22.04
		व्यय	7	458.89	325.11	189.34	264.97	58.93
		अन्त शेष	**8**	**852.58**	**756.29**	**710.29**	**465.75**	**428.86**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2024-25 के दौरान, पी०एल० खातों के 398 प्रशासकों में से केवल 33 प्रशासकों ने ही कोषागार के अभिलेखों के साथ अपनी शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन किया। शेष राशि का समाशोधन न होने के कारण न केवल वित्तीय प्रतिवेदन की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि संचित निधि के बाहर रखी गई निधि के गलत विवरण, दुरुपयोग या विचलन का जोखिम भी बढ़ जाता है।

विगत कुछ वर्षों में, जमा खाते (मुख्य शीर्ष 8448) में संचित शेष राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 31,830.36 करोड़ तक पहुँच गई, जिसे **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: स्थानीय निधियों को जमा करने के लिए निधियों के अंतरण के रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूंजीगत			कुल (3+6)	मुख्य शीर्ष 8448 का अंत शेष
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित लेकिन व्यय के रूप में अंकित राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत (कॉलम 2)	वित्त लेखे के अनुसार पूंजीगत व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित लेकिन व्यय के रूप में अंकित राशि	पूंजीगत व्यय का प्रतिशत (कॉलम 5)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021-22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022-23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43
2023-24	1,90,514	12,295	6.45	36,453	11,072	30.37	23,367	30,017.64
2024-25	2,19,015	7,380	3.37	38,527	13,920	36.13	21,300	31,830.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

प्रारंभ में राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज की गई निधियों को बाद में लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8448 – स्थानीय निधियों की जमा में अंतरित कर दिया गया था, जहाँ वे आंशिक उपयोग या बिना उपयोग के पड़ी रहीं। संचित निधि के बाहर निधियों के इस तरह के अंतरण और प्रतिधारण के परिणामस्वरूप संबंधित वर्षों के वित्त लेखे में दर्ज वास्तविक व्यय में वृद्धि/ अतिशयोक्ति हुई। इसके अतिरिक्त, पी०एल० खातों में निधियों का जमा रहना विधायी निगरानी को दरकिनार करता है तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों की अवहेलना करता है।

राज्य सरकार से निधियों के इस अंतरण तथा "स्थानीय निधियों की जमा" के अंतर्गत उनके अवरोधन के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

3.7 लघु शीर्ष- 800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो एवं प्राप्तियां व व्यय अनावर्ती प्रकृति में के हों। लघु शीर्ष- 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। संचित लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा संसाधनों के आवंटन की प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 37 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 893.11 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,18,657.83 करोड़) का 0.41 प्रतिशत है, को लेखे में '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 22 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 502.51 करोड़, जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 2,57,542.25 करोड़) का 0.20 प्रतिशत है, को लेखे में 'लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान ₹ 132.24 करोड़ से बढ़कर ₹ 502.51 करोड़ हो गया, जबकि, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत दर्ज की गई प्राप्तियाँ ₹ 3,364.36 करोड़ से घटकर ₹ 893.11 करोड़ रह गई। लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ **तालिका 3.12** में उल्लिखित है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष -800 "अन्य प्राप्तियां" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियां (50 प्रतिशत और उससे अधिक अथवा वृहत मात्रा में नामित की गई राशि)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों में लघु शीर्ष-800 की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	571.00	92.43	16.19
2	0049	ब्याज प्राप्तियां	1,466.91	551.77	37.61
3	0055	पुलिस	136.18	91.08	66.88
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	47.55	37.84	79.58
5	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली का योगदान	15.38	13.38	87.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों में लघु शीर्ष-800 की प्रतिशतता
6	0230	श्रम एवं रोजगार	9.55	6.01	62.93
7	0401	फसल कृषि कर्म	5.52	3.10	56.16

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

लघु शीर्ष-800 (अन्य व्यय) के तहत महत्वपूर्ण व्यय (संबंधित मुख्य शीर्ष का 50 प्रतिशत और उससे अधिक) का विवरण **तालिका 3.13** में उल्लिखित है।

तालिका–3.13 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष–800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत और उससे अधिक अथवा वृहत मात्रा में नामित की गई राशि)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	45.33	41.50	91.55
2	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	442.09	442.09	100.00

स्रोत: वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे, बिहार सरकार

लघु शीर्ष '800' – विविध के अंतर्गत लेन-देन का बारंबार वर्गीकरण व्यय एवं प्राप्तियों की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट कर देता है। इस शीर्ष का उपयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जब किसी अन्य विशिष्ट वर्गीकरण का प्रावधान उपलब्ध न हो। विभागों को ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, आवर्ती मदों के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने चाहिए तथा सरकारी लेखे में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ प्रदान करनी चाहिए।

परिणामात्मक मामले

3.8 मुख्य उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण (डी०डी०आर०) शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/ समायोजन लेखा शीर्ष, जिन्हें 8658–'उचंत शीर्ष' के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखे में उन प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित किए जाते हैं, जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने अथवा अन्य कारणों से किसी सुनिश्चित लेखा शीर्ष में तत्काल वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नामे एवं जमा को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत सकल राशि का विवरण **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14 : उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658 उचंत लेखा							
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत	276.05	280.40	312.87	363.52	40.15	37.18
	निवल नामे /जमा	नामे 360.73		नामे 310.07		नामे 313.04	
102	उचंत लेखा (सिविल)	-675.95	277.76	-8,508.25	451.83	-3,540.25	210.36
	निवल नामे /जमा	नामे 1,382.20		नामे 4,872.12		नामे 1,121.50	
107	नकदी समायोजन उचंत लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल नामे /जमा	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109	रिजर्व बैंक उचंत -मुख्यालय	-4.56	-0.24	-252.66	1.42	-15.49	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 257.40		नामे 3.33		नामे – 12.16	
110	रिजर्व बैंक उचंत - (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	3.26	-0.2	1.51	4.26	284.48	-0.31
	निवल नामे /जमा	नामे 358.26		नामे 355.51		नामे 640.30	
112	स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उचंत	1,279.66	1,520.61	2,056.80	1,594.29	1,682.17	1,701.43
	निवल नामे /जमा	जमा 525.39		जमा 62.88		जमा 82.15	
123	अ०भा०से०ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.32	0.06	0.21	0.06	0.40	0.07
	निवल नामे /जमा	जमा 5.34		जमा 519.50		जमा 4.86	
8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा अंत:समायोजन							
102	लोक निर्माण प्रेषण	0.00	0.00	2.38	0.00	0.11	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 919.11		नामे 921.49		नामे 921.60	
103	वन प्रेषण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 203.55		नामे 203.55		नामे 203.55	
8793 अंतर्राज्यीय उचंत लेखा							
		0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 2.06		नामे 2.07		नामे 2.06	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष राशियों का समुचित समायोजन न किए जाने से राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का वास्तविक स्थिति से कम प्रदर्शित होता है और प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता तथा राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेष (जो वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित किए जाते हैं) प्रभावित होता है।

3.9 विभागीय आंकड़े का समाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को अपने मासिक/त्रैमासिक आंकड़े को प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के लेखे में दर्ज आंकड़े के साथ समाशोधन करना आवश्यक है। राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखे में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि मुख्य नियंत्री अधिकारियों/ नियंत्री अधिकारियों को अपनी लेखों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय के आंकड़े के साथ मासिक समाशोधन करना आवश्यक है।

नियंत्री अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के समाशोधन की स्थिति **तालिका 3.15** और **चार्ट 3.4** में दी गई है।

तालिका 3.15: नियंत्री अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन की स्थिति

वर्ष	नियंत्री अधिकारियों की कुल संख्या	नियंत्री अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपनी प्राप्तियों/व्यय का समाशोधन किया		
		पूर्णत: समाशोधित	आंशिक रूप से समाशोधित	असमाशोधन
प्राप्तियां				
2022-23	01	00	01	00
2023-24	01	00	01	00
2024-25	01	00	01	00
व्यय				
2022-23	51	00	20	31
2023-24	52	50	00	02
2024-25	52	00	40	12

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के द्वारा प्रदत्त सूचना

चार्ट 3.4: वर्ष 2022-25 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

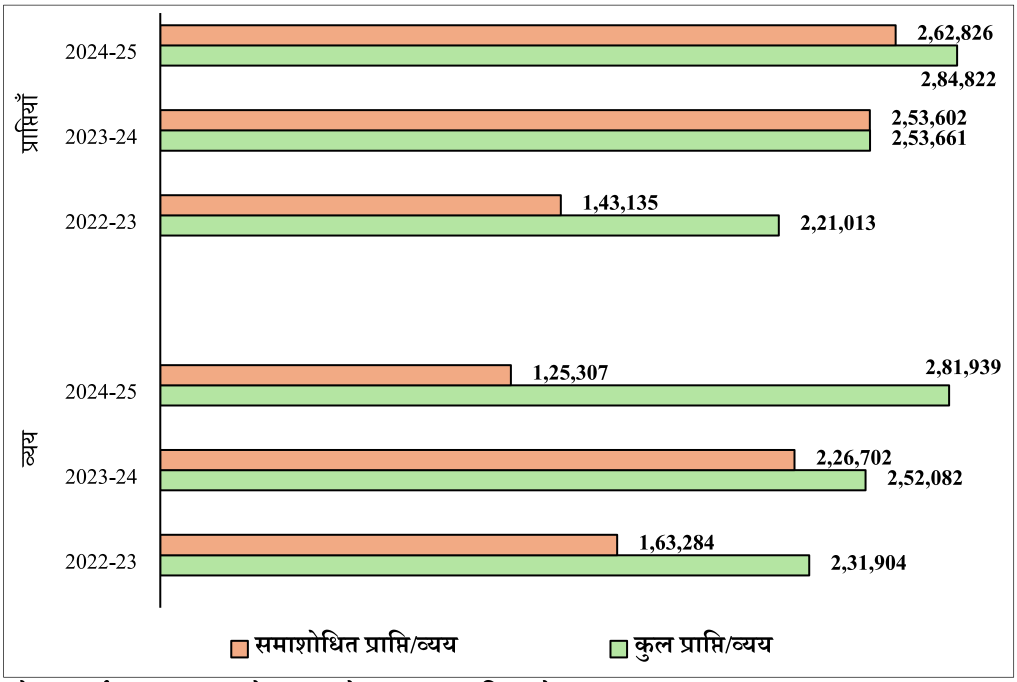

***स्रोत:** कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार के द्वारा प्रदत्त सूचना*

बिहार में व्यापक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (सी०एफ़०एम०एस०) में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया है। अतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा लेखाबद्ध लेन-देन का राज्य सरकार के अनुदान माँग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखाबद्ध लेन-देन से समाशोधन करने हेतु मासिक लेखे में सम्मिलित लेनदेन के आंकड़े (डम्प फाइल) को सुरक्षित फाइल स्थानान्तरण प्रोटोकॉल (एस०एफ़०टी०पी०)[4] उपयोगिता के माध्यम से सी०एफ़०एम०एस० के मुख्य सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इसके उपरांत, प्रधान महालेखाकार के लेन-देन संबंधी आंकड़े की, सी०एफ़०एम०एस० के आंकड़े से तुलना की जाती है तथा विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन सी०एफ़०एम०एस० में तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन सभी विभागीय प्रशासक उपयोगकर्ताओं तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रशासक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध रहता है। विभागीय प्रशासक उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित करते हैं।

राज्य सरकार सभी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में समाशोधन करने हेतु एक मॉड्यूल विकसित कर सकती है।

3.10 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के लेखों में अंकित राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

[4] *यह एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने हेतु सिक्योर शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।*

वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 966.80 करोड़ (नामे) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष ₹ 18.95 करोड़ (जमा) दर्शाया गया था। इस प्रकार, ₹ 947.85 करोड़ का एक महत्वपूर्ण अंतर था, जो वित्त विभाग, बिहार सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की जानकारी में, समाशोधन के अधीन है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सूचित नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच का अंतर विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है और यह अंतर निरंतर बना हुआ है।

3.11 लोक लेखा में प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में किसी लेखा शीर्ष का अंत शेष ऋणात्मक दिखाई देता है। इसमें देयता शीर्ष जहाँ सामान्यतः जमा शेष होना चाहिए, वहाँ नामे /(-) जमा शेष दिखता है एवं परिसंपत्ति शीर्ष जहाँ सामान्यतः नामे शेष होना चाहिए, वहाँ जमा /(-) नामे शेष प्रदर्शित होता है।

प्रतिकूल शेष किसी लेखा शीर्ष में गलत वर्गीकरण, उपलब्ध निधि से अधिक वितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी इकाई में शेष राशि को अग्रेषित न करना, या प्रशासनिक पुनर्गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है। 31 मार्च 2025 को 14 शीर्षों में संचयी प्रतिकूल शेष पाया गया। विस्तृत विवरण **तालिका 3.16** में दिया गया है।

तालिका 3.16: प्रतिकूल शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मदों की संख्या	ऋणात्मक शेष
1	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2	1.39
2	6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	1	0.08
3	6216	आवास के लिए ऋण	1	0.00*
4	6245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	2	2.83
5	6401	फसल कृषि कर्म के लिए ऋण	1	0.01
6	6425	सहकारिता के लिए ऋण	2	39.01
7	6851	ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	2	1.39
8	6885	उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण	2	0.03
9	7610	सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण	4	18.07
10	8009	राज्य भविष्य निधि	1	577.13
11	8336	सिविल जमा (ब्याज सहित)	1	0.55
12	8443	सिविल जमा (ब्याज रहित)	3	0.54
13	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1	1.00
14	8550	सिविल अग्रिम	1	3.41

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

****₹ 0.13 लाख***

ये प्रतिकूल शेष प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन थे।

यह मामला वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष उठाया गया था, परंतु उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2026 तक)।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.12 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि०म०ले०प०) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नि०म०ले०प० की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई०जी०ए०एस०) अधिसूचित किया हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन लेखा मानकों के अनुपालन के साथ-साथ उसमें कमियों का विवरण **तालिका 3.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं०	लेखांकन मानक	आई०जी०ए० एस० का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	आई०जी०ए०एस०-1	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति-प्रकटीकरण आवश्यकता	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति का विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान लागू प्रत्याभूति, ब्याज, प्रत्याभूति, कमीशन/शुल्क आदि से संबंधित कुछ सूचनाएँ भी राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखें में पूर्ण रूप से प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपूर्ण रहीं।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति, कमीशन की राशि, प्राप्त शुल्क का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई०जी० ए०एस०-2	सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है चूँकि राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा, राजस्व खण्ड के बजाय पूंजीगत खण्ड में ₹33.11 करोड़ के राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया था **(कंडिका 2.5.5)**।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
3.	आई०जी० ए०एस -3	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया क्योंकि 'अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान', 'शाश्वत ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामले', तथा 'उन ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे विगत ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है' के संबंध में प्रकटीकरण अधूरा है।	वित्त लेखे का विवरण 7 और 18 इस सीमा तक अपूर्ण रहा।
4	आई०जी० ए०एस०-4	पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन किया गया	-

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई०जी०ए०एस०) के प्रावधानों के विपरीत प्रत्याभूतियां, सहायता अनुदान, निवेश तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सूचनाओं के प्रकटीकरण में कमियाँ पाई गई हैं। इन मानकों का समुचित अनुपालन न किए जाने से वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा राजकोषीय जोखिम, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं दायित्व वहनीयता के समुचित आकलन हेतु हितधारकों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आई०जी०ए०एस० के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। साथ ही, आई०जी०ए०एस० के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रतिवेदन की निगरानी के लिए क्षमता-विकास उपायों तथा आवधिक समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3.13 स्वायत्त निकायों के लेखो का प्रस्तुतीकरण

नि०म०ले०प० (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक सार्वजनिक हित मे नि०म०ले०प० से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य की विधानमंडल या संघ राज्य क्षेत्र की विधानमंडल, जैसा लागू हो, द्वारा बनाए गए कानून से स्थापित किसी निगम के लेखो की लेखापरीक्षा करे और यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो नि०म०ले०प० उस निगम के लेखो की लेखापरीक्षा करेगा और उस लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए नि०म०ले०प० को उस निगम के लेखो और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० को किसी विधि के द्वारा नहीं सौंपा गया है, वहां यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, जैसा लागू हो द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखो की लेखापरीक्षा कर सकते हैं। यह लेखापरीक्षा उन नियमों और शर्तों पर की जाएगी जिन पर उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमती हों। ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए, नि०म०ले०प० को उस निकाय या प्राधिकरण के लेखो और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा (डी०पी०सी० अधिनियम की धारा 20)।

राज्य के 40 निकायों/प्राधिकरणों में से 29 निकायों/प्राधिकरणों ***(परिशिष्ट 3.4)*** ने लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं कराई थी। इसके अतिरिक्त, शेष 11 स्वायत निकायों (ए०बी०) के बकाया लेखे का विवरण **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे का वर्ष	लंबित लेखो की संख्या
1.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	2024-25	01
2.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2022-23 से 2024-25	03
3.	बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार	2019-20 से 2024-25	06
4.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2010-11 से 2024-25	15
5.	बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड, पटना	2024-25	01
6.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2022-23 से 2024-25	03
7.	बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2024-25	01

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे का वर्ष	लंबित लेखो की संख्या
8.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार	2024-25	01
9.	बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग	2024-25	01
10.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	2022-23 से 2024-25	03
11.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2020-21 से 2024-25	05
कुल			**40**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा संकलित जानकारी

लेखो को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति और परिचालन प्रदर्शन के पारदर्शी मूल्यांकन से वंचित रह गये। लेखे को प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम बढ़ जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। लेखापरीक्षा ने चूककर्ताओं के लेखे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने के मामले को बार-बार उठाया है, लेकिन इसमें कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ है।

3.14 एस०पी०एस०ई० जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया को बजटीय सहायता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना है। वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों और निगमों में निवेश की गई लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 तक ₹ 29,215.17 करोड़ की बजटीय सहायता (अंशपूंजी, ऋण, प्रत्याभूति, पूंजीगत अनुदान और अन्य) 17 कार्यशील एस०पी०एस०ई०, दो कार्यशील सांविधिक निगमों और 15 अकार्यशील एस०पी०एस०ई० को प्रदान किया। इनमें से अधिकांश एस०पी०एस०ई० ने 31 मार्च 2025 तक (30 सितंबर 2025 तक) अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। लेखे के बकाया की अवधि एक से लेकर 48 वर्षों के बीच थी, जो संबंधित कंपनियों के अधिनियम/वैधानिक निगमों/एस०पी०एस०ई० के प्रावधानों का उल्लंघन है ***(परिशिष्ट 3.5)***।

लेखे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इन कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, करने में असमर्थ था। लेखे को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, इन कंपनियों में सरकार द्वारा किए गए निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहे और लेखापरीक्षा द्वारा जांच से बच गए। फलस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्यकुशलता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों, समय पर नहीं किए जा सके। इसके अलावा, धोखाधड़ी और लोक निधि के दुरुपयोग के जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

अन्य मुद्दे

3.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 34 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण सरकार को हुई किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, यदि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की धोखाधड़ी या लापरवाही से हुई हानि में उसके अपने कृत्य या लापरवाही से योगदान रहा हो, तो वह उस सीमा तक उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 31 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति की हानि, चाहे वह गबन अथवा अन्य किसी कारण से हुई हो, संबंधित कार्यालय द्वारा तत्काल उच्च प्राधिकारी, वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित की जानी चाहिए, भले ही संबंधित पक्ष द्वारा हानि की भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही हानि की आशंका उत्पन्न हो, ऐसा प्रतिवेदन तुरंत भेजा जाना चाहिए और जांच पूर्ण होने की प्रतीक्षा में इसे विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के 45 विभागों में से सात विभागों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की, जबकि एक विभाग (गृह विभाग) ने गबन/हानि/चोरी के मामलों की सूचना दी, जैसा कि **तालिका 3.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के लंबित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/निगम का नाम	गबन, हानि और चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच के अधीन		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (गृह विभाग)	02$	1.04	01*	0.98	-	-	01	0.06
कुल	**02**	**1.04**	**01**	**0.98**	**-**	**-**	**01**	**0.06**

स्रोत: विभागीय आंकड़ा /सूचना

***** विभाग द्वारा लेखा अनुभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आंशिक विवरण ही अब तक उपलब्ध कराया गया है।***

$ विभाग द्वारा सूचना वर्ष 2023-24 तक ही उपलब्ध कराई गई है।

कुल 02 मामलों में से एक मामले (₹ 0.06 करोड़) में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि एक अन्य मामले (₹ 0.98 करोड़) में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।

3.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (पी०ए०सी०)/वित्त विभाग से यह अपेक्षित होता है कि वे संबंधित विभागों को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्णित कंडिकाओं पर (स्वत: संज्ञान लेकर) स्वप्रेरित स्पष्टीकरण टिप्पणी (ई०एन०) उपलब्ध कराएं। संबंधित विभागों से भी यह अपेक्षित है कि वे

प्रतिवेदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से तीन माह के भीतर कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए०टी०एन०) प्रधान महालेखाकार को (पुनरीक्षण एवं पी०ए०सी० को प्रेषित करने के लिए) उपलब्ध कराएंगे।

राज्य की लोक लेखा समिति ने वर्ष 2021-22 से राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक नहीं की। विगत वर्षों से संबंधित कुल 421 कंडिकाओं में से, लोक लेखा समिति ने केवल तीन कंडिकाओं (जो वर्ष 2008-09 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित थे) पर ही चर्चा की है, जबकि शेष सभी कंडिकाएँ 31 मार्च 2025 तक चर्चा के लिए लंबित थीं।

वित्त विभाग ने समीक्षा हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर केवल आंशिक उत्तर ही उपलब्ध कराए हैं।

3.17 निष्कर्ष

- एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधियों के अंतरण में विलंब के कारण राज्य सरकार पर अपरिहार्य ब्याज बोझ पड़ा और एक विलंबित दायित्व का सृजन हुआ। ₹ 1,341.37 करोड़ का अंतरण न करने के परिणामस्वरूप सरकार के नकद शेष का अतिकथन हुआ एवं उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे का अवकथन हुआ।
- एकत्रित उपकरों की राशि को संबंधित राज्य/बोर्ड की निधि में अंतरण में विलंब/ अंतरण न किए जाने तथा समर्पित लेखा शीर्ष का सृजन न किए जाने के कारण अव्ययित शेष एकत्रित हो गया एवं संबंधित उपकर की संग्रहण के उद्देश्य की पूर्ति उस सीमा तक विफल हो गयी।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत नहीं किया जाना न केवल निर्धारित वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे निधियों के उनके निर्धारित उद्देश्यों के लिए समुचित उपयोग के संबंध में आश्वासन भी बाधित होता है और दुर्विनियोजन, धन के विचलन तथा अव्ययित शेष राशि के संचय का जोखिम बढ़ गया।
- मार्च 2025 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातो में उल्लेखनीय राशि का अंतरण किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में पर्याप्त निधियाँ जमा रही। बिहार कोषागार संहिता के नियमों का पालन न करने के कारण व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि व्यपगत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हुआ।
- असमायोजित अग्रिमों का लंबे समय तक सरकारी खाते से बाहर रहने से दुरुपयोग, दुर्विनियोजन और राज्य कोष को संभावित क्षति का जोखिम बढ़ता है।
- ₹ 29,215.17 करोड़ की बजटीय सहायता (अंशपूंजी, ऋण, प्रत्याभूति, पूंजीगत अनुदान और अन्य) 34 क्रियाशील/अक्रियाशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एस०पी०एस०ई०) को प्रदान की गई थी, जबकि उनके लेखे एक से 48 वर्षों की अवधि तक लंबित थे।

3.18 अच्छी प्रथाएँ

- राज्य सरकार द्वारा 18 जुलाई 2025 को प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन किया गया एवं उसमें ₹ 1,000 करोड़ की राशि निवेशित की गई।
- भारतीय सरकारी लेखा मानक-4 "पूर्व अवधि समायोजन" का अनुपालन किया गया।

3.19 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- भविष्य की देनदारियों के संचय को रोकने के लिए, एन०पी०एस० निधि का एन०एस०डी०एल०/न्यासी बैंकों को समय पर अंतरण सुनिश्चित कर सकती है।

- स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपकरों के संग्रहण और अंतरण हेतु समरूप लेखांकन प्रक्रिया लागू कर सकती है।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने में समयबद्धता सुनिश्चित कर सकती है और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की नियमित निगरानी और समाशोधन कर सकती है।
- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समय पर जमा करने की आवश्यकताओं का अनुपालन लागू कर सकती है, और जहाँ पुराने विपत्रों का समायोजन नहीं हुआ है, वहाँ भविष्य में सार आकस्मिक विपत्रों की निकासी पर रोक लगा कर सकती है।
- पी०डी०/पी०एल० खाता प्रशासकों द्वारा समाशोधन सुनिश्चित कर सकती है एवं अनुपालन न करने पर जवाबदेही तय कर सकती है तथा वर्ष के अंत में पी०डी० खातों में निधि जमा रखने को हतोत्साहित कर सकती है।
- भारतीय सरकारी लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।

पटना
दिनांक : 27 मार्च 2026

(डॉ. संदीप रॉय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 06 अप्रैल 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ-कंडिका 1.1.3)
राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क. प्राप्तियां						
1.	**राजस्व प्राप्तियां**	**1,28,168**	**1,58,798**	**1,72,688**	**1,93,347**	**2,18,657**
	(i) स्व-कर राजस्व	30,342	34,855	44,018	48,361	53,578
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	16,050	19,264	23,243	27,678	29,003
	कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,032	6,872	9,881	9,371	10,554
	राज्य उत्पाद	-4	-1	1	1	0
	वाहनों पर कर	2,268	2,475	2,936	3,358	3,678
	मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	4,206	5,224	6,451	6,348	7,975
	भू-राजस्व	302	284	361	580	571
	माल और यात्रियों पर कर	6	-	1	(-)1	8
	अन्य कर	1,482	737	1,144	1,026	1,789
	(ii) गैर-कर राजस्व	6,201	3,984	4,135	5,257	5,781
	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	59,861	91,353	95,510	1,13,604	1,29,435
	(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	31,764	28,606	29,025	26,125	29,863
2.	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**	**820**	**28**	**41**	**96**	**115**
4.	**कुल राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)**	**1,28,988**	**1,58,826**	**1,72,729**	**1,93,443**	**2,18,772**
5.	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**35,915**	**40,445**	**48,284**	**60,218**	**66,049**
	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	29,412	30,918	38,129	49,546	49,549
	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	6,503	9,527	10,155	10,672	16,500
6.	**संचित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)**	**1,64,903**	**1,99,271**	**2,21,013**	**2,53,661**	**2,84,821**
7.	**आकस्मिकता निधि प्राप्तियां**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.	**लोक लेखा में प्राप्तियाँ**	**2,17,837**	**2,46,840**	**2,72,287**	**2,99,113**	**3,28,095**
9.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)**	**3,82,740**	**4,46,111**	**4,93,300**	**5,52,774**	**6,12,916**
भाग ख. व्यय/संवितरण						
10.	**राजस्व व्यय**	**1,39,493**	**1,59,220**	**1,83,976**	**1,90,514**	**2,19,015**
	कार्यक्रम	44,201	58,487	71,730	63,466	71,700
	प्रशासनिक	95,292	100,733	112,246	127,048	147,315
	सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	46,239	48,939	56,029	59,218	69,246

क्रम संख्या		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
	सामाजिक सेवाएँ	63,807	76,115	88,349	83,225	100,948
	आर्थिक सेवाएँ	29,445	34,165	39,598	48,071	48,821
	सहायता अनुदान और योगदान	2	1	0	0	0
11.	**पूंजीगत व्यय**	**18,209**	**23,678**	**31,520**	**36,453**	**38,527**
	कार्यक्रम	18,194	23,650	31,496	36,320	38,488
	प्रशासनिक	15	28	24	133	39
	सामान्य सेवाएँ	1,387	3,507	3,255	5,664	5,028
	सामाजिक सेवाएँ	6,331	5,154	5,967	7,001	8,685
	आर्थिक सेवाएँ	10,491	15,017	22,298	23,788	24,814
12.	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1,114	1,479	2,057	2,136	2,453
13.	आकस्मिकता निधि का विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	**कुल व्यय (10+11+12+13)**	**1,58,816**	**1,84,377**	**2,17,553**	**2,29,103**	**2,59,995**
15.	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान:**	**6,880**	**8,746**	**14,351**	**22,979**	**21,944**
	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर,)	5,937	7,619	12,886	21,439	20,613
	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0	0	0	0	0
	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	943	1,127	1,465	1,541	1,331
16.	**आकस्मिकता निधि का विनियोजन**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)**	**1,65,696**	**1,93,123**	**2,31,904**	**2,52,082**	**2,81,939**
18.	**आकस्मिकता निधि संवितरण**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
19.	**लोक लेखा से संवितरण**	**2,17,092**	**2,48,373**	**2,67,970**	**2,86,613**	**3,16,721.75**
20.	**राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)**	**1,65,696**	**1,93,123**	**2,31,904**	**2,52,082**	**2,81,939**
भाग ग. घाटा						
21.	**राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)**	**(-)11,325**	**(-)422**	**(-)11,288**	**2,833**	**(-)358**
22.	**राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)**	**(-)29,828**	**(-)25,551**	**(-)44,824**	**(-)35,660**	**(-)41,223**
23.	**प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+) (21+24)**	(-)17,344	(-)11,729	(-)29,640	(-)18,054	(-)21,545
भाग घ. अन्य आकड़ें						
24.	**ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)**	**12,484**	**13,822**	**15,184**	**17,606**	**19,678**
25.	**स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि**	**54,929**	**65,015**	**79,941**	**77,600**	**79,951**
26.	**अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिन)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त (दिन)	-	-	-	-	-
	ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया गया (दिन)	-	-	-	-	-
27.	**अर्थोपाय पर ब्याज अग्रिम/ओवरड्राफ्ट**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्रम संख्या		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
28.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)**	**5,67,814**	**6,47,394**	**7,63,165**	**8,77,197**	**9,91,997**
29.	**बकाया राजकोषीय देनदारियां (वर्ष के अंत)***	**2,27,195**	**2,57,510**	**2,93,307**	**3,24,913**	**3,74,133**
30.	**बकाया प्रत्याभूति (वर्ष के अंत) (ब्याज सहित)**	**16,080**	**25,070**	**25,939**	**28,041**	**24,371**
31.	**अधिकतम राशि की प्रत्याभूति (वर्ष के अंत)**	**24,972**	**37,632**	**40,897**	**51,683**	**51,683**
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)						
I संसाधनों का संग्रहण						
	स्व कर राजस्व/जीएसडीपी	5.34	5.38	5.77	5.51	5.40
	गैर-कर राजस्व/जीएसडीपी	1.09	0.62	0.54	0.60	0.58
	स्व-राजस्व/जीएसडीपी	6.44	6.00	6.31	6.11	5.98
	स्व- राजस्व/कुल व्यय	23.01	21.06	22.13	23.40	22.83
II व्यय प्रबंधन						
	कुल व्यय/जीएसडीपी	27.97	28.48	28.51	26.12	26.21
	कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	123.91	116.11	125.98	118.49	118.91
	राजस्व व्यय/कुल व्यय	87.83	86.36	84.57	83.16	84.24
	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	24.57	24.59	24.11	21.72	22.08
	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	69.31	70.75	71.80	70.75	70.49
	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	11.47	12.84	14.49	15.91	14.82
	पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.21	3.66	4.13	4.16	3.88
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन						
	राजस्व अधिशेष/जीएसडीपी	-1.99	-0.07	-1.48	0.32	-0.04
	राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	-5.25	-3.95	-5.87	-4.07	-4.16
	प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	-3.05	-1.81	-3.88	-2.06	-2.17
IV ऋण वहनीयता						
	बकाया देनदारियां/जीएसडीपी	40.01	39.78	38.43	37.04	37.72
	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	9.74	8.70	8.79	9.11	9.00

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे*

*** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, कुल देनदारियों में क्रमशः ₹ 3,905.00 करोड़ एवं ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।***

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ-कंडिका 1.1.4, 1.2.4.1 ए, 1.2.4.2 ए)

मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
I. राजस्व प्राप्तियां	**1,93,347.23**	**2,18,657.83**	**I. राजस्व व्यय-**	**1,90,514.17**	**1,47,314.68**	**71,700.53**	**2,19,015.21**
कर राजस्व	48,360.69	53,578.14	**सामान्य सेवाएँ**	**59,217.82**	**67,784.59**	**1,461.28**	**69,245.87**
--			**सामाजिक सेवाएँ-**	**83,225**	**45,066**	**55,882**	**1,00,948**
गैर-कर राजस्व	5,257.05	5,781.37	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	40,889.97	27,607.22	26,617.75	54,224.97
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10,839.49	6,486.40	5,363.48	11,849.88
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	1,13,604.49	1,29,434.93	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	17,227.9	6,781.17	8,141.53	14,922.7
--			सूचना एवं प्रसारण	213.59	133.54	132.53	266.07
गैर-योजना अनुदान			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	975.1	440.54	2,674.91	3,115.45
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	-167.09	-85.08	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	604.42	210.43	692.39	902.82
--			समाज कल्याण एवं पोषाहार	12,329.03	3,269.51	12,221.78	15,491.29

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
केंद्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान			अन्य	145.6	137.43	37.89	175.32
--			**आर्थिक सेवाएँ-**	**48,071.38**	**34,463.85**	**14,356.99**	**48,820.84**
केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	17,961.52	21,217.54	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	5018	1383.6	4455.45	5839.05
--			ग्रामीण विकास	18,123.16	9,609.86	6,562.03	16,171.89
वित्त आयोग अनुदान	7,662.52	8,360.34	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0	0	0
--			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,506.15	1,459.78	145.3	1,605.08
विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	668.05	370.59	ऊर्जा	13,973.64	16,110.86	100	16,210.86
--			उद्योग और खनिज	1,734.77	145.94	1,787.52	1,933.46
--			परिवहन	6,335.4	5,270.80	369.59	5,640.39
--			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2.91	3.95	0	3.95
--			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,377.35	479.06	937.1	1,416.16
--			सहायता अनुदान और योगदान-	-0.13	0	0	0
II. राजस्व घाटा			**II. राजस्व अधिशेष**	**2,833.06**	**0**	**0**	**-357.38**

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित नकद शेष खोलना	**22,903.95**	**36,982.18**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**	-	-	-	-
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	**IV. पूंजीगत परिव्यय-**	**36,453.02**	**38.6**	**38488.44**	**38,527.04**
--			**सामान्य सेवाएँ-**	**5,664.42**	**-22.18**	**5,050.07**	**5,027.89**
--			**सामाजिक सेवाएँ-**	**7,000.43**	**60.78**	**8,623.93**	**8,684.71**
--			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,987.77	0	2,913.85	2,913.85
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,175	0	3,162.95	3,162.95
--			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,679.93	6.1	1,699.7	1,705.8
--			सूचना और प्रसारण	0.00	0	0	0
--			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	49.26	0	283.88	283.88
--			समाज कल्याण और पोषाहार	3.00	0	370.72	370.72
--			अन्य	105.47	54.68	192.83	247.51
--			**आर्थिक सेवाएँ-**	**23,788.16**	**0**	**24,814.44**	**24,814.44**
--			कृषि और संबद्ध गतिविधियां	141.12	0	411.95	411.95

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
--			ग्रामीण विकास	7,083.98	0	6,979.42	6,979.42
--			विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0	-	-
--			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5,875.80	0	4,988.59	4,988.59
--			ऊर्जा	1,918.31	0	4,051.59	4,051.59
--			उद्योग और खनिज	722.21	0	7,394.12	7,394.12
--			परिवहन	7,599.37	0	181.77	181.77
--			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	447.37	0	807	807
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	**95.94**	**115.30**	**V.ऋण एवं अग्रिम का संवितरण**	**2,135.86**	**98.8**	**2,354.58**	**2,453.38**
बिजली परियोजनाओं से			ऊर्जा परियोजनाओं के लिए	86.73	64.19	0	64.19
सरकारी कर्मचारियों से			सरकारी कर्मचारियों के लिए	13.43	6.36	0	6.36
अन्य से			अन्य को	2,035.70	28.25	2,354.58	2,382.83
VI. राजस्व अधिशेष में गिरावट	**2,833.06**	**(-) 357.38**	**VI. राजस्व घाटा में गिरावट**				
VII. लोक ऋण प्राप्तियां-	**60,217.54**	**66,049.20**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान-**	**22,979.38**			**21,943.67**
बाहरी ऋण			बाहरी ऋण				0.00

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	49,545.76	49,549.32	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	21,438.71			20,612.41
अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन	-	-	अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन	-			
ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	-			
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	10,671.78	16,499.88	केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	1,540.67			1,331.26
VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	**9,650.00**	**9,650.00**	**VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोजन**	**9,650.00**			**9,650.00**
IX. आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि	-	-	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**				
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**2,99,113.01**	**3,28,095.09**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**2,86,613.06**			**3,16,721.75**
लघु बचत और भविष्य निधि	2,415.84	2,027.31	लघु बचत और भविष्य निधि	2,671.60			2540.36
आरक्षित निधि	3,863.27	4,380.42	आरक्षित निधि	1,174.01			1,087.37
उचंत एवं विविध	1,96,605.35	2,23,278.81	उचंत एवं विविध	1,87,765.14			2,18,665.82
प्रेषण	0.01	0.01	प्रेषण	2.38			0.11
जमा और अग्रिम	96,228.54	98,408.53	जमा और अग्रिम	94,999.93			94,428.07

प्राप्तियां	2023-24	2024-25	संवितरण	2023-24	2024-25		
					संचालन-संबंधी	कार्यक्रम	कुल
XI. भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			**XI. अंत में नकद शेष**	**36,982.18**			**51,238.57**
--			कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण				
--			रिज़र्व बैंक के पास जमा	726.68	966.8		966.8
--			विभागीय नकद शेष स्थायी अग्रिमों सहित	998.75	998.32		998.32
--			नकद शेष निवेश (निर्धारित निधि सहित)	35,256.75			49,273.45
कुल	**5,88,160.73**	**6,59,192.23**	**कुल**	**5,88,160.73**	**1,47,452.08**	**1,12,543.55**	**6,59,192.23**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ-कंडिका 1.1.5)
31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
	देनदारियां	
2,36,205.16	**आंतरिक ऋण-**	**2,65,142.06**
214,418.00	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,45,541.00
0.05	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.05
21.55	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
11,569.20	अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण	11,271.46
-	अर्थोपाय अग्रिम	-
10,188.91	एन०एस०एस०एफ० को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	8,300.55
7.45	अन्य ऋण	7.45
43,878.73	**केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम -**	**51,219.84**
3.91	1984-85 से पहले के ऋण	3.91
0.58	गैर-योजना ऋण	0.58
191.29	राज्य योजना के लिए ऋण	191.29
1.01	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01
30.29	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	28.66
0.53	केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए ऋण	0.53
42.96	योजनाओं के लिए अर्थोपाय अग्रिम	42.96
43,608.16	राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण योजनाएं	50,950.90
74.01	**अंतर-राज्यीय निपटान**	**74.01**
350.00	**आकस्मिकता निधि**	**350.00**
9,141.12	**लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि**	**8,628.06**
39,666.57	**जमा**	**43,647.03**
12,343.98	**आरक्षित निधि अग्रिम**	**15,637.03**
206.63	**उचंत एवं विविध शेष**	**1,272.58**
0.00	**प्रेषण शेष**	**0.00**
0.00	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**0.00**

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
56,694.77	**व्यय पर प्राप्तियों की संचित अधिकता**	**64,164.91**
3,98,560.98	**कुल देनदारियां**	**4,50,135.52**
	परिसंपत्ति	
3,27,339.05	**अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -**	**3,65,866.09**
41,512.97	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	45,665.21
2,85,826.08	अन्य पूंजीगत परिव्यय	3,20,200.88
27,249.57	**ऋण और अग्रिम -**	**29,587.65**
16,118.02	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	16,182.20
11,026.06	अन्य विकास ऋण	13,316.86
105.49	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	88.59
249.96	**अग्रिम**	**249.96**
1,128.33	**प्रेषण शेष**	**1,128.43**
5,611.89	**उचंत एवं विविध शेष**	**2,064.85**
36,982.18	**नकद -**	**51,238.57**
-	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	-
726.68	रिज़र्व बैंक के पास जमा	966.80
998.75	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	998.32
0	सुरक्षा जमा	0
8,494.66	निर्धारित निधियों का निवेश	10,140.52
26,762.09	नकद शेष निवेश	39,132.93
	सरकारी खाते पर घाटा -	
	(i) चालू वर्ष का कम राजस्व अधिशेष	
0.00	(ii) आकस्मिकता निधि का विनियोग	0.00
0.00	**आकस्मिकता निधि**	**0.00**
3,98,560.98	**कुल परिसंपत्तियाँ**	**4,50,135.52**

***स्रोत:** संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार*

***नोट:** आकस्मिकता निधि के अंतिम शेष को देनदारियों के अंतर्गत लिया गया है।*

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ-कंडिका 1.1.6, 1.2.4.2)

प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षों का रुझान (2015-16 से 2024-25)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	वर्षवार आकड़ें (2015-16 से 2024-25)										2015-16 से 2024-25 के लिए सीएजीआर
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	राजस्व प्राप्तियां (1क से 1घ)	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,793	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347	2,18,657	9.56%
1 क	स्व कर राजस्व	25,449	23,742	23,136	29,408	30,158	30,342	34,855	44,018	48,361	53,578	8.62%
1ख	गैर-कर राजस्व	2,186	2,403	3,507	4,131	3,700	6,201	3,984	4,135	5,257	5,781	11.43%
1 ग	संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	48,923	58,881	65,083	73,603	63,406	59,861	91,353	95,510	1,13,604	1,29,435	11.42%
1घ	भारत सरकार से सहायता अनुदान	19,566	20,559	25,720	24,652	26,969	31,764	28,606	29,026	26,125	29,863	4.81%
2.	राजस्व व्यय -	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514	2,19,015	11.31%
2क	ब्याज भुगतान	7,098	8,191	9,054	10,071	10,991	12,484	13,822	15,184	17,606	19,678	12.00%
2ख	वेतन	14,880	15,744	17,731	19,923	20,376	21,802	23,525	24,816	28,386	38,475	11.13%
2ग	सब्सिडी	9,010	8,749	5,023	8,324	7,121	8,165	10,256	14,828	16,245	18,310	8.20%
3	राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष(+) (1-2)	12,507	10,820	14,823	6,897	-1,784	-11,325	-422	-11,288	2,833	-357	-
3क	उदय योजना के बिना राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष(+)	-	13,313	15,014	7,088	-1,593	-11,134	-231	-11,113	2,989	-201	-
4	पूंजीगत प्राप्तियां (4क से 4ख)	18,402	21,600	13,191	20,494	29,175	36,736	40,473	48,325	60,313	66,164	15.28%
4क	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	19	23	22	1,825	30	820	28	41	96	115	22.15%
4ख	ऋण प्राप्तियां (उधार)	18,383	21,577	13,169	18,668	29,145	35,915	40,445	48,284	60,218	66,049	15.27%
5	कुल प्राप्तियां (1+4)	1,14,525	1,27,185	1,30,638	1,52,287	1,53,408	1,64,904	1,99,270	2,21,013	2,53,661	2,84,822	10.64%

क्रम संख्या	घटक	वर्षवार आकड़ें (2015-16 से 2024-25)										2015-16 से 2024-25 के लिए सीएजीआर
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
6	पूंजीगत व्यय (6 क से 6 ख)	24,587	27,322	29,150	22,529	12,970	19,323	25,157	33,577	38,589	40,980	5.84%
6क	पूंजीगत परिव्यय	23,966	27,208	28,907	21,058	12,304	18,209	23,678	31,520	36,453	38,527	5.42%
6ख	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	621	114	243	1,471	666	1,114	1,479	2,057	2,136	2,453	16.49%
7	कुल व्यय (2+6)	1,08,203	1,22,087	1,31,773	1,47,426	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,553	2,29,103	2,59,996	10.24%
8	राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+)(1+4क-7)	-12,062	-16,479	-14,305	-13,807	-14,724	-29,827	-25,551	-44,823	-35,660	-41,223	14.63%
8क	उदय योजना के बिना राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+)		13,986	14,113	13,615	14,533	29,636	25,360	-44,648	-35,504	-41,132	-
8ख	राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) उदय योजना के अलावा अन्य उधारों के बिना शुद्ध उधार सीमा से अधिक की अनुमति दी गई		1,36,390	1,54,445	1,66,590	1,91,050	2,24,864	2,55,177	2,90,975	3,22,582	3,71,802	-
9	प्राथमिक घाटा	4,964	-8,288	-5,251	3,736	3,733	-17,343	-11,729	-29,640	-18,054	-21,544	-
10	बकाया देनदारियां/ऋण	1,16,578	1,38,722	1,56,777	1,68,921	1,93,382	2,27,190	2,57,510	2,93,307	3,24,913	3,74,134	13.83%
11	चालू कीमतों पर जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997	11.53%
12	पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय	22.15	22.29	21.94	14.28	8.85	11.47	12.84	14.49	15.91	14.82	
13	एफ०डी०/जीएसडीपी के लिए एफआरबीएम लक्ष्य	3.0	3.5	3.25	3.5	3.5	3.5	5.0	4.5	4.0	3.5	
14	वास्तविक एफ०डी०/जीएसडीपी	-3.25	-3.91	-3.05	-2.62	-2.53	-5.25	-3.95	-5.87	-4.07	-4.16	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट: 2.1

(संदर्भ-कंडिका 2.5.2)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	11-2225032770101	1,106.04	95.25	1,076.35	29.69
2	16-2515001960007	618.05	101.26	573.50	44.55
3	16-2515001970004	618.05	81.13	571.84	46.21
4	16-2515001980009	2,884.25	455.92	2,644.46	239.79
5	16-2515001980113	24.58	50.00	23.92	0.66
6	20-2210011100013	1,183.55	458.40	1,155.84	27.71
7	20-2210031030001	1,603.84	478.12	1,437.14	166.70
8	20-2210031100001	571.76	287.85	560.11	11.65
9	20-2210051050001	173.24	57.35	169.65	3.59
10	20-2211001010305	445.00	90.00	217.03	227.97
11	21-2202011010001	11,476.90	54.00	8,628.37	2,848.53
12	21-2202011970002	2,970.67	100.00	2,760.64	210.03
13	21-2202017890308	872.84	150.00	530.65	342.19
14	21-2202020530001	103.50	86.92	85.65	17.85
15	21-2202021100007	342.00	1,186.00	274.60	67.40
16	21-2202031020002	764.00	81.04	627.42	136.58
17	21-2202031020005	415.00	146.40	411.98	3.02
18	21-2202042000002	840.00	50.14	588.55	251.45
19	21-2202052000002	500.00	570.00	499.82	0.18
20	22-2055001090001	7,537.90	179.09	6,639.27	898.63
21	22-2055001150102	150.00	61.09	123.79	26.21
22	23-2852801020201	98.29	75.41	86.07	12.22
23	29-2853020010001	59.64	62.75	44.78	14.86
24	42-2215021050202	704.95	242.15	92.25	612.70
25	42-2215027890204	180.75	62.09	70.66	110.09
26	42-2505021010301	700.00	100.00	396.34	303.66

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
27	48-2217030510303	125.00	50.22	43.56	81.44
28	48-2217801930001	451.64	211.60	347.64	104.00
29	51-2235021020222	778.57	91.59	764.09	14.48
30	51-2235021020225	198.94	64.81	120.03	78.91
31	01-2415012770008	136.50	60.00	0.00	136.50
कुल		**38,635.45**	**5,840.58**	**31,566.00**	**7,069.45**
पूँजीगत (दत्तमत)					
1	03-4059600510105	100.00	60.00	89.55	10.45
2	03-4059600510106	330.00	52.00	249.04	80.96
3	21-4202012010105	700.01	50.00	554.26	145.75
4	23-4851001010101	0.01	223.00	0.00	0.01
कुल		**1,130.02**	**385.00**	**892.85**	**237.17**
महायोग		**39,765.47**	**6,225.58**	**32,458.85**	**7,306.62**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ-कंडिका 2.5.2)
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	अत्यधिक अनुपूरक बजट
1	03-4059017890101	341.49	260.00	601.49	521.30	80.19
2	06-2015001050001	550.33	155.00	705.33	644.98	60.35
3	10-4801051900105	300.00	700.00	1,000.00	923.75	76.25
4	10-4801051900107	363.00	1,000.05	1,363.05	1,281.21	81.84
5	16-2515001980115	126.95	200.00	326.95	232.61	94.34
6	20-2210017890301	33.00	352.77	385.77	277.58	108.19
7	20-2210031100303	61.05	1,733.48	1,794.53	1,580.57	213.96
8	20-4210011100111	45.50	593.91	639.41	587.02	52.39
9	20-4210011100113	16.28	125.00	141.28	58.75	82.53
10	21-2202011010003	327.75	308.51	636.26	437.79	198.47
11	21-2202011110301	1,185.66	1,112.20	2,297.86	1,965.19	332.67
12	21-2202011110302	2,650.00	11,972.50	14,622.50	12,382.59	2,239.91
13	21-2202021090001	3,807.82	2,858.84	6,666.66	6,171.85	494.81
14	21-2202021090005	22.71	234.00	256.71	96.73	159.98
15	21-2202021090307	49.84	268.26	318.10	225.90	92.20
16	21-2202051030003	200.00	411.00	611.00	298.39	312.61
17	21-4202012020103	468.01	700.00	1,168.01	1,061.66	106.35
18	22-4055000510101	300.04	491.72	791.76	716.76	75.00
19	27-2014001050001	997.11	484.62	1,481.73	1,387.45	94.28
20	40-2029001020101	354.74	394.63	749.37	468.69	280.68
21	41-5054031010101	100.00	685.13	785.13	693.32	91.81
22	42-2216031050302	507.00	1,385.66	1,892.66	1,609.66	283.00
23	42-2501061010302	640.87	588.10	1,228.97	1,143.98	84.99
24	48-2217030510207	100.00	125.25	225.25	170.44	54.81
25	48-2217030510307	60.00	165.25	225.25	170.44	54.81
26	48-2217801910010	947.43	503.29	1,450.72	1,327.85	122.87
27	48-2217801920001	716.57	335.03	1,051.60	998.99	52.61
28	48-5075601900101	50.00	280.00	330.00	138.62	191.38
29	50-4702001010106	285.60	168.00	453.60	366.55	87.05

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	अत्यधिक अनुपूरक बजट
30	51-2235021020123	582.37	406.11	988.48	866.71	121.77
31	51-2235021020325	23.71	152.12	175.83	80.10	95.73
32	51-2236021010103	243.51	243.50	487.01	390.40	96.61
33	51-2236021010203	637.63	379.23	1,016.86	914.53	102.33
कुल		**17,095.97**	**29,773.16**	**46,869.13**	**40,192.36**	**6,676.77**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ : कंडिका 2.5.3)

पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट प्रावधान में अनावश्यक वृद्धि (पाँच करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	पुनर्वि-नियोग (+)
1	46-5452011010104	162.00	540.00	702.00	673.11	28.89	25.00
2	16-2515000010003	445.67	5.00	450.67	370.98	79.69	22.51
3	21-2202031030001	34.57	34.17	68.74	49.18	19.56	16.00
4	21-2202031020003	621.88	0.41	622.29	601.45	20.85	13.15
5	45-2401001080109	31.10	-	31.10	22.88	8.21	10.00
6	22-2070001080001	329.56	-	329.56	284.58	44.98	8.10
7	20-2210017890301	33.00	352.77	385.77	277.58	108.18	7.50
8	20-2210051050023	33.58	7.91	41.49	26.73	14.76	6.75
9	22-2055000010001	272.26	3.55	275.81	202.39	73.42	6.25
10	17-2043001010001	149.22	-	149.22	114.50	34.72	5.64
11	16-2515001010115	10.00	-	10.00	10.00	-	5.50
12	20-2210011100127	11.00	55.00	66.00	45.71	20.29	5.50
13	32-2011021030001	72.39	19.03	91.42	85.37	6.05	5.24
14	20-2210011100029	-	18.34	18.34	12.54	5.80	5.12
15	20-2210051050031	23.64	21.09	44.73	35.00	9.74	5.00
कुल		**2,229.87**	**1,057.27**	**3,287.14**	**2,812.00**	**475.14**	**147.26**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ : कंडिका 2.5.4)

अभ्यर्पण के बाद भी वृहत बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान (वित्त वर्ष 2024-25)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बचत/ आधिक्य	कुल अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के बाद बचत
राजस्व (दत्तमत)							
1	01	कृषि	3,907.50	2,163.55	1,743.95	546.58	1,197.37
2	02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,942.05	1,239.89	702.16	33.09	669.07
3	03	भवन निर्माण	2,902.02	1,430.32	1,471.70	-	1,471.70
4	15	पेंशन	31,777.05	26,159.52	5,617.53	-	5,617.53
5	16	पंचायती राज	11,607.95	9,182.03	2,425.92	191.54	2,234.38
6	20	स्वास्थ्य	19,231.60	12,491.29	6,740.31	1,869.60	4,870.71
7	21	शिक्षा	75,776.40	54,373.41	21,402.99	-	21,402.99
8	22	गृह	16,238.45	13,189.57	3,048.88	-	3,048.88
9	39	आपदा प्रबंधन	9,548.31	4,085.20	5,463.11	1,478.43	3,984.68
10	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	2,741.48	1,832.71	908.77	51.23	857.54
11	42	ग्रामीण विकास	18,408.60	11,341.60	7,067.00	404.60	6,662.40
12	48	नगर विकास एवं आवास	15,108.87	9,385.82	5,723.05	2,800.44	2,922.61
13	51	समाज कल्याण	13,575.55	11,783.24	1,792.31	205.94	1,586.37
कुल			**2,22,765.83**	**1,58,658.15**	**64,107.68**	**7,581.45**	**56,526.23**
राजस्व (भारित)							
14	13	सूद भुगतान	20,526.20	19,678.14	848.06	-	848.06
कुल			**20,526.20**	**19,678.14**	**848.06**	**-**	**848.06**
पूँजीगत (दत्तमत)							
15	03	भवन निर्माण	6,085.00	4,765.49	1,319.51	60.83	1,258.68
16	37	ग्रामीण कार्य	7,987.13	6,864.54	1,122.59	50.00	1,072.59
कुल			**14,072.13**	**11,630.03**	**2,442.10**	**110.83**	**2,331.27**
महायोग			**2,57,364.15**	**1,89,966.32**	**67,397.83**	**7,692.28**	**59,705.55**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ : कंडिका 2.5.4)

विगत पांच वर्षों में अनुदान के बजट खंडों के तहत पर्याप्त सतत् बचत (प्रति वर्ष ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व (दत्तमत)							
1	01	कृषि	1,825.93	2,104.72	1,684.57	1,839.55	1,743.95
2	16	पंचायती राज	4,361.83	5,167.61	4,641.93	3,358.31	2,425.93
3	20	स्वास्थ्य	2,893.91	3,792.29	7,191.24	5,902.75	6,740.31
4	21	शिक्षा	10,726.33	12,541.68	13,301.06	14,068.05	21,402.99
5	22	गृह	2,284.90	3,305.70	2,688.93	1,875.09	3,048.89
6	39	आपदा प्रबंधन	2,617.03	1,899.82	1,609.33	2,584.84	5,463.11
7	42	ग्रामीण विकास	8,531.87	9,176.10	3,283.94	9,434.40	7,067.00
8	48	नगर विकास एवं आवास	3,752.81	4,147.78	4,394.35	5,590.20	5,723.05
9	51	समाज कल्याण	2,175.86	2,225.73	2,276.20	2,334.49	1,792.31
कुल			**39,170.47**	**44,361.43**	**41,071.55**	**46,987.68**	**55,407.52**
पूंजीगत (दत्तमत)							
10	37	ग्रामीण कार्य	6,122.07	4,720.09	4,407.05	4,890.05	1,122.59
महायोग			**45,292.54**	**49,081.52**	**45,478.60**	**51,877.73**	**56,530.11**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ : कंडिका 2.5.4)
वित्त वर्ष 2024-25 में अनुदान-वार बचत और बजट का प्रतिशत उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत
50 प्रतिशत तक उपयोग						
1	31	संसदीय कार्य	10.56	3.01	7.55	28.50
2	29	खान एवं भूतत्व	126.16	45.36	80.80	35.95
3	47	परिवहन	643.59	243.47	400.12	37.83
4	39	आपदा प्रबंधन	9,648.31	4,140.27	5,508.04	42.91
		कुल	**10,428.62**	**4,432.11**	**5,996.51**	**42.50**
50 से अधिक और 75 प्रतिशत तक उपयोग						
5	08	कला, संस्कृति एवं युवा	277.44	153.39	124.05	55.29
6	01	कृषि	4,147.50	2,310.90	1,836.60	55.72
7	04	मंत्रिमंडल सचिवालय	560.40	322.95	237.45	57.63
8	42	ग्रामीण विकास	18,458.60	11,362.06	7,096.54	61.55
9	48	नगर विकास एवं आवास	15,973.36	10,004.44	5,968.92	62.63
10	45	गन्ना उद्योग	147.75	94.72	53.03	64.11
11	25	सूचना प्रावैधिकी	416.93	271.74	145.19	65.18
12	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	2,762.47	1,832.71	929.76	66.34
13	02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	2,146.94	1,437.78	709.16	66.97
14	20	स्वास्थ्य	22,819.49	15,648.07	7,171.42	68.57
15	03	भवन निर्माण	8,987.02	6,195.81	2,791.21	68.94
16	52	खेल	212.80	147.29	65.51	69.22
17	38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	686.84	480.27	206.57	69.92
18	21	शिक्षा	78,564.83	56,700.64	21,864.19	72.17
19	30	अल्पसंख्यक कल्याण	778.23	563.89	214.34	72.46
20	23	उद्योग	3,314.69	2,455.64	859.05	74.08
21	33	सामान्य प्रशासन	1,123.74	837.27	286.47	74.51
		कुल	**1,61,379.03**	**1,10,819.57**	**50,559.46**	**68.67**
75 से अधिक और 90 प्रतिशत तक उपयोग						
22	17	वाणिज्य कर	238.23	179.25	58.98	75.24
23	16	पंचायती राज	12,243.95	9,267.09	2,976.86	75.69
24	35	योजना एवं विकास	2,409.14	1,829.93	579.21	75.96
25	19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1,123.09	890.14	232.95	79.26

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत
26	46	पर्यटन	1,029.11	816.34	212.77	79.32
27	22	गृह	17,317.40	14,047.33	3,270.07	81.12
28	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,976.23	1,603.27	372.96	81.13
29	09	सहकारिता	1,370.96	1,122.13	248.83	81.85
30	15	पेंशन	31,796.13	26,169.97	5,626.16	82.31
31	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	2,156.61	1,778.52	378.09	82.47
32	24	सूचना एवं जनसंपर्क	324.67	269.53	55.14	83.02
33	43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा	1,169.21	998.98	170.23	85.44
34	51	समाज कल्याण	13,887.23	11,881.90	2,005.33	85.56
35	50	लघु जल संसाधन	1,376.23	1,183.06	193.17	85.96
36	32	विधान-मंडल	321.84	278.04	43.80	86.39
37	05	राज्यपाल सचिवालय	51.82	45.05	6.77	86.94
38	26	श्रम संसाधन	1,387.02	1,211.29	175.73	87.33
39	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,807.14	1,582.89	224.25	87.59
40	27	विधि	1,840.18	1,647.48	192.70	89.53
		कुल	**93,826.19**	**76,802.19**	**17,024.00**	**81.86**
90 प्रतिशत से अधिक उपयोग						
41	37	ग्रामीण कार्य	11,436.05	10,347.80	1,088.25	90.48
42	07	निगरानी	48.24	43.66	4.58	90.51
43	06	निर्वाचन	1,058.68	962.99	95.69	90.96
44	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2,287.62	2,085.62	202.00	91.17
45	28	उच्च न्यायालय	324.35	301.55	22.80	92.97
46	13	सूद भुगतान	20,526.19	19,678.14	848.05	95.87
47	12	वित्त	3,757.90	3,609.09	148.81	96.04
48	34	बिहार लोक सेवा आयोग	161.25	156.17	5.08	96.85
49	10	ऊर्जा	21,540.40	20,894.04	646.36	97.00
50	49	जल संसाधन	5,617.59	5,465.43	152.16	97.29
51	14	ऋण अदायगियाँ	22,392.72	21,943.67	449.05	97.99
52	41	पथ निर्माण	9,734.04	9,636.46	97.58	99.00
		कुल	**98,885.03**	**95,124.63**	**3,760.42**	**96.20**
		महायोग	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**78.78**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भ : कंडिका 2.5.4)
बचतों का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
01	कृषि	3,600.92	546.58	4,147.50	2,310.90	1,836.60	546.58	1,290.02
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,631.35	515.59	2,146.94	1,437.78	709.16	33.09	676.07
03	भवन निर्माण	5,012.65	3,974.37	8,987.02	6,195.81	2,791.21	60.83	2,730.38
04	मंत्रिमंडल सचिवालय	467.25	93.15	560.40	322.95	237.45	2.90	234.55
05	राज्यपाल सचिवालय	51.32	0.50	51.82	45.05	6.77	-	6.77
06	निर्वाचन	848.33	210.35	1,058.68	962.99	95.69	97.66	-1.97
07	निगरानी	45.60	2.64	48.24	43.66	4.58	-	4.58
08	कला, संस्कृति एवं युवा	260.00	17.44	277.44	153.39	124.05	8.79	115.26
09	सहकारिता	1,209.36	161.60	1,370.96	1,122.13	248.83	122.16	126.67
10	ऊर्जा	11,422.68	10,117.74	21,540.42	20,894.05	646.37	451.17	195.20
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,687.30	119.84	1,807.14	1,582.89	224.25	-	224.25
12	वित्त	2,734.50	1,023.40	3,757.90	3,609.09	148.81	71.22	77.59
13	सूद भुगतान	20,526.19	-	20,526.19	19,678.14	848.05	-	848.05
14	ऋण अदायगियाँ	22,392.72	-	22,392.72	21,943.67	449.05	-	449.05
15	पेंशन	31,796.13	-	31,796.13	26,169.97	5,626.16	-	5,626.16
16	पंचायती राज	11,025.84	1,218.11	12,243.95	9,267.09	2,976.86	431.54	2,545.32
17	वाणिज्य कर	237.96	0.27	238.23	179.25	58.98	-	58.98
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,250.20	906.41	2,156.61	1,778.52	378.09	15.86	362.23

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
19	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	853.03	270.06	1,123.09	890.14	232.95	37.95	195.00
20	स्वास्थ्य	14,932.09	7,887.40	22,819.49	15,648.07	7,171.42	2,013.29	5,158.13
21	शिक्षा	52,639.03	25,925.80	78,564.83	56,700.64	21,864.19	-	21,864.19
22	गृह	16,323.83	993.57	17,317.40	14,047.33	3,270.07	-	3,270.07
23	उद्योग	1,833.09	1,481.60	3,314.69	2,455.64	859.05	223.54	635.51
24	सूचना एवं जनसंपर्क	254.24	70.43	324.67	269.53	55.14	2.78	52.36
25	सूचना प्रावैधिकी	278.44	138.49	416.93	271.74	145.19	34.12	111.07
26	श्रम संसाधन	1,226.42	160.60	1,387.02	1,211.29	175.73	1.23	174.50
27	विधि	1,315.13	525.05	1,840.18	1,647.48	192.70	-	192.70
28	उच्च न्यायालय	249.14	75.21	324.35	301.55	22.80	-	22.80
29	खान एवं भूतत्व	63.11	63.05	126.16	45.36	80.80	-	80.80
30	अल्पसंख्यक कल्याण	648.66	129.57	778.23	563.89	214.34	159.75	54.59
31	संसदीय कार्य	9.87	0.69	10.56	3.01	7.55	0.03	7.52
32	विधान मंडल	286.11	35.73	321.84	278.04	43.80	1.98	41.82
33	सामान्य प्रशासन	1,032.82	90.92	1,123.74	837.27	286.47	-	286.47
34	बिहार लोक सेवा आयोग	98.92	62.33	161.25	156.17	5.08	-	5.08
35	योजना एवं विकास	2,216.48	192.66	2,409.14	1,829.93	579.21	21.72	557.49
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1,848.22	439.40	2,287.62	2,085.62	202.00	67.00	135.00
37	ग्रामीण कार्य	9,532.31	1,903.74	11,436.05	10,347.80	1,088.25	50.00	1,038.25
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	674.53	12.29	686.82	480.26	206.56	-	206.57
39	आपदा प्रबंधन	9,542.85	105.46	9,648.31	4,140.27	5,508.04	1,478.43	4,029.61

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	1,871.48	890.99	2,762.47	1,832.71	929.76	51.23	878.53
41	पथ निर्माण	5,702.81	4,031.23	9,734.04	9,636.46	97.58	214.27	-116.69
42	ग्रामीण विकास	14,296.71	4,161.89	18,458.60	11,362.06	7,096.54	434.60	6,661.94
43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा	1,072.31	96.90	1,169.21	998.98	170.23	-	170.23
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,802.73	173.50	1,976.23	1,603.27	372.96	8.73	364.23
45	गन्ना उद्योग	123.80	23.95	147.75	94.72	53.03	-	53.03
46	पर्यटन	462.44	566.67	1,029.11	816.34	212.77	75.00	137.77
47	परिवहन	451.46	192.13	643.59	243.47	400.12	47.00	353.12
48	नगर विकास एवं आवास	11,298.72	4,674.64	15,973.36	10,004.44	5,968.92	3,001.82	2,967.10
49	जल संसाधन	4,398.52	1,219.07	5,617.59	5,465.43	152.16	149.92	2.24
50	लघु जल संसाधन	1,030.95	345.28	1,376.23	1,183.06	193.17	133.00	60.17
51	समाज कल्याण	8,238.57	5,648.66	13,887.23	11,881.90	2,005.33	339.18	1,666.15
52	खेल	183.20	29.60	212.80	147.29	65.51	-	65.51
कुल		**2,82,992.32**	**81,526.55**	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**10,388.37**	**66,952.02**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

* *अनभ्यर्पण (दो मामलों) में नकारात्मक राशि उचंत लेखा से राशि के समायोजन के कारण है*

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

मार्च 2025 के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विभाग	मूल बजट	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	अभ्यर्पण	31.03.2025 को अभ्यर्पित की गई राशि
06	निर्वाचन	848.33	210.35	1,058.68	962.99	95.69	97.66	97.66
12	वित्त	2,734.50	1,023.40	3,757.90	3,609.09	148.81	71.22	41.01
20	स्वास्थ्य	14,932.09	7,887.40	22,819.49	15,648.07	7,171.42	2,013.29	380.79
26	श्रम संसाधन	1,226.42	160.60	1,387.02	1,211.29	175.73	1.23	0.55
37	ग्रामीण कार्य	9,532.31	1,903.74	11,436.05	10,347.80	1,088.25	50.00	50.00
41	पथ निर्माण	5,702.81	4,031.23	9,734.04	9,636.46	97.58	214.27	214.27
51	समाज कल्याण	8,238.57	5,648.66	13,887.23	11,881.90	2,005.33	339.18	38.36
कुल		**43,215.03**	**20,865.38**	**64,080.41**	**53,297.60**	**10,782.81**	**2,786.85**	**822.64**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.5.6)

2024-25 के दौरान सभी अनुदानों में चतुर्मास-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग	कुल बजट	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय				व्यय दिसंबर-मार्च (प्रतिशत)	मार्च में व्यय (राशि)	मार्च में व्यय (प्रतिशत)
				अप्रैल - जुलाई	अगस्त - नवंबर	दिसंबर - मार्च	कुल व्यय			
1	01	कृषि	4,147.50	411.01	613.54	1,037.88	2,062.43	50.32	259.95	12.60
2	02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	2,146.94	167.84	603.22	657.64	1,428.70	46.03	193.82	13.57
3	03	भवन निर्माण	8,987.02	1,256.53	1,457.97	3,472.12	6,186.62	56.12	1,507.88	24.37
4	04	मंत्रिमंडल सचिवालय	560.40	110.06	86.98	125.91	322.95	38.99	64.76	20.05
5	05	राज्यपाल सचिवालय	51.82	21.27	10.26	13.52	45.05	30.01	4.74	10.52
6	06	निर्वाचन	1,058.68	447.25	275.61	103.36	826.22	12.51	-40.30	-4.88
7	07	निगरानी	48.24	15.96	13.81	13.88	43.65	31.80	5.46	12.51
8	08	कला, संस्कृति एवं युवा	277.44	28.51	71.12	53.62	153.25	34.99	29.59	19.31
9	09	सहकारिता	1,370.96	81.50	533.64	477.36	1,092.50	43.69	293.21	26.84
10	10	ऊर्जा	21,540.42	5,701.95	5,110.76	9,519.19	20,331.90	46.82	1,877.88	9.24
11	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,807.14	16.01	1,401.39	155.56	1,572.96	9.89	134.11	8.53
12	12	वित्त	3,757.90	10,158.03	2,166.78	-8,715.76	3,609.05	-241.50	-9,381.59	-259.95
13	13	सूद भुगतान	20,526.20	2,864.28	8,174.14	8,639.72	19,678.14	43.91	2,988.04	15.18
14	14	ऋण अदायगियाँ	22,392.72	1,008.19	11,471.51	9,463.97	21,943.67	43.13	1,749.93	7.97
15	15	पेंशन	31,796.13	9,776.60	8,638.29	7,724.72	26,139.61	29.55	1,512.52	5.79
16	16	पंचायती राज	12,243.95	495.29	2,498.07	6,273.11	9,266.47	67.70	3,051.77	32.93
17	17	वाणिज्य कर	238.23	49.83	52.47	76.94	179.24	42.93	37.32	20.82

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग	कुल बजट	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय				व्यय दिसंबर-मार्च (प्रतिशत)	मार्च में व्यय (राशि)	मार्च में व्यय (प्रतिशत)
				अप्रैल - जुलाई	अगस्त - नवंबर	दिसंबर - मार्च	कुल व्यय			
18	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	2,156.61	397.43	659.55	721.22	1,778.20	40.56	115.18	6.48
19	19	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	1,123.09	169.82	291.00	399.68	860.50	46.45	128.61	14.95
20	20	स्वास्थ्य	22,819.48	2,608.26	5,888.12	6,991.64	15,488.02	45.14	2,997.45	19.35
21	21	शिक्षा	78,564.82	12,418.73	19,299.92	23,377.01	55,095.66	42.43	11,988.63	21.76
22	22	गृह	17,317.40	4,324.17	4,535.10	5,145.43	14,004.70	36.74	2,492.84	17.80
23	23	उद्योग	3,314.69	1,126.59	323.70	998.48	2,448.77	40.77	296.63	12.11
24	24	सूचना एवं जनसंपर्क	324.67	59.43	76.16	133.94	269.53	49.69	58.50	21.70
25	25	सूचना प्रावैधिकी	416.93	67.67	60.35	139.10	267.12	52.07	13.95	5.22
26	26	श्रम संसाधन	1,387.02	729.51	155.19	326.17	1,210.87	26.94	102.28	8.45
27	27	विधि	1,840.18	674.66	500.37	472.03	1,647.06	28.66	167.77	10.19
28	28	उच्च न्यायालय	324.35	105.90	109.04	86.21	301.15	28.63	14.53	4.82
29	29	खान एवं भूतत्व	126.16	13.15	14.42	17.80	45.37	39.23	7.88	17.37
30	30	अल्पसंख्यक कल्याण	778.23	40.09	299.50	182.27	521.86	34.93	54.85	10.51
31	31	संसदीय कार्य	10.56	1.18	0.55	0.83	2.56	32.42	0.06	2.34
32	32	विधान मंडल	321.84	89.50	91.76	96.66	277.92	34.78	49.95	17.97
33	33	सामान्य प्रशासन	1,123.74	300.57	316.96	219.64	837.17	26.24	83.19	9.94
34	34	बिहार लोक सेवा आयोग	161.25	16.43	49.38	90.34	156.15	57.85	28.87	18.49
35	35	योजना एवं विकास	2,409.14	1,379.76	195.01	221.11	1,795.88	12.31	87.98	4.90
36	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2,287.62	409.27	388.32	1,287.22	2,084.81	61.74	528.55	25.35
37	37	ग्रामीण कार्य	11,436.05	2,792.33	3,927.89	3,418.68	10,138.90	33.72	1,580.37	15.59

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विभाग	कुल बजट	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय				व्यय दिसंबर-मार्च (प्रतिशत)	मार्च में व्यय (राशि)	मार्च में व्यय (प्रतिशत)
				अप्रैल - जुलाई	अगस्त - नवंबर	दिसंबर - मार्च	कुल व्यय			
38	38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	686.84	142.57	144.48	193.09	480.14	40.22	61.03	12.71
39	39	आपदा प्रबंधन	9,648.31	1,057.44	1,127.77	895.41	3,080.62	29.07	-181.83	-5.90
40	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	2,762.47	258.49	469.89	1,001.40	1,729.78	57.89	346.78	20.05
41	41	पथ निर्माण	9,734.04	1,464.94	3,539.22	4,376.51	9,380.67	46.65	1,669.58	17.80
42	42	ग्रामीण विकास	18,458.60	1,045.90	3,820.33	6,480.53	11,346.76	57.11	3,944.68	34.76
43	43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा	1,169.20	206.84	290.46	501.43	998.73	50.21	203.69	20.39
44	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,976.23	668.80	658.44	248.26	1,575.50	15.76	85.83	5.45
45	45	गन्ना उद्योग	147.75	8.80	7.96	75.36	92.12	81.81	45.73	49.64
46	46	पर्यटन	1,029.11	50.29	115.36	650.63	816.28	79.71	177.60	21.76
47	47	परिवहन	643.59	38.49	138.86	65.94	243.29	27.10	33.34	13.70
48	48	नगर विकास एवं आवास	15,973.36	1,043.86	3,626.54	5,058.55	9,728.95	51.99	2,436.06	25.04
49	49	जल संसाधन	5,617.59	1,016.79	1,808.97	2,631.82	5,457.58	48.22	1,503.92	27.56
50	50	लघु जल संसाधन	1,376.23	108.40	366.59	707.56	1,182.55	59.83	347.05	29.35
51	51	समाज कल्याण	13,887.23	2,028.67	3,568.58	5,967.18	11,564.43	51.60	2,426.94	20.99
52	52	खेल	212.80	32.50	34.33	80.46	147.29	54.63	41.48	28.16
कुल			**3,64,518.87**	**69,507.34**	**1,00,079.63**	**1,12,352.33**	**2,81,939.30#**	**54.63**	**38,229.04**	**13.56**

स्रोत: 2024-25 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े

व्यय का आंकड़ा सकल व्यय का शुद्ध परिणाम है, जिसमें सभी वसूलियों, सी.ए.एम.पी.ए, एस.डी.आर.एफ. और सी.आर.एफ. निधि के समायोजन राशि ₹ 5,239.21 करोड़ घटा दी गई है।

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ: कंडिका 3.2.2)
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत योगदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारियों का योगदान	सरकार का अंशदान	कुल	संवितरण (एन०एस० डी०एल० को अंतरण)	कम अंतरण
1.	2013-14	0.04	155.58	214.5	370.12	328.68	41.44
2.	2014-15	41.44	263.87	265.58	570.89	522.24	48.65
3.	2015-16	48.65	314.70	309.44	672.79	608.67	64.12
4.	2016-17	64.12	381.55	382.64	828.31	739.73	88.58
5.	2017-18	88.58	462.58	472.36	1,023.52	936.56	86.96
6.	2018-19	86.96	573.74	567.54	1,228.24	1,081.03	147.21
7.	2019-20	147.21	688.65	816.58	1,652.44	1,302.58	349.86
8.	2020-21	349.86	802.00	1,099.76	2,251.62	1,976.81	274.81
9.	2021-22	274.81	934.55	1,311.04	2,520.40	2,302.76	217.64
10.	2022-23	217.64	1,106.56	1,543.25	2,867.45	2,609.30	258.15
11.	2023-24	258.15	1,417.30	1,984.79	3,660.24	3,650.00	10.24
12.	2024-25	10.24	2,348.73	3,281.94	5,640.91	4,340.10	1,300.81
कुल			**9,449.81**	**12,249.42**		**20,398.46***	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

** ₹ 29.84 करोड़ का ब्याज भुगतान शामिल है*

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ: कंडिका 3.4)
31.03.2025 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	01.04.2024 को लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़े गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र	वर्ष 2024-25 के दौरान समायोजित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31.03.2025 के अंत में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1.	कृषि	2,068.19	387.07	1,175.93	1,279.33
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	509.03	300.59	20.54	789.08
3.	कला, संस्कृति एवं युवा	64.02	43.61	2.07	105.56
4.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1,673.53	1,075.14	49.64	2,699.03
5.	बिहार विधानसभा	0	0.00	0	0
6.	भवन निर्माण	111.67	37.14	0	148.81
7.	मंत्रिमंडल सचिवालय	297.12	79.24	0	376.36
8.	सहकारिता	816.02	415.99	63.21	1,168.80
9.	आपदा प्रबंधन	446.27	29.55	41.78	434.04
10.	शिक्षा	11,139.13	15,984.17	8,026.30	19,097.00
11.	ऊर्जा	423.65	507.54	750.09	181.1
12.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	21.45	4.87	2.72	23.6
13.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	0	0	0	0
14.	वित्त	437.17	195.27	291.03	341.41
15.	खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	10.99	0.01	0	11
16.	सामान्य प्रशासन	116.78	289.11	159.55	246.34
17.	स्वास्थ्य	904.81	2,511.23	379.18	3,036.86
18.	गृह	37.29	6.23	1.8	41.72
19.	उद्योग	75.08	76.37	54.72	96.73
20.	सूचना प्रावैधिकी	64.57	7.12	9.5	62.19
21.	सूचना एवं जनसंपर्क	0	0.00	0	0
22.	श्रम संसाधन	443.44	248.69	41.05	651.08
23.	राजस्व एवं भूमि सुधार	23.74	2.89	1.5	25.13
24.	विधि	59.35	26.15	0	85.5
25.	खान और भूतत्व	0	0	0	0
26.	अल्पसंख्यक कल्याण	330.94	113.56	23.42	421.08

क्रम संख्या	विभाग का नाम	01.04.2024 को लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़े गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र	वर्ष 2024-25 के दौरान समायोजित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31.03.2025 के अंत में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
27.	पंचायती राज	30,696.08	4,932.38	3,245.38	32,383.08
28.	योजना एवं विकास	49.78	318.21	223.34	144.65
29.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	332.18	23.10	66.98	288.3
30.	ग्रामीण विकास	7,568.82	10,714.52	11,864.74	6,418.60
31.	ग्रामीण कार्य	47.13	16.90	34.14	29.89
32.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	2,182.05	1,042.63	641.88	2,582.80
33.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	45.08	38.96	2.12	81.92
34.	समाज कल्याण	2,829.46	5,344.52	7,427.69	746.29
35.	गन्ना उधोग	152.12	0.71	30.09	122.74
36.	परिवहन	33.3	32.27	0	65.57
37.	पर्यटन	9.2	11.82	3.54	17.48
38.	नगर विकास एवं आवास	11,371.56	10,932.53	4,427.77	17,876.32
39.	जल संसाधन	202.02	18.21	166.87	53.36
	कुल	**75,593.02**	**55,768.30**	**39,228.57**	**92,132.75**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ: कंडिका 3.5)
31.03.2025 तक सार आकस्मिक विपत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	01.04. 2024 को लम्बित सार आकस्मिक विपत्र*	2024-25 के दौरान जोड़े गए सार आकस्मिक विपत्र#	2024-25 के दौरान समायोजित सार आकस्मिक विपत्र#	31.03.2025 के अंत में लम्बित सार आकस्मिक विपत्र
1.	कृषि विभाग	83.46	3.84	7.66	79.64
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	89.58	0.00	7.56	82.02
3.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	59.57	0.01	0.07	59.51
4.	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	0.69	0.04	0.00	0.73
5.	बिहार लोक सेवा आयोग	13.39	13.00	8.95	17.44
6.	भवन निर्माण विभाग	26.63	0.01	0.00	26.64
7.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	45.18	14.21	0.01	59.38
8.	वाणिज्य-कर विभाग	29.52	8.91	0.00	38.43
9.	सहकारिता विभाग	100.03	2.07	8.37	93.73
10.	विभाग मैप नहीं किया गया	0.22	0.00	0.00	0.22
11.	आपदा प्रबंधन विभाग	158.04	153.87	7.86	304.05
12.	शिक्षा विभाग	1,468.89	490.71	26.78	1,932.82
13.	निर्वाचन विभाग	88.38	128.01	29.13	187.26
14.	ऊर्जा विभाग	0.12	0.00	0.00	0.12
15.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	902.25	523.62	972.66	453.21
16.	वित्त विभाग	30.13	0.45	0.29	30.29
17.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	22.01	0.00	0.01	22.00
18.	सामान्य प्रशासन विभाग	288.53	0.67	0.65	288.55
19.	स्वास्थ्य विभाग	685.14	0.04	216.61	468.57
20.	बिहार उच्च न्यायालय	0.21	0.00	0.00	0.21
21.	गृह विभाग	364.89	796.65	367.38	794.16
22.	उद्योग विभाग	846.36	925.08	216.40	1,555.04
23.	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	0.00	0.29	0.00	0.29
24.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	56.76	1.10	21.53	36.33

क्रम संख्या	विभाग का नाम	01.04. 2024 को लम्बित सार आकस्मिक विपत्र*	2024-25 के दौरान जोड़े गए सार आकस्मिक विपत्र#	2024-25 के दौरान समायोजित सार आकस्मिक विपत्र#	31.03.2025 के अंत में लम्बित सार आकस्मिक विपत्र
25.	श्रम संसाधन विभाग	28.89	0.24	0.18	28.95
26.	विधि विभाग	0.60	0.01	0.01	0.60
27.	खान और भूतत्त्व विभाग	0.02	2.19	0.00	2.21
28.	लघु जल संसाधन विभाग	28.85	0.47	1.44	27.88
29.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	41.70	0.00	4.15	37.55
30.	पंचायती राज विभाग	131.61	0.09	1.36	130.34
31.	संसदीय कार्य विभाग	9.00	0.11	0.00	9.11
32.	योजना एवं विकास विभाग	319.92	9.21	53.68	275.45
33.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	143.09	0.00	0.32	142.77
34.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	16.54	0.00	1.94	14.60
35.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	51.12	12.07	0.01	63.18
36.	पथ निर्माण विभाग	365.97	17.93	2.56	381.34
37.	ग्रामीण विकास विभाग	26.13	0.00	0.70	25.43
38.	ग्रामीण कार्य विभाग	1,771.13	0.00	121.69	1,649.44
39.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	188.16	13.70	0.75	201.11
40.	विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग	300.49	247.86	100.14	448.21
41.	समाज कल्याण विभाग	321.38	25.69	88.60	258.47
42.	गन्ना उद्योग विभाग	12.54	0.95	10.85	2.64
43.	पर्यटन विभाग	30.63	21.83	0.00	52.46
44.	परिवहन विभाग	11.40	23.74	0.00	35.14
45.	नगर विकास एवं आवास विभाग	31.63	0.02	2.41	29.24
46.	सतर्कता विभाग	0.58	0.00	0.00	0.58
47.	जल संसाधन विभाग	14.35	0.15	0.12	14.38
कुल		**9,205.71**	**3,438.84**	**2,282.83**	**10,361.72**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार का कार्यालय

** 09/2023 तक आहरित किए गए सार आकस्मिक विपत्रो को शामिल किया गया है*

नोट- ₹ 0.2 करोड़ तक का अंतर, यदि कहीं भी हो, राउंड ऑफ के कारण है

 # अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक निकाले गए सार आकस्मिक विपत्र और समायोजित किए गए विस्तृत आकस्मिक विपत्र

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.13)

स्वायत्त निकायों के लेखे का बकाया जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए (31 मार्च 2025 तक)

क्रम संख्या	निकाय या प्राधिकरण का नाम
1.	बिहार नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा विभाग एजेंसी (बी० आर० ई० डी० ए०)
2.	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी०आई०ए०डी०ए०)
3.	सिमुलतल्ला शिक्षा समिति
4.	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
5.	ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान
6.	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड
7.	आई०जी०आई०एम०एस०
8.	बिहार राज्य बी०सी०आयोग
9.	बिहार राज्य महिला आयोग
10.	टी०एम० विश्वविद्यालय, भागलपुर
11.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
12.	एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
13.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
14.	मगध विश्वविद्यालय, गया
15.	भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
16.	बी०एस०बी०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
17.	पटना विश्वविद्यालय, पटना
18.	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
19.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
20.	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
21.	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
22.	मौलाना मजहरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, पटना
23.	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया
24.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना
25.	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
26.	श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति
27.	बिहार अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, पटना
28.	बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
29.	अवसंरचना विकास प्राधिकरण

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.14)

एस०पी०एस०ई० को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2025 तक बकाया थे

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 तक अंशपूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)
		अंशपूंजी	ऋण	प्रत्याभूति	अनुदान/ पूंजीगत अनुदान	अन्य (सब्सिडी)	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया हैं	बकाया लेखे की संख्या	
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	212.75	0	212.75	2021-22	4	नहीं
2	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	245	0	245	2023-24	2	हाँ
3	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	245	0	245	2023-24	2	नहीं
4	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	196	0	196	2023-24	2	नहीं
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	5	0	0	11.53	0	16.53	2020-21	5	नहीं
6	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	18.87	0	18.87	2018-19	7	नहीं
7	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	32	0	0	0	0	32	2018-19	7	हाँ
8	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	6	0	0	10.45	0	16.45	2014-15	11	नहीं
9	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0	0	0	31.45	1,694.62	1,726.07	2020-21	5	नहीं

क्रम संख्या	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 तक अंशपूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)
		अंशपूंजी	ऋण	प्रत्याभूति	अनुदान/ पूंजीगत अनुदान	अन्य (सब्सिडी)	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया हैं	बकाया लेखे की संख्या	
10	बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0	0	0	0	1,472.73	1,472.73	2022-23	3	हाँ
11	बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	72.44	0	0	0	72.44	2018-19	7	हाँ
12	बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	10,011.76	0	0	2,272.89	0	12,284.65	2022-23	3	नहीं
13	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	1,346.21	44.03	0	8.5	7,395.14	8,793.88	2024-25	1	नहीं
14	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	1,007.48	24.26	0	0	0	1,031.74	2024-25	1	नहीं
15	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	422.98	0	533.35	0	0	956.33	2024-25	1	नहीं
16	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	9	0	9.00	2024-25	1	नहीं
17	बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	774.06	0	0	0	0	774.06	2023-24	2	नहीं
	कुल (अ)	**13,605.49**	**140.73**	**533.35**	**3,261.44**	**10,562.49**	**28,103.50**			
ब. कार्यशील सांविधिक निगम										
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0	0	0	59.45	14	73.45	2023-24	2	नहीं
2	बिहार राज्य भंडार निगम	0	0	0	17.5	0	17.5	2021-22	4	नहीं
	कुल (ब)	**0**	**0**	**0**	**76.95**	**14**	**90.95**			

क्रम संख्या	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 तक अंशपूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)
		अंशपूंजी	ऋण	प्रत्याभूति	अनुदान/ पूंजीगत अनुदान	अन्य (सब्सिडी)	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया हैं	बकाया लेखे की संख्या	
स. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहार राज्य फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0	1	0	0	0	1	2015-16	10	हाँ
2	बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	0	2	0	0	0	2	2011-12	14	हाँ
3	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (02.05.2023 से परिसमापन के अधीन)	0	2.28	0	0	0	2.28	2003-04	21	
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0	3.12	0	39.5	0	42.62	2007-08	18	हाँ
5	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	6.52	0	0.26	0	8.03	1993-94	32	हाँ
6	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (04.10.2012 से परिसमापन के अधीन)	0	2.21	0	0	0.08	2.29	1992-93	33	हाँ
7	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड (04.10.2012 से परिसमापन के अधीन)	0	1.66	0	0	2.47	4.13	1991-92	34	हाँ
8	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.79	6.99	0	0	0	12.78	1988-89	37	हाँ
9	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	52.95	0	0	0	65.87	1986-87	39	हाँ
10	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2.36	317.3	0	1.4	197.93	518.99	1990-91	35	हाँ

क्रम संख्या	एस०पी०एस०ई० का नाम	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 तक अंशपूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								यदि घाटे में चल रही हो (अद्यतन लेखे पर आधारित)
		अंशपूंजी	ऋण	प्रत्याभूति	अनुदान/ पूंजीगत अनुदान	अन्य (सब्सिडी)	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया हैं	बकाया लेखे की संख्या	
11	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	56.26	0	0	0.48	60.46	1984-85	41	हाँ
12	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0	0	55.41	79.41	1983-84	42	हाँ
13	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड (25.08.2008 से परिसमापन के अधीन)	12.26	43.18	0	0	0	55.44	1983-84	41	हाँ
14	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5	154.33	0	0	0	159.33	1979-80	46	नहीं
15	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	6.09	0	0	0	6.09	1977-78	48	हाँ
	कुल (स)	**48.52**	**674.67**	**0**	**41.16**	**256.37**	**1,020.72**			
	कुल (अ + ब +स)	**13,654.01**	**815.40**	**533.35**	**3,379.55**	**10,832.86**	**29,215.17**			

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा प्रदान की गई जानकारी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi/audit-report